ग माला, खंड 2, अंक 8

बुधवार, 14 जुलाई, 2004
23 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 14 जुलाई, 2004/23 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 124	3–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 125 से 141	31–59
अतारांकित प्रश्न संख्या 950 से 1008 तथा 1010 से 1126	59–301
सभा पटल पर रखे गए पत्र	301–308
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	308–309
सदस्य द्वारा निवेदन	
स्कूलों तथा अन्य स्थलों पर सिखों द्वारा पगड़ियां पहनने पर फ्रांस सरकार द्वारा लगाये गए कथित प्रतिबंध के बारे में	328
रेल बजट, 2004-2005—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2004-2005	336–370
श्री गिरधारी लाल भार्गव	336–338
श्री संतोष गंगवार	338–340
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	340–341
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	342
श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	343–344
श्री टी.के. हमजा	344
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	344–345
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	345–346

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	346–348
श्रीमती मनोरमा माधवराज	348–349
श्री लालू प्रसाद	350–370
विनियोग (रेल) लेखानुदान संख्यांक 2 विधेयक, 2004-2005	371–
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	371
श्री लालू प्रसाद	371
विचार करने के लिए प्रस्ताव	372
खंड 2, 3 और 1	372
पारित करने के लिए प्रस्ताव	373
नियम 377 के अधीन मामले	373–379
(एक) पश्चिम रेलवे मंडल में कपडवंज-मोडसा बड़ी रेल लाइन को शामलाजी रोड तक बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	373–374
(दो) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	374
(तीन) आंध्र प्रदेश के कृषक समुदाय के सामने आ रही समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता	
श्री के.एस. राव	374–375
(चार) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	375
(पांच) विकास कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत निधि का पूरा हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	376
(छह) कालाहांडी जिले में ऊपरी इन्द्रावती बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री विक्रम केशरी देव	376
(सात) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषणकारी गंदे जल के प्रवाह को रोकने के लिए विनियमों को लागू करने की आवश्यकता	
श्रीमती मनोरमा माधवराज	376–377

विषय	कॉलम
(आठ) पश्चिम बंगाल में रेलवे हाकरों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अमिताभ नन्दी	377
(नौ) उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय क्षेत्र में राजघाट बांध परियोजना के विस्थापित भू-स्वामियों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रपाल सिंह यादव	377–378
(दस) सुन्दरवन के क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	378
(ग्यारह) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास बंडु आठवले	378–379
(बारह) शिप-ब्रेकिंग उद्योग पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	379
सामान्य बजट, 2004-2005—सामान्य चर्चा	380–434
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	380–396
श्री के.एस. राव	397–415
श्री रूपचंद पाल	415–429
श्री मोहन सिंह	429–434
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	435–436
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	435–442
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	443–444
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	444–446

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री गिरिधर गमांग
श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया:

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत का राष्ट्रपति।''

लोक सभा

बुधवार, 14 जुलाई, 2004/23 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: नहीं, नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया रोज ऐसा मत कीजिए। यह क्या है। मुझे सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। 13 जून को प्रधान मंत्री जी से मुख्य मंत्री मिले थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के बाद ही आपकी बात सुनूंगा। मैं याद रखूंगा और प्रश्न काल के बाद आपका नाम पुकारूंगा। रोज ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं प्रश्न काल के बाद आपको अनुमति दूंगा। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का मुझे समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको मुद्दा उठाने का अवसर दूंगा लेकिन प्रश्न काल के बाद। व्यवस्था और शिष्टाचार के साथ कार्यवाही आगे बढ़ाएं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए मुझे दो मिनट दे दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको मामला उठाने का अवसर दूंगा लेकिन प्रश्न काल के बाद। हम व्यवस्था और शिष्टाचार से कार्यवाही आगे बढ़ाएं।

[हिन्दी]

अभी आपकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के एक मंत्री श्री शिबू सोरेन पर सदन की ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): स्थगन प्रस्ताव का आशय सभा के समग्र कार्य को स्थगित करना है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस समय कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा। इसकी अनुमति नहीं दी गई है। प्रश्न काल के पश्चात् इस पर चर्चा की जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप यह बताएं कि आपने इसे स्वीकार किया है अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही आपको सूचित कर चुका हूं कि इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, इन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। इसलिए इस बारे में कुछ बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। मल्होत्रा जी आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा

*122. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और यह धनराशि किस प्रकार से जुटाए जाने का विचार है?

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की कार्य प्रणाली को पुन: संगत बनाना है तथा कयर, पाटरी, काटेज उद्योगों, इत्यादि जैसे परम्परागत उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ही ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.), प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के माध्यम से पहले ही कृषि और ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन कर रही है। इनमें से सबसे बड़ा और अति महत्व का कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसमें मार्जिन मनी सहायता प्रदान करके तथा अपेक्षित फारवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करके श्रमिक गहन उद्योगों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन की चाह की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने आर.ई.जी.पी. के तहत 5.25 लाख अतिरिक्त व्यवसाय के सृजन का तथा पी.एम.आर.वाई. के तहत 3.75 लाख अतिरिक्त व्यवसाय के सृजन का लक्ष्य रखा है।

(ग) दसवीं योजना के दौरान कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों (ए.आर.आई.) के लिए 2950 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए योजनेत्तर आबंटन 674 करोड़ रु. का है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कयर, हैंडलूम, हैन्डीक्राफ्ट, सेरीकल्चर, लैदर, पटरी जैसे परम्परागत उद्योगों के पुन: सृजन तथा अन्य काटेज उद्योगों के लिए नए फण्ड की स्थापना हेतु 100 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। जबकि उपर्युक्त राशि सरकार द्वारा बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, यह भी आशा की जाती है कि मंत्रालय की स्कीमों की सहायता के लिए बैंकों द्वारा लगभग 2100 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यवसाय सृजन के लिए 5.25 लाख रुपए, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 3.75 लाख रुपए अतिरिक्त व्यवसाय के सृजन हेतु लक्ष्य रखा गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु उन्होंने क्या रूपरेखा तैयार की है और इनमें ग्रामीणों और कृषकों को किस प्रकार से फायदा होगा? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी के बारे में केन्द्र सरकार की ओर से किसी कानून को लाने की बात कही थी, तो क्या वह कानून लाया जाना भी इसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्वान सदस्य से कहना चाहूंगा कि अभी हाल में ही गत

25 जून को मैंने सभी राज्यों के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, उस संदर्भ में एक पूरा विवरण आर.ई.जी.पी. और प्रधान मंत्री रोजगार योजना के संबंध में भी उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, उनके संबंध में पूरा विवरण रखा गया था और विचार किया गया था। चूंकि दोनों ही कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के हैं इसलिए प्रधान मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूरे देश में एक प्रकार की कुछ अर्हताएं हैं, उन कंडीशन्स को पूरा करने हेतु माननीय सदस्य की जो मंशा है, उसे मैं पूरा करूंगा।

श्री चंद्रकांत खैरे: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उद्योग और रोजगार के बारे में पूछा था, मंत्री जी ने उद्योग के बारे में नहीं बताया। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती है, उन ग्रामों में मजदूर नहीं रहते हैं, वे वहां से चले जाते हैं। हमारी खादी ग्रामोद्योग की जो योजनाएं हैं, वे योजनाएं करने के लिए, वहां के ग्रामीण मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बैंकों के मार्फत या अपनी खादी विलेज इंडस्ट्री के मार्फत क्या आप करने वाले हैं, ऐसे कहां-कहां कभी तक किए हैं? आप लगभग 2100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने वाले हैं और यह राशि प्रदान करने के संबंध में, जिसने भी खादी ग्रामोद्योग का प्रपोजल बनाया होगा, उसे यहां से भी सहयोग नहीं मिलता और राज्यों से भी नहीं मिलता। कई वर्षों तक उनके प्रपोजल पड़े रहते हैं। ऐसे प्रपोजल बनाने के संबंध में भी क्या आप ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से उन लाभार्थियों की मदद करेंगे और ऐसे कितने-कितने, कहां-कहां बैंकों ने ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस संदर्भ में आरबीआई, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और जो दूसरे सरकारी बैंक हैं, उनसे हम सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा उस आधार पर जो 2100 करोड़ रुपए का बैंकों के द्वारा हमारे यहां प्रावधान है, इसका पूरा एक नक्शा बना कर मैं माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

श्री कमला प्रसाद रावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कोई विशेष छूट देने का प्रावधान नहीं किया है, जिससे दलित एवं अत्यंत पिछड़े गरीब लोगों का भला हो सके। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें उनके लिए मार्जिन मनी अलग से बढ़ाई जाए ताकि बैंकों में गरीब, निर्धनों एवं दलितों का भला हो सके।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी सरकार है, उसने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किया है और उसके तहत, जो माननीय सदस्य की मंशा है, उस कार्यक्रम के आधार पर हम चाहते हैं कि केवल दलित ही नहीं, बल्कि दलित, पिछड़ी जाति के कमजोर वर्ग तथा इस प्रकार के जो अन्य हैं, उन्हें प्राथमिकता देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में है। मैं प्रयत्न करूंगा, हमारे माननीय सदस्य जी को मंशा है, उस पर मैं विचार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धनराशि तथा अतिरिक्त निधि भी प्रदान कर रही है लेकिन समस्या यह है कि बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने स्व समूहों का गठन किया है। लेकिन उन्हें बैंकों से सहायता नहीं मिल रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि सरकार इस समस्या की निगरानी हेतु जिला-वार अधिकार प्राप्त समितियों का गठन करेगी? अन्यथा, सरकार की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे जो दो कार्यक्रम हैं—प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों के लिए जो हमारा आरईजीपी है, इसके लिए केन्द्र सरकार से, हमारे जो प्रार्थी, लाभार्थी हैं, वे सीधे बैंकों से संबंध स्थापित करते हैं। साथ ही साथ हमारे केवीआई के बोर्ड प्रदेश में होते हैं, उनके द्वारा वे केन्द्र को, बैंकों को भेजते हैं। दूसरी स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसके तहत जिला उद्योग अधिकारी के माध्यम से हम प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र लेते हैं और उसे भेजते हैं। वे सीधे भी बैंकों के द्वारा भेजते हैं। आपकी चिन्ता से मैं भी परिचित हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और ओ.बी.सी. के लिए बैंकों से जितना सहयोग हमें मिलना चाहिए, उतना सहयोग नहीं मिलता है। मैं इस संबंध में प्रयत्न कर रहा हूं, आर.बी.आई. और दूसरे संबंधित बैंकों से संपर्क बनाये हुए हूं और इसके लिए एक हाई पावर कमेटी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप निगरानी करेंगे?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: मैं उस पर आ रहा हूं। हमारे खुद के मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जो इसे हमेशा देखती है। इसका आब्जर्वेशन होता है, आकलन होता है, इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण कारीगरों को हस्तशिल्प और सम्बद्ध क्रियाकलापों के संवर्धन हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। इस संबंध में केन्द्र सरकार को उन क्षेत्रों को 'फूड पार्क पैकेज' जैसे पैकेज देने चाहिए जो बागवानी फसलों, पुष्प कृषि फसलों, औषधीय पादपों, प्रसंस्कृति खाद्य क्षेत्रों तथा पैकेज्ड क्षेत्रों को स्थापित कर सके। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रावधान किए थे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान की थी।

क्या सरकार कुछ 'फूड पार्क' बनाएगी तथा ग्रामीण कारीगरों की सहायता हेतु वित्तीय पैकेज देगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपको कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि यह विषय विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, आप अलग से नोटिस दें तो मैं इसका जवाब दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, खादी, ग्रामीण उद्योग के शीर्ष के अंतर्गत आती है। पूर्व भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने खादी की खरीद पर दी जाने वाली छूट को सीमित किया तथा काफी कम कर दिया। जैसाकि हम जानते हैं, खादी राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके अलावा यह लाखों ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करता है। क्या मैं माननीय मंत्री से खादी पर छूट की पुरानी व्यवस्था को वापस लाने का आग्रह कर सकता हूं जो वर्षों से चल रही थी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप कह सकते हैं, यह प्रश्न नहीं उठता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उनको जवाब दे देता हूं। माननीय सदस्य विद्वान सदस्य हैं, तमिलनाडु से आते हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। इस संदर्भ में जो इन्होंने छूट के विषय में खादी संबंधित प्रश्न पूछा है, इस बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय के संदर्भ में एक उच्च-स्तरीय समिति बनी थी, उसकी भी रिपोर्ट थी कि 20 प्रतिशत जो छूट है, इसे वापस किया जाये। फिर दोबारा हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय में श्री के.सी. पन्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसने इस पर एक आख्या दी है कि यह वापस होनी चाहिए। मैंने कई प्रान्तों का दौरा किया और जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूं कि 25 जून को राज्य मंत्रियों का जो सम्मेलन किया है, उसमें हर जगह से यह बात आई कि जो रिबेट हमारी खादी ग्रामोद्योग की पहले की थी, उसे चालू रखा जाये। श्रीमान् मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि इस पर मैं विचार कर रहा हूं और विचार करने के पश्चात् मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा कि इसका क्या किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, खादी उद्योग ग्रामीण और ग्राम उद्योग का अभिन्न अंग है। मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में खादी उद्योग घाटे में चल रहा है क्योंकि बुनकरों की सहायता हेतु 'स्लीवर प्लांट्स' नहीं हैं। उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बता चुका हूं कि हमारी सरकार ने जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है उसमें उन्होंने यह प्राथमिकता दी है कि हम अधिक से अधिक रोजगार पैदा करें। माननीय सदस्य उड़ीसा के विषय में बता रहे हैं। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जिस आधार पर हमारे कामन मिनिमम प्रोग्राम में तथ्य आये हैं, उसे देखते हुए मैं उड़ीसा में सर्वेक्षण करा रहा हूं। हम उड़ीसा में विशेष रूप से देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से खादी या खादी ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: पहले 'स्लीवर प्लांट' के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था लेकिन अब भवन बेकार पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण उद्योग मंत्री को बताना चाहता हूं कि बिहार में कृषि

एवं ग्रामीण उद्योग की बहुत संभावनायें हैं। यहां जो हैवी इंडस्ट्रीज थीं, वे सब राज्य के बंटवारे के बाद झारखंड राज्य के साथ चली गयीं। बिहार में जो कुछ उद्योग के नाम पर बचा है, उसमें ग्रामीण उद्योग की बहुत संभावनायें हैं। यहां प्रचुर मात्रा में कच्चा माल खास तौर से कृषि उत्पाद और दुग्ध जैसे रा मैटीरियल तथा मानव संसाधन की बाहुलता है। इसके बावजूद उपेक्षित बिहार को पिछले छः साल से केन्द्र की पर्याप्त सहायता नहीं मिली है। अतः फल-सब्जी के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में स्थान रखने के बावजूद भी अभी तक उपेक्षा का शिकार रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहताः मैं ग्रामीण उद्योग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र में बिहार के लिए क्या कोई विशेष योजना है? यदि है तो आप तत्संबंधी ब्यौरा देने का कष्ट करें। यदि नहीं तो कब तक सरकार इस योजना लाने का विचार कर रही है?

श्री महावीर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सदस्य बिहार से आते हैं। बिहार के विषय में काफी चर्चाएं होती रहती हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले छः वर्षों से वहां कुछ नहीं हो रहा है। मुझे इस मिनिस्ट्री का कार्य भार संभाले हुए अभी एक महीना 20 दिन हुए हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि बिहार का अलग से सर्वेक्षण कराकर कृषि पर आधारित जितने उद्योग हैं, उनको मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री श्रीनिवास, आप बहुत वाकपटु हैं, कृपया सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटीलः महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि मेरे नेता, श्री शरद पवार, जो महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री थे, के सुनियोजित प्रयासों के कारण महाराष्ट्र में विभिन्न फल फसलों के अंतर्गत बागवानी क्षेत्र में विस्तार हुआ है? अच्छी फसल के कारण कई बार बाजारों में फलों की भरमार हो जाती है तथा कीमतें घट जाती हैं और इस तरह वह ढुलाई लागत भी पाने की स्थिति में नहीं होते। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि सरकार महाराष्ट्र ही नहीं अपितु उन क्षेत्रों में, जहां फल की फसलें होती हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने अथवा प्याज के निर्जलीकरण की किसी योजना बनाने की संभावना की जांच कर रही है? यदि हां, तो यह कब साकार होगी?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसादः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वे नहीं कराऊंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप उन्हें सीधे उत्तर दे सकते हैं। विषय से मत हटिए।

[हिन्दी]

श्री म्हावीर प्रसादः मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का विषय फूड संस्करण से संबंधित है। इस संबंध में ये अलग से नोटिस दें तो मैं उस पर विचार करूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। मैं प्रत्येक दल के माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे रहा हूं। अब श्री गुरुदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्तः कृषि आधारित उद्योग बेरोजगारी की समस्या को बड़े पैमाने पर हल कर सकता है लेकिन हर मायने में धनराशि की कमी की बाधा आती है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी धनराशि नहीं देते हैं। क्या यहां उपस्थित प्रधानमंत्री यह कह सकते हैं कि यह सुनिश्चित करने हेतु सभी कदम उठाए जाएंगे कि कृषि आधारित उद्योग के क्षेत्र में बैंकों से अबाधित धनराशि मिलती रहे ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके तथा अधिक ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके? मैं माननीय प्रधानमंत्री से आश्वासन चाहता हूं क्योंकि उन्हें सगस्या की जानकारी है। कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदयः आप आदेश नहीं दे सकते कि किसे उत्तर देना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसादः मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्वयं मैं इस बात से चिंतित हूं कि बैंकों से कठिनाइयां होती हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी से सम्पर्क साधा था। इस संदर्भ में एक कोआर्डीनेशन कमेटी बनाई जा रही है जिसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द: अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का क्या होगा। बीस मिनट से एक ही प्रश्न चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझे टोकेंगे, तो शायद आपका प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्षपीठ के कार्य में बाधा डालने का यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, सरकार द्वारा दिया गया उत्तर टालमटोल वाला है ...*(व्यवधान)* समितियों का गठन हो चुका है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने उसका उत्तर दे दिया है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके लिए विभिन्न विकल्प खुले हैं।

श्री राम गोपाल यादव कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा बिल्कुल प्वाइंटेड सवाल है लेकिन उसके दो हिस्से हैं। एक, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार सृजन की बात मंत्री जी ने कही है, हम जानते हैं कि इस तरह की कई योजनाएं वर्षों से चल रही हैं चाहे एनआरईपी हो चाहे आरएसजीपी हो चाहे एसआरवाई हो और चाहे अब यह योजना जो आप कर रहे हैं। जो धन यहां से जाता है, क्या उस धन की मौनीटरिंग केन्द्र द्वारा कभी की जाती है? जिस उद्देश्य के लिए पैसा जाता है, क्या रोजगार सृजन होते हैं? व्यक्तियों द्वारा या बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा काम करके सारे फर्जी कागज तैयार करके आपके पास सूचनाएं आती हैं। छोटे-छोटे उद्योगों के जरिए जो चीजें बनाई जाती हैं, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। वही सारी वस्तुएं अब बड़ी मशीनों, बड़े कारखानों द्वारा बनने लगी हैं। इसलिए छोटे उद्योग उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं और बंद होते जा रहे हैं। रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे छोटे उद्योगों में बनने वाली चीजों को बड़े उद्योग न बना सकें?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, यादव जी हमारे बहुत विद्वान साथी हैं। मैं इनको जानता हूं। इन्होंने दो प्रश्न किए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनी है। ...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि बनी हुई है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आपके संज्ञान में है तो आप मुझे लिख कर भेजिए। मैं आपके साथ चलकर खुद देखूंगा कि क्या मामला है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं दिया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप लगातार अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में विद्वान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो ऋण लेने वाले कृषक हैं, क्या सरकार की यह गाइडलाइन है कि जो कृषक ऋण लेता है, जिस बैंक को प्रकरण भेजा जाता है, आरबीआई की गाइडलाइन में यह स्पष्ट है कि बैंक का कार्यक्षेत्र विभाजित है। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति कार्यक्षेत्र के बाहर का है तो संबंधित बैंक उसको ऋण प्रदान नहीं करता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इतने जोर से मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी: खादी ग्रामोद्योग ने पूरे देश में यह निर्देश जारी किया है कि आईडैंटीफाइड (चिन्हित) बैंक में ही कृषकों के प्रकरण स्वीकृत किए जाएंगे। क्या आप इसमें परिवर्तन करेंगे?

आप ए.सी. कमरे में बैठकर अपनी टास्क फोर्स कमेटी की रिपोर्ट पर विश्मास मत कीजिए। .. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी: मैं जानना चाहता हूं कि अन्य बैंक जिनके कार्यक्षेत्र में हितग्राही का गांव नहीं आता, क्या ऐसे कृषकों को इन प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसकी भी एक कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी के आधार पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरे बैंक जो इसमें समाहित नहीं हैं, इसका एक वित्तीय नियम है। यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। मैं वित्त मंत्री जी से मिलकर प्रयत्न करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब और प्रश्न नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया कार्यवाही में बाधा न डाले। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको प्रश्न पूछने को कहा आपने प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया। जब तक आपको अपना उत्तर नहीं मिल जाता, आप बार-बार प्रश्न नहीं पूछ सकते। श्री येरननायडू के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडू: अध्यक्ष महोदय, सभा में व्यवस्था नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि वे मेरे साथ सहयोग नहीं करते तो मैं इसे व्यवस्थित कैसे कर सकता हूं। श्री येरननायडू आपको सफल प्रयास करना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिति नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडू: महोदय, कई वर्षों से भारत सरकार कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों को आर.ई.जी.पी. और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बढ़ावा दे रही है। परन्तु वे स्टेक होल्डर के विचारों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। भारत सरकार में ये निर्णय संयुक्त सचिव स्तर पर स्टेकहोल्डरों से परामर्श के बिना किए जाते हैं। माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नई नीतियों के साथ नई दिशा में जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडू: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार नई नीति बनाने से पूर्व अंशधारकों से परामर्श करेगी।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो विचार है उसको मैंने नोट कर लिया है। मैं इस पर विचार करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लाल जी सिंह। शायद वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं हर दल को अवसर दे रहा हूं क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

...(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाएं हैं। परन्तु इस क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के लिए केवल 640 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। हमारे जैसे विशाल देश में ग्रामीण कारीगरों की मांग को पूरा करने के लिए क्या यह राशि पर्याप्त है? मेरे जिले में हजारों बुनकर, हैंडलूम कारीगर और रेशम कीट उत्पादक धन के अभाव से परेशान हैं। उन्हें मार्जन राशि भी नहीं मिल रही है जिसके कारण को संकट का सामना कर रहे हैं। उनके उद्योगों को स्थगित कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस विषय की जांच करेंगे और तुरन्त मार्जन राशि जारी कर उनकी सहायता करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप पश्चिम बंगाल के अपने वीरभूम जिले का उल्लेख क्यों नहीं करते?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य का प्रश्न नोट कर लिया है। इस विषय में मैं विचार करूंगा।

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं ही लाल सिंह हूं। आपने लालजी सिंह का नाम लिया। मैंने कहा कि यह कौन आ गया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री लाल सिंह। मुझे लगा कि मैं आपको लाल जी पुकार कर आपका सम्मान कर रहा था।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव वसौरी है। वहां खादी का बहुत काम है लेकिन अब वह घटता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस गांव को आप एडाप्ट करेंगे क्योंकि हजारों साल से वह खादी में रुचि रखता है?

श्री महावीर प्रसाद: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह लिखकर दे दें। फिर उसको मैं दिखवा लूंगा।

माओवादी समस्या सुलझाने हेतु भारतीय सहायता

*123. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री खीरेन रिजीजू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नेपाल सरकार से माओवादी समस्या को सुलझाने हेतु सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे मंत्री जी की नेपाल की हाल ही की यात्रा के दौरान उक्त मुद्दे पर बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) परस्पर हित एवं हित-चिंता के सभी मसले जिनमें माओवादी विद्रोह की समस्या भी शामिल है, पर 4-5 जून, 2004 को विदेश मंत्री की नेपाल की यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी। भारत सरकार विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए बचनबद्ध हैं, जिसमें नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ सुरक्षा से सम्बद्ध सहयोग भी शामिल है।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, इन दिनों नेपाल में भारत विरोधी मनोवृत्ति बढ़ी है। दो प्रकार की चीजें वहां देखने को मिल रही हैं। भारतीयों द्वारा वहां जो स्कूल हैं और भारतीय नम्बर प्लेट रखने वाली जो गाड़ियां हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न माओवादी समस्या से संबंधित है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: मैं केवल यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

वहां माओवादियों द्वारा भारत विरोधी मनोवृत्ति बढ़ी है और भारतीयों पर हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। यहां तक हुआ है कि पिछले दिनों भारत की सीमा पर उत्तर प्रदेश के बहराइच में माओवादियों द्वारा फायरिंग हुई। हमारे विदेश मंत्री पिछले दिनों नेपाल गए थे, तो क्या उनकी वहां की सरकार से भारत विरोधी मनोवृत्ति और हिंसा पर भी कुछ चर्चा हुई थी?

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर दिया है।

[अनुवाद]

मंत्री जी क्या आपको इस विषय पर कुछ कहना है? माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या आपकी उनके साथ बैठक के दौरान आपको भारत विरोधी रुख देखने को मिला या नहीं।

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): महोदय, हां, मैंने यह महसूस किया। महीने के आरम्भ में जब मैं नेपाल यात्रा पर गया मैंने वहां के महाराजा से बात की। मैं अब यहां उनका नाम लेना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय: यह एक संवेदनशील भामला है। इस विषय पर हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिये क्योंकि यह दो मित्र राष्ट्रों का प्रश्न है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, यह एक संवेदनशील मामला है।

[हिन्दी]

नेपाल में अभी जैसी स्थिति है, क्या भारत सरकार की तरफ से उस पर कोई विचार हो रहा है और क्या वहां कांस्टीट्यूशनल मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई प्रयास हुआ है?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, भारत नेपाल की बिगड़ती हुई आंतरिक स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। नेपाल हमारा घनिष्ट मित्र और निकटस्थ पड़ोसी है। नेपाल में स्थिरता और सुरक्षा हमारे देश के लिए परमावश्यक है क्योंकि हमारे देश की 1750 कि.मी. सीमा नेपाल से सटी हुई है। भारत ने वहां की राजशाही सरकार की हर सम्भव सहायता करने के कदम उठाये हैं। भारत नेपाल के दो प्रमुख स्तम्भों को मान्यता देता है, एक संवैधानिक राजतंत्र और दूसरा बहु दलीय सरकार। भारत नेपाल को हर सम्भव सहायता देता रहा है। पांच भारतीय राज्य सिक्किम, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जो पहले बिहार का हिस्सा था, की सीमाएं नेपाल के साथ सटी हुई हैं। अत: हमें स्थिति पर नजर रखनी होगी क्योंकि नेपाल में हो रही विद्रोहकारी घटनाओं का हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हमने स्थिति का मूल्यांकन किया है और हर सम्भव कदम उठाये हैं।

श्री खीरेन रिजीजू: महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि नेपाल के माओवादी आंदोलन समूह का भारत के विद्रोहकारी समूहों के साथ कोई संबंध है विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में।

श्री ई. अहमद: महोदय, हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जिनसे यह पता चलता है कि माओवादी विद्रोहकारी समूहों का आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी समूह पी.डब्ल्यू.जी. और बिहार के एम.सी.सी. के साथ कुछ संबंध है। हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी हैं जिससे यह पता चलता है कि उनका कुछ समूहों के साथ, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर भारत का उल्लेख किया है, संबंध है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। इसे केवल नेपाल के साथ संबंधों की पृष्ठभूमि के रूप में ही नहीं बल्कि अपने देश के सर्वोत्तम सुरक्षा हितों को देखते हुए हमें नेपाल सरकार की हर सम्भव सहायता करनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनकी 4 और 5 जून को नेपाल से वार्ता हुई है और दोनों देश एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। अभी माननीय राज्य मंत्री जी ने बिहार की चर्चा की है। हम यह जानना चाहते हैं कि चर्चा के क्रम में क्या जो नेपाल में माओवादी गतिविधियां चल रही हैं और जिनका केन्द्र बिंदु बिहार का मध्य-भाग जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और सासाराम जिले बनते जा रहे हैं और जिसका प्रभाव भारत के अन्य भागों और बिहार पर भी पड़ता है। क्या आप माओवादी गतिविधियां जो हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष योजना बनाने पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंह: यह सचमुच एक मददपूर्ण सुझाव है। हम ऐसा जरूर करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं हर तरफ देख रहा हूं। आपकी पार्टी के दो सदस्य पहले ही अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। वह आपके समर्थक हैं। मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है, इसलिए भी हम लोग इन घटनाओं से प्रभावित होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले कुछ वर्षों में माओवादियों ने नेपाल पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है और वे वहां अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो उनके काउंटर-पार्ट्स रहते हैं उनसे भारत और नेपाल के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या भारत सरकार अपने कूटनीतिक रिश्ते कायम रखना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: हमारा संबंध केवल वहां की सरकार, वहां की शाही सरकार और उनकी बहुदलीय व्यवस्था से है। इस सभा के माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल में अलगाववादी से लड़ने में नेपाल सरकार को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं। भारत सरकार ने सुरक्षा के मुद्दों पर नेपाल से सहयोग और घनिष्ठ किया है। हथियारों और गोला-बारूद सहित सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति, प्रशिक्षण, आसूचना-सहयोग और किसी भी तरह की अन्य आवश्कताओं के लिए सुरक्षा मुद्दों पर एक 'द्विपक्षीय सलाहकार समूह' का गठन किया गया है। एस.एस.बी. की नियुक्ति के साथ-साथ सीमा पर गश्त को बढ़ाया गया है। सुरक्षा संबंधी मामलों

सहित सीमा पार के और अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए जिला स्तर पर सीमा समन्वयन बैठकें और केन्द्र (गृह सचिव) स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के बीच संवाद के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। महोदय, हमारे द्वारा एक कदम और उठाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपने मुख्य जवाब में यह पहले ही बता दिया है।

...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: हम नेपाल की जनता के बारे में अधिक चिन्तित हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास, आप सीधा प्रश्न रखें, यह एक संवेदनशील मुद्दा है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा क्या नेपाल में विद्रोही गतिविधियों से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा नेपाल को सहायता या मदद दी गयी है। यदि हां, तो मैं इसका ब्यौरा जानना चाहूंगा कि अब तक सरकार द्वारा नेपाल को किस तरह की सहायता या मदद दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल उतनी ही सूचना दें जितनी कि आप यहां बता सकते हैं।

श्री ई. अहमद: जी हां, महोदय मैं उतनी सूचना ही दूंगा।

वर्ष 2001-02 से अब तक भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार को 395.71 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की आपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान की गयी है। मैं कह सकता हूं कि इस आपूर्ति में हेलीकोप्टर, बारूद, 'माइन प्रोटेक्टर व्हीकल्स' और अन्य वाहन तथा 'आई.एन.एस.ए.एस. 5.56' राइफलों सहित सैन्य सामान शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, भारत नेपाल का सीमांचल इलाका, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, पश्चिमी बंगाल हो या बिहार हो, जिन राज्यों से नेपाल की सीमा लगी हुई है, वहां पर इन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई नेटवर्क होना चाहिए। अभी जैसा माननीय विदेश मंत्री जी ने कहा कि उनकी 4 और 5 जून को वार्ता हुई है और यह मामला बहुत संवेदनशील है और विस्तार से कुछ बताया नहीं जा सकता है। लेकिन कोई नेटवर्क तो होना चाहिए जो इन गतिविधियों की लगातार मानिटरिंग करे जिससे इन माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगे और भारत-नेपाल मित्रता बनी रहे, संबंध मजबूत रहें। हम चाहते हैं कि किसी डिप्लोमैटिक पालिसी के तहत इस प्रकार की मानिटरिंग हो। भारत के सीमावर्ती इलाके में एस.एस.पी. प्रति नियुक्ति हैं लेकिन नेपाल की सीमा में कोई फौज नहीं है और उसके सीमांचल इलाकों में पूरी तरह से अराजकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, भारत-नेपाल मैत्री बनाए रखने के लिए कोई नेटवर्क है, जो समय-समय पर मोनिटरिंग कर सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इन मामलों से संबंधित सूचना सभा में नहीं दी जा सकती।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माओवादी समस्या सहित प्रमुख सुरक्षा मामले के मुद्दों को देखने के लिए सीमा प्रबंधन संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त कार्य दल एक अन्य द्विपक्षीय फोरम है। यह एक नियमित फोरम है।

अध्यक्ष महोदय: इसका ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, नेपाल के अन्दर भारतीय मूल के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है, भारत सरकार इस संबंध में क्या कर रही है? दूसरा प्रश्न, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माओवादी हिंसा के पीछे आई.एस.आई. अथवा किसी अन्य विदेशी शक्ति का हाथ है? इसका कारण यह है कि माओवादियों के पास जो हथियार बरामद हुए हैं, वे चीन निर्मित हथियार हैं और माओवादी के प्रमुख नेता चीन से हैं। उनके नाम पर यह अभियान चल रहा है। माननीय मंत्री जी कृपया इस स्थिति को स्पष्ट करें?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: नेपाल में विभिन्न स्थानों पर माओवादी विद्रोहियों द्वारा भारतीय मालवाहक जहाजों पर आक्रमण किये गये हैं जिनमें हमारे नागरिकों को गोली मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया और बहुत से तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों को जला दिया गया और नष्ट कर दिया गया। भारत सरकार ने आतंकवाद के इस जघन्य आक्रमण की निन्दा की और ऐसा करने वालों को पकड़कर उन्हें सजा दिये जाने की मांग की है। भारत सरकार ने इसके लिए माओवादी नेताओं को दोषी माना है। उसने नेपाल सरकार से पूर्ण सुरक्षा देने का आग्रह किया है। नेपाल के महामहिम राजा ने भी इस घटना की निन्दा की है और भारत

सरकार को नेपाल में भारतीयों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने का भरोसा दिलाया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः महोदय, मैंने प्रश्न किया था, क्या आईएसआई या किसी विदेशी व्यक्ति का प्रश्रय या संरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है—माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। कृपया इस स्थिति को स्पष्ट करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया एक मिनट ठहरिये।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमदः माओवादी विद्रोह उनके देश का ही आंदोलन प्रतीत होता है। अभी तक उसका आई.एस.आई. से कोई सम्पर्क नहीं पाया गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री एन. जनार्दन रेड्डी के प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः श्री एन. जनार्दन रेड्डी, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डीः माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि नेपाल और बिहार में माओवादी उग्रवादियों का आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप से संबंध है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बीच में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह एक संवेदनशील मामला है। श्री परांजपे, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप एक सहयोग करने वाले और विचारशील सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब दूसरे प्रश्न पर बात हो रही है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन. जनार्दन रेड्डीः महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि नेपाल में माओवादी उग्रवाद के आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप से संबंध पाये गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार नक्सलवादियों को विश्वास में लेकर उनसे बातचीत कर रही है। क्या भारत सरकार भी इसी प्रकार से बिहार के माओवादी उग्रवादियों से बातचीत करने का विचार रखती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह प्रश्न, मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह भारत-नेपाल मामले से संबंधित है।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमदः यह मुख्य प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदीः अध्यक्ष महोदय, नेपाल से बिहार की सीमा लगती है और हो सकता है, माओवादियों के प्रशिक्षण केन्द्र सीमा पर चल रहे हों। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले एक साल में बिहार से कितने माओवादी पकड़े गए हैं और माओवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? अभी पन्द्रह दिन पहले वहां दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कुल मिलाकर कितने माओवादी सीमा पर गिरफ्तार किए गए हैं और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अगला, श्री रामदास बंडु आठवले, कृपया अपना एक विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवलेः अध्यक्ष महोदय, नेपाल में शांति स्थापित होनी चाहिए। इसलिए नेपाल सरकार ने भारत सरकार से मदद भी मांगी है। भारत सरकार वहां की माओवादी एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए प्रयत्न और मदद भी कर रही है। नेपाल में माओवादी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। क्या नेपाल और भारत ने माओवादी एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए कोई मीटिंग रखी है? वहां जल्दी से जल्दी माओवादी एक्टिविटीज खत्म होनी चाहिए। नेपाल एक छोटा प्रदेश है। अगर उसने इस काम में भारत से मदद मांगी है तो भारत सरकार को नेपाल की पूरी मदद करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इस प्रश्न का जवाब दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: मेरा दूसरा सवाल यह है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा सवाल नहीं है।

श्री रामदास बंडु आठवले: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माओवादियों के साथ आरएसएस का कोई संबंध है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपके पास इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है।

श्री ई. अहमद: मैंने बताया है कि हम नेपाल सरकार को यथा संभव सहायता दे रहे हैं। यहां तक कि आज भी भारत नेपाल की सहायता कर रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस प्रश्न का जवाब पहले दी दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपने कहा है कि नेपाल की सहायता की जा रही है।

श्री ई. अहमद: हम नेपाल की सहायता कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। वह यह जानना चाहते हैं कि माओवादियों का आर.एस.एस. से कोई संबंध है। मुझे इसका विशिष्ट जवाब चाहिये *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक, मैंने आपको प्रश्न उठाने के लिए यहां नहीं बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: यह इस पहलू पर बहस करने का मंच नहीं है। उनका प्रश्न यह है कि—क्या माओवादी समूह और आर.एस.एस. में कोई संबंध है। उन्हें इसका जवाब देने दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अगला प्रश्न लूंगा।

श्री हरिन पाठक: उन्हें 'हां' या 'ना' में इसका जवाब देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनके जवाब की प्रतीक्षा करें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने अपना जवाब पूरा नहीं किया है। कृपया आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: उन्होंने विशिष्ट रूप से यह बात कही है। हम चुप कैसे रह सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री हरिन पाठक: इस मंच का उपयोग इस मुद्दे पर बहस के लिए नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)* आपने उनको इसकी अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उनका जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें जवाब देने की अनुमति दी है। ये क्या हो रहा है? तब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: यदि उनका प्रश्न प्रासंगिक है तो इन सदस्य का प्रश्न भी प्रासंगिक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये क्या है? जब उन्होंने आई.एस.आई. के बारे में पूछा, तो मैंने उसकी अनुमति दी।

श्री हरिन पाठक: उन्होंने आर.एस.एस. के बारे में पूछा है। क्या यह प्रश्न प्रासंगिक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया मेरे निर्णय पर उंगली न उठायें। मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: मेरे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनके पास इससे संबंधित जानकारी नहीं है। श्री पाठक, आप उत्तर दिये जाने तक की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उनमें से एक को बोलने की अनुमति दी है।

श्री हरिन पाठक: आपने उन्हें अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आईएसआई से संबंधित प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी है। माननीय सदस्य के उस अनपूरक प्रश्न के बारे में मैंने कहा है कि बिहार का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं अब आपकी बात और अधिक नहीं सुनूंगा। मंत्री महोदय, क्या आप उनके प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री ई. अहमद: मेरे पास इससे संबंधित कोई तथ्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने बताया है कि उनके पास इससे संबंधित तथ्य नहीं हैं। आप उत्तर पूरा होने से पहले इतना अधिक उद्वेलित क्यों हो रहे हैं। अभी उनका उत्तर पूरा नहीं हुआ था।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: आपने उस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मेरा निर्णय स्वीकार करना होगा। कृपया बैठ जाइये।

अब मैं अगले प्रश्न—प्रश्न संख्या 124 को लेता हूं।

श्री सुनील खां

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

***124. श्री सुनील खां: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या भारत में भारी मात्रा में थोरियम का भण्डार है; और

(ग) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु इस भण्डार का दोहन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2003-04 के लिए परमाणु विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य 17,200 मिलियन यूनिट (एम यूज) था। 17,783 मिलियन यूनिट उत्पादित किया गया। इसके अलावा, राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट-1 (आरएपीएस-1) जिसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, से भी 78 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया।

(ख) भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम सम्पदा उपलब्ध है।

(ग) थोरियम के विशाल भंडारों का उपयोग करने की दृष्टि से, त्रि-चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पहले चरण के भुक्तशेष ईंधन से प्लूटोनियम का दोहन किया जाता है और इसका उपयोग दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तीसरे चरण में यूरेनियम-233 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम-233 का उत्पादन परमाणु रिएक्टरों में थोरियम को किरणित करके किया जाता है। थोरियम स्वत: विखंडनीय नहीं है। थोरियम का बड़े पैमाने पर दोहन करने के लिए तीसरे चरण की शुरूआत दूसरे चरण में पर्याप्त आधारभूत क्षमता विकसित करने के बाद ही की जा सकेगी। तीनों चरणों में ईंधन चक्र का आपसी संबंध है और इसीलिए इन्हें क्रमानुसार ही चलाना होगा।

श्री सुनील खां: महोदय, भारत सरकार ने 20,000 मेगावाट आणविक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दर्शाया है। इस अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सरकार की योजना और कार्यक्रम क्या है। यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है *...(व्यवधान)* मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में की गई है जहां आणविक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जानी है। वहां पर स्थल के चयन हेतु एक समिति का गठन किया गया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, कृपया एक मिनट रुकें। श्री पाठक, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं दोनों पक्षों को, लगभग सभी पार्टियों को अपनी बात कहने का अवसर देने की कोशिश कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका खंडन किया है।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। इसे सभा की कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सभा के वरिष्ठ सदस्य ही सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि आप इस सभा की कार्यवाही में जो बाधा पहुंचा रहे हैं इससे संसद की छवि धूमिल हो रही है।

श्री सुनील खां: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट आणविक ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने क्या योजना और कार्यक्रम बनाया है। यह मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (क) है।

महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (ख) यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में की गयी है जहां आणविक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जानी है। इसके लिए एक स्थल चयन समिति का गठन भी किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल में आणविक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठा रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजबब्बर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। यह इस देश का विचार-विमर्श का सबसे बड़ा मंच है। कृपया इस सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मदद करें।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, माननीय सदस्य यह ठीक ही कह रहे हैं कि हमने वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट आणविक ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में यह क्षमता 2770 मेगावाट है। 11वीं योजना के अंत तक यह क्षमता 10,000 मेगावाट हो जाएगी। आणविक ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की यह एक सुविचारित तीन चरणीय योजना है।

जहां तक इस प्रश्न के भाग (ख) में इन संयंत्रों के स्थलों का सवाल है, इसके लिए एक अलग से नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुनील खां: महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिला में यूरेनियम के प्रचुर भंडार मिले हैं। यदि हां, तो आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार किस तरह इस यूरेनियम के दोहन करने पर विचार कर रही है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, हमारे पास यूरेनियम के पर्याप्त भंडार हैं और हम देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कहीं भी यूरेनियम के भंडारों के होने की रिपोर्टें मिलती हैं उस पर यूरेनियम कारपोरेशन कार्य करता है। नयी यूरेनियम खानें विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश और मेघालय में पहले से ही कार्यवाही चल रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल में पुरूलिया जिले के बारे में पूछा है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: जो भी रिपोर्ट हो हम संभावित स्थल पर जाएंगे और संभाव्यता का पता लगाएंगे। मैं माननीय सदस्य को पुरूलिया के संबंध में जानकारी दूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि आणविक विद्युत उत्पादन की उपलब्धि 17,783 मिलियन यूनिट थी। इस विद्युत का उपयोग किस कार्य में हो रहा है। क्या इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में हो रहा है? यदि हां, तो इसकी प्रति यूनिट लागत कितनी है? क्या परमाणु विद्युत से उत्पन्न प्रति यूनिट लागत से अधिक है। क्या आर्थिक रूप से इसका उत्पादन व्यावहारिक है? आर्थिक दृष्टिकोण से आणविक विद्युत को व्यावहारिक बनाने के संबंध में सरकार क्या सोच रही है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि पिछले वर्ष हमने 17,783 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया था। आणविक ऊर्जा ठीक उसी प्रकार की है जैसा कि पन बिजली यूनिट या ताप विद्युत यूनिटें हैं। इसका भी उपयोग ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कि अन्य प्रकार के विद्युत का।

आणविक विद्युत के उत्पादन की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी इकाई की स्थापना कब की गई थी। पूर्व में

स्थापित यूनिटों की विद्युत की प्रति यूनिट लागत अब स्थापित की जा रही यूनिटों की प्रति यूनिट विद्युत की लागत से कम है क्योंकि अवमूल्यन और यूनिटों की स्थापना लागत की गणना का फार्मूला बहुत जटिल है। लेकिन सामान्यतः पुराने संयंत्रों तथा नए संयंत्रों की लागत में अंतर है।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आणविक सामग्री की निगरानी कौन करता है? क्या परमाणु ऊर्जा विभाग या मंत्रालय उपलब्ध आणविक सामग्रियों की तथा इस बात की निगरानी करता है कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि आणविक कचरे की निपटान लागत बहुत अधिक है, क्या हमारा स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानक के समान है और क्या इसका सुरक्षित ढंग से निपटान किया जा रहा है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को केवल यही बताना चाहूंगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी निगरानी करता है।

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: महोदय, थोरियम के उपयोग के लिए माननीय मंत्री महोदय ने केवल एक उपाय के बारे में बताया है और यह केवल आधा-अधूरा उपाय है। अपकेंद्रित तरीकों से यूरेनियम-यू. 235 के संसाधन का अन्य तरीका है। पाकिस्तान और कई अन्य देशों ने इसे प्राप्त कर लिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास अपकेंद्रित तरीके से प्राकृतिक यूरेनियम से यू. 235 बनाने की कोई योजना है। यदि नहीं, तो क्या हम प्रौद्योगिकी का विकास करने जा रहे हैं? क्या आंध्र प्रदेश में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: जहां तक प्रश्न के तीसरे भाग का संबंध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। जहां तक थोरियम के उपयोग की बात है तो मूल प्रश्न थोरियम के बारे में है। हमारे पास देश में बड़ी मात्रा में थोरियम भंडार है लेकिन थोरियम में स्वयं विखंडन नहीं होता। यही कारण है कि भारत में नाभीकीय विद्युत उत्पादन की रणनीति के लिए हमारे पास तीन चरण वाला सुविचारित कार्यक्रम है।

पहले चरण में प्राकृतिक थोरियम का भारी जल रियेक्टर में दबाव पर उपयोग किया जाता है। यही प्रथम चरण है जो चल रहा है। हमारे पास 14 रियेक्टर हैं जो पहले से काम कर रहे हैं जबकि छह निर्माणाधीन हैं। दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रियेक्टर का है जिसके पहले चरण से प्राप्त प्लोटोनियम इस्तेमाल होगा। तीसरा चरण तब शुरू होगा जब हम ब्रीडर रियेक्टर में थोरियम का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। दूसरे चरण में पर्याप्त क्षमता हासिल कर लेने के बाद ही हम तीसरे चरण की शुरूआत करेंगे।

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: महोदय, मैंने पूछा है कि क्या हम यू. 235 को संवर्धित कर सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। मैं यही कह सकता हूं कि प्लोटोनियम का निष्कर्षण ईंधन के कचरे से होता है जो केवल प्रथम चरण में किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: विशिष्ट प्रश्न पूछिए, उन्हें बहुत जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनाराथण जटिया: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में थोरियम का जितना डिपाजिट है, उसका इनर्जी लैवल क्या है और उस इनर्जी लैवल से और जितना हमारा डिपाजिट है, उसमें से इनर्जी उत्पादन करने की कितनी क्षमता है और उसका देश में इनर्जी उत्पादन की दृष्टि से थोरियम का उपयोग कहां किया जा रहा है या आगे कहां किया जाने वाला है, क्या इस बारे में आपकी कोई योजना है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया कि पूरे विश्व में थोरियम के जो डिपोजिटस हैं, उसके एक-तिहाई डिपोजिटस भारत में हैं, यानी भारत में थोरियम के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। इसलिए थोरियम का उपयोग करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए मैंने अभी बताया थ्री स्टेज स्ट्रेटेजी अभी बनाई गई है। अभी तक हमने थोरियम का इस्तेमाल आरम्भ नहीं किया है। हम सिर्फ नर्सरी स्टेज में थोरियम का इस्तेमाल करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: महोदय, इन पूरे वर्षों में हम कोयला और गैस का बिना सोचे-समझे उपयोग करते आए हैं जिसका देश में अभाव होता जा रहा है और जिसका वैकल्पिक उपयोग भी हो सकता है। 1985-86 में आंध्र प्रदेश में 500 मेगावाट की एक नाभीकीय संयंत्र लगाने का एक प्रस्ताव आया था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या अब भारत सरकार कोयला, गैस तथा अन्य चीजों को बचाने के लिए नाभीकीय विद्युत के इस्तेमाल पर जोर देगी और क्या वह आंध्र प्रदेश में 500 मेगावाट का एक संयंत्र स्थापित करने का उसका प्रस्ताव है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: जैसा कि मैंने कहा था संयंत्रों की अवस्थिति के लिए मुझसे अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह बता सकता हूं कि चालू योजना में जो

भी आणविक रियेक्टर निर्माणाधीन हैं उसमें से कोई भी अभी आंध्र प्रदेश में नहीं है। कोयले की उपलब्धता को देखते हुए हम कई स्थानों को देख रहे हैं जहां विद्युत की आवश्यकता है तथा जहां परिवहन लागत नाममात्र का है। यह कार्य अभी चल रहा है। इस संबंध में कि क्या आंध्र प्रदेश में संयंत्र स्थापित किया जा सकता है हम लोग इसी छान-बीन कर रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। निगम की वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है। लेकिन थोरियम ऐसा उत्पाद है जिससे हमें फास्ट ब्रीडर रियेक्टर प्रौद्योगिकी तथा परमाणु कचरे का समाधान के मसले में भी मदद मिल सकती है। चूंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी और इसे करने की क्षमता भी है हम उत्पादन को अगले 15 वर्षों में बढ़ाकर न केवल 20,000 मेगावाट करने की योजना बना रहे हैं बल्कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। अगले 15 वर्षों में इसे 40,000 मेगावाट करने पर विचार कर रहे हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, जैसा कि मैंने कहा है हमने इस संबंध में बड़ी सावधानी से तीन चरणों वाली तथा संतुलित योजना बनाई है। जैसा कि मैंने कहा है वर्तमान में हमारी स्थापित क्षमता 2770 मेगावाट की है। दसवीं योजना के अंत तक 4120 मेगावाट की क्षमता हमारे पास होगी और जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, वर्ष 2020 तक यह 20,000 मेगावाट की होगी। हम इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि चालू संयंत्रों के निर्माण के लिए एक परिपक्वन अवधि होती है। जब तक संपीड़ित भारी जल रियेक्टर का चालू कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता है हम इसमें तीव्रता नहीं ला सकते हैं क्योंकि उससे निकलने वाला ईंधन दूसरे चरण में प्रयुक्त होता है और दूसरे चरण में निकलने वाला ईंधन तीसरे चरण में प्रयुक्त होता है। हमारा कार्यक्रम सुव्यवस्थित क्रम में होता है और हम तीसरे चरण को पहले या पहले चरण से पहले दूसरे चरण को शुरू नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की योजनाएं

***125. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार परिषद में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ङ) क्या सरकार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा धन के दुरूपयोग की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले 3 वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की आम राय विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को संवर्धित करना है। इस प्रदेश के भाग के रूप में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कई परियोजनाओं को शुरू करती है जिनमें सांस्कृतिक मंडलियों, छात्रवृत्तियों का आदान प्रदान, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की व्यवस्था करना, हिन्दी, योग, नृत्य, संगीत आदि में प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, विदेशों में भारतीय पीठों की व्यवस्था करना, भारतीय नेताओं की आवक्ष मूर्तियों/प्रतिमाओं को भेंट स्वरूप देना, पुस्तकें, सीडी, वीसीडी, श्रव्य कैसेटें, वाद्य यंत्र और प्रकाशन देना शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का बजट 55.59 करोड़ रुपए है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की योजना उपर्युक्त क्रियाकलापों जैसे उन संस्थाओं जो हिन्दी तथा पुस्तकें दान करके भारतीय अध्ययनों से सम्बद्ध पाठ्यपुस्तकें पढ़ाते हैं तथा भारत से विद्वानों की अल्पावधि प्रतिनियुक्ति करके मदद करते हैं, का विस्तार करना है। नयी परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन अतिरिक्त बजट पर निर्भर करेगा।

(घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में इस समय 235 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ङ) से (छ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2002-2003 तक लेखा परीक्षा रिपोर्टें उपलब्ध हैं। इन रिपोर्टों में निधियों के दुरूपयोग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

दूरसंचार सेवाओं की दरें

***126. श्री बीर सिंह महतो: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की दरें अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रूस, अमरीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की अलग-अलग वर्तमान "पल्स" दर कितनी है;

(घ) देश में दूरसंचार सेवाओं की दरों में कमी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) भारत का दूरसंचार प्रशुल्क (टैरिफ) आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम दर वाला प्रशुल्क माना जाता है। तथापि, दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क तथा ऐसी सेवाओं की पल्स दर की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना कठिन है और विभिन्न प्रशुल्क पैकेजों, परिवर्तनीय विनिमय दरों, क्रयशक्ति में भिन्नता एवं विभिन्न देशों के अलग-अलग टेलीघनत्व की वजह से ऐसी तुलना यथार्थपरक नहीं हो सकती है।

(ग) "विश्व दूरसंचार विकास रिपोर्ट 2003" शीर्षक से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) रिपोर्ट में उपलब्ध चुनींदा देशों के लिए वॉयस टेलीफोनी हेतु प्रशुल्क विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 (2) के अनुसार, दूरसंचार टैरिफ के निर्धारण का अधिकार केवल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास है। तथापि, दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा खोलने, लागत अभिमुखी अन्त:संयोजन प्रयोग प्रभार व्यवस्था लागू करने एवं ट्राई द्वारा सेवा प्रदाताओं को प्रशुल्क पैकेज बाजार में पेश करने की छूट देने से स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कालों जैसी दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क में काफी गिरावट आई है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

1. सैल्यूलर प्रशुल्क 2003, अमरीकी डालर

देश	कनैक्शन प्रभार (अमरीकी डालर में)	प्रति मिनट स्थानीय काल प्रभार (अमरीकी डालर में)	
		व्यस्ततम	गैर-व्यस्ततम
रूस	*	0.38	0.30
अमरीका	**	0.35	0.10
श्रीलंका	10.98	0.11	0.08
पाकिस्तान	16.73	0.10	0.10
चीन	**	0.07	0.07
भारत	03.76	0.05	0.05

2. टेलीफोन प्रशुल्क (स्थिर) 2002 अमरीकी डालर

देश	कनैक्शन प्रभार (अमरीकी डालर में)	मासिक प्रभार (अमरीकी डालर में)	स्थानीय काल प्रभार (अमरीकी डालर में)
रूस	192	3.5	*
अमरीका	42	23.4	**
श्रीलंका	131	1.8	0.03
पाकिस्तान	31	4.4	0.02
चीन	*	*	*
भारत	16	5.1	0.02

टिप्पणी:

1. *यह दर्शाता है कि "आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।"
2. ** यह "शून्य या दर्शाई गई इकाई की आधे से कम मात्रा" दर्शाता है। इसका प्रयोग उन डाटा मदों जो "लागू नहीं होती" के लिए भी किया गया है।

स्रोत : विश्व दूरसंचार विकास रिपोर्ट (आईटीयू)-2003

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या पर होने वाला व्यय

***127. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय स्वास्थ्य परिचर्या पर किए जाने वाले औसत व्यय की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में प्रभावी रूप से सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारत में स्वास्थ्य पर किए जाने वाला व्यय, प्रति व्यक्ति और सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता दोनों की दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में कम है लेकिन विकासशील देशों की तुलना में ठीक-ठाक है। कुछ चुनिंदा देशों से संबंधित इन ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बेहतर करने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत सुविधाओं का व्यापक नेटवर्क देश में पहले से उपलब्ध है। सम्पूर्ण देश में प्रमुख संचारी और गैर-संचारी रोगों अर्थात् मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एड्स, दृष्टिहीनता, कैंसर और मानसिक रोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाओं को समुन्नत करने और लोगों को अच्छी किस्म की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से इस समय राज्य व्यवस्था प्रणाली परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं की कार्यात्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत निधियां भी प्रदान की जा रही हैं।

सरकार देश में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 का मुख्य उद्देश्य देश की आम जनता के लिए अच्छे स्वास्थ्य का स्वीकार्य स्तर प्राप्त करना है। देश के सारे सामाजिक एवं भौगोलिक फैलाव में स्वास्थ्य सेवाओं की और अधिक समान उपलब्धता सुनिश्चित करने को अधिक महत्व दिया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को बेहतर करने के लिए इस नीति में प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्रीय परिव्यय को 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2-3 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों में गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए अलग से व्यापक स्वास्थ्य बीमा स्कीम की पुन: रूपरेखा तैयार करना और प्रीमियम सब्सिडी को बढ़ाना, स्व-सहायता समूहों और अन्य क्रेडिट संबद्ध समूहों के सदस्यों के लिए नई सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना (स्कीम) शुरू करना और ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले 100 या इससे अधिक बिस्तर वाले नए अस्पतालों को कर संबंधी लाभ प्रदान करना शामिल हैं।

विवरण

चुनिंदा विकसित और विकासशील देशों में 2001 में स्वास्थ्य पर वार्षिक प्रति व्यक्ति कुल व्यय और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय

देश	औसत विनिमय दर से (अमेरिकी डालरों में) स्वास्थ्य पर वार्षिक प्रति व्यक्ति कुल व्यय	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय
1	2	3
यू.एस.ए.	4887	13.9
डेनमार्क	2545	8.4
जर्मनी	2412	10.8
फ्रांस	2109	9.6
जापान	2627	8.0
कनाडा	2163	9.5
आस्ट्रेलिया	1741	9.2
यू.के.	1835	7.6
मलेशिया	143	3.8
थाईलैण्ड	69	3.7
चीन	49	5.5
श्रीलंका	30	3.6
भारत	24	5.1

1	2	3
पाकिस्तान	16	3.9
बंगलादेश	12	3.5
इंडोनेशिया	16	2.4
नेपाल	12	5.2
अफगानिस्तान	8	5.2

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2004 "चेंजिंग हिस्ट्री"

सेवन तिथि समाप्त पोलियो की खुराक का पिलाया जाना

***128. श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ वर्षों के दौरान देश के कई भागों में बच्चों को पोलियो की ऐसी खुराक पिलाई गई जिनके सेवन की तिथि समाप्त हो चुकी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पोलियो अभियान पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) राज्य सरकारों से बच्चों को ऐसी ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसकी सेवन तिथि समाप्त हो गई हो। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जून, 2004 के पोलियो अभियान के दौरान पोलियो वैक्सीन की 1.95 लाख खुराकों का समुचित भण्डारण न किए जाने के कारण वे गर्मी से प्रभावित होने की वजह से उपयोग के अयोग्य हो गई। राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार ये वैक्सीनें पोलियो अभियान में उपयोग में नहीं लाई गई और उन्हें वितरण स्थल से वापस ले लिया गया। इसे लापरवाही के लिए जिम्मेदार राज्य के अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में देश में वितरित किए गए ओरल पोलियो वैक्सीन की लगभग 240 करोड़ खुराकों की कुल आपूर्ति में से केवल यही इस प्रकार की एकमात्र सूचित घटना है।

भारत सरकार की ओर से पोलियो अभियानों के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन यूनीसेफ द्वारा मंगाई जाती हैं। विशिष्ट पोलियो अभियानों के लिए राज्यों को ओरल पोलियो वैक्सीन समय-समय पर जारी (रिलीज) की जाती हैं। वैक्सीन के प्रत्येक खेप (बैच) की केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली द्वारा जांच की जाती है और उसकी सन्तोषजनक क्षमता का प्रमाणन किया जाता है और उसके बाद ही वैक्सीन राज्यों को भेजी जाती है। उसे भेजते समय यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वैक्सीन की प्रभाव-अवधि पर्याप्त हो। पोलियो वैक्सीन के प्रत्येक वायल (शीशी) पर चिपके लेबल पर मियाद समाप्ति की तारीख छपी रहती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन की क्षमता पर्याप्त है, वर्ष 1998 से वैक्सीन वायल्स मानीटर्स शुरू किए गए हैं। ये वैक्सीन वायल मानीटर्स शीशियों के लेबलों पर छाप दिए जाते हैं। वैक्सीन वायल मानीटर्स के रंगों में परिवर्तन का हो जाना वैक्सीन का उच्चतर तापमान से प्रभावित हो जाना दर्शाता है जिससे वैक्सीन की क्षमता प्रभावित होती है।

पोलियो अभियानों के कार्यान्वयन में लगे राज्य के अधिकारियों और फील्ड कर्मियों को पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि मियाद समाप्ति वाली किसी भी वैक्सीन का अथवा ऐसी वैक्सीन, जिसके वैक्सीन वायल्स मानीटर्स का रंग स्वीकृत सीमा से अधिक परिवर्तित हो गया हो, का उपयोग न किया जाए। भारत सरकार द्वारा इस बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं। टीकाकरण अभियानों के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों में इन अनुदेशों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पोलियो अभियानों पर 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान किया गया व्यय (प्रत्याशित) इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय (ओ पी वी लागत + राज्यों को जारी की गई प्रचालन व्यय निधियां) करोड़ रुपए में		
	आंतरिक स्रोत	बाह्य स्रोत	कुल
2002-2003	13.00	419.11	432.11
2003-2004 (अनन्तिम)	80.00	579.94	659.94
2004-2005 (स्वीकृत परिव्यय)	58.00	1065.00	1123.00

श्रीलंका के साथ दूरसंचार समझौते पर हस्ताक्षर

***129. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल ने दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए श्रीलंका के दूरसंचार विभाग के साथ 'सेलुलर रोमिंग' से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे दोनों देशों को कितना फायदा होने की संभावना है; और

(घ) इस समझौते को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) बी.एस.एन.एल. ने मैसर्स मोबिटेल, श्रीलंका, जो श्रीलंका दूरसंचार का वायरलेस कम्युनिकेशन आर्म है, के साथ 2 जून, 2004 को जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशन्स) सेल्युलर उपभोक्ताओं के रोमिंग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) इस समझौते से बी.एस.एन.एल. और मैसर्स मोबिटेल, श्रीलंका के पोस्ट पेड जीएसएम उपभोक्ता एक दूसरे के सेवा क्षेत्रों में रोमिंग की सुविधा तथा जीएसएम सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। यह समझौता अनिश्चित समयावधि के लिए किया गया है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ इसे किसी भी पक्ष द्वारा छह माह पूर्व लिखित सूचना देकर निरस्त किया जा सकता है।

(घ) इस समय परीक्षण-कार्य किए जा रहे हैं और तीन माह में वाणिज्यिक रोमिंग शुरू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क

***130. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धन विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रावधान किए जा रहे हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार उन्नीकृष्णन मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार सीटों की ''नि:शुल्क'' और ''भुगतान'' श्रेणी में दाखिल हुए छात्रों के लिए निजी गैर-सहायता-प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में छात्रों से ली जाने वाली फीस की उच्चतम सीमा निर्धारित कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने टी.एम.ए.वाई. फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य के मामले में 31 अक्तूबर, 2002 को दिए गए अपने निर्णय में यह कहा है कि जहां तक प्रवेश प्रदान करने और फीस को नियत करने से संबंधित योजना बनाने का संबंध है, उन्नीकृष्णन के मामले में उसका निर्णय सही नहीं था और उसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केन्द्र और राज्य सरकारों इत्यादि को दिए गए निर्देशों को रद्द किया समझा जाएगा। 31 अक्तूबर, 2002 के निर्णय के अनुसार गैर-सहायता-प्राप्त निजी संस्थाओं को युक्तिसंगत फीस संरचना अपनानी चाहिए। वे कैपिटेशन फीस लेने अथवा मुनाफाखोरी करने के अधिकारी नहीं होंगे। तथापि, राजस्व की उचित बचत हो सकती है जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थाएं शिक्षा के विकास और संस्था के विस्तार के प्रयोजन के लिए कर सकती हैं।

उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय की विभिन्न संबंधित पक्षों ने अलग-अलग ढंग से विवेचना की है। अत: यह मामला विवेचना के लिए पुन: उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पांच न्यायधीशों की संविधान पीठ ने 14 अगस्त, 2003 को दिए अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्ट किया है कि प्रत्येक संस्थान को अपनी फीस संरचना नियत करने की स्वतंत्रता होगी। तथापि, प्रत्येक राज्य सरकार से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की अपेक्षा की गई है ताकि वह यह निर्णय ले सके कि संस्थान द्वारा प्रस्तावित फीस न्यायसंगत है और उससे मुनाफाखोरी तो नहीं हो रही है अथवा कैपिटेशन फीस नहीं ली जा रही है। उक्त समिति,

संस्थान द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना का अनुमोदन कर सकती है अथवा अन्य फीस संरचना का प्रस्ताव कर सकती है जिसको तीन वर्षों तक लागू करने के लिए संस्थान बाध्य होगा।

टी एम ए पाई फाउंडेशन और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को भी शर्तों का, यदि कोई हों, पालन करना होगा जिससे उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के कुछ प्रतिशत छात्रों को, पूरी फीस माफ करके या छात्रवृत्तियां प्रदान करके, बशर्ते कि सरकार द्वारा ऐसा न किया गया हो, प्रवेश देने की अपेक्षा पूरी हो सके।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार पैकेज

***131. श्री निहाल चन्द:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र ने केन्द्र से ब्याज दर घटाने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र पर, जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में उनकी शिकायतों को दूर करने के क्रम में इस क्षेत्र को क्या सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ब्याज की निम्न दर पर ऋणों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनके संबंधित प्राइम लेण्डिंग रेट्स (पी.एल.आर.) के 2 प्रतिशत ऊपर और नीचे का ब्याज दर बैंड अपनाने की सलाह दी गई है। रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता में स्थापित किए गए कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर जनवरी, 2002 में बैंकों को विस्तृत संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है—रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों की परिभाषा में परिवर्तन करना, उनकी व्यवहार्यता पर निर्णय लेने संबंधी मानदण्ड, रियायती वित्त आदि। संशोधित मार्गनिर्देशों से बैंकों की रुग्णता की आरम्भिक स्तर पर ही पहचान करने तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सुविधा होगी।

(ग) और (घ) लघु उद्योगों का संवर्धन एवं विकास करना सरकार की चेतनशील नीति है। इस क्षेत्र की बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की क्षमता, जो कि कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है, के कारण इस क्षेत्र के विकास को उच्च महत्व दिया जाता है। लघु उद्योगों का विकास करना हालांकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का मुख्य उत्तरदायित्व है, केन्द्रीय सरकार देश भर में समान रूप से विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन एवं सम्पूरण करती है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाएं क्रेडिट के प्रवाह में सुधार करने, आधारिक संरचना का विकास करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं उद्यमिता विकास से संबंधित हैं।

लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए हाल ही में की गई पहलों में शामिल है—क्लस्टर विकास, बैंकों को प्राइम लेण्डिंग दरों से 2 प्रतिशत ऊपर और नीचे का ब्याज दर बैंड अपनाने की सलाह देना, अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाली लघु उद्योग इकाइयों को 25 लाख रुपये तक सम्पार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना, क्रेडिट गारण्टी फण्ड योजना के अंतर्गत गारण्टी कवर की पात्रता के लिए 5 लाख रुपये की निम्न ऋण सीमा को हटाना, सिडबी के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये की लघु एवं मध्यम उद्यमों (एस एम ई) की निधि स्थापित करना, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एल यू सी सी) के अंतर्गत ऋण सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना, आदि।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में संशोधन

***132. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों का इस पर क्या विचार है; और

(ग) उक्त फार्मूले में आवश्यक संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग को राज्य योजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु मौजूदा गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में संशोधन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव

प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में राज्यों के बीच विचारों में व्यापक विभिन्नता है। सामान्यत: जहां विकसित राज्यों ने निष्पादन को उच्चतर महत्व देने की मांग की है वहीं कम विकसित राज्यों ने पिछड़ेपन को उच्चतर महत्व देने की मांग की है। इस मुद्दे पर पूर्ण योजना आयोग की दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था। चूंकि फार्मूले में संशोधन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का अनुमोदन आवश्यक है, अत: यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों के बीच मत विभिन्नता होने और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पर और आगे विचार-विमर्श करना जरूरी है और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विकल्पों पर विचार किए जाने से पूर्व इस पर आम सहमति तैयार करना आवश्यक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक दवाओं और उपकरण की कमी

***133. श्री विजय कृष्ण:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अनिवार्य दवाओं और उपकरण की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) सामान्यत: केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सुचेता कृपलानी अस्पताल, दिल्ली तथा जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में औषधियों की कमी नहीं है। वर्तमान नीति के अनुसार इन अस्पतालों में फार्मुलरी में शामिल औषधियां मरीजों में मुफ्त वितरित की जाती हैं। आवश्यक और जीवनरक्षक औषधियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन्हें खरीदा जाता है तथा उनकी गरीब मरीजों को मुफ्त अपूर्ति की जाती है।

ये अस्पताल बहु-विषयी शैक्षणिक/उपचार संस्थान हैं जिनमें विभिन्न विशिष्ट विषयों/अति-विशिष्ट विषयों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था है एवं इन चिकित्सा सेवाओं को प्रदान करने हेतु विशिष्ट एवं अत्याधुनिक उपकरण हैं। इन अस्पतालों के उन्नयन का कार्य आवश्यकतानुसार चलता रहता है।

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अति विशेषज्ञता (सुपर स्पेशियलाइज्ड) वाले अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में अत्याधुनिक उपकरण और उपचार सुविधाएं हैं। इन अस्पतालों में जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाओं की कोई कमी नहीं है। अंतरंग विभागों में निर्धन रोगियों को जापाती जीवन रक्षक दवाएं भी नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण

***134. डा. पी.पी. कोया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में औषध कम्पनियां अपनी नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण के लिए रोगियों/गरीब व्यक्तियों का इस्तेमाल कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नई औषधियों के नैदानिक परीक्षणों हेतु सरकार द्वारा कोई मानदण्ड/नियम बनाये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निर्धारित मानदण्डों/नियमों का उल्लंघन करके औषध कम्पनियों द्वारा किये जा रहे नैदानिक परीक्षणों का कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में प्रस्तावित/की गई उपचारात्मक कार्यवाही क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) औषध विनियामक मानकों के अनुसार नई औषधों के समग्र लाभों और जोखिमों अर्थात् निरापदता और प्राभवकारिता का मूल्यांकन करने के लिए मानवों (रोगियों) की सहभागिता को शामिल करने वाले क्लीनिकल परीक्षण आवश्यक हैं। संस्थागत नैतिक समितियों के अनुमोदन और औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए निगमों में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से विनियामक अनुमोदन मिलने के बाद ये परीक्षण अधिकतर अस्पतालों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में) में किए जाते हैं।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 122-घ के अधीन यह अनिवार्य बना दिया गया है कि किसी भी संस्थान द्वारा नई औषधों के लिए क्लीनिकल जांच अथवा क्लीनिकल प्रयोग के लिए उपयुक्त अनुमति के अंतर्गत और उसके अनुसार, को छोड़कर, कोई भी क्लीनिकल परीक्षण नहीं किया जायेगा।

सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के भाग Xक (नियम 122-क से ङ) और अनुसूची- 'वाई' के अंतर्गत देश में क्लीनिकल परीक्षण करने के लिए उपयुक्त मानक/नियम निर्धारित किए हैं। औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची- 'वाई', जिसके अंतर्गत प्री-क्लीनिकल और क्लीनिकल अध्ययनों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, को संशोधित किया गया है और ये प्रकाशनाधीन है। संशोधित अनुसूची- 'वाई' के अंतर्गत रोगियों की भर्ती और उनकी सुरक्षा से संबंधित नैतिक पहलुओं को शामिल किया गया है। नैतिक समितियों, प्रायोजकों और क्लीनिकल अन्वेषकों की जिम्मेदारियों और जी सी पी मानकों के अनुपालन की आवश्यकता को भी पर्याप्त रूप से निर्धारित किया गया है।

भारत में क्लीनिकल परीक्षण करने के लिए उत्तम क्लीनिकल प्रैक्टिस (जी सी पी) पर दिशानिर्देश भी 2001 में प्रकाशित किए गए हैं। मानवों पर जैवचिकित्सा अनुसंधान करने के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को प्रकाशित करवाया गया है और इनको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई सी एम आर) द्वारा परिचालित किया गया है।

भारत में मानवों पर विदेश में विकसित औषधों के चरण-1 क्लीनिकल परीक्षण अर्थात् नई रसायन एनटिटि के प्रथम उपयोग की अनुमति नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में, मूल देश में प्री-क्लीनिकल और चरण-1 अध्ययन के माध्यम से जनित निरापद आंकड़ों (डाटा) की सख्त जांच करने के पश्चात् ही देश में चरण-2 और चरण-3 क्लीनिकल परीक्षणों की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

वार्षिक विकास दर

***135. श्री रामजीलाल सुमनः**
श्री नीतीश कुमारः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्षों के लिए देश की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में वार्षिक विकास दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि कितनी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। दसवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की लक्षित विकास दर (बाजार मूल्य पर) 8.1 प्रतिशत है। कृषि और सम्बद्ध उद्योग तथा सेवा क्षेत्रकों के लिए विकास लक्ष्य (कारक लागत पर) क्रमशः 4.0, 8.9 और 9.3 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। इस लक्ष्य की तुलना में इन तीन क्षेत्रकों में दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में उपलब्धियां क्रमशः 1.7, 6.6 और 7.9 प्रतिशत रही हैं। समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर (बाजार मूल्य पर जी डी पी के अर्थ में मापित) 6.4 प्रतिशत रही है।

(ग) और (घ) प्रत्येक क्षेत्रक में लक्षित विकास दर की उपलब्धि के लिए निवेश के अपेक्षित अनुमान सहित प्रतिपादित कार्यक्रम, स्कीमें और परियोजनाएं, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में दी गई हैं जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना

***136. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''गैर व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक कृषि और ग्रामीण उद्योग स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों में कितनी इकाइयां स्थापित की गयी हैं और प्रत्येक इकाई पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) इन इकाइयों के परिणामस्वरूप कुल लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जी हां, सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से "गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन" से निधियां प्रयुक्त करके कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का पहले ही कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 30% की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान करती है तथा 10 लाख रु. से ऊपर एवं 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 30% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। उद्यमी का अंशदान परियोजना लागत का 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और चयनित आधार पर सहकारी बैंकों एवं निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

राज्य-वार स्थापित की गई इकाइयों की संख्या, खर्च की गई निधियां तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2003-04 के दौरान सृजित रोजगार के अनुसार लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान आबंटन 54.12 करोड़ रु. से और आगे बढ़कर वर्ष 2004-05 के दौरान 69.60 करोड़ रु. हो गया। आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सृजित रोजगार के लक्ष्य निम्नलिखित तौर पर बढ़ा दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1700
2.	असम	25100
3.	मणिपुर	5000
4.	मेघालय	5000
5.	नागालैंड	2850
6.	सिक्किम	1775
7.	त्रिपुरा	3600
8.	मिजोरम	7475
	कुल	52500

सरकार ने देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) सहित देश में परम्परागत उद्योगों के पुनरुत्पादन के लिए निधि के रूप में 100 करोड़ रु. अतिरिक्त तौर पर प्रदान किए हैं।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत सृजित रोजगार के अनुसार मार्जिन मनी एवं लाभार्थियों के अनुसार राज्य-वार इकाइयों की संख्या, प्रयुक्त निधियां

क्र. सं.	राज्य	इकाइयों की संख्या	सृजित रोजगार (संख्या)	प्रयुक्त मार्जिन मनी (लाख रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	32	864	52.77
2.	असम	1223	15548	806.83
3.	मणिपुर	92	211	11.06
4.	मेघालय	210	2170	121.79
5.	मिजोरम	33	1173	61.10
6.	नागालैंड	61	2332	117.20
7.	त्रिपुरा	244	4316	224.02
8.	सिक्किम	113	449	24.66
	योग	2008	27063	1419.43

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

*137. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बहरीन में भारतीय कामगारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की ओर आकृष्ट किया गया है जैसा कि 10 जून, 2004 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों, विशेषकर सऊदी अरब से भी ऐसे मामलों की खबर मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन कामगारों के हितों के रक्षार्थ क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) ऐसी घटनाएं उन देशों, जहां भारतीय कार्मिकों की अत्यधिक संख्या है जैसे सऊदी अरब साथ ही साथ सिंगापुर और मलेशिया, से समय-समय पर मिलती है।

(ग) आरंभ में एक बहरीन कंपनी, मै. ओवाइनेती कन्सट्रक्शन द्वारा 24 कार्मिकों को उनका वेतन और समयोपिर भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप और बहरीनी प्राधिकारियों के दबाव के बाद कंपनी कार्मिकों के बकाया भुगतान पर सहमत हो गई और कम्पनी द्वारा उन्हें भारत वापसी के टिकट उपलब्ध करा दिए गए। 24 कार्मिकों में से एक अपने काम पर लौट आया, एक भाग गया और एक भारत लौट गया। नियोक्ता शेष 21 कार्मिकों को जत्थों में भेजने पर सहमत हुए और 6 कार्मिकों का पहला जत्था 09.07.2004 को भारत लौट आया।

(घ) और (ङ) भारतीय मिशन/केन्द्र भारतीय कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं और ऐसे मामलों में हर संभव सहायता उपलब्ध कराते हैं।

[अनुवाद]

सर्जरी का खर्च

***138. श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हृदय रोगियों, गुर्दे के रोगियों की सर्जरी का भारी खर्च आम आदमी की पहुंच के बाहर है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शल्य चिकित्साओं (आपरेशनों) के खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि निजी अस्पतालों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण हृदय/गुर्दे की शल्य चिकित्सा (आपरेशन) कराने वाले रोगियों को दूसरी राय का अवसर दिए बिना शल्य चिकित्सा कराने का निर्णय लेना पड़ता है जोकि अनैतिक चिकित्सा आचरण है; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे शल्य चिकित्सा (सर्जरी) संबंधी उपचार सहित हृदय/वृक्क (किडनी) के रोगों के लिए उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करें। राज्य सरकारें हृदय संबंधी समस्याओं और गुर्दे संबंधी विकारों जैसी बड़ी बीमारियों, जिनके लिए अति विशिष्टता वाले अस्पताल में उपचार की आवश्यकता होती है और इसमें काफी खर्च आता है, से पीड़ित गरीब रोगियों के उपचार के लिए अपनी सम्बद्ध राज्य बीमारी सहायता निधियों के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। केन्द्र सरकार राज्य बीमारी निधि में सहायता-अनुदान के रूप में राज्य सरकार को सहयोग देती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्तानकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ सहित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में, गरीब रोगियों का उपचार नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर किया जाता है। इस उपचार के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत, वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिसके लिए निधियां संबंधित अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को सौंप दी जाती हैं।

किसी डाक्टर द्वारा अनैतिक चिकित्सा प्रैक्टिस करने के मामले में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अथवा राज्य चिकित्सा परिषदों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीति शास्त्र) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार किसी पंजीकृत प्रैक्टिशनर का नाम पूर्णतया अथवा किसी विशिष्ट अवधि के लिए रजिस्टर से हटा देने सहित, कोई ऐसा दण्ड देने, जैसा कि उचित समझा जाए, की शक्तियां प्राप्त हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल

***139. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल का केन्द्र बिन्दु अभी भी बच्चे के जन्म और उसके बाद की आरंभिक अवधि तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक क्या हैं;

(ग) महिलाओं को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितना केन्द्रीय सहायता-अनुदान प्रदान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) 15-49 वर्ष की प्रजनक आयु समूह की महिलाएं गर्भकाल और शिशु जन्म से संबंधित कारणों से रुग्णता और मृत्यु दर के प्रति ज्यादा सुभेद्य होती हैं। भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण पद्धति (एस आर एस-1998) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े (डाटा) दर्शाते हैं कि प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु अनुपात (एम एम आर) 407 है। इन आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि गर्भकाल और शिशु जन्म से संबंधित कारणों से भारत में प्रति वर्ष 1.1 लाख महिलाएं मरती हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य वर्ष 2010 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से भी कम लाना है।

वर्तमान कार्यनीतियों और कार्यक्रमों के पूरक के रूप में, प्रजनक और बाल स्वास्थ्य (आर सी एच) कार्यक्रम में मातृ मृत्यु दर अनुपात को नीचे लाने के लिए प्रजनक आयु समूह की महिलाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल कार्यकलाप हैं:- अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायत के माध्यम से गर्भकाल की जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रैफरल वाहन (ट्रांसपोर्ट), प्रथम रैफरल यूनिटों (एफ आर यू) पर औषधों और उपकरणों की व्यवस्था, अतिरिक्त सहायक नर्स धात्री (ए एन एम), स्टाफ नर्सों जैसे संविदात्मक स्टाफ की व्यवस्था और संवेदनहारकों की सेवाओं को अदायगी के आधार पर लेने की व्यवस्था। सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर समान जोर दिया गया है।

इस प्रमुख समस्या पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों ने राज्य के बजट में समुचित प्रावधान करके तथा अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों की सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं को न केवल प्रसव तक बल्कि आरंभिक प्रसवोत्तर वर्षों में भी व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं।

महिलाओं में ग्रीवा (सर्विकल) तथा वक्ष कैंसरों की शीघ्र पहचान तथा उपचार के लिए एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के परिवार कल्याण विभागों के साथ परामर्श करके, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा एच.आई.वी./एड्स तथा जनन मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों से संबंधित राष्ट्रव्यापी परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाता है एवं अभियान की अवधि के दौरान जनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण का उपचार भी किया जाता है। यह भी साक्ष्य उपलब्ध हो रहा है कि हार्मोनल तथा चयापचयी (मेटाबोलिक) विकारों तथा विटामिन डी जैसे सूक्ष्मपोषक तत्व की कमियों का महिलाओं, विशेषकर पूर्व रजोनिवृत्ति तथा उत्तर रजोनिवृत्ति वाले आयु वर्ग की महिलाओं में होने वाली रुग्णता तथा मृत्युदर में अत्यधिक योगदान होता है। मौजूदा अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के माध्यम से इन बीमारियों के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में स्वास्थ्य परिचर्या तक महिलाओं की अधिक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए सुग्राहिता, प्रशिक्षण तथा ग्रामीण अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों को उपकरणों से सुसज्जित कर महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य अपेक्षाओं की अधिक व्यापक तरीके से पूर्ति करने की आवश्यकता की पहचान की गई है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार जारी केन्द्रीय सहायता-अनुदान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02			2002-03			2003-04		
		वस्तुगत	नकद	कुल	वस्तुगत	नकद	कुल	वस्तुगत	नकद	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2555.30	2338.69	4893.99	2323.65	1590.69	3914.34	2621.43	3144.73	5766.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	154.98	138.45	293.43	69.30	306.94	376.24	123.62	44.29	167.91
3.	असम	1308.94	1286.67	2595.61	1693.10	793.03	2486.13	1640.89	1282.36	2923.25
4.	बिहार	4867.76	1842.97	6710.73	6414.17	4137.94	10552.11	7748.19	3731.31	11479.50
5.	झारखंड	0.00	492.09	492.09	1763.39	903.73	2667.12	1858.32	1003.11	2861.43
6.	गोवा	45.66	39.74	85.40	38.37	15.47	53.84	30.88	16.67	47.55
7.	गुजरात	1936.03	7880.05	9816.08	1997.67	1235.12	3232.79	2753.92	2242.49	4996.41
8.	हरियाणा	880.23	1324.25	22094.48	930.14	1007.50	1937.64	2071.62	1916.85	3988.47
9.	हिमाचल प्रदेश	289.97	399.21	689.18	410.80	410.41	821.21	305.12	615.29	920.41
10.	जम्मू व कश्मीर	442.00	569.56	1011.56	570.01	425.53	995.54	517.91	188.57	706.49
11.	कर्नाटक	2055.00	1835.64	3890.64	2171.42	2478.22	4649.64	1791.82	633.90	2425.72
12.	केरल	907.88	875.88	1783.76	850.37	711.76	1562.13	702.29	605.84	1308.13
13.	मध्य प्रदेश	2656.67	1530.24	4186.91	2438.18	1969.26	4407.44	4246.57	2097.69	6344.26
14.	छत्तीसगढ़	0.00	928.42	928.42	1413.35	476.61	1889.96	797.76	1085.25	1883.01
15.	महाराष्ट्र	3331.47	3352.62	6684.09	4249.74	1523.07	5772.81	3211.85	3172.43	6384.28
16.	मणिपुर	194.66	860.86	1055.52	124.68	230.36	355.04	199.47	113.40	312.87
17.	मेघालय	193.93	177.12	371.05	155.45	70.80	226.25	157.51	78.27	235.78
18.	मिजोरम	67.31	768.29	835.60	62.91	706.38	769.29	63.20	175.98	239.17
19.	नागालैंड	133.01	196.51	392.52	87.89	217.88	305.77	172.21	164.25	336.46
20.	उड़ीसा	1655.66	2103.46	3759.12	1812.87	690.55	2503.42	1638.92	953.19	2592.10
21.	पंजाब	928.38	729.69	1658.07	1174.90	275.45	1450.35	868.22	313.41	1181.62
22.	राजस्थान	2532.43	3958.24	6490.67	2234.20	3138.67	4372.87	4754.68	4119.19	8873.87
23.	सिक्किम	58.36	77.49	135.85	64.02	92.90	156.92	42.72	35.10	77.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	2002.78	796.52	2799.30	1774.94	1288.45	3063.39	1108.67	783.27	1891.94
25.	त्रिपुरा	192.67	468.16	660.83	145.95	117.61	323.56	148.43	78.61	227.05
26.	उत्तर प्रदेश	9567.68	7284.74	16852.42	10362.28	9843.55	20205.83	13857.98	11716.92	25574.90
27.	उत्तरांचल	0.00	438.04	438.04	728.41	424.61	1153.02	618.87	496.02	1114.89
28.	पश्चिम बंगाल	3118.51	2190.45	5308.96	3042.49	1424.30	4466.79	3907.12	3245.93	7153.04
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.02	151.58	169.60	20.68	13.53	34.21	24.50	25.88	50.38
30.	चंडीगढ़	26.81	27.57	54.38	66.83	17.04	83.87	30.94	18.80	49.74
31.	दादरा व नगर हवेली	13.15	19.47	32.62	9.12	6.18	15.30	44.40	3.26	47.66
32.	दमन व दीव	8.18	10.25	18.43	9.32	25.41	34.73	11.44	6.99	18.43
33.	दिल्ली	367.17	365.49	732.66	480.59	344.50	825.09	1283.49	566.62	1850.11
34.	लक्षद्वीप	10.56	11.42	21.98	220.59	16.04	236.63	6.84	7.33	14.17
35.	पांडिचेरी	29.13	29.17	58.30	25.08	25.85	50.93	47.76	18.02	65.77
	कुल	142550.29	45499.01	88049.30	49936.86	36015.33	85952.19	59409.57	44701.21	104110.78

आंकड़े अनंतिम

केरल में स्वास्थ्य संबंधी खतरा

*140. **श्रीमती सी.एस. सुजाता:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के कुछ गांवों में बच्चों में व्याप्त विकृति सहित वहां स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या पीड़ितों की सहायता तथा क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी खतरों की जांच के लिए कोई दल वहां भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आई.आई.बी.टी. तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अकुपेशनल हेल्थ के अध्ययन पर आधारित दूबे समिति की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि मानव रक्त में 'इन्डोसल्फान' अवशिष्ट की उपस्थिति ही इस स्वास्थ्य संबंधी खतरे का मुख्य कारण है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) प्रभावित लोगों के बचाव के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक उपाए क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्थान है, ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसने स्वत: प्रेरणा से 20 वर्षों तक पेस्टीसाइड "एंडो सल्फान" के हवाई छिड़काव के कारण केरल के कुछ गांवों में हुए खराब स्वास्थ्य के बारे में छपे समाचार के आधार पर इस मुद्दे को उठाया, के निदेशों पर केरल के पादरे गांव में

एक जानपदिक रोगविज्ञानी अध्ययन आयोजित किया। इस अध्ययन ने जुलाई, 2002 की अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि मींजा पंचायत के संदर्भित गांव मियापावडु की तुलना में पादरे गांव में तंत्रिका व्यवहार संबंधी विकारों, जांची गई महिलाओं में जन्मगत कुरचना और पुरुष प्रजनक सिस्टम से संबद्ध अपसामान्यताओं सहित विभिन्न बीमारियों की उच्चतर व्याप्तता के बीच एक संभव संबंध है। तथापि, केरल कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, डा. अच्युतन एवं फ्रेड्रिक पादप संरक्षण एवं विष विज्ञान संस्थान, जो एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान है, की रिपोर्टों पर विचार करने बाद कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित की गई ''दुबे समिति'' ने मार्च, 2003 की अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि केरल प्लांटेशन कारपोरेशन के बागानों में एंडोसल्फान के इस्तेमाल तथा पादरे गांव में सूचित की गई स्वास्थ्य समस्याओं के बीच कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, पादरे की तुलना में औसतन केरल राज्य में रोगों की घटना का पता लगाने तथा असामान्य स्वास्थ्य समस्या की घटना की स्थिति में कथित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उत्तरदायी संभावित कारणों का पता लगाने के लिए भी केरल में समस्त काजू पादपरोपण क्षेत्र में व्यापक, सुअभिकल्पित और विस्तृत स्वास्थ्य तथा जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन करने की सिफारिश की। इसने यह भी सिफारिश की कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों के अनुसार एंडोसल्फान के इस्तेमाल को जारी रखा जाए लेकिन पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केरल प्लांटेशन कारपोरेशन के बागानों सहित किसी भी स्थिति में एंडोसल्फान का हवाई छिड़काव करने की अनुमति न दी जाए।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा एंडोसल्फान के छिड़काव वाले क्षेत्र और इसके साथ सटे गैर-छिड़काव वाले क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि गैर-छिड़काव वाले क्षेत्रों की तुलना में छिड़काव वाले क्षेत्रों में जन्मगत अपसामान्यताओं, मानसिक मन्दता, बांझपन आदि जैसी अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं अधिक हैं। डा. पी.के. सिवारमण, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, केरल सरकार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने भी पूर्व समितियों की विभिन्न रिपोर्टों का विस्तृत अध्ययन किया और क्षेत्रों के दौरे किए। समिति ने अगस्त, 2003 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सूचित किए गए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को स्पष्ट करने के लिए एंडोसल्फान छिड़काव को छोड़कर किसी अन्य कारण का पता नहीं लगा सकी। राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर एंडोसल्फान के हवाई छिड़काव पर रोक लगा दी तथा पांच वर्ष के लिए पेस्टीसाइड होलिडे की घोषणा कर दी। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने ओ.पी. संख्या 16300/01 में अपने दिनांक 12.8.2002 के आदेश में राज्य में एंडोसल्फान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार सूचित की गई समस्याओं से पीड़ित लोगों को नि:शुल्क उपचार तथा गरीब रोगियों को मुफ्त औषधें भी प्रदान कर रही है।

नकली निरोध

***141. श्री पी.एस. गड़वी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित निरोध से खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में बिक रहे आयातित निरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी ब्रांडों के नाम से छपे नकली निरोध बनाने वाली अनेक निर्माता इकाइयां इन निरोधों की देश में बिक्री कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन नकली निरोध निर्माताओं के विरुद्ध कोई छापे मारे गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) आयातित कण्डोमों से खतरा होना नहीं पाया गया है। पत्तन कार्यालयों में कण्डोम के आयात से संबंधित सूचना विवरण में दी गई है।

उचित लाइसेंस के बिना कंडोम के विनिर्माण के केवल एक मामले की सूचना दी गई है। दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके औषध नियंत्रण विभाग ने खुफिया रिपोर्टों के आधार पर नई दिल्ली में रोहिणी में नवम्बर, 2002 में एक परिसर पर छापा मारा था। एक व्यक्ति को परिसर में संस्थापित मशीनों पर पाउचों और कैच कवर में कंडोम स्ट्रिप्स को पैक करते हुए संलिप्त पाया गया। उसके पास औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत अपेक्षित लाइसेंस नहीं था। औषध निरीक्षक (जांच अधिकारी) द्वारा महानगरीय दण्डाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली के न्यायालय में पहले ही अभियोजन शुरू किया जा चुका है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पत्तन कार्यालयों के माध्यम से आयातित पुरुष कण्डोमों का ब्यौरा

वर्ष	पत्तन कार्यालय	आयातित मात्रा	विनिर्माता
2001-2002	चैन्नई में	40 ग्रुस (नमूने)	क. मैसर्स डोंगकुक टेक: कं. रबर इंडस्ट्रीज, मलेशिया ख. मैसर्स हानारम रबर टेक. एसडीएन बीएचडी मलेशिया ग. मैसर्स रिक्टर रबर टेक. एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
		8550 ग्रुस चिकनाईयुक्त (लुब्रिकेटिड) कंडोम	क. मैसर्स हानारम रबर टेक. एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
	कोलकाता में	47010 ग्रुस	47010 ग्रुस में से, मलेशिया से 13510 ग्रुस तैयार कंडोम, शेष मलेशिया से बल्क में मैसर्स पोलर फार्मा, उड़ीसा को
2002-2003	चैन्नई में	35 ग्रुस (नमूने)	क. मैसर्स हानारम रबर टेक. एसडीएन बीएचडी, मलेशिया ख. मैसर्स रिक्टर रबर टेक. एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
		256541 ग्रुस (बल्क)	क. एस एस एल मैन्युफैक्चरर (थाइलैण्ड) लि., थाइलैण्ड
	कोलकाता में	49883 ग्रुस	49883 ग्रुस में से, मलेशिया से 8033 ग्रुस तैयार कण्डोम, शेष मलेशिया से बल्क में मैसर्स पोलर फार्मा, उड़ीसा को
2003-2004	चेन्नई में	590842 ग्रुस	क. मैसर्स सिरियांगो ग्लोबल, स्पेन ख. मैसर्स रिक्टर रबर टेक. एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
	कोलकाता में	111600 ग्रुस	मैसर्स पोलर फार्मा, उड़ीसा को मलेशिया से बल्क
	नई दिल्ली में	2400 ग्रुस	क. मैसर्स कैयरेक्स इंडस्ट्रीज लि., मलेशिया

[हिन्दी]

साफ्टवेयरों का निर्यात

950. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से राज्यवार कितने रुपयों के साफ्टवेयरों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में साफ्टवेयर निर्यात में कुछ अनियमितताएं आई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत से हुए कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2003-04	58000
2002-03	46500
2001-2002	36500

साफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात के राज्यवार ब्यौरे एतद्द्वारा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि डीएसक्यू ग्रुप आफ कम्पनीज, चेन्नै को निर्यात से होने वाली आय की वसूली नहीं होने के लिए चौकसी सूची में रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त ग्रुप को चौकसी सूची से वापस नहीं लेने का तथा प्रवर्तन निदेशालय से मंजूरी नहीं मिलने तक बट्टेखाते में डालने की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय किया है।

विवरण

क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04	
		भारतीय रुपया	अमरीकी डालर	भारतीय रुपया	अमरीकी डालर	भारतीय रुपया	अमरीकी डालर
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्व	पश्चिम बंगाल	706.00	148.01	1300.00	268.60	1600.00	347.83
	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0.78	0.17
	उड़ीसा	250.00	52.41	300.00	61.00	325.00	70.65
	कुल क्षेत्र	956.00	200.42	600.00	330,58	1925.78	418.65
उत्तर	उत्तर प्रदेश	2500.00	524.11	3100.00	640.50	3550.00	771.74
	दिल्ली	2300.00	482.18	2950.00	609.50	3500.00	760.87
	हरियाणा	290.00	607.97	3511.00	725.41	5000.00	1086.96
	मध्य प्रदेश	88.00	18.45	107.00	22.11	105.00	22.83
	पंजाब	70.00	14.68	70.00	14.46	190.00	41.30
	चंडीगढ़	15.00	3.14	31.00	6.40	50.00	10.87
	राजस्थान	45.00	9.43	47.00	9.71	150.00	32.61
	हिमाचल प्रदेश	0	0	3.00	0.62	5.00	1.09
	उत्तरांचल	0	0	0.40	0.10	1.00	0.22
	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.40	0.08	1.00	0.22
	कुल क्षेत्र	7918.00	1659.96	9818.90	2028.90	12552.0	02728.70
दक्षिण	कर्नाटक	11615.00	2435.01	14900.00	3078.51	19400.00	4217.39
	तमिलनाडु	5900.00	1236.90	8100.00	1673.55	8100.00	1760.87
	आंध्र प्रदेश	3200.00	670.86	4500.00	929.75	5650.00	1228.26
	केरल	201.00	42.14	250.00	51.65	300.00	65.22
	पांडिचेरी	6.00	1.26	15.00	3.10	25.00	5.43
	कुल क्षेत्र	20922.00	4386.16	27765.00	5736.57	33475.00	7217.17

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम	महाराष्ट्र	6570.00	1377.36	7200.00	1487.60	982.00	2148.26
	गोवा	0	0	0	0	6.00	1.30
	गुजरात	134.00	28.09	115.10	23.78	159.22	34.61
	कुल क्षेत्र	6704.00	1405.45	7315.10	1511.38	10047.22	2184.18
	कुल	36500.00	7651.99	46500.00	9607.44	58000.00	12608.70

[अनुवाद]

लघु उद्योग एककों का कार्यनिष्पादन

951. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितने लघु उद्योग एकक कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2003 तक कुल कितने लघु उद्योग एकक रुग्ण या बंद हैं और लघु उद्योग एककों को बंद करने के कारण कुल कितने कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग एककों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में क्या अंशदान है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत कुल लघु उद्योग यूनिटों की संख्या अनुमानत: 113.95 लाख है।

(ख) लघु उद्योग यूनिटों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के समय आयोजित किए गए पंजीकृत यूनिटों के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि देश में इन यूनिटों का 39% (8,87,427 की संख्या में) बन्द पाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के यहां उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार मार्च, 2003 के अन्त तक 1,67,980 रुग्ण लघु उद्योग यूनिटें थी। बन्द होने/रुग्णता के कारण जो कामगार बेरोजगार हुए, उनके संबंध में डाटा का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ग) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में लघु उद्योग यूनिटों का अंशदान क्रमश: 6.86%, 6.68% तथा 6.81% (नवीनतम उपलब्ध) था।

[हिन्दी]

राजस्थान से प्राप्त प्रस्ताव

952. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग और सी आर एफ के बारे में राजस्थान से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान से राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित 13 प्रस्ताव तथा सी आर एफ से संबंधित 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ये प्रस्ताव जून, 2004 में ही प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(घ) प्रस्तावों के अनुमोदन के बारे में निर्णय, जांच पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है।

टाइफाइड का प्रकोप

953. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टाइफाइड रोग फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रोग पर काबू पाने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान टायफायड के सूचित किए गए रोगियों की संख्या क्रमश: 4,90,195; 3,74,660 और 5,32,726 थी। टायफायड के प्रमुख कारणों में कुछ कारण असुरक्षित पेय जल, सफाई, स्वच्छता की कमी आदि हैं। सुरक्षित पेय जल, सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था तथा टायफाइड का उपचार करना प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों, अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्वजलधारा स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामदोय योजना-ग्रामीण पेय जल, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, पूर्ण सफाई अभियान, स्कूल सफाई एवं स्वच्छता शिक्षा तथा कम लागत सफाई योजना चलाकर राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता देता है तथा टायफायड सहित संचारी रोगों का शुरू में पता लगाता है, उनकी रोकथाम व नियंत्रण करता है और उन्हें फैलने से रोकता है तथा इन रोगों पर निगरानी रखता है।

कृषि और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास

954. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली मुख्य एजेंसी कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान और शिक्षण विभाग (डी ए आर ई) है। सरकार द्वारा कृषि में अनुसंधान तथा विकास के लिए डी ए आर ई को वर्ष 2001-02 में 1391.39 करोड़ रुपये, 2002-03 में 1494.00 करोड़ रुपये और 2003-04 में 1505.80 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आम तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाता है और सरकार द्वारा 2001-02 में 1905.45 करोड़ रुपये, 2002-03 में 2290.76 करोड़ रुपये और 2003-04 में 2585.88 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान कृषि में अनुसंधान तथा विकास के लिए 1790.41 करोड़ रुपये और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2906.39 करोड़ रुपये आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा वाले दूरभाष केन्द्र

955. **श्री विकास चौधरी:**
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) उनमें से कितने केन्द्र इस समय कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या राज्य में सभी दूरभाष केन्द्रों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा और इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधाएं और इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई गई है; और

(च) राज्यों को यह सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नौवीं योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल 838 (आठ सौ अड़तीस) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं।

(ख) इस समय, उपरोक्त सभी स्थापित एक्सचेंज ठीक से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कार्यरत सभी 1792 एक्सचेंजों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. और इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) बीएसएनएल द्वारा, देश के सभी राज्यों में एसटीडी/आईएसडी और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी एक्सचेंजों में ये सुविधाएं उपभोक्ताओं को मांग पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

उपचार शुल्क में वृद्धि

956. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम्स (ए.आई.आई.एम.एस.) ने अपने वर्तमान उपचार शुल्क में आठ गुणा वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस अभूतपूर्व वृद्धि को तत्काल प्रभाव से प्रभावहीन करने हेतु कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस वृद्धि से मध्यम वर्ग के लोगों और आम जनता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जी, नहीं। यद्यपि कुछ मामलों में शुल्क में संशोधन किया गया/इसको युक्तिसंगत बनाया गया है, तथापि अधिकांश सामान्य जांचों के प्रभार बहुत युक्तिसंगत और बाजार दरों से काफी कम रखे गए हैं। वास्तव में बहुत से मामलों में प्रभारों में कमी की गई है। इससे निर्धन रोगियों पर अनुचित रूप से भार पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के क्लिनिशियनों को ऐसे रोगियों को प्रभारों के भुगतान में छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

मानसिक विक्षिप्तता

957. श्री महेश कनोडीया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जनांकिकी में परिवर्तनों अर्थात् जनसंख्या में वृद्धि और विश्व भर में अवसाद की दर में समग्र वृद्धि के कारण मानसिक विकार वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि 1 से 2 प्रतिशत लोग गंभीर मानसिक विकारों और 5 से 10 प्रतिशत लोग छोटे-मोटे मानसिक विकारों से ग्रसित हैं।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करने, सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कालेजों के मानसिक रोग विज्ञान विंगों का सुदृढ़ीकरण करने, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य करने के लिए देश के 100 जिलों में जिला मासिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने के वास्ते 190 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) की नियुक्ति

958. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में सी.वी.सी. द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त एक नियमित मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि मदों की खरीद में कोई अनियमितता और कदाचार न हो; और

(घ) सरकार द्वारा यथाशीघ्र एक नियमित सी.वी.ओ. की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 49 के अनुसार, केन्द्रीय भण्डार में कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सभी शक्तियां, समिति के निदेशक मण्डल/मुख्य कार्यकारी में निहित हैं। परिणामत: मुख्य सतर्कता अधिकारी को नियुक्त करने से संबद्ध कार्रवाई, केन्द्रीय भण्डार के निदेशक मण्डल द्वारा ही की जानी होगी।

(ग) केन्द्रीय भण्डार ने वर्ष 2003 में संशोधित क्रय नीति अंगीकार की है जिसमें उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली वस्तुएं वाजिब और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर मुहैया करवाए जाने के उद्देश्य से, किराना, उपभोक्ता-सामान, लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं के प्रापण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है।

(घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परम्परागत और कुटीर उद्योगों की स्थिति

959. श्री सुरेश चन्देल: क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परम्परागत और कुटीर उद्योगों की स्थिति दयनीय है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जनता रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में अनिवार्य तौर पर रूढ़िगत (परम्परागत) ग्रामीण कुटीर उद्योग शामिल हैं। सरकार, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए तथा श्रमिक गहन उद्योगों के माध्यम से और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए भी समय-समय पर कदम उठाती रही है। पिछले तीन वर्षों में ग्रामोद्योगों का उत्पादन वर्ष 2001-02 के 7140.50 करोड़ रु. के उत्पादन से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 8126.30 करोड़ रु. तथा वर्ष 2003-04 में और आगे बढ़कर 9263.98 करोड़ रु. हो गया, जो 2002-03 तथा 2003-04 में क्रमश: 13.8% तथा 14% की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, ग्रामोद्योग क्षेत्र में सृजित रोजगार में भी वृद्धि का रुझान है, वर्ष 2001-02 में सृजित रोजगार 54.16 लाख था, जो वर्ष 2002-03 में बढ़कर 57.87 लाख और वर्ष 2003-04 में 62.57 लाख हो गया। परम्परागत उद्योगों अर्थात् कयर, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम-उत्पादन, चर्म, पाटरी एवं अन्य कुटीर उद्योगों में पुनरुत्पादन के लिए सरकार ने 100 करोड़ रु. के प्रारंभिक आबंटन के साथ एक निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कृषि-आधारित उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए सभी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उनके विकास तथा देश में और अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए पहले ही ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। श्रमिक गहन उद्योगों की स्थापना के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 25% की दर पर तथा 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत की शेष राशि पर 10% की दर पर मार्जिन मनी के रूप में कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थी को परियोजना लागत के 10% का अंशदान स्वयं करना होता है। अलाभकारी श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/पूर्व सैनिकों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थानों एवं पहाड़ी, सीमावर्ती और जन-जाति क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के लिए मार्जिन मनी अनुदान, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% तथा 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत की शेष राशि का 10% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा चयनित आधार पर सहकारी बैंकों एवं निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के लिए आरईजीपी के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दर्शाई गई है:

क्र.सं.	वर्ष	वित्तपोषित परियोजनाओं की सं.	रोजगार (लाखों में)
1.	2001-02	20767	3.43
2.	2002-03	21024	3.61
4.	2003-04 (अ)	24747	4.70

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में नकली दवाएं

960. श्री मोहन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सी.जी.एच.एस. औषधालयों में नकली दवाओं की आपूर्ति वाले मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाई गई फर्मों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आपूर्तिकर्त्ताओं से जांच-पूर्व औषधें प्राप्त होती हैं। शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो यादृच्छिक (रेन्डम) रूप से औषध के नमूने लेता है और जांच के लिए भेजता है। यदि जांच-रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है तो औषध को घटिया स्तर का घोषित किया जाता है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो घटिया स्तर के औषध का उपयोग बंद कर देता है और आपूर्तिकर्ता एजेन्सी तथा औषध महानियंत्रक (भारत) को समुचित कार्रवाई करने के लिए इसकी सूचना देता है। चालू वर्ष के दौरान जांच किए गए 66 नमूनों में से 5 नमूनों को ही घटिया स्तर का घोषित किया गया है।

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय अधिकारी औषध की गुणवत्ता की पुष्टि करने के उद्देश्य से समय-समय पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों से यादृच्छिक (रेन्डम) रूप से नमूने लाते हैं और जांच/विश्लेषण के प्रयोजन से उनको जांच-प्रयोगशाला में भेजते हैं।

वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जांच/विश्लेषण के लिए 241 नमूने लिए गए थे जिनमें से सरकारी विश्लेषक द्वारा 100 नमूने स्तरीय घोषित किए गए, 7 नमूने निम्न स्तर के घोषित किए गए और केवल एक नमूना, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित नहीं था, नकली घोषित किया गया। सरकारी विश्लेषक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, उत्तरी क्षेत्र में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू दी है। 241 नमूनों में से शेष बचे 133 नमूनों के विश्लेषण के निष्कर्ष विभिन्न केन्द्रीय जांच प्रयोगशालाओं से प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करना

961. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए लघु उद्योगों हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) लघु उद्योग मंत्रालय असंगठित/अनऔपचारिक सेक्टर के उद्यमियों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच-पड़ताल करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय आयोग अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योगों के तहत खादी, कृषि और ग्रामीण उद्योग, कयर इत्यादि सहित उद्योगों को कवर करेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

शैक्षिक ग्रिड की स्थापना

962. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाविद्यालयों और संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करने हेतु शैक्षिक ग्रिड की स्थापना प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार को कालेजों तथा संस्थानों में ग्रिड की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) इंडिया जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ क्रमश: विश्वविद्यालयों, इंजीनियरी कालेजों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को अर्नेट बैकबोन के जरिए इन्ट्रानेट तथा इन्टरनेट से जोड़ने के लिए समझौता-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं।

समूह 'ग' और 'घ' में भर्ती हेतु दिशानिर्देश

963. श्री संतोष गंगवार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूह 'ग' और 'घ' संवर्ग में भर्ती हेतु सुविचारित दिशानिर्देश विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां। समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों सहित केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पदों के भर्ती नियम बनाए जाने के लिए दिशानिर्देश विद्यमान हैं।

(ख) भर्ती नियमों का स्वरूप सांविधिक होता है और इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसार अधिसूचित किया जाता है। समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों के संबंध में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को इस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मद्देनजर, भर्ती नियम बनाने/संशोधित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भर्ती नियम बनाने के लिए मार्ग निर्देश, शैक्षिक अर्हताओं, आयु-सीमा और कार्यात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा नियुक्ति के तरीके अर्थात् पदोन्नति, सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति/आमेलन, पुनर्नियोजन, अल्पावधि के अनुबंध आदि पर निर्भर करते हुए अन्य अनिवार्य अर्हताएं जो अपेक्षित हों, के संबंध में हैं।

(ग) और (घ) यह विभाग केन्द्र सरकार की कार्मिक नीति निर्धारित करता है और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व संबंधित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का होता है।

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सुविधाएं

964. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय कितने डाकघर, तारघर और दूरभाष केंद्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में कितने दूरभाष केन्द्र डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम से जुड़े हुए हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने नए डाकघर, तारघर और दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) पश्चिम बंगाल में कितने डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और इसके अंतर्गत किन-किन शहरों और कस्बों को शामिल किया जा रहा है; और

(ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान पश्चिम बंगाल में किन-किन शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट की सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पश्चिम बंगाल में कार्यरत डाकघरों, तारघरों और दूरभाष केन्द्रों की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

1. डाकघर:

1.	प्रधान डाकघर	45
2.	उप डाकघर	1659
3.	जीडीएस उप डाकघर	333
4.	जीडीएस शाखा डाकघर	1615
	कुल	3652

2.	तारघर	55
3.	दूरभाष केन्द्र	1796

(ख) डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम से जुड़े दूरभाष केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पश्चिम बंगाल में वर्ष 2004-2005 के दौरान डाकघर या तारघर खोलने का फिलहाल कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में 20 दूरभाष केन्द्रों की स्थापना की योजना बनाई गई है।

(घ) 10वीं योजना अवधि के दौरान सभी 45 प्रधान डाकघरों और दो से अधिक कर्मचारियों वाले 400 बड़े उप डाकघरों को कंप्यूटरीकृत तथा नेटवर्क करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धन उपलब्ध रहे। ये डाकघर पश्चिम बंगाल के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में स्थित हैं और इन उप डाकघरों के नाम निर्धारित किए जा रहे हैं। प्रधान डाकघरों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) पश्चिम बंगाल में 2003-2004 के दौरान स्पीड पोस्ट सुविधा वाले शहरों और कस्बों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण I

पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली से जुड़े दूरभाष केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी एम डब्ल्यू प्रणाली से जुड़े दूरभाष केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	320
3.	असम	122
4.	बिहार	33
5.	झारखण्ड	12
6.	गुजरात	4
7.	हरियाणा	6
8.	हिमाचल प्रदेश	105
9.	जम्मू व कश्मीर	58
10.	कर्नाटक	92
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	101
13.	छत्तीसगढ़	29
14.	महाराष्ट्र	285
15.	गोवा	शून्य
16.	नागालैंड	4
17.	मणिपुर	1
18.	अरुणाचल प्रदेश	32
19.	मेघालय	16
20.	मिजोरम	34
21.	त्रिपुरा	19
22.	पंजाब	शून्य
23.	उड़ीसा	6
24.	राजस्थान	38
25.	तमिलनाडु	72
26.	उत्तर प्रदेश	
	(क) उत्तर प्रदेश (पूर्व)	308
	(ख) उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	71
27.	उत्तरांचल	36
28.	पश्चिम बंगाल	52
29.	सिक्किम	2
	कुल	1862

विवरण II

कम्प्यूटरीकृत किए जाने वाले प्रधान डाकघरों के नाम

क्र.सं.	प्रधान डाकघर
1	2
1.	आरामबाग
2.	बेलूरघाट
3.	बैरकपुर
4.	बरूईपुर
5.	बसीरघाट
6.	बेलघोरिया
7.	कूचबिहार
8.	दार्जीलिंग
9.	डायमंड हार्बर
10.	दुर्गापुर
11.	झारग्राम
12.	कल्याणी
13.	कांडी

1	2
14.	कृष्णनगर
15.	माल
16.	नवद्वीप
17.	रघुनाथगंज
18.	रामपुर हाट
19.	राणाघाट
20.	रानीगंज
21.	सालकिया
22.	सूरी
23.	तामलुक
24.	कोलकाता जीपीओ
25.	बड़ा बाजार
26.	अलीपुर
27.	आसनसोल
28.	बांकुरा
29.	बर्दवान
30.	हावड़ा
31.	जलपाईगुड़ी
32.	मिदनापुर
33.	पार्क स्ट्रीट
34.	सिरमपुर
35.	बारासात
36.	बरहामपुर
37.	कोसीपुर
38.	पुरूलिया
39.	सिलिगुड़ी
40.	टालीगंज
41.	मालदा
42.	बेलघाट
43.	चिंसुरा
44.	कोंटाई
45.	कतवा

विवरण III

पश्चिम बंगाल के शहरों/कस्बों के नाम जहां 2003-04 के दौरान स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की गई है

क्र.सं.	स्पीड पोस्ट सेवा वाले शहरों/कस्बों के नाम
1.	सिलिगुड़ी में बागडोगरा
2.	दार्जीलिंग बाजार
3.	घूम
4.	सोनादा
5.	इस्लामपुर
6.	गंगारामपुर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु निधियां जारी करना

965. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले से स्वीकृति प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निधियां जारी कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तरांचल हेतु स्वीकृत निधियों की तुलना में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार उत्तरांचल में लंबित परियोजनाओं के क्षेत्रवार नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तथा उत्तरांचल सहित पर्वतीय राज्यों के लिए 2004-05 में आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) रा.रा. 74 पर 6.72 करोड़ रु. की एक सड़क गुणता सुधार परियोजना तथा रा.रा. 74, रा.रा. 87 और रा.रा. 94 पर 4.25 करोड़ रु. के चार आवधिक नवीकरण कार्य, कार्य सौंपने में प्रक्रियागत विलंब के कारण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी सौंपे जाने हैं। ये कार्य वर्ष 2003-04 में स्वीकृत किए गए थे।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)	2004-05 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य लो.नि.वि. को आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)	2004-05 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए बी आर ओ को आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)	2004-05 में आबंटित कुल धनराशि
पूर्वोत्तर राज्य					
1.	अरुणाचल प्रदेश	421.47	6.00		
2.	असम	2786.80	69.20		
3.	मणिपुर	975.82	14.00		
4.	मेघालय	799.26	23.00		
5.	मिजोरम	915.00	22.00	130.00	278.00
6.	नगालैंड	594.41	14.00		
7.	सिक्किम	40.50	0.00		
8.	त्रिपुरा	442.00	0.00		
अन्य पर्वतीय राज्य					
9.	हिमाचल प्रदेश	1188.00	45.00	0.00	45.00
10.	जम्मू और कश्मीर	823.00	0.00	10.00	10.00
11.	उत्तरांचल	1156.45	24.00	40.00	64.00
	कुल जोड़	8986.26	217.20	180.00	397.20

[अनुवाद]

डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करने संबंधी समिति

966. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करने संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करने संबंधी सलाहकार समिति का गठन

किया गया है। समिति के विशेष कार्यों में समाज में अपराध की स्थिति को देखते हुए डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करने संबंधी सुविधा हेतु आधारभूत ढांचे का निर्धारण करना, साथ ही साथ मौजूदा प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता तथा डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करने से संबंधित कार्य व क्रियाकलापों को सरकारी सहायता हेतु सिफारिश करना शामिल है।

यह समिति डी.एन.ए. नमूनों की गुणवत्ता आधारित जांच सुनिश्चित करने हेतु, डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करने से संबंधित नए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर सलाह देने हेतु एवं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक समान पद्धतियों एवं मानकों को तैयार करेगी। यह डी.एन.ए. डाटा बैंक के गठन एवं डी.एन.ए. प्रोफाइल से संबंधित विधान बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण

967. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य हेतु केंद्र सरकार के पास अनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति देने और तदनुसार निधियां जारी करने का है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2004-05 में अब तक 5225.37 लाख रु. के 29 प्रस्ताव भेजे गए हैं।

(ग) इन 29 प्रस्तावों में से 2196.44 लाख रु. के 15 प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं। शेष प्रस्तावों को पारस्परिक प्राथमिकता, प्रस्तावों के गुण-दोष और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चालू वित्त वर्ष में स्वीकृत करने के प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

निजी स्व-वित्तपोषित चिकित्सा महाविद्यालय

968. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी स्व-वित्तपोषित चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन महाविद्यालयों में दाखिला मानदंड और शुल्क निर्धारित करने के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सक्षम प्राधिकारी ने हाल ही में निजी स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक महाविद्यालयों के अन्तर्गत केरल में चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा हेतु मेरिट के आधार पर उपलब्ध कुल सीटों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(च) स्व-वित्तपोषित चिकित्सा महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थिओं हेतु निर्धारित शुल्क का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार उन्होंने स्व-वित्तपोषित प्राइवेट मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए हैं और न ही मेडिकल कालेजों के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया है।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार ने हाल में केरल में किसी भी स्व-वित्तपोषित प्राइवेट व्यावसायिक मेडिकल कालेज को मान्यता प्रदान नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में 100 सीटों (प्रत्येक) की प्रवेश क्षमता वाले 6 नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 14.8.2003 के निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्राइवेट व्यावसायिक कालेजों में सीटों की प्रतिशतता निर्धारित करे जो प्रबंधन द्वारा भरी जा सकें। शेष सीटें राज्य अभिकरण द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए वरीयता क्रम के अनुसार भरी जानी होती हैं। संबंधित राज्य में प्रबंधन द्वारा भरी गई सीटें राज्यों के सभी

कालेजों के संघ द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वरीयता क्रम के अनुसार भी भरी जाती हैं। उपरोक्त निर्णय में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक संस्थान को अपना फीस संबंधी ढांचा तय करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक राज्य को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करनी होगी जो यह निर्णय करेगी कि क्या संस्थान द्वारा प्रस्तावित फीस न्यायसंगत है और यह फीस लाभ कमाने अथवा कैपिटेशन फीस लेने के उद्देश्य नहीं ली जाती है। उपरोक्त समिति संस्थान द्वारा प्रस्तावित फीस को अनुमोदित करेगी अथवा कोई अन्य फीस प्रस्तावित करेगी जिसे मानने के लिए संस्थान तीन वर्ष की अवधि हेतु बाध्य होगा।

पारादीप पत्तन पर कन्टेनरों की संभलाई

969. **श्री परसुराम माझी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन पर कन्टेनरों की संभलाई हेतु भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कांनकोर) को अनुमति देने के अपने पूर्व प्रस्ताव को बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस पर पारादीप पत्तन न्यास के क्या विचार हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) पारादीप-पत्तन-न्यास के प्रस्ताव के आधार पर, सरकार ने नवम्बर, 2003 में, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (कानकोर) को पारादीप-पत्तन पर कंटेनर की हैंडलिंग से संबंधित काम-काज करने की अनुमति दिए जाने के प्रति 'सैद्धांतिक रूप से' अपना अनुमोदन संसूचित कर दिया। उपर्युक्त पत्तन ने कानकोर से उपर्युक्त क्रम में विचार-विमर्श करने के पश्चात् प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन की रूप-रेखा तैयार की। फिर भी, इस आधार पर भारतीय पत्तनों पर विद्यमान और संभावित काम-काज के संचालन से संबंधित आशंकाओं/संभावनीय आलोचना के मद्देनजर उपर्युक्त मसले की समीक्षा की गई और पारादीप-पत्तन-न्यास को कंटेनर की हैंडलिंग से संबंधित सुविधाएं कायम करने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने को कहा गया कि कानकोर, रेल द्वारा कंटेनरों के परिवहन का एकमात्र संचालक होने के कारण, अपनी इस स्थिति का उपयोग कार्गो को एक पत्तन से दूसरे पत्तन की ओर मोड़ देने के लिए कर सकता है।

सुदूर गांवों में इंटरनेट सेवा

970. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुदूर गांवों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो आदिवासी और ग्रामीण लोगों की सहायता करने हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जहां कहीं सुदूर गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हैं वहां स्थानीय काल आधार पर इंटरनेट सेवा व्यवहार्य है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उच्च गति इंटरनेट सेवा सहित इंटरनेट तथा ब्राडबैंड पैनिट्रेशन की तीव्र अभिवृद्धि करने के संबंध में सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की हैं। सरकार सिफारिशों की जांच कर रही है।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय मछुआरे

971. **श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में अनेक भारतीय मछुआरे विशेषकर गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र, दमन व दीव के मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस संबंध में संबंधित संसद सदस्यों और मछुआरा एसोसिएशनों से प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सभी मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय, गुजरात राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव सहित, 407 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं।

(ख) और (ग) समय-समय पर सरकार को माननीय सांसदों और मछुआरों की एसोसिएशन से पाकिस्तान की जेलों में बन्द भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

सरकार राजनयिक माध्यमों से भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन के मसले को बार बार उठाती रही है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2003 के दौरान पाकिस्तान ने 623 भारतीय मछुआरों को रिहा किया था। मार्च, 2004 में 268 भारतीय मछुआरों को कोंसुली पहुंच प्राप्त हुई। उनकी राष्ट्रीयता की जांच की गई है और शेष मछुआरों के लिए कोंसुली पहुंच अपेक्षित है।

27-28 जून, 2004 को नई दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान इस मामले को एक बार पुन: उठाया गया, और पकड़े गए सभी मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए सहमति हुई।

[हिन्दी]

झारखंड में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

972. श्री मनोज कुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर प्रखण्ड के अंतर्गत टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) छतरपुर ब्लाक मुख्यालय में 344 लाइनों एवं 322 कार्यरत कनेक्शनों की क्षमता वाला एक टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही मौजूद है। प्रतीक्षा सूची में 44 आवेदकों के नाम दर्ज हैं जिनमें से अधिकांश का निपटान एक्सचेंज क्षमता का विस्तार करके एवं भूमिगत केबल बिछाकर दिसम्बर, 2004 तक किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय सड़क निधि से पंजाब को निधियां जारी करना

973. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से कितनी निधियां जारी की गई हैं और बनाई गई सड़कों की लंबाई क्या है तथा उन जिलों के नाम क्या हैं जहां ये सड़कें बनाई गई हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार को पंजाब सरकार से रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब से वंगा तक सड़क निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सड़कों को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य के लिए केंद्रीय सड़क निधि से जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रु.)
2001-02	1027.00
2002-03	5412.00
2003-04	2866.00

गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत सड़कों की लंबाई 578 कि.मी. है जिसमें लुधियाना जिले को छोड़कर पंजाब के सभी जिले शामिल हैं और इसकी धनराशि 127.76 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) जी हां। नूरपुर बेदी (आनंदपुर साहिब के समीप) से गढ़शंकर सड़क (जो रोपड़ जिले में आनंदपुर साहिब से वंगा सड़क का हिस्सा है) को उन्नत बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

और अधिक अनुसंधान संस्थानों का खोला जाना

974. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान विषयों पर अनुसंधान करने हेतु देश में संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में कार्य कर रहे ऐसे अनुसंधान संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले ऐसे सभी संस्थानों की पूरी सूची विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "अनुसंधान तथा विकास संस्थानों की डायरेक्टरी-1999" में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि नए अनुसंधान संस्थान स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, अनुसंधान के उभरते हुए क्षेत्रों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्थानों की संख्या	संस्थान का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	01	एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटेलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद।
2.	दिल्ली	03	परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।
			प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद। विज्ञान, प्रसार, दिल्ली।
3.	केरल	01	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनंतपुरम।
4.	कर्नाटक	04	सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च। इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स। जवाहर लाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। रामन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
5.	महाराष्ट्र	03	आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे। भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, मुम्बई।
6.	पश्चिम बंगाल	03	बोस संस्थान। इंडियन एसोसिएशन फार कल्टीवेशन आफ साइंसेस। सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंसेज, कोलकाता।
7.	उत्तर प्रदेश	01	बीरबल साहनी पुनरावनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
8.	उत्तरांचल	02	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फार आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल।

[अनुवाद]

एशियन हाइवे नेटवर्क से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता

975. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 140,000 किलोमीटर लंबे एशियन हाइवे नेटवर्क को पूरा करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों ने भी यूनाइटेड नेशन्स इकानामिक एंड सोशल कमिशन फार एशिया एंड पैसेफिक के 60वें सत्र के मंत्रालयीन खंड में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ग) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है और इसके क्या लाभ होंगे; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के

लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूनेस्केप) के अप्रैल, 2004 में आयोजित 60वें वार्षिक सत्र के दौरान पाकिस्तान, चीन, कोरिया गणराज्य और वियतनाम सहित 25 अन्य देशों के साथ भारत ने एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नेटवर्क की कुल लंबाई 140,000 किलोमीटर से अधिक है।

(ग) अंतर-सरकारी करार का उद्देश्य एशियाई राजमार्ग नेटवर्क को औपचारिक रूप देना, एशियाई राजमार्गों का समन्वित विकास, रूटों, डिजाइन मानकों और संकेतों की समीक्षा करना है। इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ एशियाई राजमार्ग रूट, वर्गीकरण और डिजाइन मानक, रूटों पर संकेत व्यवस्था, पाठ और अनुबंधों में संशोधन की प्रक्रिया, करार की वैधता का प्रत्याख्यान और समाप्ति, विवादों का समाधान आादि शामिल है। इस करार से देश में एशियाई राजमार्ग रूटों का न्यूनतम विनिर्दिष्ट स्तर तक समन्वित विकास होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, व्यापार, परिवहन और वाणिज्य का विकास होगा।

(घ) इस करार में कार्यों को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को वित्तीय पैकेज

976. श्री कीर्तिवर्धन सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री को संबोधित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने दिनांक 1.1.2004 और 12.6.2004 के पत्रों में राज्य के आर्थिक विकास हेतु क्रमश: 2000 करोड़ रुपये और 18,230 करोड़ रुपये के एकबारगी पैकेज की मांग की है।

(ग) ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

राज्यों में प्रति व्यक्ति आय

977. श्री तुकाराम गंगाधर गहाखः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों के बीच विषमता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने और राज्यों के बीच इस अंतर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) वर्ष 2001-02 के लिए विभिन्न राज्यों के प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रति व्यक्ति आय) के अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। अलग-अलग राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का स्तर अलग-अलग है।

(ग) वर्षों से चली आ रही असमानता, आरंभिक बुनियादी संरचना निवेश में विभिन्नता, अपनाई गई विकास नीतियों में भिन्नता, कार्यक्रम कार्यान्वयन स्तर तथा विकास कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी के स्तर पर भिन्नता, क्षेत्रीय असमानता के मुख्य कारण हैं।

(घ) देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए द्विआयामी कार्यनीति है अर्थात् (1) सकल घरेलू उत्पाद की उच्च विकास दर की प्राप्ति, तथा (2) जनसंख्या विकास दर का नियंत्रण। दसवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने राज्य सरकारों के परामर्श से विकास दर एवं गरीबी कम करने के लक्ष्यों सहित विस्तृत विकास लक्ष्यों के राज्य-वार विवरण तैयार किए हैं। राज्य विशिष्ट लक्ष्यों में प्रत्येक राज्य में विद्यमान क्षमताओं एवं अवरोधों तथा निष्पादन में सुधार की गुंजाइश पर ध्यान दिया गया है। इस संबंध में राज्यों के प्रयास विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे किए जाएंगे।

विवरण

वर्ष 2001-02 हेतु राज्यवार प्रति व्यक्ति आय-प्रचलित मूल्य पर

(रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रति व्यक्ति आय*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17916
2.	अरुणाचल प्रदेश	15785
3.	असम	11034
4.	बिहार	5445
5.	झारखंड	9392
6.	गोवा	49673
7.	गुजरात	20695
8.	हरियाणा	24820
9.	हिमाचल प्रदेश	21543
10.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	17518
12.	केरल	21310
13.	मध्य प्रदेश	12027
14.	छत्तीसगढ़	12476
15.	महाराष्ट्र	24248
16.	मणिपुर	11410
17.	मेघालय	15070
18.	मिजोरम	18467
19.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	10234
21.	पंजाब	25652
22.	राजस्थान	13825
23.	सिक्किम	17506
24.	तमिलनाडु	21239
25.	त्रिपुरा	17459
26.	उत्तर प्रदेश	9749
27.	उत्तरांचल	13039
28.	पश्चिम बंगाल	17875
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	25982
30.	चंडीगढ़	48974
31.	दिल्ली	43751
32.	पांडिचेरी	36663
	समस्त भारत	17947

प्रति व्यक्ति एन एन पी

स्रोत: क्रम सं. 1-32 के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय और समस्त भारत हेतु-केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

*30.6.2004 की स्थिति के अनुसार।

[हिन्दी]

आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त अभियान

978. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त अभियानों को चलाने के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौता करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और इन देशों के द्वारा भारत को कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत सरकार का कई देशों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग से संबद्ध

करार है। इन करारों में अन्य बातों के साथ-साथ सूचना और आकलनों के आदान-प्रदान के जरिए सहयोग, मादक द्रव्यों के गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाकर और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में सहयोग करके विभिन्न तरीकों से सहयोग की संरचना का प्रावधान है।

सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्यकारी दल तथा गृह सचिव स्तरीय व्यवस्थाएं पड़ोसी देशों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग से जुड़े मसलों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

स्वजलधारा योजना

979. श्री काशीराम राणा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की "स्वजलधारा योजना" में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धन को व्यय करने की अनुमति प्रदान की है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा स्वजलधारा के संबंध में जून, 2003 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वजलधारा, भागीदारिता मांग से प्रेरित योजना है, जिसका निधिकरण, भारत सरकार और समुदाय द्वारा किया जाता है। स्वजलधारा योजना के लिए अलग से रखे गए बजट परिव्यय से भारत सरकार इसका निधिकरण करती है। इसलिए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधिकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को समाप्त करना

980. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊपरी असम में सादिया और जोनई प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम कारीडोर से जुड़े हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनको इसमें सम्मिलित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पूर्व-पश्चिम/उत्तर-दक्षिण महामार्गों के संरेखण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसलिए अब इसके संरेखण में किसी परिवर्तन का विचार नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मोबाइल फोन सेवा

981. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जोन के कई जिलों में अब तक बीएसएनएल की मोबाइल सेवा शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) उक्त जोन के वे स्थान कौन-कौन से हैं जिनके संबंध में उपरोक्त सेवा को शुरू करने की अनुमति दी गई है;

(घ) इस मोबाइल सेवा को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ङ) उन शेष राज्यों के संबंध में मोबाइल सेवा कब तक आरंभ किये जाने के लिए अनुमति दिए जाने की संभावना है जिनके संबंध में अभी तक उपरोक्त अनुमति नहीं दी गई है; और

(च) अनुमति प्रदान करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. की योजनाओं के अनुसार, नागपुर क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों में सेल्यूलर सेवा प्रदान कर दी गई है। ऐसे जिला-मुख्यालयों तथा अन्य कुछ नगरों की सूची, जहां भारत संचार निगम लि. द्वारा सेल्यूलर सेवाएं प्रदान की गई हैं, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (च) भारत संचार निगम लि. ने चालू वर्ष के कार्यक्रम में नगरों से लेकर तहसील मुख्यालयों तक सेल्यूलर सेवा प्रदान करने के लिए अपने सेल्यूलर नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है। नागपुर क्षेत्र के ऐसे शहरों के नाम विवरण-II में दिए गए हैं जिन्हें उपस्कर की उपलब्धता के अध्यधीन चालू वित्त वर्ष के दौरान सेल्यूलर सेवा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है। भावी विस्तार कार्यक्रम में तहसील मुख्यालयों से कम स्तर के शेष शहरों को उनकी व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर कवर करने पर विचार किया जाएगा।

विवरण I

नागपुर जोन के उन नगरों की सूची जहां भारत संचार निगम लिमिटेड ने सेल्यूलर सेवा प्रदान कर दी है

जिला मुख्यालय	कवर किए गए अन्य नगर
नागपुर	बूटीबोडी, उमरेड, कालमेश्वर, कटील, रामटेक, कौंधाली, बाजारगांव, कनहान, मौडा, देवलापर
भंडारा गौंडिया	टुमसर, साकौली, देवली
गढ़चिरौली	देसाईगंज
चन्द्रपुर	बालारपुर, मुल, खंबाडा, छिचपल्ली, भदरावती
अमरावती	अन्नलापुर, वारूड, तिवासा, बाडनेरा
अकोला वाशिम	मुर्तिजापुर, बालापुर, बौरगांवमंजू
बुलधाना	खामगांव, मल्कापुर, नंदुड़ा
यवतमाल	पुसाड, वानी, अर्नी, माहेगांव, डिगरस, कलाम्ब, पडरकवाडा, डारवा, उमेरखेड, घटांजी
नांदेड़	डेगलूर, अर्द्धापुर, सोनखेड
परभनी हिंगोली	सेल्लू, जिंतूर, गंगाखेड, नासमत, औंडा, वारंगा
वर्द्धा	हिंगाघाट, अर्वी, समुद्रपुर, वाडनेर, करांजा

विवरण I

नागपुर जोन के उन नगरों की सूची जहां भारत संचार निगम लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेल्यूलर सेवा प्रदान करने की योजना बनाई है

जिला मुख्यालय	2004-05 के लिए योजित नगरों के नाम
नागपुर	सौनेर, नारखेड, कैपसी, खपरखेडा, हिंगना सिटी, भीवापुर, परिसियोनी, कुहि, काम्परे, खापरी, रामटेक
भंडारा	पौनी, मोहाडा, लखनदुर, भंडारा एमआईडीसी, जवाहर नगर
गोंडिया	आमगांव, टिरौडा, गौरेगांव, अर्जुनी, मौरेगांव, सडक अर्जुनी गौंडिया एम आई डी सी, सालेकासा
चन्द्रपुर	गडचन्दूर, राजूरा, वारौरा, सीमेंट नगर, ब्रधापुर, चिमपूर, नागभिड, सिदेवाही, गौडपीपरी, कोरणागा, मौजरे, सावली, पोमभूर्णा, जीवटी
अमरावती	दरियापुर, धमनगांव रेलवे, नंदगांवपुर, चन्दूर रेलवे, चिकलधारा, धर्णी, बटकुली, मोर्सी, अंजनागांव सुर्जी, चन्दूर बाजार
अकोला वासिम	अकोट, पाटुर, तेलहाड़ा, बर्सिटाकली करंजा रिसौड, मालेगांव, मनोरामंगलूरपीर
बुलधाणा	चिखली, लाजगांव जामोड, मेहकर, दियोलगांव राजा, लोनार, मोटाला, संग्रामपुर, सिंदखेड राजा
यवतमाल	नेर, बाबुलगांव, रालेगांव, मारेगांव, भोलर, जारीजमनी
नंदेड़	हडगांव, मुखेड, धर्माबाद, नायगांव, बिलौली, महूर, भोकर, लोहा, किनवैट, मफकेड, हिमायतनगर, उमारी, दिल्लीटांडा, कंधार
पर्भानी हिंगोली	मनवात, पूर्णा, कलामनूरी, शेनगांव, पालम, पाटरी, सोनपठ
वर्द्धा	वर्द्धा, एमआईडीसी, पुलगांव, सेलू, तालेगांव, अष्टि

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की कठिनाइयां

982. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को दवाएं प्राप्त करने और चिकित्सा विशेषज्ञों से मिलकर उनसे समय मांगने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं और इनकी कोई कमी नहीं है। तथापि, विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधों के औषधालय में उपलब्ध न होने पर लाभार्थियों को उनके व्यक्तिगत प्रेसक्रिप्सन के आधार पर अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेता से उपलब्ध कराया जाता है। आपातकाल की स्थिति में अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से सीधे ही तुरन्त बिना किसी भुगतान के दवा खरीदने के लिए लाभार्थियों को प्राधिकार पर्ची प्रदान की जाती है ताकि लाभार्थियों को कोई असुविधा न हो।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी विशेषज्ञों का परामर्श/राय लेने के लिए पेंशनभोगी सहित लाभार्थियों को संबंधित के.स.स्वा.यो. औषधालयों/पाली-क्लिनिक के नोडल केन्द्रों या किसी भी सरकारी अस्पताल में भेजता है। 12,000 रुपए या इससे अधिक मूल वेतन/मूल पेंशन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी सीधे ही सरकारी विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं।

चिकित्सा महाविद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

983. श्री पी.सी. थामस:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और सम्बद्ध अस्पतालों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने से संबंधित किसी परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की कुल लागत कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) केरल सरकार से विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा सरकारी मेडिकल कालेजों और सम्बद्ध अस्पतालों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के बारे में प्राप्त प्रस्ताव की आर्थिक कार्य विभाग, योजना आयोग और विश्व बैंक से परामर्श करके जांच की गई है। आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व बैंक सहायता के लिए इस समय रोग नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और टीकाकरण पर बल दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के बारे में केरल सरकार का प्रस्ताव भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय मदद देने के विश्व बैंक की मौजूदा प्राथमिकताओं में नहीं है।

तथापि, वर्ष 2002-2003 में राजकीय मेडिकल कालेज, तिरूवनन्तपुरम को 1.50 करोड़ रुपए तथा मेडिकल कालेज, कोझीकोड को 1.42 करोड़ रुपए का अनुदान क्रमश: नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने और आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदान किए गए हैं।

कटक-चांदबली राज्य राजमार्ग को परिवर्तित करना

984. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार से कटक-चांदबली राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इस संपरिवर्तन को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से 152 कि.मी. लंबी जगतपुर (कटक के समीप)-केंद्रपाड़ा-चांदबली-भद्रक सड़क के प्रस्ताव के साथ अनेक राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) फरवरी, 2004 में उड़ीसा की लगभग 403 कि.मी. लंबी 4 राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। तथापि, उक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया जा

सका। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए कोई समय सारणी नहीं है।

समुद्री जल के खारेपन को दूर करना

985. श्री के. सुब्बाराथण: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशेन टेकनालाजी, चेन्नई ने गुणवत्ता वाले पेयजल का उत्पादन करने हेतु समुद्री जल के खारेपन को दूर करने की एक किफायती तकनीक ईजाद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार उत्पादित पेयजल की प्रतिलीटर लागत कितनी है; और

(ग) इस तकनीक को कब तक उपयोग में लाए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने कम तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली पर आधारित 500 लीटर प्रति दिन की क्षमता वाला प्रयोगशाला स्तरीय विलवणीकरण संयंत्र विकसित किया है। वर्तमान में उत्पादन की लागत लगभग 90 पैसे प्रति लीटर है। परंतु 1,00,000 लीटर प्रति दिन की क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र को एक बार क्षेत्र में चालू कर दिए जाने पर इसकी लागत 25 पैसे प्रति लीटर तक हो जाने की आशा है।

(ग) कम तापमान वाले तापीय विलवणीकरण संयंत्र को लगभग एक वर्ष में लक्षद्वीप द्वीपसमूह में लगाए जाने की आशा है।

कोस्टल शिपिंग डेवलपमेंट एजेंसी का गठन

986. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **पोत परिहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 200 तटीय पोतों और तटीय जहाजों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास कोस्टल शिपिंग डेवलपमेंट एजेंसी गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कार्य होंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई सहयोग वार्त्ता

987. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री के.एस. राव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में चीन में एशियाई सहयोग वार्त्ता का एक दौर आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उक्त वार्त्ता में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो वार्त्ता के दौरान उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चर्चा किये गये मुद्दों पर भारत का क्या मत था;

(ङ) उक्त वार्ता में भाग लेने वाले अन्य देशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आयोजित वार्त्ता के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तृतीय एशियाई सहयोग वार्त्ता की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान चर्चा तथ्यपरक मसलों पर वार्ता से अधिक संगठनात्मक मसलों पर केन्द्रित रही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एशिया से 25 देशों, जिनमें 10 आसियान देश शामिल थे, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कजाखस्तान ने बैठक में भाग लिया।

(च) ऊर्जा सुरक्षा से संबद्ध क्षेत्रीय सहयोग पर एशियाई सहयोग और किंगदाओं पहल पर एक संयुक्त घोषणा पारित की गई।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किया गया कार्य

988. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कार्य कर रही निर्माण एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजा के अंतर्गत किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता के निर्माण कार्य में विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) जिला प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1993 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रारंभ होने से 30.6.2004 तक 7,73,841 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 6,31,385 कार्य पूर्ण किए गए और शेष 1,42,456 कार्य कार्यान्वनयाधीन थे। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 2.1 के अनुसार कार्यकारी अभिकरण, सरकारी या पंचायती राज संस्थाएं अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन हो सकते हैं, जिन्हें जिलाधिकारी कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए सक्षम समझें। तथापि, योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त किए गए कार्यकारी अभिकरणों के संबंध में ब्यौरे संबंधित जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होते हैं।

(ख) जिला प्रशासन, योजना के अंतर्गत किए जाने वाले अच्छी गुणवत्ता के निर्माण कार्य के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने हेतु सक्षम हैं।

विवरण

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजान के अंतर्गत कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा (30.6.2004 तक)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की लागत (करोड़ रु. में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	नामित	3754	2953	150.76	123.23
2.	आंध्र प्रदेश	73575	58524	947.32	799.58
3.	अरुणाचल प्रदेश	1276	1181	48.63	46.70
4.	असम	30423	23905	323.18	292.76
5.	बिहार	35629	28507	871.38	730.27
6.	छत्तीसगढ़	19467	16706	234.76	206.00
7.	गोवा	588	296	45.35	35.06
8.	गुजरात	62467	53717	566.94	466.05
9.	हरियाणा	20525	18700	234.50	219.20
10.	हिमाचल प्रदेश	13654	5671	101.74	95.57
11.	जम्मू और कश्मीर	6813	5067	125.95	94.57

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	12771	10141	252.51	199.34
13.	कर्नाटक	33241	24565	623.53	565.75
14.	केरल	14198	10616	455.53	339.33
15.	मध्य प्रदेश	49716	43449	645.23	578.06
16.	महाराष्ट्र	39556	32340	1056.47	836.11
17.	मणिपुर	4239	3590	48.46	44.49
18.	मेघालय	2988	2311	43.38	43.38
19.	मिजोरम	2999	2950	32.06	32.06
20.	नागालैंड	1141	1071	29.65	29.65
21.	उड़ीसा	53975	42902	474.61	367.32
22.	पंजाब	38654	23984	308.02	240.41
23.	राजस्थान	44281	39713	555.40	498.72
24.	सिक्किम	648	586	30.01	27.61
25.	तमिलनाडु	47512	45507	915.80	872.79
26.	त्रिपुरा	964	881	47.50	40.32
27.	उत्तरांचल	9338	7856	104.28	90.37
28.	उत्तर प्रदेश	94509	83717	1738.96	1568.07
29.	पश्चिम बंगाल	46286	30284	840.92	616.83
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	386	218	15.52	15.52
31.	चंडीगढ़	544	390	14.40	14.40
32.	दादरा और नागर हवेली	982	766	16.56	15.03
33.	दमन एवं दीव	513	448	14.90	14.90
34.	दिल्ली	5308	7016	135.50	109.66
35.	लक्षद्वीप	52	11	13.48	9.45
36.	पांडिचेरी	869	828	31.91	25.45
	कुल	773841	631385	12095.10	10304.22

[अनुवाद]

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या

989. श्री अजय माकन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पांच वर्ष पूर्व उनकी कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) उक्त काडर के पदों की संख्या/आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) इस समय, देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या क्रमश: 5197, 3904, 2763 और 3705 है। पांच वर्ष पूर्व देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या (01.01.1999 की स्थिति के अनुसार) क्रमश: 5124, 2911, 2736 और 3442 थी।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के मामले में संवर्ग-संरचना की समीक्षा, समान्यत: प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर, संबंधित राज्य सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार की जानी होती है। भारतीय राजस्व सेवा के मामले में संवर्ग-संख्या की समीक्षा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 अप्रैल, 1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 2/42/88-पी.पी. (सी.आर.डी.) के तहत प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर की जाती है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. की सेल फोन सेवा

990. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सुदूर क्षेत्रों में विशेषकर छत्तीसगढ़ में बी.एस.एन.एल. की सेल फोन सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारत संचार निगम लि. ने छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में सैल फोन सेवाएं पहले ही शुरू कर दी हैं तथा जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों तक अपनी मोबाइल सेवाओं का विस्तार कर दिया है। भारत संचार निगम लि. की योजना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करते हुए तहसील मुख्यालयों तक इस सेवा का विस्तार किया जाए ताकि राजमार्ग के इर्द-गिर्द वाले पड़ने दूर-दराज के क्षेत्रों को भी कवरेज प्राप्त हो जाए।

[अनुवाद]

चोरी-छिपे प्रयुक्त सीरिज बाजार

991. श्री तथागत सत्पथी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में समानान्तर रूप से चोरी-छिपे प्रयुक्त सीरींजों का बाजार चल रहा है जैसा कि दिनांक 23 जून, 2004 के 'हिन्दी' समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के अस्पताल के कर्मचारीवृन्द प्रयुक्त सीरींजों की प्रत्यक्ष रूप से पुन: बिक्री करने में लगे हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करना

992. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान जन से जनसम्पर्क कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों देशों के नागरिकों को और अधिक वीजा जारी करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में दोनों देशों के नागरिकों द्वारा की जाने वाली वीजा की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ङ) सरकार ने हमेशा ही भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक जन से जन सम्पर्क को समर्थन दिया है।

हाल ही में दोनों देशों के बीच बढ़े हुए सम्पर्क से दोनों देशों के राष्ट्रिकों से वीजा की मांग बढ़ी है।

27-28 जून, 2004 को नई दिल्ली में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान संबंधित उच्चायोगों के कर्मचारियों के 110 के वास्तविक स्तर को तत्काल पुन: बहाल करने पर सहमति हुई। करांची में भारत के प्रधान कौंसलावास और मुम्बई में पाकिस्तान के प्रधान कौंसलावास पुन: स्थापित करने पर भी सैद्धान्तिक रूप से सहमति हुई। इन कदमों से वीजा जारी करने में आगे सुविधा होगी।

दसवीं योजना में स्वास्थ्य देखभाल

993. **श्री अनन्त नायक:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में देखभाल संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु दसवीं योजना में कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) इसके लिए राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) दसवीं योजनावधि में प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) दसवीं योजना में 23096 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए 775 करोड़ रुपए और ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत सुविधा के रख-रखाव एवं विकास के लिए 12069 करोड़ रुपए शामिल हैं। इनका उपयोग विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन से स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के सृजन, रख-रखाव और उन्नयन हेतु किया जाएगा।

(ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए देश में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के सृजन की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, जो मुख्य रूप से प्रमुख संचारी एवं गैर-संचारी रोग अर्थात् मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ रोग, एड्स, दृष्टिहीनता, कैंसर एवं मानसिक रोग के नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, रोग निगरानी, खाद्य एवं औषध जांच सुविधाओं और ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदानों से संबंधित है, को कार्यान्वित करके राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। तथापि, अधिकतर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार आवंटन सामान्यतया वार्षिक आधार पर किए जाते हैं जो आवंटित निधियों के उपयोग, रोग की घटना और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करते हैं।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के जरिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का सृजन और उन्नयन किया जाता है।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में नैदानिक और उपचार सुविधाओं हेतु, क्षमता निर्माण तथा औषधों, उपस्करों कीट नाशकों की आपूर्ति और जन जागरण के माध्यम से रोग पर नियंत्रण करना शामिल है। रोग निगरानी और खाद्य औषध परीक्षण से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं में अनिवार्यत: रोग निगरानी तथा खाद्य और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन भी शामिल है। अवसंरचना विकास स्कीमों के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं में ग्रामीण अवसंरचना और शहरी मलिन स्वास्थ्य परियोजनाओं के रख-रखाव और उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सृजित की जाने वाली अन्य प्रस्तावित सुविधाओं में राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में अभिघात (ट्रामा) केन्द्रों की स्थापना तथा राज्य चिकित्सा कालेजों में नैदानिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, वैक्सीन उत्पादन, खाद्य एवं औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि से संबंधित केन्द्र सरकार के अस्पतालों, केन्द्रीय संस्थानों को केन्द्रीय स्वास्थ्य स्कीम के जरिए

बढ़ाने और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत कुछ पिछड़े राज्यों में एम्स की तरह के संस्थान स्थापित करने और कुछ राज्यों में स्थित संस्थानों को 'एम्स' स्तर तक समुन्नत करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय दूतावासों से सहायता

994. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वे भारतीय जो विदेशी विमानपत्तनों पर अनजाने में बिछुड़ जाने की दशा में साधनहीन हो जाते हैं, उन्हें भारतीय दूतावासों से बहुत कम सहायता मिलती है जैसा कि दिनांक 20 जून, 2004 के 'नवभारत टाइम्स' हिन्दी दैनिक में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) भारतीय राष्ट्रिकों जिनमें इस समाचार में उल्लिखित विदेशी हवाई अड्डों पर असहाय व्यक्ति भी शामिल हैं, भारतीय राजदूतावासों से सभी सम्भव सहायता प्राप्त करते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सूचना की प्राप्ति पर पेरिस स्थित भारतीय राजदूतावास के एक अधिकारी ने अमीरात तथा अमरीकी एयरलाइनों दोनों के साथ समन्वय किया और टिकटों की खरीद के लिए राशि जुटाने हेतु भारत में उनके संबंधियों से संपर्क स्थापित किया।

(घ) पूछताछ से पता चला है कि राजदूतावास के अधिकारी ने असहाय लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की।

औषधियों का आयात

995. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने देश में औषधियों की कमी के मद्देनजर विदेश से जीवनरक्षक दवाओं का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों और निर्यातक कंपनियों के नाम क्या हैं और वे कौन-कौन से देश हैं जहां से इनका आयात किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) प्राप्त सूचना के अनुसार देश में ऐसी औषधियों की कमी के आधार पर सरकार ने किसी भी विदेशी कम्पनी से जीवन रक्षक दवाओं का आयात नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में सी.जी.एच.एस.

996. श्री किरिप चालिहा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का असम में केवल गुवाहाटी तक विस्तार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम सरकार ने राज्य के अन्य भागों में इस योजना के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़े वर्ग में मलाईदार तबका

997. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के बीच मलाईदार तबके का निर्धारण करने के लिए उन्हें लाभ देने हेतु उनकी वार्षिक आय सीमा का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आरक्षण जैसे लाभ देने का निर्धारण करने के लिए इस समय कौन-से मानदंड प्रचलन में हैं; और

(घ) इस पुनरीक्षित प्रावधान के कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां, अन्य पिछड़े वर्गों में से मलाईदार तबके (क्रीमी लेयर) का निर्धारण करने के लिए आय-सीमा को संशोधित करके एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया।

(ग) अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण का लाभ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था. (अनु.ज. जाति) में निहित अनुदेशों के अनुसार दिया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) के साथ पठित इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था. (अनु.ज. जाति) की अनुसूची के अनुसार, मलाईदार तबके (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं हैं।

(घ) संशोधित प्रावधान 4 फरवरी, 2004 से लागू हो गए हैं।

श्रीलंका को दी जाने वाली भारतीय सहायता

998. **श्री के.एस. राव:**
श्री किन्जरपु येरनायडू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का युद्ध से त्रस्त पूर्वोत्तर श्रीलंका के पुनर्निर्माण में मदद करने हेतु मानवीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ भारत दौरे के समय इस मामले पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) भारत उत्तर-पूर्वी श्रीलंका के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सहायता देने के प्रति वचनबद्ध है। श्रीलंका के विदेश मंत्री की हाल ही की यात्रा के दौरान इस विषय को उठाया गया, हालांकि इस पर विशेष चर्चा नहीं हुई।

कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन

999. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है जिन्होंने बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को निश्चित समय से पहले पूरा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना के पूरा करने में अवरोधों का समाधान करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संचार उपग्रह का प्रक्षेपण

1000. **श्री उदय सिंह:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक अमरीकी कंपनी के सहयोग से संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस उपग्रह के प्रक्षेपण से भारत को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन यू.एस.ए. की बोईंग सैटेलाइट सिस्टमस् के साथ वैश्विक रूप में 2-टन भार की श्रेणी के संचार उपग्रहों के निर्माण और विपणन के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ग) टीम संबंधी व्यवस्थाओं पर अभी भी बातचीत जारी है तथा इस संबंध में अन्तिम निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपयुक्त ग्राहकों की पहचान के आधार पर लिया जायेगा।

(घ) टीम संबंधी व्यवस्था से अत्यन्त प्रतिस्पर्धी बाजार में इसरो द्वारा विकसित उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए बाजार में प्रवेश प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शन

1001. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु एक पृथक प्रतीक्षा सूची तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक प्रतीक्षा-सूची तैयार करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वे गैर-ओ वाई टी विशेष श्रेणी (जो एक प्राथमिकता श्रेणी है) के अंतर्गत एक टेलीफोन कनैक्शन के लिए अपनी मांग पंजीकृत कराने के पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मस्तिष्क ज्वर/कालाजार के लिए कार्ययोजना

1002. योगी आदित्यनाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मस्तिष्क ज्वर/कालाजार जैसे रोगी के कारण कुल कितनी मौतें हुई; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे रोगों को रोकने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार मेनिनगोकोक्कल मेनिनजाइटिस और कालाजार के कारण हुई मौतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण I और विवरण II में दी गई है।

(ख) मेनिनजाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण करना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। जहां तक कालाजार का संबंध है, वर्ष 2010 तक कालाजार का उन्मूलन करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है और कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। कालाजार नियंत्रण/उन्मूलन करने संबंधी कार्यनीति में रोगियों का शुरू में ही निदान और उनका पूरा उपचार करना, कीटनाशक छिड़काव के माध्यम से वेक्टर नियंत्रण और लोगों की जागरूकता तथा सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण शामिल हैं। भारत सरकार काला-अजार रोधी औषधें और कीटनाशक प्रदान करती है। 1 दिसम्बर, 2003 से स्थानिक महामारी वाले राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को काला-अजार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के स्टाफ संघटक को छोड़कर शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

विवरण I

वर्ष 2002 और 2003 के दौरान मेनिनजाइटिस के कारण हुई मौतों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	मौतें	
		2002	2003
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	49	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	3
3.	असम	अप्राप्त	अप्राप्त
4.	बिहार	अप्राप्त	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	अप्राप्त	अप्राप्त

1	2	3	4
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	0	0
8.	हरियाणा	7	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0
11.	झारखण्ड	अप्राप्त	अप्राप्त
12.	कर्नाटक	10	9
13.	केरल	4	1
14.	मध्य प्रदेश	13	8
15.	महाराष्ट्र	96	70
16.	मणिपुर	0	8
17.	मेघालय	18	17
18.	मिजोरम	1	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	2	13
21.	पंजाब	28	1
22.	राजस्थान	39	35
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	1	1
25.	त्रिपुरा	1	0
26.	उत्तरांचल	अप्राप्त	अप्राप्त
27.	उत्तर प्रदेश	2	4
28.	पश्चिम बंगाल	500	292
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	0
30.	चंडीगढ़	16	6
31.	दादरा व नागर हवेली	0	0
32.	दमन व दीव	0	0
33.	दिल्ली	50	48
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	12	16
	कुल	851	624

विवरण II

वर्ष 2002 और 2003 के दौरान कालाजार के कारण हुई मौतों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	मौतें	
		2002	2003
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	160	187
5.	छत्तीसगढ़	0	0
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	0	0
8.	हरियाणा	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0
11.	झारखण्ड	0	5
12.	कर्नाटक	0	0
13.	केरल	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	0	0

1	2	3	4
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	0	0
21.	पंजाब	0	0
22.	राजस्थान	0	0
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0
26.	उत्तरांचल	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1	1
28.	पश्चिम बंगाल	5	7
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा न नागर हवेली	0	0
32.	दमन व दीव	0	0
33.	दिल्ली*	2	10
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	168	210

*दिल्ली के अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने वाले बाहरी रोगी।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में भारत-अमरीकी सम्मेलन

1003. श्री सुरेश कुरूप: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में हाल ही में भारत-अमरीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। "अंतरिक्ष विज्ञान, उपयोग और वाणिज्य में-सहयोग को सुदृढ़ और विस्तार करने पर भारत-अमरीकी सम्मेलन", बेंगलूर में जून 21-25, 2004 के दौरान आयोजित किया गया।

(ख) दोनों देशों से सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों ने अंतरिक्ष विज्ञान, उपयोग और वाणिज्य से संबंधित विषयों पर लेख प्रस्तुत किये तथा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने में रुचि प्रकट करते हुए भावी-निरूपण पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और उपयुक्त अन्तरालों पर इसकी प्रगति की समीक्षा करने पर सहमति हुई।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों का बकाया लाइसेंस शुल्क

1004. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार के क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कंपनी की ओर लाइसेंस शुल्क के रूप में कितनी राशि तथा कब से बकाया है; और

(ख) सरकार का समय पर शुल्क जमा न करने वाली कंपनियों से लाइसेंस शुल्क की वसूली करने और इनके लाइसेंस को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनियों और उन पर लाइसेंस शुल्क के रूप में बकाया राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/प्रस्तावित उपायों में समझाना-बुझाना, उपलब्ध बैंक गारंटियां भुनाना और माध्यस्थम कार्यवाहियां शामिल हैं। उपयुक्त मामलों में लाइसेंस करार में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद लाइसेंस रद्द भी किया जाता है।

विवरण

दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न कंपनियों की ओर संदेय लाइसेंस शुल्क 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सेवा की श्रेणी	संदेय लाइसेंस फीस	वर्ष जिससे संदेय राशि का संचय हो रहा है।
1	2	3	4	5
1.	कोशिका टेलिकाम लिमिटेड	सेल्यूलर	453.6	1999
2.	रिलायंस टेलिकाम लिमिटेड	सेल्यूलर	3.77	2003
3.	स्पाइस कम्यूनिकेशन लिमिटेड	सेल्यूलर	4.20	2004
4.	सातनेट टेलिकाम लिमिटेड	वाणिज्यिक वीएसएटी	1.11	1999
5.	डाटा लाइन और रिसर्च टैक्नोलाजी	वाणिज्यिक वीएसएटी	1	1996
6.	एचएफसीएल	वाणिज्यिक वीएसएटी	0.5	2004
7.	मार्कसैट	वाणिज्यिक वीएसएटी	1.74	1998
8.	एबीसी कम्यूनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	6.4	1997
9.	बेलट्रान टेलिकाम लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	0.94	1998
10.	डीएसएस मोबाइल काम लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	10.38	1997
11.	एडर पीडब्ल्यूआई काम लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	8.58	1998
12.	एडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विस लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	17.33	1998
13.	इजी काल काम इंडिया प्राइवेड लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	4.81	1997
14.	मैट्रिक्स पेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	10.42	1997
15.	माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	0.36	1997
	माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन लिमिटेड	वाइस मेल	18.66	1996
16.	मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	7.97	1997
17.	नीदरलैंड इंडिया कम्यूनिकेशन इंटरप्राइजेज लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	2.89	1997
18.	आरपीजी पेजिंग	रेडियो पेंजिंग	5.98	1997
19.	टेलिसिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		2.2	1997
20.	पनवायर मोबाइल काम लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	144.86	1997
21.	पनवायर पेंजिंग सर्विस लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	50.9	1997

1	2	3	4	5
22.	इंडिया पेंजिंग सर्विस लिमिटेड	रेडियो पेंजिंग	73.95	1997
23.	आईसीएनईटी लिमिटेड	ई-मेल	0.3	1996
24.	डाटा लाइन लिमिटेड	ई-मेल	0.2	1997
25.	डाटा प्रो लिमिटेड	ई-मेल	0.16	1998
26.	आरचना लिमिटेड	ई-मेल	0.21	1996
27.	एलनेट टेक्नोलाजी लिमिटेड	ई-मेल	0.08	1997
28.	बिजनेस इंडिया लिमिटेड	ई-मेल	0.1	1998
29.	अरविंद मिल्स लिमिटेड	पीएमआरटीएस	0.005	2004
30.	जीमैन एक्सप्रेस सिपिंग एजेंसी लिमिटेड	पीएमआरटीएस	0.0033	2004
31.	होफिंटेल लिमिटेड	पीएमआरटीएस	0.00021	2004
32.	इंडिया सैटकाम लिमिटेड	पीएमआरटीएस	0.00334	2004
33.	मियोबीकाम इंडिया लिमिटेड	पीएमआरटीएस	0.0101	2004
34.	क्यूककाल प्राइवेट लिमिटेड	पीएमआरटीएस	0.013	2004
35.	यूनाइटेड लाइनर एजेंसिज आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	पीएमआरटीएस	0.0054	2004
	जोड़		833.64	

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार नवीनतम निर्धारणों पर आधारित है और इसमें वसूली की तारीख तक कंपनियों द्वारा संदेय ब्याज और शास्ति शामिल नहीं है।

2. मै. रिलायंस लि. की ओर संदेय राशियों की वसूली की जा रही है/उनका समयोजन विभाग के पास उपलब्ध क्रेडिटों में से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पंजाब के सीमावर्ती जिलों को रियायत

1005. श्री गुरुदास कामत: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद से लघु उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंजाब के सीमावर्ती जिलों को उद्योगों के संवर्द्धन के लिए जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों को दी गई रियायतों के समान रियायत देने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये रियायतें कब तक दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार निरंतर रूप से मात्रात्मक प्रतिबन्धों (क्यू.आर.) को हटाने के प्रभाव का तथा लघु उद्योगों (एल.एस.आई.) सहित देश में अर्थव्यवस्था के संबंध में डब्ल्यू.टी.ओ. करारों का मूल्यांकन तथा मोनीटरिंग कर रही है। यद्यपि, क्यू.आर. के हटाए जाने से लघु उद्योग के सामने एक बड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है, फिर भी लघु उद्योग सेक्टर को निरंतर वृद्धि करनी है। तथापि, क्यू.आर. के हटाए जाने के उपरांत भी बाउंड लेवल तक सीमा-शुल्क ड्यूटी को बढ़ाने, पाटन-रोधी ड्यूटी लगाने, आयातों में उछाल इत्यादि के मामले में सुरक्षा उपाय किए जाने के रूप में उद्योगों को संरक्षण प्राप्त है।

सरकार ने लघु उद्योग की सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, ताकि वे विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, कलस्टर पहुंच के माध्यम से बुनियादी संरचना सहायता, समय पर क्रेडिट की उपलब्धा, आधुनिक प्रबन्धन व्यवहार अपनाना, इलैक्ट्रोनिक बुनियादी संरचना का प्रयोग करना तथा ट्रेड उदारीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य आई.टी. का प्रयोग किया जाना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

''लाइव शीप'' रेबीज के टीके

1006. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''लाइव शीप'' रेबीज के टीकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भेषज उपक्रमों को विशेष रूप से अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं में पशु अनुभागों के उन्नयन की सलाह दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी प्रयोगशालाओं ने अपने पशु-अनुभाग का उन्नयन किया है; और

(च) सरकार ने उन्नयनों की निगरानी के लिए कोई तंत्र यदि विकसित किया है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) भारत सरकार ने देश में लाइव-शीप रेबीज वैक्सीन, अर्थात् न्यूरल टिशु एंटी रेबीज वैक्सीन को हटाने और टिशु कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन का इस्तेमाल आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

(घ) से (च) भेषज उपक्रमों की प्रयोगशालाओं में पशु अनुभागों, जिनमें केन्द्रीय सरकार के वैक्सीन तैयार करने वाले संस्थान भी शामिल हैं, के उन्नयन का कार्य चलता रहता है। अन्य उपक्रमों की प्रयोगशालाओं में पशु अनुभागों के उन्नयन से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते। नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पशु अनुभागों के निरीक्षण की व्यवस्था पशु अधिनियम, 1960 में निर्दयता की रोकथाम के अंतर्गत की गई है।

भारत और पाकिस्तान द्वारा वाणिज्यिक दूतावासों को पुन: खोलना

1007. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान कराची और मुंबई में अपने वाणिज्यिक दूतावासों को पुन: खोलने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वीजा पाने के इच्छुकों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देश नई दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने-अपने उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को बहाल करने के लिए भी सहमत हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दोनों वाणिज्यिक दूतावासों को खोलने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के बाद 28 जून को जारी संयुक्त वक्तव्य में मुंबई में पाकिस्तान के प्रधान कौंसलावास और कराची में भारत के प्रधान कौंसलावास को पुन: स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। इससे वीसा जारी करने की प्रक्रिया और सुविधाजनक हो जाएगी।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली में 27-28 जून, 2004 को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान यह सहमति व्यक्त की गई कि अपने-अपने उच्चायोगों में कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर 110 के मूल स्तर तक लाया जाएगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

गांव में सार्वजनिक टेलीफोन

1008. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गांवों में स्थापित ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश के प्रत्येक गांव में राज्यवार कब तक ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.05.2004 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल द्वारा देश में 509850 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए गए हैं। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीएसएनएल का लक्ष्य 80828 गांवों में वीपीटी उपलब्ध कराने का है।

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वीपीटी उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक संख्या में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली लगाई जा रही है।

(2) किसी भी स्थलीय माध्यम से कवर नहीं किए जा सकने वाले सुदूर एवं अलग-थलग पड़े गांवों को उपग्रह प्रौद्योगिकी से कवर किए जाने की योजना है।

(घ) बीएसएनएल ने 31.03.2006 तक अपने हिस्से के शेष गांवों को वीपीटी प्रदान करने की योजना बनायी है, बशर्ते कि सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

31.05.2004 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	राजस्व गांवों की कुल संख्या	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	201	198
2.	आंध्र प्रदेश	29460	23419
3.	असम	24685	19488
4.	बिहार	41077	38475
5.	झारखंड	31703	26904
6.	गुजरात	18125	11214
7.	हरियाणा	6850	6811
8.	हिमाचल प्रदेश	16925	16587
9.	जम्मू और कश्मीर	6764	4812
10.	कर्नाटक	27066	27066
11.	केरल	1468	1468
12.	मध्य प्रदेश	51806	37601
13.	छत्तीसगढ़	19720	14665
14.	महाराष्ट्र	42467	31541
15.	पूर्वोत्तर-1	7125	4206
16.	पूर्वोत्तर-2	7020	3266
17.	उड़ीसा	46989	40753
18.	पंजाब	12687	12687
19.	राजस्थान	39483	23858
20.	तमिलनाडु	17899	17899
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	79792	76000
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23604	21268

1	2	3	4
23.	उत्तरांचल	15610	11730
24.	पश्चिम बंगाल	38337	37306
25.	कोलकाता	437	437
26.	दिल्ली	191	191
	जोड़	607491	509850

विवरण II

बीएसएनएल द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान शेष गांवों को वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	राजस्व गांवों की कुल संख्या	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वीपीटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	201	4
2.	आंध्र प्रदेश	29460	0
3.	असम	24685	7667
4.	बिहार	41077	11663
5.	झारखंड	31703	14630
6.	गुजरात	18125	0
7.	हरियाणा	6850	39
8.	हिमाचल प्रदेश	16925	545
9.	जम्मू और कश्मीर	6764	2692
10.	कर्नाटक	27066	6
11.	केरल	1468	0
12.	मध्य प्रदेश	51806	4
13.	छत्तीसगढ़	19720	340
14.	महाराष्ट्र	42467	0
15.	पूर्वोत्तर-1	7125	4172
16.	पूर्वोत्तर-2	7020	4811
17.	उड़ीसा	46989	11632
18.	पंजाब	12687	0
19.	राजस्थान	39483	24
20.	तमिलनाडु	17899	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	79792	10478
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23604	2336
23.	उत्तरांचल	15610	5607
24.	पश्चिम बंगाल	38337	4178
25.	कोलकाता	437	0
26.	दिल्ली	191	0
	जोड़	607491	80828

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 और 212 पर बढ़ती दुर्घटनाएं

1010. श्री मधुसूदन रेड्डी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद-विजयवाड़ा (एन एच-9) और हैदराबाद और वारांगल (एन एच-212) के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिवाइडर न होने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिवाइडर उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रा.रा. 9 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड और रा.रा.-212 के हैदराबाद और वारांगल (इस रा.रा. की संख्या 202 है न कि 212) पर दुर्घटनाएं तेज गति, अधिक भार लदान और वाहन चालकों की लापरवाही जैसे विभिन्न कारणों से हो रही हैं न कि केवल डिवाइडर के न होने के कारण।

(ख) और (ग) राजमार्ग के 4/6 लेन वाले खंडों पर ही डिवाइडर की व्यवस्था की जा सकती है और उनकी स्थिति इस प्रकार है:-

रा.रा.	खंड	स्थिति
9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा)	0/0-10/0 कि.मी.	पहले से ही डिवाइडर के साथ 4 लेन
	10/0-41/0 कि.मी.	डिवाइडर के साथ 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है
	217/0-265/0 कि.मी.	पहले से ही डिवाइडर के साथ 4 लेन
202 (हैदराबाद -वारांगल)	0/0-9/0 कि.मी.	पहले से ही डिवाइडर के साथ 4 लेन
	9/0-18/7 कि.मी.	डिवाइडर के साथ 4 लेन बनाने के लिए स्वीकृत

(घ) रा.रा.-9 और रा.रा.-202 के अन्य खंड 2 लेन के हैं जहां डिवाइडर की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर दुर्घटनाएं

1011. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा के नुवम के राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-17 पर सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटना बहुत क्षेत्र में दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समीप के अस्पताल में ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रंबल स्ट्रिप की व्यवस्था, चौराहों का सुधार, सड़क संकेत व्यवस्था में सुधार तथा मपूसा, वर्ना और सांताक्रूज में बाइपासों का निर्माण किया गया है तथा मुरगांव में बाइपास का निर्माण चल रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। नुमेव से 5 कि.मी. पर वर्ना अग्निशमन केंद्र पर एंबुलेंस है। राज्य सरकार ने गोवा मेडिकल कालेज, बंबोलिम में एक ट्रामा यूनिट खोला है जिसमें योग्य डाक्टरों और नर्सों की टीम है। इस यूनिट को चौबीसों घंटे खुला रखा जाता है पूरे समय विशिष्ट एंबुलेंस सतर्क रहती है और उसका विशेष टेलीफोन नंबर है।

[हिन्दी]

रक्तचाप को मापने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध

1012. श्री पंकज चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अनेक देशों ने रक्तचाप मापने वाले सामान्य उपकरणों को इनमें मरकरी होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे उपकरणों को प्रतिबंधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) रक्तचाप मापने के लिए परम्परागत रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मरकरी स्फिग्मोमनोमीटर को कुछ देशों में पर्यावरणिक शंकाओं के कारण बदला गया है। तथापि, मरकरी स्फिग्मोमनोमीटर के स्थान पर लाए गए वैकल्पिक तरीकों की उपलब्धता, वहनीयता और प्रमाणिकता पर भी शंकाएं हैं।

[अनुवाद]

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपास

1013. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपास के निर्माण के लिए तैयार/कार्यान्वित किए जा रहे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया, राशि जारी की गई और अब तक इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम के उत्तरी लखीमपुर और तिनसुकिया में राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपास के निर्माण की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और अंतिम रूप दिए गए विशिष्ट संरेखण, कुल परिव्यय, वर्षवार लक्ष्य और किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस समय असम में रा.रा.-44 पर करीमगंज बाइपास (3.84 कि.मी. लंबा) का ही निर्माण किया जा रहा है। तथापि, तीन और बाइपासों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत रा.रा.-37 पर नागौन, रा.रा.-54 पर दबोका और लंका कस्बों के लिए बाइपासों का अभिनिर्धारण किया गया है जिनका निर्माण दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाना है।

(ख) करीमगंज बाइपास के निर्माण पर 7.15 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) इस समय, उत्तरी लखीमपुर और तिनसुकिया के लिए बाइपास के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य

1014. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस देरी के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है;

(घ) यदि हां, तो कार्य शुरू होने के बाद से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और उन्हें क्या मुआवजा दिया गया; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-25 के 11.380 से 80.500 कि.मी. तक लखनऊ-कानपुर खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत पूर्व-पश्चिम महामार्ग का हिस्सा है। 11.380 से 21.800 कि.मी. तक 4 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, 21.800 से 59.500 कि.मी. तक 4 लेन बनाने का कार्य उन्नत अवस्था है और इसके मार्च, 2005 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। 59.500 से 75.500 कि.मी. तक 4 लेन बनाने के कार्य में ठेकेदार द्वारा कार्य न किए जाने के कारण ठेका समाप्त किए जाने की वजह से देरी हुई है। यह कार्य एक अन्य एजेंसी को सौंप दिया गया है और इस खंड को जून, 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 75.500 से 80.500 कि.मी. तक और गंगा नदी पर एक अन्य 2 लेन के पुल को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय विकास परियोजना के चरण-2 के तहत शुरू किया जा रहा है जिसे दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संपूर्ण लखनऊ-कानपुर खंड और गंगा पुल को 4 लेन का बनाने का कार्य दिसम्बर, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की विज्ञप्ति

1015. **श्री दिनशा पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर हाल ही में अनुमान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की विज्ञप्ति में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रही लगातार गिरावट की ओर संकेत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (के.सां.सं.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दिनांक 30 जून, 2004 को वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए वार्षिक राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमान एवं सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक अनुमान जारी किए हैं। इस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2003-04 में स्थिर मूल्यों (1993-94)

पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ने वर्ष 2002-03 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों पर अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों, नामतः, (क) "कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन" (ख) "खनन, विनिर्माण, बिजली एवं निर्माण" एवं (ग) "सेवाओं" में दर्ज वृद्धि दरों क्रमशः 9.1 प्रतिशत 6.7 प्रतिशत एवं 8.7 प्रतिशत की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। जनवरी से मार्च, 2004 (2003-04 की चौथी तिमाही) की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद ने स्थिर (1993-94) मूल्यों पर कारक लागत पर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है।

(ग) जी, नहीं। अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में मूल स्तरों में लगातार गिरावट नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना और गैर-योजना व्यय में बढ़ोत्तरी

1016. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में योजना और गैर-योजना व्यय में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, व्यय विभाग से वर्ष 2004-05 की पहली तिमाही के पहले दो महीनों के संबंध में उपलब्ध व्यय के आंकड़ों से, यह पता लगता है कि वर्ष 2004-05 (मई, 2004 तक) के दौरान योजना व्यय 13,584 करोड़ रुपये था जबकि गैर-योजना व्यय 46,786 करोड़ रुपये था। यह गत वर्ष की समनुरूपी अवधि के दौरान किए गए व्यय से क्रमशः लगभग 57 प्रतिशत और 26 प्रतिशत अधिक है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग की चालू योजना स्कीमों के अंतर्गत किए गए व्यय और योजना निधियों को राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित किए जाने के कारण है, और ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, बड़ी मात्रा में सब्सिडीज और पेंशनों के कारण है। गैर-योजना और गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार का यह सतत् प्रयास है।

[हिन्दी]

डब्ल्यू एल एल आधारित टेलीफोन एक्सचेंज

1017. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर डब्ल्यू एल एल आधारित टेलीफोन एक्सचेंज स्वीकृत किए गए थे और उन टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जहां पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है; और

(ख) स्वीकृत टेलीफोन एक्सचेंजों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राजस्थान दूरसंचार सर्किल में 126 स्थानों के लिए डब्ल्यूएलएल आधारित टेलीफोन एक्सचेंजों की मंजूरी दी गई थी। इन 126 स्थानों में से 117 स्थानों में डब्ल्यूएलएल आधारित टेलीफोन एक्सचेंज पहले से कार्यरत हैं और शेष 9 स्थानों पर चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके कार्यरत होने की संभावना है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन जिले-वार स्थानों की सूची, जहां के लिए डब्ल्यू एल एल आधारित टेलीफोन एक्सचेंजों की मंजूरी दी गई थी और उनकी वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	जिला	स्थान का नाम	स्थिति
1	2	3	4
1.	अजमेर	अजमेर	पहले से कार्यरत है।
2.	अजमेर	बीवर	पहले से कार्यरत है।
3.	अजमेर	मदनगंज	पहले से कार्यरत है।

1	2	3	4
4.	अजमेर	अलवर	पहले से कार्यरत है।
5.	अजमेर	बहरोर	पहले से कार्यरत है।
6.	अजमेर	भिवाड़ी	पहले से कार्यरत है।
7.	अजमेर	लक्ष्मणगढ़	पहले से कार्यरत है।
8.	बांसवाड़ा	बगीदोरा	पहले से कार्यरत है।
9.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	पहले से कार्यरत है।
10.	बारन	अतरू	अक्टूबर 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है।
11.	बारन	चाबरा	पहले से कार्यरत है।
12.	बारन	छिपाबरोड़	पहले से कार्यरत है।
13.	बारन	मंरोल	पहले से कार्यरत है।
14.	बाड़मेर	बलोतरा	पहले से कार्यरत है।
15.	बाड़मेर	बाड़मेर	पहले से कार्यरत है।
16.	भरतपुर	बयाना	पहले से कार्यरत है।
17.	भरतपुर	भरतपुर	पहले से कार्यरत है।
18.	भरतपुर	नाडबई	पहले से कार्यरत है।
19.	भरतपुर	रूपबास	पहले से कार्यरत है।
20.	भीलवाड़ा	आसिन्द	पहले से कार्यरत है।
21.	भीलवाड़ा	बानेरा	पहले से कार्यरत है।
22.	भीलवाड़ा	झाजपुर	पहले से कार्यरत है।
23.	भीलवाड़ा	कोतरी	पहले से कार्यरत है।
24.	भीलवाड़ा	मंडल	पहले से कार्यरत है।
25.	भीलवाड़ा	शाहपुरा	पहले से कार्यरत है।
26.	बीकानेर	बीकानेर	पहले से कार्यरत है।
27.	बीकानेर	छत्तरगढ़	पहले से कार्यरत है।
28.	बीकानेर	दियातरा	पहले से कार्यरत है।
29.	बीकानेर	जागसर	पहले से कार्यरत है।
30.	बीकानेर	कोलयात	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है

1	2	3	4
31.	बीकानेर	लुंकारनसर	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है
32.	बीकानेर	महाजन	पहले से कार्यरत है।
33.	बीकानेर	नाथूसर	पहले से कार्यरत है।
34.	बीकानेर	नोखा	पहले से कार्यरत है।
35.	बीकानेर	श्रीडुंगरगढ़	पहले से कार्यरत है।
36.	बूंदी	हिंडोली	पहले से कार्यरत है।
37.	बूंदी	कप्तान	पहले से कार्यरत है।
38.	बूंदी	नैनवा	पहले से कार्यरत है।
39.	चित्तौड़गढ़	बरीसदरी	पहले से कार्यरत है।
40.	चित्तौड़गढ़	बेगुन	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है
41.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	पहले से कार्यरत है।
42.	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेरा	पहले से कार्यरत है।
43.	चुरू	बिदासर	पहले से कार्यरत है।
44.	चुरू	लालगढ़	पहले से कार्यरत है।
45.	चुरू	सुजानगढ़	पहले से कार्यरत है।
46.	चुरू	तारानगर	पहले से कार्यरत है।
47.	दौसा	बंदीकुई	पहले से कार्यरत है।
48.	दौसा	लालसोट	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है
49.	डुंगरगढ़	आसपुर	पहले से कार्यरत है।
50.	डुंगरगढ़	डुंगरपुर	पहले से कार्यरत है।
51.	डुंगरगढ़	सागवाड़ा	पहले से कार्यरत है।
52.	हनुमानगढ़	भादरा	पहले से कार्यरत है।
53.	हनुमानगढ़	गोलूवाला	पहले से कार्यरत है।
54.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	पहले से कार्यरत है।
55.	हनुमानगढ़	नोहर	पहले से कार्यरत है।
56.	हनुमानगढ़	रावतसर	पहले से कार्यरत है।
57.	जयपुर	अचरोल	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है

1	2	3	4
58.	जयपुर	बस्सी	पहले से कार्यरत है।
59.	जयपुर	चोमू	पहले से कार्यरत है।
60.	जयपुर	दुदू	पहले से कार्यरत है।
61.	जयपुर	जयपुर	पहले से कार्यरत है।
62.	जैसलमेर	जैसलमेर	पहले से कार्यरत है।
63.	जैसलमेर	पोखरन	पहले से कार्यरत है।
64.	जालौर	भीनमल	पहले से कार्यरत है।
65.	जालौर	जालौर	पहले से कार्यरत है।
66.	जालौर	सांचोर	पहले से कार्यरत है।
67.	झालावाड़	भवानीमंडी	पहले से कार्यरत है।
68.	झालावाड़	खानपुर	पहले से कार्यरत है।
69.	झालावाड़	रायपुर	पहले से कार्यरत है।
70.	झुंझनू	चिरावा	पहले से कार्यरत है।
71.	झुंझनू	झुंझनू	पहले से कार्यरत है।
72.	झुंझनू	खेत्रीनगर	पहले से कार्यरत है।
73.	झुंझनू	नवलगढ़	पहले से कार्यरत है।
74.	जोधपुर	बालेश्वर	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है
75.	जोधपुर	भोपालगढ़	पहले से कार्यरत है।
76.	जोधपुर	दनवाड़ा	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है
77.	जोधपुर	जोधपुर	पहले से कार्यरत है।
78.	जोधपुर	महनिया	पहले से कार्यरत है।
79.	जोधपुर	फलौदी	पहले से कार्यरत है।
80.	जोधपुर	पिपरसिटी	पहले से कार्यरत है।
81.	करौली	हिंडौन	पहले से कार्यरत है।
82.	करौली	करौली	पहले से कार्यरत है।
83.	कोटा	कोटा	पहले से कार्यरत है।
84.	कोटा	रावतभट्टा	पहले से कार्यरत है।

1	2	3	4
85.	नागौर	दीदवाना	पहले से कार्यरत है।
86.	नागौर	गोरन	पहले से कार्यरत है।
87.	नागौर	जयाल	पहले से कार्यरत है।
88.	नागौर	खिनवसार	पहले से कार्यरत है।
89.	नागौर	कुचामनसिटी	पहले से कार्यरत है।
90.	नागौर	लडनू	पहले से कार्यरत है।
91.	नागौर	भकराना	पहले से कार्यरत है।
92.	नागौर	मेरटासिटी	पहले से कार्यरत है।
93.	नागौर	नागौर	पहले से कार्यरत है।
94.	नागौर	पर्वतसर	पहले से कार्यरत है।
95.	पाली	बाली	पहले से कार्यरत है।
96.	पाली	देसुरी	पहले से कार्यरत है।
97.	पाली	जैतरन	पहले से कार्यरत है।
98.	पाली	रायपुर	पहले से कार्यरत है।
99.	पाली	रोहत	पहले से कार्यरत है।
100.	पाली	सुमेरपुर	पहले से कार्यरत है।
101.	राजसमन्द	अमेट	पहले से कार्यरत है।
102.	राजसमन्द	भीम	पहले से कार्यरत है।
103.	राजसमन्द	देवगढ़	पहले से कार्यरत है।
104.	राजसमन्द	राजसमंद	पहले से कार्यरत है।
105.	सीकर	फतेहपुर	पहले से कार्यरत है।
106.	सीकर	लक्ष्मणगढ़	पहले से कार्यरत है।
107.	सीकर	नीम का थाना	पहले से कार्यरत है।
108.	सीकर	सीकर	पहले से कार्यरत है।
109.	सीकर	श्रीमाधोपुर	पहले से कार्यरत है।
110.	सिरोही	अबरोड	पहले से कार्यरत है।
111.	सिरोही	सिरोही	पहले से कार्यरत है।

1	2	3	4
112.	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	पहले से कार्यरत है।
113.	श्रीगंगानगर	घरसाना	पहले से कार्यरत है।
114.	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर	पहले से कार्यरत है।
115.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	पहले से कार्यरत है।
116.	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	पहले से कार्यरत है।
117.	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	पहले से कार्यरत है।
118.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	पहले से कार्यरत है।
119.	टोंक	देवली	पहले से कार्यरत है।
120.	टोंक	मालपुरा	पहले से कार्यरत है।
121.	टोंक	नेवई	पहले से कार्यरत है।
122.	उदयपुर	धरियावाड़	अक्टूबर, 2004 तक कार्य शुरू होने की संभावना है
123.	उदयपुर	खेरवाड़ा	पहले से कार्यरत है।
124.	उदयपुर	मावली	पहले से कार्यरत है।
125.	उदयपुर	उदयपुर	पहले से कार्यरत है।
126.	उदयपुर	बल्लभनगर	पहले से कार्यरत है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में सी जी एम (टी) द्वारा खर्च की गई धनराशि

1018. श्री विकास चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 से दिसंबर 2003 तक की अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल के सी जी एम (टी) द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) सी जी एम (टी) द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न कार्यों के लिए खर्च की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन दिनांक 01.10.2000 को हुआ था तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य महाप्रबंधक (दूरसंचार) और भारत संचार निगम लिमिटेड के अन्य सर्किलों के मुख्य महाप्रबंधकों (दूरसंचार) द्वारा दिनांक 31.12.2003 तक विभिन्न कार्यों के लिए खर्च की गई कुल राशि निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

पश्चिम बंगाल	1505.92	
कोलकाता टेलीफोन	554.41	2060.33 (पश्चिम बंगाल के लिए)
तमिलनाडु	2670.08	
चेन्नई फोन	777.90	3447.97 (तमिलनाडु के लिए)
असम	658.86	

आंध्र प्रदेश	3303.60
बिहार	859.39
गुजरात	2780.53
जम्मू और कश्मीर	341.17
कर्नाटक	2640.49
केरल	2673.96
मध्य प्रदेश	1105.14
महाराष्ट्र	4855.49
पूर्वोत्तर-1	73.65
पंजाब	1792.46
उड़ीसा	891.24
राजस्थान	1549.53
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2865.20
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3197.40
हरियाणा	881.40
हिमाचल प्रदेश	609.32
अंडमान और निकोबार	66.82
छत्तीसगढ़	946.70
झारखंड	1271.77
उत्तरांचल	902.81
पूर्वोत्तर-II	564.44

[हिन्दी]

बच्चों में मधुमेह

1019. श्री महेश कनोडीया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे- कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मधुमेह से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बच्चों में मधुमेह फैलने को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) प्रैक्टिस कर रहे मधुमेह रोग विज्ञानियों की नैदानिक राय के अनुसार बच्चों में नान-इन्सूलिन डिपेंडेन्ट डायबीटिज के नाम से विख्यात श्रेणी 2 मधुमेह रोग में वृद्धि हो रही है। यह बच्चों में मोटापे और तनाव की व्याप्तता में वृद्धि के कारण हो सकता है। बेहतर नैदानिक सुविधाएं होने के कारण भी इसका पता चलने लगा है। चूंकि मधुमेह जीवन-शैली से संबंधित रोग है, इसलिए देश में बच्चों और वयस्कों में मधुमेह के नियंत्रण के लिए निवारक जीवन-शैली से संबंधित कार्यालय/व्यायाम करना अति महत्वपूर्ण है। इन कार्यकलापों को सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से करने के लिए बल दिया जाता है।

औषधीय पौधों की खेती

1020. श्री सुरेश चन्देल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में आयुर्वेदिक दवाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में कुछ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने देश के भीतर व अन्यत्र आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध औषधियों की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुए औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 24 नवंबर, 2000 के संकल्प के तहत आयुष विभाग में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल मिलाकर 28000 एकड़ के रकबे में स्वस्थाने संरक्षण के अतिरिक्त 25,500 एकड़ क्षेत्र में औषधीय पादपों की कृषि की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्यावरण और वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, कृषि, जनजातीय मामले, मंत्रालयों के प्रतिनिधि, औषधीय पादप बोर्ड के सदस्य हैं। बारी-बारी से दो वर्षों के आधार पर राज्य के 2 सदस्य भी सम्मिलित किए गए हैं। बोर्ड राज्य औषधीय पादप बोर्डों द्वारा विधिवत् रूप से प्रेषित परियोजना प्रस्ताव पर विचार करता है।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों में डाकघर

1021. श्रीमती मिनाती सेन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार ऐसी कुल कितनी ग्राम पंचायत हैं जहां अब तक डाकघर नहीं खोले गए हैं; और

(ख) डाकघर खोलने के लिए स्थापित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2003 को इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर में डाकघर रहित 1,15,605 ग्राम पंचायत गांव थे, राज्य/सर्किल-वार आंकड़े संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघर रहित ग्राम पंचायत गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6278
2.	असम	68
3.	बिहार	1445
4.	छत्तीसगढ़	11285
5.	दिल्ली	शून्य
6.	गुजरात	5175
	दादरा और नागर हवेली	शून्य
	दमन और दीव	2
7.	हरियाणा	3705
8.	हिमाचल प्रदेश	626
9.	जम्मू व कश्मीर	1631
10.	झारखण्ड	1040
11.	कर्नाटक	467
12.	केरल	शून्य
	लक्षद्वीप	शून्य
	माहे	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	9269
14.	महाराष्ट्र	15767
	गोवा	11
15.	उत्तर पूर्व	
	अरुणाचल प्रदेश	1826
	मणिपुर	149
	मेघालय	582
	मिजोरम	296
	नागालैंड	734
	त्रिपुरा	390
16.	उड़ीसा	363
17.	पंजाब	9019
	चण्डीगढ़	10
18.	राजस्थान	1009
19.	तमिलनाडु	3988
	पांडिचेरी	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	35881
21.	उत्तरांचल	4549

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	27
	सिक्किम	23
	कुल	115605

विवरण II

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड

1.1 जनसंख्या :

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों में एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी। जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय डाकघर की लागत का 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/- रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु. है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

राजस्थान में पीएमआरवाई के अंतर्गत लक्ष्य

1022. श्री निहाल चन्द: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पीएमआरवाई के अंतर्गत राजस्थान के लिए वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य हासिल कर लिये गये है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 के दौरान राजस्थान को क्रमशः 16400, 16600 तथा 16200 के लक्ष्य सौंपे गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), मुम्बई से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान क्रमशः 12476, 12258 तथा 7440 (अनंतिम) मामलों में ऋण संवितरित कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के कारणों में शामिल है-आवेदकों द्वारा संवितरण-पूर्व औपचारिकताओं का पूरा न किया जाना, टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद आवेदक द्वारा क्रियाकलापों में परिवर्तन, वर्कशेड तथा विद्युत आदि जैसी आधारिक संरचना सुविधाओं की कमी।

आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही उठाए गए तथा उठाए जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न कदम हैं-शैक्षणिक योग्यताओं, कवर किए गए क्रियाकलापों तथा वार्षिक पारिवारिक आय के संबंध में कुछ पैरामीटर्स का उदारीकरण, संवितरण हेतु समय बढ़ाया जाना, आवेदनों को प्रायोजित करने, संस्वीकृत करने तथा संवितरण के लिए तिमाही अनुसूची का निर्धारण (प्रिस्क्रिप्शन)। इसके अतिरिक्त अब लक्ष्य वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही सूचित कर दिए जाते हैं तथा योजना की प्रगति का जिला, राज्य केन्द्रीय स्तर पर नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है।

भारतीय मछुआरों का श्रीलंका में उत्पीड़न

1023. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय मछुआरों का श्रीलंका प्राधिकारियों द्वारा अक्सर उत्पीड़न किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को श्रीलंका से संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर श्रीलंकाई सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) हाल में श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को परेशान करने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) भारत और श्रीलंकाई सरकारें दोनों एक दूसरे के समुद्री जल क्षेत्रों में मछुआरों के गलती से घुसने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय आधार पर निपटाने पर सहमत हुई हैं। यह वर्तमान समझबूझ सही दिशा में चल रही है और पकड़े गए भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा तत्काल रिहा कर दिया जाता है।

धौला कुआं से गुड़गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग को आठ लेनों वाली सड़क में परिवर्तित किया जाना

1024. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धौला कुआं से गुड़गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग को आठ लेनों वाली सड़क में परिवर्तित करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य को चरण-वार जयपुर तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार ने बी ओ टी आधार पर दिल्ली में राव तुला राम मार्ग जंक्शन से गुड़गांव (लगभग 28 कि.मी.) तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को 8/6 लेन का बनाने का कार्य स्वीकृत किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खादी का उत्पादन

1025. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छूट के दावों का भुगतान न किए जाने के कारण खादी का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष खादी का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) खादी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान खादी उत्पादन निम्नोक्त रहा:

उत्पादन

वर्ष	मात्रा (मिलियन वर्ग मीटर में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2001-02	58.90	416.69
2002-03	62.03	443.07
2003-04 (अ)	63.27	451.93

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान खादी के उत्पादन ने वृद्धि का रूझान दर्शाया है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादन को आगे और बढ़ावा देने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त उपाय किए गए हैं-

(1) सेल्ज आउटलेटस का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा पैकेजिंग के लिए स्कीम शुरू करना।

(2) उत्पाद विकास, डिजाइन, डिजाइन इन्टरवेंशन तथा पैकेजिंग के लिए स्कीम शुरू करना।

(3) खादी को सर्वप्रिय तथा खादी की बिक्री के संवर्धन के लिए जिला, राज्य तथा जोनल स्तरों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनियां आयोजित करना।

दूरभाष केंद्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग

1026. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर भागलपुर, बिहार में, स्थापित दूरभाष केंद्रों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त दूरभाष केंद्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन दूरभाष केंद्रों में नए कनेक्शन के कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं; और

(ङ) लंबित पड़े इन सभी आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) हालांकि देश के अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों में दोष दर कम करने के लिए उपभोक्ता परिसर के निकट ज्यादा रिमोट यूनिट खोलने, मांग पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए क्षमता बचा कर रखने, इत्यादि जैसे कारणों से उपयोग अपेक्षाकृत कम है। भागलपुर एक्सचेंज की क्षमता 31,000 है तथा इसका लोडिंग 22500 अर्थात् 72.6% लोडिंग है। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, बिहार सर्किल में क्षमता उपयोग का आंकड़ा लगभग 71.9% है।

(घ) भागलपुर में नये कनेक्शनों हेतु लंबित आवेदनों की संख्या 123 है। ये आवेदन तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों से संबंधित हैं।

(ङ) तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों के आवेदनों का निपटान जून, 2005 तक कर दिया जाएगा।

बांकुरा से दुर्गापुर को जाने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

1027. श्री सुनील खां: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेलियाटोर एन एच 60 से होते हुए बांकुरा से दुर्गापुर को जाने वाले सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांकुरा और दुर्गापुर वाया रानीगंज पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं जो कि दुर्गापुर से 28 कि.मी. दूर है।

पासपोर्ट ऑफिस खोलना

1028. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में एक पूर्ण पासपोर्ट आफिस न होने से वहां के लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) दमन और दीव में एक पासपोर्ट आफिस खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त पासपोर्ट आफिस कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) दमन और दीव में पासपोर्ट सेवाओं के संबंध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। नया पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि कार्यभार और संसाधनों की उपलब्धता। विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त होने चाहिएं। दमन और दीव इस मानदण्ड को पूरा नहीं करता क्योंकि वहां प्रति वर्ष लगभग 2000 आवेदन ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदकों को जमा करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने और पासपोर्ट सेवाओं को जनता के नजदीक लाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पूरे देश में विभिन्न जिलों में जिला पासपोर्ट सैल खोले गये हैं। दमन में 1 मार्च, 2004 से ही एक जिला पासपोर्ट सैल कार्य कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्य-निष्पादन

1029. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत योजनावधि के दौरान शिशु मृत्युदर, जन्मदर, मृत्युदर और जीवन संभाव्यता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में मिली सफलता की समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रमों से निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) चालू योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां। वर्ष 1997 में शिशु मृत्युदर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 71 थी जो वर्ष 2000 में कम होकर 68 रह गयी है। वर्ष 1997 में जन्म-दर प्रति 1000 पर 27.2 थी जो कम होकर वर्ष 2000 में 25.8 रह गई है और वर्ष 1997 में मृत्यु-दर प्रति 1000 पर 8.9 थी जो वर्ष 2000 में कम होकर 8.5 रह गई है। पुरुषों और महिलाओं के जीवन अनुमानित औसत दर क्रमश: 62.3 और 65.27 है।

(ख) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (च) भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 तैयार की है, जिसमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्थन लक्ष्यों और कार्यनीतियों को प्राथमिकता देने के वास्ते एक नीतिगत ढांचे की व्यवस्था है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का उद्देश्य वर्ष 2010 तक शिशु मृत्यु-दर को 30/1000 जीवित जन्मों से कम लाना और संस्थागत प्रसवों को 80 प्रतिशत तक लाना और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा शत-प्रतिशत प्रसव कराना है। इसके साथ-साथ इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु-दर को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 100 से कम पर लाना है। यह नीति उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपाती प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था सहित स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रशिक्षण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल देती हैं।

विवरण

शिशु मृत्यु दर

राज्य	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
1	2	3	4	5	6	7
बड़े राज्य						
आंध्र प्रदेश	63	66	66	65	66	62

1	2	3	4	5	6	7
असम	76	76	76	75	73	70
बिहार	71	67	63	62	62	61
छत्तीसगढ़	89	94	78	79	76	73
गुजरात	62	64	63	62	60	60
हरियाणा	68	70	68	67	65	62
झारखंड	68	62	71	70	62	58
कर्नाटक	53	58	58	57	58	55
केरल	12	16	14	14	11	10
मध्य प्रदेश	94	98	90	87	86	85
महाराष्ट्र	47	49	48	48	45	45
उड़ीसा	96	98	97	95	90	87
पंजाब	51	54	53	52	51	51
राजस्थान	85	83	81	79	79	78
तमिलनाडु	53	53	52	51	49	44
उत्तर प्रदेश	85	85	84	83	82	80
पश्चिम बंगाल	55	53	52	51	51	49
हिमाचल प्रदेश	63	68	62	60	54	40
जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	45	अनुपलब्ध	50	48	47
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	47	44	43	44	39	40
दिल्ली	35	36	31	32	29	32
गोवा	19	23	21	23	19	19
हिमाचल प्रदेश	63	64	62	62	60	58
जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	45	52	50	48	47
मणिपुर	30	25	25	23	20	17
मेघालय	54	52	56	58	56	60
मिजोरम	19	23	19	21	19	15

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
सिक्किम	51	52	49	49	42	39
त्रिपुरा	51	49	42	41	39	38
उत्तरांचल	56	58	52*	50	48	44
संघ क्षेत्र						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33	30	25	23	18	21
चंडीगढ़	40	32	28	28	24	25
दादरा व नागर हवेली	63	61	56	58	58	56
दमन व दीव	38	51	35	48	40	39
लक्षद्वीप	36	26	32	27	33	25
पांडिचेरी	22	21	22	23	22	23
समस्त भारत	71	72	70	68	66	64

स्रोत : नमूना पंजीकरण पद्धति
*अनन्तिम

अशोधित जन्म दर

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1997	1998	1999	2000	2001*	2002*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	22.5	22.4	21.7	21.3	20.8	20.6
2.	असम	28.2	27.9	27.0	26.9	26.8	26.6
3.	बिहार	31.7	31.1	30.4	31.9	31.2	30.9
4.	छत्तीसगढ़	32.2	28.7	26.9	26.7	26.3	25.0
5.	गुजरात	25.6	25.5	25.4	25.2	24.9	24.6
6.	हरियाणा	28.3	27.6	26.8	26.9	26.7	26.5
7.	झारखंड	28.2	26.9	26.3	26.5	26.3	26.4
8.	कर्नाटक	22.7	22.0	22.3	22.0	22.2	22.0
9.	केरल	17.9	18.3	18.0	17.9	17.2	16.8
10.	मध्य प्रदेश	31.9	30.7	30.7	31.4	30.8	30.3

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	23.1	22.5	21.1	21.0	20.6	20.2
12.	उड़ीसा	26.5	25.7	24.1	24.3	23.4	23.1
13.	पंजाब	23.4	22.4	21.5	21.6	21.2	20.8
14.	राजस्थान	32.1	31.6	31.1	31.4	31.0	30.6
15.	तमिलनाडु	19.0	19.2	49.3	19.3	19.0	18.5
16.	उत्तर प्रदेश	33.5	32.4	32.1	32.8	32.1	31.6
17.	पश्चिम बंगाल	22.4	21.3	20.7	20.7	20.5	20.3
18.	अरुणाचल प्रदेश	21.4	22.5	22.3	22.3	22.0	20.2
19.	दिल्ली	21.1	19.4	20.3	20.3	18.7	17.2
20.	गोवा	14.2	14.3	14.3	14.3	13.9	14.0
21.	हिमाचल प्रदेश	22.6	22.6	23.8	22.1	21.0	20.7
22.	जम्मू और कश्मीर	एनए	19.9	20.9	19.7	20.1	19.2
23.	मणिपुर	19.7	19.0	18.6	18.3	18.2	16.8
24.	मेघालय	30.2	29.2	28.7	28.5	28.3	25.8
25.	मिजोरम	एनए	15.8	17.0	16.0	15.7	16.9
26.	नागालैंड	एनए	11.9	11.8	एनए	एनए	एनए
27.	सिक्किम	19.8	20.9	21.6	21.8	21.6	21.9
28.	त्रिपुरा	18.3	17.6	17.0	16.5	16.1	14.9
29.	उत्तरांचल	22.9	23.6	19.6	20.2	18.5	17.0
30.	अ. व नि. द्वीप समूह	18.6	17.7	18.1	19.1	16.8	16.8
31.	चंडीगढ़	18.8	17.9	17.9	17.5	16.1	14.6
32.	दादरा व नागर हवेली	28.2	34.1	34.2	34.9	29.3	30.4
33.	दमन व दीव	24.9	21.7	26.9	23.7	22.3	22.4
34.	लक्षद्वीप	22.9	23.0	25.1	26.1	20.4	19.3
35.	पांडिचेरी	18.4	18.2	17.7	17.8	17.9	17.9
	समस्त भारत	27.2	26.5	26.1	25.8	25.4	25.0

स्रोत : नमूना पंजीकरण पद्धति

*अनन्तिम

अशोधित मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8.3	8.8	8.2	8.2	8.1	8.0
2.	असम	9.9	10.0	9.7	9.6	9.5	9.2
3.	बिहार	10.0	9.4	8.9	8.8	8.2	7.9
4.	गुजरात	7.6	7.9	7.9	7.5	7.8	7.6
5.	हरियाणा	8.0	8.2	7.7	7.5	7.6	7.0
6.	कर्नाटक	7.6	7.9	7.7	7.8	7.6	7.2
7.	केरल	6.2	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4
8.	मध्य प्रदेश	11.0	11.2	10.4	10.2	10.0	9.7
9.	महाराष्ट्र	7.3	7.7	7.5	7.5	7.5	7.3
10.	उड़ीसा	10.9	11.1	10.7	10.5	10.2	9.8
11.	पंजाब	7.4	7.7	7.4	7.3	7.0	7.1
12.	राजस्थान	8.9	8.8	8.4	8.4	7.9	7.7
13.	तमिलनाडु	8.0	8.5	8.0	7.9	7.6	7.7
14.	उत्तर प्रदेश	10.3	10.5	10.5	10.3	10.1	9.7
15.	पश्चिम बंगाल	7.7	7.5	7.1	7.0	6.8	6.6
16.	अरुणाचल प्रदेश	5.8	6.1	6.0	6.0	5.5	4.8
17.	छत्तीसगढ़	10.9	10.4	9.6	9.6	8.8	8.7
18.	दिल्ली	5.4	5.3	4.8	5.1	5.0	5.1
19.	गोवा	7.7	8.2	7.2	7.4	7.5	8.3
20.	हिमाचल प्रदेश	8.1	7.7	7.3	7.2	7.0	7.5
21.	जम्मू और कश्मीर	एनए	5.4	एनए	6.2	6.1	5.7
22.	झारखंड	9.6	8.5	8.9	9.0	8.8	7.9
23.	मणिपुर	5.9	5.3	5.4	5.6	5.1	4.6
24.	मेघालय	8.8	9.0	9.1	9.2	9.0	7.7
25.	मिजोरम	एनए	5.6	5.5	5.2	4.4	4.8

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	नागालैंड	एनए	1.7	2.3	एनए	एनए	एनए
27.	सिक्किम	6.5	6.1	5.8	5.7	5.1	4.9
28.	त्रिपुरा	6.8	6.1	5.7	5.4	5.6	5.7
29.	उत्तरांचल	6.5	7.4	6.5	6.9	7.8	6.4
30.	अ. व नि. द्वीप समूह	5.1	4.6	5.5	5.1	4.7	5.5
31.	चंडीगढ़	4.2	4.1	3.9	3.9	3.5	3.4
32.	दादरा व नागर हवेली	8.2	7.9	6.6	7.8	6.5	6.8
33.	दमन व दीव	5.9	7.0	7.1	6.6	6.7	6.6
34.	लक्षद्वीप	6.2	6.2	4.7	6.0	5.0	5.2
35.	पांडिचेरी	8.0	7.8	6.9	6.5	7.0	6.7
	समस्त भारत	8.9	9.0	8.7	8.5	8.4	8.1

स्रोत : नमूना पंजीकरण पद्धति एन ए : अनुपलब्ध
*अनन्तिम

तालिका - क. 15

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के अनुमानित स्तर (1996-2016)

बड़े राज्य	पुरुष				महिला			
	1996-2001	2001-2006	2006-2011	2011-2016	1996-2001	2001-2006	2006-2011	2011-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	61.55	62.79	63.92	64.94	63.74	65.00	66.16	67.23
असम	57.34	58.96	60.44	61.77	58.84	60.87	62.70	64.36
बिहार	63.55	65.66	67.46	69.98	62.07	64.79	67.09	69.05
गुजरात	61.53	63.12	64.60	65.76	62.77	64.10	65.49	66.45
हरियाणा	63.87	64.64	65.50	66.03	67.39	69.30	70.00	70.00
कर्नाटक	61.73	62.43	63.10	63.73	65.36	66.44	67.43	68.35
केरल	70.69	71.67	72.00	72.00	75.00	75.00	75.00	75.00
मध्य प्रदेश	56.83	59.19	59.20	60.70	57.21	58.01	59.80	61.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	65.31	66.75	67.98	69.02	68.19	69.76	71.13	72.00
उड़ीसा	58.52	60.05	61.44	62.70	58.07	59.71	61.23	62.63
पंजाब	68.39	69.78	70.88	71.74	71.40	72.00	72.00	72.00
राजस्थान	60.32	62.17	63.79	65.21	61.36	62.80	65.22	66.84
तमिलनाडु	65.21	67.00	68.45	69.64	67.58	69.75	71.54	72.00
उत्तर प्रदेश	61.20	63.54	65.48	67.10	61.10	64.09	66.60	68.72
पश्चिम बंगाल	64.50	66.08	67.42	68.57	67.20	69.34	71.11	72.00
भारत (पूल)	62.30	63.87	65.65	67.04	65.27	66.91	67.67	69.18
भारत	62.36	64.11	65.63	66.93	63.39	65.43	67.22	68.80

स्रोत : जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी दल की रिपोर्ट - 1996, भारत के महारजिस्ट्रार

आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं पर खर्च

1030. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधारभूत संरचना संबंधी ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) विगत 3 वर्षों में आधारी परियोजनाओं पर हुए व्यय में सतत वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में दर्ज वास्तविक व्यय क्रमश: 16,329 करोड़ रुपए, 25,092 करोड़ रु. और 29,380 करोड़ रु. है।

(ग) 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर 207 परियोजनाएं 2004-05 में पूर्ण होने के लिए निर्धारित हैं।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बहु विशेषज्ञता केन्द्र का विकास

1031. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बहु-विशेषज्ञता अत्याधुनिक अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए 24 करोड़ रु. की परियोजना अभी आरंभ नहीं हुई है, हालांकि परियोजना को 1999 में अंतिम रूप दिया गया था तथा 2001 में इसकी आधारशिला भी रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में परियोजना की क्या स्थिति है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) मल्टी स्पेशियलिटी ट्रामा केयर सेंटर के पांच मंजिलें भवन का निर्माण कार्य दूसरी मंजिल तक पूरा हो गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई नई समय-सीमा के अनुसार ट्रामा सेंटर का निर्माण 31 मार्च, 2005 तक पूरा हो जाएगा।

पोलियो के मामले

1032. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पोलियो के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या देश में किसी राज्य को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए पोलियो के रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। देश में किसी राज्य को पोलियो मुक्त राज्य घोषित नहीं किया गया है। तथापि, 15 राज्यों/संघ क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) में पिछले तीन वर्षों में पोलियो का कोई भी रोगी नहीं पाया गया है।

विवरण

वर्ष 2001 से 2004 तक पोलियो के मामलों की राज्यवार संख्या (3 जुलाई, 2004 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	घातक पोलियो विषाणु			
		2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	21	1
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	1	0	1	0
5.	बिहार	27	121	18	4
6.	चंडीगढ़	0	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	1	0	0
8.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन व दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	3	24	3	1
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	1	24	3	0
13.	हरियाणा	5	37	3	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
15.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0
16.	झारखंड	2	12	1	0
17.	कर्नाटक	0	0	36	1
18.	केरल	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	0	21	11	0
21.	महाराष्ट्र	4	6	3	1
22.	मणिपुर	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	0	4	2	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0
28.	पंजाब	5	2	1	0
29.	राजस्थान	0	41	4	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	0	2	1
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तरांचल	3	14	0	0
34.	उत्तर प्रदेश	216	1242	88	6
35.	पश्चिम बंगाल	1	49	28	1
	योग	268	1600	225	16

कंटेनर ट्रेलर्स द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन

1033. श्री विजय कृष्ण: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंटेनर टेलर्स मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कंटेनर ट्रेलर्स बड़ी संख्या में ऐसी दुर्घटनाओं में लिप्त होते हैं जिनमें लोगों की जान चली जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में कौन से निवारात्मक कदम उठाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार द्वारा ट्रैक्टर/ट्रक-ट्रेलर समन्वय सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम सकल वाहन भार और अधिकतम सुरक्षित धुरी भार निर्धारित किए गए हैं। इन भार सीमाओं को लागू करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा वाहन-वार सड़क दुर्घटना आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार कई इंजीनियरी और शैक्षिक उपाय कर रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता।

(3) श्रव्य-दृश्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार उपाय।

(4) चालक प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के प्रयोग को प्रोत्साहन।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रवर्त्तन।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता लाने की दृष्टि से सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानक कठोर बनाना।

(8) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके सुधार करना।

सरायघाट पुल

1034. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर सरायघाट पुल के उद्घाटन की तिथि क्या है;

(ख) क्या यह पुल बंद होने के कगार पर है; और

(ग) यदि हां, तो राजनीतिक रूप से इस महत्वपूर्ण लाईन को चालू रखने के लिए गुवाहाटी के निकट एक वैकल्पिक पुल के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दिनांक 16.1.1993 को गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर सरायघाट पुल का उद्घाटन किया गया था।

(ख) यह रेल व सड़क पुल है और रेलवे द्वारा इसका अनुरक्षण किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार, यह पुल बंद होने की कगार पर नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं

1035. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बदले प्रतिपूर्ति के आधार पर निजी चिकित्सकों की स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति देने संबंधी सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, नहीं। संसद सदस्य चिकित्सा सुविधाएं (संसद सदस्य) नियमावली, 1959 के अन्तर्गत कवर हैं जिसके अधीन वे उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों, जिनके मुख्यालय दिल्ली अथवा नई दिल्ली में हैं, के लिए उपलब्ध हैं। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना देश के विनिर्दिष्ट शहरों/क्षेत्रों को कवर करती है। इन क्षेत्रों में रह रहे केन्द्रीय कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कवर हैं। ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू नहीं की गई है, केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के अधीन कवर हैं जिसमें आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकृत परिचर की चिकित्सीय सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

एस.एस.आई. क्षेत्र में विदेशी निवेश

1036. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री नीतीश कुमार:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार एस.एस.आई. यूनिटों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एस.एस.आई. यूनिटों को क्या लाभ होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

1037. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बाजारों में बिकने वाली बहुत सी दवाएं अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) औषधों पर प्रतिबंध लगाने की वैश्विक रूप से स्वीकृत कोई एक समान प्रणाली नहीं है। किसी एक देश में रोक लगाई गई औषधों पर अन्य देशों में अनिवार्यत: रोक नहीं लगाई जाती है। किसी देश में किसी विशिष्ट औषध के प्रतिषेध की रिपोर्टों तथा प्रतिषेध के कारणों की जांच अन्य देशों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है तथा औषध पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई सभी लाभ जोखिम अनुपात तथा देश में इसकी अपेक्षाओं के विषय में देश में इसकी खुराक तथा अनुमत उपयोग की जांच करने के पश्चात की जाती है। उदाहरणार्थ, सिजाप्राइड तथा फेनाइल प्रोफनोलेमाइन जैसी औषधों का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिषेध है किन्तु बहुत से यूरोपीय देशों में इनका विपणन किए जाने की अनुमति है।

किसी देश में किसी विशेष औषध के प्रतिषेध के कारणों सहित प्रतिषेध की रिपोर्टों की जांच चिकित्सा विशेषज्ञों तथा उपलब्ध आंकड़ों की वैज्ञानिक जांच के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ नियुक्त विशेषज्ञ समितियों के साथ परामर्श करके की जाती है। औषध पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्णय सामान्यतया जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होता है, जो अनेक कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि किसी देश में रोग पैटर्न, किसी औषध के प्रति किसी नियत जनसंख्या के कुछ विशेष जाति समूहों की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया तथा अधिक सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता और किसी विशेष रोग के उपचार में निहित लागत कारक।

पत्तनों पर यातायात का संचालन

1038. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान विभिन्न पत्तनों द्वारा संचालित वार्षिक यातायात का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित लक्ष्यों तथा अब तक प्राप्त उपलब्धियों का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक पत्तन पर वर्ष 2002-2003 की तुलना में किए गए व्यय तथा सृजित आय का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वर्ष 2003 के दौरान पत्तन-वार हैंडल किए गए कार्गो, वर्ष 2004-2005 के दौरान कार्गो-यातायात के लक्ष्यों और अप्रैल से जून, 2004 तक की अवधि के दौरान कार्गो-यातायात से संबंधित लक्ष्यों के संदर्भ में रही उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है।

(मिलियन टन में)

पत्तन	वर्ष 2003-2004 के दौरान हैंडल किया गया कार्गो	वर्ष 2004-2005 का वार्षिक लक्ष्य	अप्रैल-जून, 2004 के दौरान रही कार्गो-यातायात से संबंधित उपलब्धि
कोलकाता	41.05	43.36	8.91
पारादीप	25.31	27.49	6.85
विशाखापट्टनम	47.74	49.56	11.00
इन्नोर	9.28	11.89	2.46
चेन्नई	36.71	39.18	9.29
तूतीकोरिन	13.68	14.20	3.75
कोचीन	13.57	14.07	3.43
नव मंगलूर	26.67	27.77	7.58
मुरगांव	27.88	28.78	6.49
जवाहरलाल नेहरू	31.18	36.11	8.25
मुम्बई	29.96	32.25	7.62
कांडला	41.52	42.31	10.15
योग	344.55	366.97	85.78

(ग) वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान अर्जित की गई पत्तन-वार आय और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

पत्तन	प्रचालनात्मक आय		प्रचालनात्मक आय		कुल आय		कुल व्यय	
	2003-04 (अनन्तिम)	2002-03	2003-04 (अनन्तिम)	2002-03	2003-04 (अनन्तिम)	2002-03	2003-04 (अनन्तिम)	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोलकाता	953.96	868.28	675.25	664.65	1010.38	927.20	897.10	855.96
पारादीप	398.60	381.22	237.63	211.79	412.10	406.55	308.33	327.66
विशाखापट्टनम	453.07	427.56	221.86	217.68	468.66	441.61	382.85	384.04
इन्नोर	85.64	76.87	38.92	23.78	87.32	78.05	90.15	70.92
चेन्नई	368.56	335.46	261.40	270.25	413.58	446.04	339.40	319.36
तूतीकोरिन	124.62	124.59	64.78	60.99	149.94	144.74	94.28	94.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोचीन	201.46	200.69	141.54	147.21	217.14	215.97	193.36	196.57
नव मंगलूर	223.10	202.41	108.11	96.03	236.97	215.04	178.63	159.81
मुरगांव	207.67	187.59	134.65	128.32	215.98	194.83	188.68	171.47
मुम्बई	511.46	458.92	503.70	430.99	544.88	913.44	761.67*	599.58
जवाहरलाल नेहरू	579.61	441.25	234.06	212.32	648.73	553.23	445.36	373.89
कांडला	210.71	211.98	165.97	139.72	387.65	374.41	297.58	202.34
योग	4318.46	3916.82	2787.87	2603.73	4793.33	4911.11	4177.39	3755.77

*मान्यता प्राप्त पेंशन-निधि में 210.00 करोड़ रु. के अभिदान सहित

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे की आबादी

1039. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे जिलों को चिन्हित किया है जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की सोच क्या है तथा उसके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाने वाले पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुमान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लगाता है। इस प्रकार का नवीनतम सर्वेक्षण 1999-2000 (एनएसएस 55वां दौर) में आयोजित किया गया था। अत: जिला स्तर पर गरीबी के अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1999-2000 के संबंध में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर एनएसएसओ के नवीनतम दौर से अनुमानित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या और अनुपात राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) का लक्ष्य मुख्य रूप से गंभीर अंतरालों को पाटने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में संकेंद्रित विकास कार्यक्रम हैं, जो असुतलनों को कम करने में मदद करेंगे, विकास को तेज करेंगे और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी कम करने के लिए इन क्षेत्रों की सहायता करेंगे।

विवरण

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की संख्या और प्रतिशतता 1999-2000

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63
9.	जम्मू और कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैंड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.58	20.55	024	22.11	0.82	20.99
27.	चंडीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादर और नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन और दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	अखिल भारत	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणियां:

1. असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू और कश्मीर के व्यय वितरण को जम्मू और कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा और नागर हवेली के व्यय वितरण का दादरा और नागर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया है।
7. गोवा का गरीबी अनुपात दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।
9. राजस्थान का शहरी गरीबी अनुपात अस्थायी माना जाए।

बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुराने पुल

1040. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों के उन पुलों की संख्या कितनी है जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार का पुराने पुलों पर यातायात के जमाव को कम करने के लिए इन पुराने पुलों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 202 ऐसे पुल हैं जिनका पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) से (घ) निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर पुलों का पुनर्निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 202 में से 97 पुलों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर 11 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और चालू वार्षिक योजना 2004-05 में 14 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। इन पुलों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

डी.एम. (रूमैटोलाजी) पाठ्यक्रम शुरू करना

1041. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से निजाम्स इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में डी.एम. (रूमैटोलाजी) का पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो पाठ्यक्रम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें संस्थान में डीएम-रूमैटोलाजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति मांगी गई है। यह प्रस्ताव मूल्यांकन करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद को भेजा गया था। भारतीय चिकित्सा परिषद ने कालेज का निरीक्षण करने के बाद अर्हता प्राप्त शिक्षण स्टाफ की अनुपलब्धता को देखते हुए वह पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश नहीं की। कमियों के बारे में संस्थान प्राधिकारी को सूचित कर दिया गया था। संस्थान प्राधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद को इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए कहा गया है। निजाम आयुर्विज्ञान को केन्द्र सरकार द्वारा डीएम-रूमैटोलाजी शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करना भारतीय चिकित्सा परिषद के मानकों और उन पर भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक आधारभूत ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

राजमार्गों पर उपरिपुल

1042. श्री कमला प्रसाद रावतः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन राजमार्गों पर उपरिपुल बनाने की कोई योजना है जहां से रेल लाइनें गुजरती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजमार्गों के नाम क्या हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां रेल लाइनों पर इन उपरि पुलों के निर्माण की संभावना है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफेदाबाद राजमार्ग पर कोई उपरिपुल बनाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रासिंग रेलवे लाइनों पर उपरि पुलों/निचले पुलों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के तहत निर्मित/स्वीकृत किए जाने वाले रेल उपरि पुलों/रेल निचले पुलों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I और II पर दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जिले में रा.रा. 28 पर सफेदाबाद के नजदीक रेलवे लाइन पर उपरि-पुल के निर्माण का प्रस्ताव है।

(घ) उपरि पुल का निर्माण, वर्ष 2005 के मध्य तक शुरू किए जाने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित रेल उपरि पुलों/रेल निचले पुलों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	रा.रा.सं.	निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए प्रस्तावित रेल उपरि पुल/रेल निचले पुल स्थान का नाम/स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	334/2 कि.मी. पर डीचेपल्ली के नजदीक
2.	आंध्र प्रदेश	7	378/1 कि.मी. पर पथरायण पेट के नजदीक
3.	आंध्र प्रदेश	7	312 कि.मी. पर मामीदीपल्ली के नजदीक
4.	आंध्र प्रदेश	7	35/30 कि.मी. पर (4 लेन का किया जाना)

1	2	3	4
5.	आंध्र प्रदेश	7	87/850 कि.मी. पर (4 लेन का किया जाना)
6.	आंध्र प्रदेश	7	196 कि.मी. पर हैदराबाद-बंगलौर खंड (नई 4 लेन)
7.	आंध्र प्रदेश	7	300/60 कि.मी. पर
8.	आंध्र प्रदेश	7	261/485 कि.मी. पर
9.	आंध्र प्रदेश	7	351/30 कि.मी. पर अनंतपुर बाइपास
10.	आंध्र प्रदेश	7	397/40 कि.मी. पर
11.	आंध्र प्रदेश	7	419/00 कि.मी. पर पेनुकोंडा बाइपास
12.	असम	37	209 कि.मी. पर धरमतुल से सोनपुर
13.	असम	31	1114 कि.मी. पर गुवाहाटी से नलबाड़ी
14.	असम	31	1084 कि.मी. पर गुवाहाटी से नलबाड़ी
15.	असम	31	1075 कि.मी. पर गुवाहाटी से नलबाड़ी
16.	असम	31	1029 कि.मी. पर गुवाहाटी से बिजनी
17.	असम	31सी	88 कि.मी. पर बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा
18.	असम	54	304/6 कि.मी. पर सिल्चर से उदारबंद से हरनगाजु
19.	असम	54	165 कि.मी. पर हरनगाजु से लांगटिंग
20.	असम	54	63 कि.मी. पर लांगटिंग से दाबोका
21.	असम	54	25 कि.मी. पर लांगटिंग से दाबोका
22.	असम	54	24 कि.मी. पर लांगटिंग से दाबोका
23.	असम	37	241 कि.मी. पर नौगांव से धरमातुल
24.	असम	37	262/725 कि.मी. पर नौगांव से धरमातुल (नौगांव बाइपास के आरंभ बिंदु से 0.7 कि.मी.)
25.	बिहार	28	369 कि.मी. पर गोपालगंज
26.	बिहार	28	453 कि.मी. पर पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
27.	बिहार	28	517 कि.मी. पर मुजफ्फरपुर
28.	गुजरात	8बी	75/690 कि.मी. पर उपलेता बाइपास
29.	गुजरात	8बी	175/386 कि.मी. पर राजकोट बाइपास (अतिरिक्त दो लेन)
30.	गुजरात	8ए	207/100 कि.मी. पर वांकनेर (सर्विस लेन के लिए नई दो लेन)

1	2	3	4
31.	गुजरात	8ए	210/700 कि.मी. पर वांकनेर के नजदीक (नई चार लेन)
32.	गुजरात	8ए	267/1 कि.मी. पर मालिया के नजदीक (अतिरिक्त दो लेन)
33.	गुजरात	8ए	271/742 कि.मी. पर मालिया के नजदीक (अतिरिक्त दो लेन)
34.	गुजरात	15	281/000 कि.मी. पर समखयाली जंक्शन के नजदीक (नई 4 लेन आर ओ बी, नया पुनसरिखण)
35.	गुजरात	15	217/400 कि.मी. पर
36.	गुजरात	15	161/200 कि.मी. पर
37.	गुजरात	14	394/700 कि.मी. पर
38.	गुजरात	14	330 कि.मी. पर
39.	कर्नाटक	7	517/800 कि.मी. पर अवाथी के नजदीक
40.	कर्नाटक	48	328 कि.मी. पर (अतिरिक्त दो लेन)
41.	कर्नाटक	48	334/345 कि.मी. पर (अतिरिक्त दो लेन)
42.	कर्नाटक	17	364 कि.मी. पर (अतिरिक्त दो लेन)
43.	कर्नाटक	7	508/120 कि.मी. पर चिंतामणी और चिकबालपुर के बीच
44.	केरल	47	पल्लाक्कड़ बाइपास (अतिरिक्त दो लेन)
45.	मध्य प्रदेश	76	604 कि.मी. पर
46.	मध्य प्रदेश	75	ग्वालियर बाइपास (2)
47.	मध्य प्रदेश	26	सागर बाइपास
48.	मध्य प्रदेश	26	केराली बाइपास
49.	मध्य प्रदेश	7	सीठनी बाइपास
50.	महाराष्ट्र	7	कांपटी बाइपास (2)
51.	महाराष्ट्र	7	23/5 कि.मी. पर बुतीबोरी
52.	महाराष्ट्र	7	37/4 कि.मी. पर नागपुर-अदिलाबाद खंड (4 लेन का किया जाना)
53.	महाराष्ट्र	7	76/235 कि.मी. पर हींगनघाट (नागपुर-अदिलाबाद खंड)
54.	पंजाब	1ए	(2)
55.	पंजाब	1ए	जम्मू बाइपस

1	2	3	4
56.	राजस्थान	14	283 कि.मी. पर
57.	राजस्थान	76	पिंडबाड़ा बाइपास
58.	राजस्थान	76	चित्तौड़गढ़ बाइपास
59.	राजस्थान	76	कोटा बाइपास
60.	राजस्थान	76	432 कि.मी. पर
61.	राजस्थान	76	बारन बाइपास
62.	तमिलनाडु	7	166/00 कि.मी. पर थोपुर के नजदीक (अतिरिक्त दो लेन)
63.	तमिलनाडु	47	20/4 कि.मी. पर मगुदानचाबादी के नजदीक (अतिरिक्त दो लेन)
64.	तमिलनाडु	47	23/2 कि.मी. पर मगुदानचाबादी के नजदीक (अतिरिक्त दो लेन)
65.	तमिलनाडु	47	डिंडीगुल बाइपास
66.	तमिलनाडु	7	449/100 कि.मी. पर मदुरै के नजदीक (अतिरिक्त दो लेन)
67.	तमिलनाडु	7	427/00 कि.मी. पर प्रस्तावित मदुरै बाइपास-समनयानालूर बी जी (0/29 नई श्रृंखला)
68.	तमिलनाडु	7	8/840 कि.मी. पर एम जी मदुरै-बोडी खंड
69.	तमिलनाडु	7	46/600 कि.मी. पर वीरदु नगर-क्वीलोन एन जी
70.	तमिलनाडु	7	142/676 कि.मी. पर मदुरै-तिरूनवेली बी जी
71.	तमिलनाडु	7	153/681 कि.मी. पर तिरूनवेली-तिरूचंदुर एम जी
72.	तमिलनाडु	7	169/977 कि.मी. पर तिरूनवेली नागेरक्वाइल बी जी
73.	तमिलनाडु	7	210/306 कि.मी. पर कावलकिनारो-तिरूनवेली-नागरक्वाइल बी जी
74.	तमिलनाडु	7	232/977 कि.मी. पर कन्याकुमारी-नागरक्वाइल बी जी
75.	उत्तर प्रदेश	25	झांसी बाइपास (इंदौर-ग्वालियर)
76.	उत्तर प्रदेश	25	झांसी बाइपास (झांसी-कानपुर)
77.	उत्तर प्रदेश	25	120 कि.मी. पर परीछा
78.	उत्तर प्रदेश	25	उरई बाइपास
79.	उत्तर प्रदेश	2 व 3	आगरा बाइपास (4)
80.	उत्तर प्रदेश	26	झांसी बाइपास (1)

1	2	3	4
81.	उत्तर प्रदेश	28	20/45 कि.मी. पर सफेदाबाद (बाराबंकी के नजदीक)
82.	उत्तर प्रदेश	28	रोनजागांव
83.	उत्तर प्रदेश	28	1/250 कि.मी. पर फैजाबाद
84.	उत्तर प्रदेश	28	2 कि.मी. पर फैजाबाद बाइपास
85.	उत्तर प्रदेश	28	11/600 कि.मी. पर फैजाबाद बाइपास
86.	उत्तर प्रदेश	28	200/838 कि.मी. पर बस्ती बाइपास
87.	उत्तर प्रदेश	28	244/2 कि.मी. पर सिहापर हाल्ट
88.	उत्तर प्रदेश	28	रामनगर करजाहन (गोरखपुर बाइपास पर एक नया पुनर्संरेखण)
89.	उत्तर प्रदेश	2	188/479 कि.मी. पर इलाहाबाद बाइपास (इलाहाबाद-रायबरेली)
90.	उत्तर प्रदेश	2	199/810 कि.मी. पर इलाहाबाद बाइपास (इलाहाबाद-प्रतापगढ़)
91.	उत्तर प्रदेश	2	209/075 कि.मी. पर इलाहाबाद बाइपास (इलाहाबाद-जौनपुर)
92.	उत्तर प्रदेश	2	241/000 कि.मी. पर इलाहाबाद बाइपास (इलाहाबाद-वाराणसी)
93.	पश्चिम बंगाल	2	पानागढ़
94.	पश्चिम बंगाल	31सी	215/2 कि.मी. पर (4 लेन का किया जाना)
95.	पश्चिम बंगाल	31	623/05 कि.मी. पर गैरीकत्ता से सिलीगुड़ी (माल बाइपास के आरंभ बिंदु से 3.7 कि.मी.)
96.	पश्चिम बंगाल	31	615/48 कि.मी. पर गैरीकट्टा से सिलीगुड़ी
97.	पश्चिम बंगाल	31	603/55 कि.मी. पर गैरीकट्टा से सिलीगुड़ी
98.	पश्चिम बंगाल	31	591/500 कि.मी. पर गैरीकट्टा से सिलीगुड़ी (सिवोक बाइपास के आरंभ बिंदु से 2.1 कि.मी.)
99.	पश्चिम बंगाल	31	574 कि.मी. पर सिलीगुड़ीसे इस्लामपुर
100.	पश्चिम बंगाल	31	567 कि.मी. पर सिलीगुड़ी से इस्लामपुर
101.	पश्चिम बंगाल	31	563 कि.मी. पर सिलीगुड़ी से इस्लामपुर
102.	पश्चिम बंगाल	31	529 कि.मी. पर सिलीगुड़ी से इस्लामपुर

विवरण II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित रेल उपरि पुलों/रेल निचले पुलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	रा.रा.सं.	निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए प्रस्तावित रेल उपरि पुल/रेल निचले पुल स्थान का नाम/स्थिति
1.	गुजरात	59	138/0-2 कि.मी. पर
2.		59	144/6-8 कि.मी. पर
3.		8डी	0/0-2/14 कि.मी. पर
4.		8डी	25/2-26/5 कि.मी. पर
5.	हरियाणा	71	रेवाड़ी में 57बी लेबल क्रासिंग पर रेवाड़ी-झज्जर रोड पर आर ओ बी (रेवाड़ी-दिल्ली लाइन)
6.	कर्नाटक	63	340/800 कि.मी. पर
7.		206	149/580 कि.मी. पर
8.	केरल	17	इडापल्ली आर ओ बी
9.		47	अलुपझा आर ओ बी (2)
10.	पंजाब	64	संगरूर में लेबल क्रासिंग सं. 66ए

[अनुवाद]

केरल में आयुर्वेद उद्यान की स्थापना

1043. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में आयुर्वेद उद्यान की स्थापना के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) कोजिकोड में आयुर्वेद पार्क स्थापित करने के संबंध में केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। क्योंकि ऐसे प्रस्ताव को वित्तीय सहायता देने के संबंध में कोई स्कीम नहीं थी, इसलिए, केरल सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया।

[हिन्दी]

सूरत में प्रधान डाकघर भवन का निर्माण

1044. श्री काशीराम राणा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूरत में प्रधान डाकघर भवन के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि स्वीकृत की गई है;

(ग) 30 जून, 2004 तक प्रतिशत के रूप में कितना कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) निर्धारित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) महोदय, सूरत (नानपुरा) में

प्रधान डाकघर भवन का निर्माण कार्य 30.6.2004 को पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के केमिस्टों की हड़ताल

1045. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना द्वारा अनुमोदित केमिस्टों द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़तालों के कारण के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों विशेषकर पेंशनभोगियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी हैं;

(ख) क्या लाभार्थियों को दुकानों से दवा खरीदने तथा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जिसमें महीनों लग जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केमिस्टों द्वारा बार-बार हड़ताल करने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। तथापि, यदि विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई कोई औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं हो तो उसे व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों, जिनके साथ संबद्ध कोई प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट नहीं है तो, के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों को खुले बाजार से औषधों की खरीद की अनुमति दी जाती है जिसके लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों (के.स.स्वा.यो. पेंशनर कार्डधारक), जिन्हें खुले बाजार से औषधों की खरीद करने की अनुमति दी गई है, के बिलों की प्रतिपूर्ति का अधिकार सरकार द्वारा के.स.स्वा.यो. के संबंधित अपर निदेशकों/संयुक्त निदेशकों को पेंशनरों के लिए भुगतान तेज करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि उन्हें असुविधा न हो।

(घ) प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों द्वारा की गई हड़तालों का कारण के.स.स्व.यो. निदेशालय द्वारा उनके बिलों का देर से भुगतान किया जाना है।

जहां तक के.स.स्व.यो. द्वारा बिलों का भुगतान स्थानीय केमिस्ट को किए जाने का संबंध है, के.स.स्वा.यो. उनके बिलों पर कार्रवाई करना तब आरंभ करती है जब इसे अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक के कार्यालय में प्राप्त कर लिया जाता है। आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद केमिस्ट को भुगतान, निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है। कभी-कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के करीब निधियों की कमी के कारण के.स.स्वा.यो. के प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के बिलों की स्वीकृति के लिए अतिरिक्त निधियां मांगी जाती हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा विकृत प्रकाशन

1046. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के अनेक प्रकाशनों में गुजरात के जुनागढ़ तथा मानवाडर क्षेत्रों को 'विवादित पाकिस्तानी क्षेत्र' के रूप में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की सत्यता या यह अन्यथा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकें और दस्तावेज भारत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में कई गलितयों और विकृतियों के लिए जानी जाती है।

(ग) पाकिस्तान को भारत की इस दृढ़ तथा निरन्तर दृष्टिकोण एवं यथार्थ की भली भांति जानकारी है कि जूनागढ़ और मानवाडर भारत के अभिन्न अंग हैं।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

1047. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश को दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने हेतु देशी परमाणु ईंधन स्रोतों के आधार पर तीन स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रधान मंत्रालय कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) त्रि-चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है:

* पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन चालित दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआरज)।
* दूसरे चरण में यूरेनियम-प्लूटोनियम ईंधन चक्र का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
* तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करने के लिए ब्रीडर रिएक्टर।

इस कार्यक्रम में तीनों चरणों में ईंधन चक्र का आपसी संबंध है और इन्हें क्रमानुसार चलाना होगा।

(ग) देश में 14 परमाणु विद्युत रिएक्टर प्रचालनरत हैं जिनमें से 12 दाबित भारी पानी रिएक्टर हैं। इनके अतिरिक्त, 9 विद्युत रिएक्टर निर्माणाधीन हैं जिनमें से 6 दाबित भारी पानी रिएक्टर हैं। भारत ने इस कार्यक्रम के पहले चरण में परिपक्वता हासिल कर ली है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारम्भ वर्ष 2003 में तमिलनाडु में कलपाक्कम नामक स्थल पर 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) का निर्माण कार्य शुरू करके दी गई है। इस कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरूवात दूसरे चरण के रिएक्टरों की पर्याप्त आधार क्षमता स्थापित करने के बाद ही की जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में खराब साफ-सफाई

1048. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खराब साफ-सफाई के कारण सरकारी अस्पतालों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से निवारणात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व संबद्ध अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि में खराब साफ-सफाई के कारण संक्रमण का कोई मामला सूचित नहीं किया गया। सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण समितियां हैं जो अस्पताल उपार्जित संक्रमणों के निवारण का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। ये समितियां अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में अस्पताल संक्रमण की व्यापकता की नियमित मानिटरिंग और समीक्षाएं करती हैं और अस्पताल उपार्जित संक्रमणों के निवारण और नियंत्रण के लिए उपयुक्त तरीकों के बारे में सुझाव देती हैं। पर्यावरण और निर्जीवाणुता उपायों की निगरानी की जाती है। संक्रमण नियंत्रण प्रेक्टिस से संबंधित सभी एहतियाती उपाय करने के लिए अस्पताल कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। अस्पताल अपशिट का निपटान जैव-चिकित्सा (प्रबन्धन और रख रखाव) नियमावली, 1998 में अन्तर्विष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

स्वास्थ्य, राज्य का विषय है, अत: यह संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने अस्पतालों में खराब साफ-सफाई के कारण संक्रमण के मामलों की संख्या को कम करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 पर कार्य

1049. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 के खड़गपुर-बालासोर खंड पर कितना कार्य किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 में सुधार तथा चौड़ा करने संबंधी कार्य तथा उस खंड पर स्थित पुलों संबंधी कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज घटक के एक हिस्से के रूप में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रा.रा. 60 के बालासोर-खड़गपुर हिस्से को 4/6 लेन के लिए विकसित कर रहा है।

(ख) उक्त कार्य पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 475.78 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

(ग) इस कार्य को जून, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. में भर्ती

1050. श्री संतोष गंगवार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.एस.एन.एल. के उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान समूह "ग" और "घ" में की गई प्रत्यक्ष भर्ती के उम्मीदवारों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) बी.एस.एन.एल. के उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल में गत दो वर्षों के दौरान अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त मण्डल में गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क)

वर्ष	समूह ग	समूह घ
2001-02	शून्य	शून्य
2002-03	शून्य	शून्य
2003-04	109	शून्य

(ख)

2002-03	86
2003-04	23

(ग)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
2001-02	शून्य	शून्य	शून्य
2002-03	26	शून्य	13
2003-04	26	02	26

भूमि अधिग्रहण

1051. श्री परसुराम माझी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुर्धा मार्ग से आंध्र प्रदेश की सीमा तक तथा बालासोर से पश्चिम बंगाल की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को चार लेन का बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

1052. श्री तथागत सत्पथी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इससे अवगत है कि उनमें से कुछ क्षतिग्रस्त हैं और उन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके लिए अपेक्षित धनराशि कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किया गया आबंटन कितना है; और

(ङ) सभी क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्निर्माण अथवा उन्नयन कब तक होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उड़ीसा में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग (सं. 5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75 का विस्तार, 200, 201, 203, 203 का विस्तार, 203ए, 215, 217 और 224) हैं जिनकी कुल लंबाई 3603 कि.मी. है। इनमें फरवरी, 2004 में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 का विस्तार, 203 का विस्तार, 203ए और 224 शामिल हैं जिनकी लंबाई लगभग 403 कि.मी. है लेकिन इन्हें अभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में सौंपा जाना है।

(ख) और (ग) उपलब्ध धनराशि के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। उड़ीसा में वर्ष 1997 में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों विशेषत: रा.रा. सं. 200, 201, 215 और 217 की मोटाई और चौड़ाई अपर्याप्त है और उनके बार-बार अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

(घ) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु.)	
	विकास कार्य	अनुरक्षण और मरम्मत कार्य
2001-2002	60.00	48.88
2002-2003	44.00	42.37
2003-2004	68.00	42.57

अनुरक्षण धनराशि आवश्यकता की लगभग 40% है और विकास कार्यों की धनराशि स्वीकृति के अनुरूप है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं अनुरक्षण और उनका उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है।

आंध्र प्रदेश में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1053. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री मधुसूदन रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उन डाकघरों की संख्या कितनी है जहां कम्प्यूटरों को स्थापित कर दिया गया है और कम्प्यूटर द्वारा पंजीकरण आरम्भ हो गया है;

(ख) जिले-वार कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ग) वे डाकघर कौन से हैं जिनको चालू वित्त वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए जाने का प्रस्ताव है और वे कम्प्यूटर द्वारा पंजीकरण आरम्भ कर देंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के 9 डाकघरों में कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं और इन डाकघरों में कंप्यूटरों के माध्यम से पंजीकरण (अर्थात् काउंटर प्रचालन) शुरू कर दिया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश में अब तक 111 डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और कम्प्यूटरीकृत डाकघरों के जिलेवार नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में 61 डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि धन उपलब्ध रहे तथा आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो।

विवरण

आंध्र प्रदेश सर्किल में कम्प्यूटरीकृत डाकघर

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघरों के नाम
1	2	3
1.	आदिलाबाद	1. आदिलाबाद, प्रधान डाकघर
		2. मांचेरियल, प्रधान डाकघर
2.	अनंतपुर	3. अनंतपुर, प्रधान डाकघर
		4. गुंटकल, प्रधान डाकघर
		5. हिन्दुपुर, प्रधान डाकघर
		6. धर्मावरम, प्रधान डाकघर
		7. प्रशान्तिनिलयम, प्रधान डाकघर
3.	चित्तूर	8. चित्तूर, प्रधान डाकघर

1	2	3
		9. तिरूपति, प्रधान डाकघर
		10. मदनपल्लि, प्रधान डाकघर
		11. श्रीकालहस्ति, प्रधान डाकघर
		12. चन्द्रगिरि, प्रधान डाकघर
4.	कुड्डप्पा	13. कुड्डप्पा, प्रधान डाकघर
		14. प्रोद्दातूर, प्रधान डाकघर
		15. राजमपेठ, प्रधान डाकघर
5.	पूर्व गोदावरी	16. राममुंद्री, प्रधान डाकघर
		17. रामचन्द्रपुरम, प्रधान डाकघर
		18. अमलपुरम, प्रधान डाकघर
		19. काकीनाडा, प्रधान डाकघर
		20. समालकोट, प्रधान डाकघर
6.	गुंटूर	21. गुंटूर, प्रधान डाकघर
		22. तेनाली, प्रधान डाकघर
		23. गुंटूर कलेक्टरेट, उप डाकघर
		24. कोठापेट उप डाकघर
		25. गुंटूर बाजार, उप डाकघर
7.	हैदराबाद	26. हैदराबाद, जीपीओ
		27. खैरताबाद, प्रधान डाकघर
		28. काजीगुडा स्टेशन, प्रधान डाकघर
		29. सिकन्दराबाद, प्रधान डाकघर
		30. हैदराबाद जुबली, प्रधान डाकघर
		31. सनत नगर, आई ई उप डाकघर
		32. बेगम बाजार, उप डाकघर
		33. हिमायत नगर, उप डाकघर
		34. पुतलीबावली, उप डाकघर
		35. सचिवालय, उप डाकघर
		36. बंजारा हिल्स, उप डाकघर
		37. मुशीराबाद, उप डाकघर
		38. बेगमपेट, उप डाकघर
		39. किंग्सवे, उप डाकघर
		40. जामा-ए-उस्मानिया, उप डाकघर
		41. न्यू नल्लकुंटा, उप डाकघर
		42. हाई कोर्ट, उप डाकघर
		43. मालकपेट कालोनी, उप डाकघर
		44. लालगुडा, उप डाकघर
		45. रेलनिलयम, उप डाकघर
		46. हिम्मतनगर, उप डाकघर
		47. नेहरू नगर, उप डाकघर
		48. हैदराबाद हवाई अड्डा, उप डाकघर
		49. परिश्रम भवन, उप डाकघर
		50. एलआईसी डिवीजन, उप डाकघर
		51. हुमायूं नगर, उप डाकघर
		52. विजयनगर कालोनी, उप डाकघर
		53. एस आर नगर, उप डाकघर
		54. श्रीनगर कालोनी, उप डाकघर
		55. जुबली हिल्स, उप डाकघर
8.	करीमनगर	56. करीमनगर, प्रधान डाकघर
		57. पेद्दापल्लि, प्रधान डाकघर
		58. जगीतियाल, प्रधान डाकघर
		59. सिरसिला, उप डाकघर
9.	खम्माम	60. खम्माम, प्रधान डाकघर
		61. कोठगुदम कोलियरी, प्रधान डाकघर
		62. भद्राचलम प्रधान डाकघर

1	2	3
10.	कृष्णा	63. मच्छली पट्टनम, प्रधान डाकघर
		64. विजयवाड़ा, प्रधान डाकघर
		65. बकिंगमपेट, प्रधान डाकघर
		66. वेंकटेश्वरपुरम, उप डाकघर
		67. गांधीनगर, उप डाकघर
		68. मछवरम, उप डाकघर
		69. विजयवाड़ा रेलवे जंक्शन, उप डाकघर
11.	कुर्नूल	70. कुर्नूल, प्रधान डाकघर
		71. नांदियल, प्रधान डाकघर
12.	महबूबनगर	72. महबूब नगर, प्रधान डाकघर
		73. गदवाल, प्रधान डाकघर
		74. वानपार्थी, प्रधान डाकघर
13.	मेडक	75. मेडक, प्रधान डाकघर
		76. सिद्दिपेट, प्रधान डाकघर
		77. संगारेड्डी, प्रधान डाकघर
		78. रामचन्द्रपुरम एच ई, उप डाकघर
		79. जहीराबाद, प्रधान डाकघर
14.	नलगोंडा	80. नलगोंडा, प्रधान डाकघर
		81. भोंगीर, प्रधान डाकघर
		82. सूर्यापेट, प्रधान डाकघर
		83. मिरियालगुडा, प्रधान डाकघर
15.	नेल्लूर	84. नेल्लूर, प्रधान डाकघर
		85. गुडूर, प्रधान डाकघर
		86. एसएचएआर, प्रधान डाकघर
16.	निजामाबाद	87. निजामाबाद, प्रधान डाकघर
		88. कामरेड्डि, प्रधान डाकघर
		89. आरमूर, प्रधान डाकघर
17.	प्रकासम	90. ओंगोल, प्रधान डाकघर
		91. चिराला, प्रधान डाकघर
18.	रंगारेड्डि	92. पी एण्डी टी कालोनी, उप डाकघर
		93. वनस्थलिपुरम, उप डाकघर
		94. त्रिमूलघेरी, प्रधान डाकघर
		95. ईसीआईएल, उप डाकघर
		96. बालानगर टीएस, उप डाकघर
		97. कुकटपतल्ली, उप डाकघर
		98. आई डी ए जीडीमेतला, उप डाकघर
19.	श्रीकाकुलम	99. श्रीकाकुलम, प्रधान डाकघर
		100. तेक्काली, प्रधान डाकघर
20.	विशाखापट्टनम	101. विशाखापट्टनम, प्रधान डाकघर
		102. वालटेयर आर एस, प्रधान डाकघर
		103. गाजुवाका, उप डाकघर
		104. नौसेना बेस उप डाकघर
		105. अनकापल्लि, प्रधान डाकघर
21.	विजयनगरम	106. विजयनगरम, प्रधान डाकघर
		107. पार्वतिपुरम, प्रधान डाकघर
22.	वारंगल	108. वारंगल, प्रधान डाकघर
		109. हनमकोंडा, प्रधान डाकघर
		110. महबूबाबाद, प्रधान डाकघर
23.	पश्चिम गोदावरी	111. इलूरू, प्रधान डाकघर

[हिन्दी]

मोबाइल फोन सुविधा

1054. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुर्गम पिछड़े क्षेत्रों और सुदूर ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को उपग्रह के माध्यम से सुविधा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उत्तरांचल के दुर्गम, पिछड़े और सुदूर ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों के जिले-वार मोबाइल फोन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) वे स्थान कौन से हैं जहां मोबाइल फोन टावरों को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) इन लोगों को मोबाइल फोन सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड के रूरल नेटवर्क (आरएन) सैल की उपग्रह माध्यम के द्वारा अगम्य, पिछड़े एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है। ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपनी मोबाइल सेवाएं जिला मुख्यालयों तक विस्तारित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इसका विस्तार तहसील मुख्यालय तक करने की योजना बनायी है। यद्यपि, सुदूर क्षेत्रों को विशेष रूप से कवर नहीं किया जाता, तथापि, बीएसएनएल ने व्यापक राजमार्ग योजनाओं के तहत राजमार्गों के साथ लगने वाले सुदूर क्षेत्रों को भी कवर किया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत संचार निगम उन नगरों में यह सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	उपग्रह माध्यम पर कवर किए जाने वाले गांवों की सं.
1	2	3
1.	असम	285
2.	झारखण्ड	1686
3.	हिमाचल प्रदेश	277
4.	जम्मू और कश्मीर	644
5.	छत्तीसगढ़	92
6.	पूर्वोत्तर-I	1487
7.	पूर्वोत्तर-II	3769
8.	उड़ीसा	4899
9.	उत्तरांचल	3548
10.	पश्चिम बंगाल	53
	जोड़	16740

विवरण II

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बीएसएनएल द्वारा नगरों में मोबाइल फोन सुविधा हेतु कवरेज के ब्यौरे

क्र.सं.	कवर किए जाने हेतु प्रस्तावित नगर/शहर का नाम	जिला
1.	भीमताल	नैनीताल
2.	जसपुर, गदरपुर	उधमसिंह नगर
3.	भागरथीपुरम	टेहरी
4.	पुरोला, बारकोट, ब्रास्मखल राडी, रानाचट्टी और जानकीचट्टी	उत्तरकाशी
5.	तिलवारा, अगस्तुमन्नी, गुप्तकाशी, गौरीकुंड	रूद्रप्रयाग

[अनुवाद]

पत्तनों का कार्य निष्पादन

1055. श्री अनन्त नायक: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों की वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न प्रमुख पत्तनों के क्रिया-कलापों का नवीनीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो पारादीप पत्तन के संबंध में उठाए गए विशिष्ट कदम क्या हैं; और

(ङ) दसवीं योजना अवधि के दौरान इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रम क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय एवं प्रचालनात्मक निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समुद्री व्यापार की मांग पूरी करने की दृष्टि से महापत्तनों को आधुनिकीकृत करना सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, पारादीप-पत्तन न्यास के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नई स्कीमों के लिए 159.49 करोड़ रु. के परिव्यय का बंटवारा किया गया है:-

क्र.सं.	परियोजना	दसवीं योजना परिव्यय (करोड़ रु. में)
(1)	वार्फ क्रेन की खरीद	1.00
(2)	लाइटरेज बर्थ का निर्माण	12.00
(3)	ब्रेकवाटर का विस्तार	20.00
(4)	नये डाक-क्षेत्र में कार्गो बर्थ का निर्माण	1.00
(5)	मार्ग को गहरा करना	99.99
(6)	विद्यमान लौह अयस्क हैंडलिंग संयंत्र में दूसरी स्ट्रीम को शामिल करना	10.00
(7)	फ्लोटिंग क्राफ्टों का प्रतिस्थापन	3.50
(8)	वार्फ क्रेन का प्रतिस्थापन	12.00
	योग	159.49

उपर्युक्त के अलावा दो प्रस्ताव हैं, जिनमें से एक क्लीन कार्गो के लिए बर्थ के निर्माण के बारे में है तथा दूसरा बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित करो (बी ओ टी) के आधार पर लौह अयस्क के लिए गहरे ड्राफ्ट बर्थ के निर्माण के बारे में है।

विवरण

I. **महापत्तनों का वित्तीय निष्पादन**
(प्रचालनात्मक अधिशेष)

(करोड़ रु. में)

पत्तन का नाम	2001-02	2002-03	2003-04**
1	2	3	4
कांडला	74.72	72.26	44.74
मुम्बई	17.16	27.93	7.76

1	2	3	4
जवाहरलाल नेहरू	164.82	228.94	345.55
मुरगांव	54.84	59.27	73.02
नव मंगलूर	86.32	106.38	114.99
कोचीन	31.33	53.47	59.92
तूतीकोरिन	58.96	63.60	59.84
चेन्नई	63.03	65.21	107.16
विशाखापत्तनम	171.34	209.88	231.21
पारादीप	96.30	169.43	160.97
कोलकाता	449.87	203.63	278.71
इन्नोर पत्तन लि.	26.68*	67.41	46.72

II. प्रचालन निष्पादन

क. महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया कार्गो यातायात (2000-01 से 2002-03)

(मिलियन टन में)

	2001-02	2002-03	2003-04**
1	2	3	4
कांडला	37.73	40.63	41.52
मुम्बई	26.43	26.80	29.96
जवाहरलाल नेहरू	22.52	26.84	31.18
मुरगांव	22.93	23.65	27.88
नव मंगलूर	17.50	21.43	26.67
कोचीन	12.06	13.00	13.57
तूतीकोरिन	13.02	13.29	13.68
चेन्नई	36.12	33.69	36.71
विशाखापत्तनम	44.34	46.01	47.74
पारादीप	21.13	23.90	25.31

1	2	3	4
कोलकाता	5.37	7.20	8.69
हल्दिया	25.03	28.60	32.36
इन्नोर पत्तन लि.	3.40*	8.49	9.28
योग	287.58	313.53	344.55

*22 जून, 2001 से 31 मार्च, 2002 (उपर्युक्त कम्पनी ने 22.6.2001 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ किया)

**अनंतिम

ख. वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2002-2003 तक की अवधि में चुनिंदा पत्तनों के कार्य-निष्पादन के निदर्शक

पत्तन का नाम	एवरेज प्री-बर्थिंग डिटेन्शन (आन पोर्ट ए/सी) (घंटों में)			एवरेज टर्न-राउंट टाइम (दिनों में)			एवरेज आउट-पुट बर्थवे (टन में)		
	2001-02	2002-03	2003-04**	2001-02	2002-03	2003-04**	2001-02	2002-03	2003-04**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कांडला	21.36	16.80	11.06	6.55	5.94	5.06	7761	8862	8659
मुम्बई	7.68	3.60	3.64	5.47	5.06	4.07	3994	5170	5911
जवाहरलाल नेहरू	10.08	11.76	8.24	2.34	2.28	1.85	7437	8226	9845
मुरगांव	32.16	19.92	26.71	2.04	1.94	4.47	14957	15370	16746
नव मंगलूर	5.99	4.41	3.07	2.73	2.37	2.35	12528	15939	17955
कोचीन	4.20	1.67	4.02	2.37	2.19	2.22	5984	6837	7799
तूतीकोरिन	10.56	7.20	1.60	4.11	3.59	2.52	3900	4403	5084
चेन्नई	26.00	4.30	0.91	5.30	3.70	4.85	7030	8416	9517
विशाखापत्तनम	5.76	3.12	1.18	3.51	3.72	3.33	10772	10591	11712
पारादीप	11.04	10.32	5.14	3.99	3.37	3.43	8831	10763	10257
कोलकाता	0.24	0.07	0.07	4.71	4.47	4.29	2215	2889	3384
हल्दिया	3.84	3.60	3.43	4.01	3.02	2.84	6438	7531	8280
इन्नोर पत्तन लि.*	9.98	1.56	1.66	3.62	2.24	2.11	16742	26779	32777
योग	11.53	6.90	4.86	4.24	3.69	3.45	7158	8455	9079

*22.6.2001 से प्रचालन

**अनंतिम

खसरा वैक्सीन की कम आपूर्ति

1056. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राथमिक केन्द्रों में खसरे की वैक्सीन समाप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रस्तावित/उठाए गए सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इराक में मारे गए भारतीय

1057. श्री मोहन सिंह:
श्री मधुसूदन रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमेरिका द्वारा इराक पर गिराये गए बमों से मरने वालों में कुछ भारतीय भी थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इराक में कार्यरत भारतीयों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उनकी सुरक्षा से संबंधित मुद्दा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सरकार को ईराक में अमरीका द्वारा की गयी बमबारी में भारतीयों की मृत्यु की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी अनुमानत: 5052 भारतीय के इराक में कार्यरत होने की जानकारी है।

(घ) और (ङ) इराक में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा के मामले को बगदाद, कुवैत और जोर्डन स्थित हमारे मिशनों द्वारा सीधे अथवा स्थानीय अमरीकी मिशन के जरिए उनके नियोक्ताओं के साथ उठाया जाता रहा है। नियोक्ताओं ने हमारे मिशनों को इराक में कार्यरत भारतीय कर्मियों के लिए पर्याप्त बीमा और सुरक्षा व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। बगदाद स्थित हमारे मिशन के कार्मिक भारतीय मजदूरों से मिलने तथा सुरक्षा सहित उनकी अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए समय-समय पर उनके शिविरों का दौरा करते हैं। बगदाद स्थित मिशन में भी व्यवस्था है कि वहां 50 भारतीय मजदूरों को एक समय में आश्रय दिया जा सके। बगदाद, अम्मान और जोर्डन स्थित हमारे मिशन भारतीय मजूदरों की सुरक्षा और हित कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनके संपर्क में हैं।

[अनुवाद]

एस.एस.आई. उद्योग को प्रोत्साहन

1058. श्री के.एस. राव: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वर्ष 2004-05 में निर्धारित धनराशि कितनी है;

(घ) क्या हाल ही में लघु उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याएं/मांगें क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) लघु उद्योग क्षेत्र (एस एस आई) का संवर्धन तथा विकास करने में सरकार की जागरूक अप्रोच रही है। तदनुसार सरकार लघु उद्योग की समस्याओं को दूर

करने पर बल देना जारी रख रही है जैसा कि समय-समय पर घोषित विभिन्न उपायों से स्पष्ट है। सरकार ने अगस्त, 2000 में लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए तथा इसकी घरेलू एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की। जो अन्य बातों के साथ ऋण तक सरल पहुंच, 25 लाख रुपए तक के समपार्श्विक मुक्त संयुक्त ऋणों की उपलब्धता, विपणन सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा सुधरी हुई आधारिक संरचना के पूंजीगत राजसहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी विभिन्न उपायों/प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिसमें बैंकों को उनके प्राइम लैंडिंग रेट (पी एल आर) से 2% अधिक या कम के बैंड में लघु उद्योगों को ऋण देने के निदेश, लघु उद्यमी कार्ड स्कीम लागू करना, हाई टैक तथा निर्यातोन्मुखी मदों के मामले में निवेश सीमा में चयनात्मक वृद्धि ताकि लघु उद्योग सफलता-पूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें।

(ग) इस संबंध में वर्ष 2004-05 के लिए 428.00 करोड़ रुपए की राशि उद्दिष्ट की गई है।

(घ) से (च) जी, हां। लघु उद्योग बोर्ड की 48वीं बैठक जिसमें केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थान, लघु उद्योग के राज्य/संघ शासित प्रदेशों के मंत्री, केन्द्र/राज्य स्तरीय औद्योगिक संघ इत्यादि शामिल हैं, 17 जनवरी, 2004 को हुई। इसमें उठाई गई समस्याएं क्रेडिट, नियमों, विनियमों के सरलीकरण, विपणन, आधुनिकीकरण तथा आधारिक संरचना से संबंधित हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन तथा विकास के लिए सहायता उपायों को अभिकल्पित करते हुए स्टेकहोल्डर्स द्वारा व्यक्त की गई समस्याओं, चिन्ताओं को ध्यान में रखा गया।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी कारावासों से सिविल भारतीय बंधकों को छोड़ना

1059. **श्री अविनाश राय खन्ना:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें सभी सिविल भारतीय बंधकों को निश्चित समय-सीमा में छोड़ा जाना है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इस समझौते को अवस्थिति क्या है; और

(ग) इन बंधकों को कब तक छोड़े जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 27-28 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-पाकिस्तान विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान सहमति हुई कि "नागरिक कैदियों की शीघ्र रिहाई के लिए उपाय किये जाएंगे।"

(ग) नागरिक कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में कैदियों को कोंसली सहायता प्रदान करना शामिल है। कोंसली संपर्क के दौरान एकत्र की गयी जानकारी के आधार पर उनकी सरकारों द्वारा उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की जाती है। राष्ट्रीयता की पुष्टि किये जाने और जेल की अवधि पूरा करने के बाद कैदियों को रिहा करके वापस भेजा जाता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

1060. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की बुरी स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत पर 2003-2004 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उक्त धनराशि खर्च की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महाराष्ट्र में फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़क को छोड़कर वर्ष 2003-04 के दौरान संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण और रखरखाव पर 5559.84 लाख रु. व्यय किए गए हैं। उन जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनसे राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।

विवरण

क्र.सं.	जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.
1.	थाणे	3
2.	रायगढ़	4बी, 4सी, 17
3.	रत्नागिरि	17, 204
4.	सिंधु दुर्ग	17
5.	नासिक	3, 50
6.	धुले	3, 6, 211
7.	जलगांव	6, 211
8.	नंदुरबार	6
9.	अहमदनगर	50
10.	उस्मानाबाद	9, 211
11.	पुणे	9, 50
12.	शोलापुर	9, 13
13.	सांगली	4
14.	सतारा	4
15.	कोल्हापुर	204
16.	बीड	211
17.	जालना	211
18.	औरंगाबाद	211
19.	गोंडिया	6
20.	भंडारा	6
21.	नागपुर	6, 7, 69
22.	वर्धा	6, 7
23.	अमरावती	6
24.	अकोला	6
25.	बुलदाना	6
26.	यवतमाल	7

[हिन्दी]

मोबाइल फोन सेवा

1061. श्री रामदास बंडु आठवले:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री वीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई भागों में मोबाइल फोन सेवा अभी तक उपलब्ध/आरम्भ नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनके लिए मोबाइल सेवा को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) इन क्षेत्रों में उक्त सेवाओं को आरम्भ न करने के क्या कारण हैं;

(घ) देश के शेष भागों में इस सुविधा को कब तक उपलब्ध करवाये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इसके लिए आबंटित धनराशि कितनी है और इस संबंध में अपेक्षित उपस्करों की स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) लाइसेंसदाता के रूप में दूरसंचार विभाग ने पूरे देश में मोबाइल सेवा प्रदान करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड तथा विभिन्न अन्य निजी प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। अत: अन्त: स्थक्षेत्र (बफर जोन) अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 10 कि.मी. के भीतर आने वाले जिलों को छोड़कर देश के सभी जिलों के लिए मोबाइल सेवाएं अनुमोदित की गई हैं। 30.06.2004 की स्थिति के अनुसार देश के 593 जिला मुख्यालयों में से 569 जिला मुख्यालयों में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदान की गई है। शेष जिले अधिकांशत: अंत:स्थक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा विभिन्न प्रचालकों द्वारा इन जिलों में भी उक्त सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तथापि, देश के शेष भाग में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में इस समय कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(ङ) मोबाइल सेवाओं के और विस्तार के लिए निधियों का आबंटन और अपेक्षित उपस्कर पूर्णत: सेवा प्रदाताओं की व्यावसायिक योजना पर निर्भर करते हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर डी.डी.टी. का प्रभाव

1062. श्रीमती मेनका गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी एजेंसियों द्वारा कीट नियंत्रण और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों में डी.डी.टी. का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.डी.टी. के प्रयोग के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान डी.डी.टी. की खपत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां नामत: विश्व स्वास्थ्य संगठन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव के कारण डी.डी.टी. के उपयोग के विरुद्ध सलाह देता रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से डी.डी.टी. को पृथक करने की परिकल्पना की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) डी.डी.टी. 50% डब्ल्यू.डी.पी. का मलेरिया और कालाजार के नियंत्रण के लिए घर के भीतर (इण्डोर) अपशिष्ट छिड़काव के रूप में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रयोग होता है। कृषि में डी.डी.टी. का प्रयोग बंद किया जा चुका है।

किसी भी प्रमुख प्रकोप को छोड़कर जन स्वास्थ्य के लिए डी.डी.टी. के प्रयोग को 10,000 एम टी प्रति वर्ष तक प्रतिबंधित किया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय दल प्रतिवर्ष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में डी.डी.टी. के प्रयोग का अधिदेश देता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया और कालाजार के नियंत्रण के लिए आपूर्ति की गई डी.डी.टी. की मात्रा इस प्रकार है:-

वर्ष	मलेरिया नियंत्रण के लिए मात्रा	कालाजार नियंत्रण के लिए मात्रा	कुल
2001-02	5774 एम टी	376 एम टी	6150
2002-03	5800 एम टी	242 एम टी	6042
2003-04	6000 एम टी	2208 एम टी	8208

(घ) से (च) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया नियंत्रण के लिए घर के अंदर (इन्डोर) अपशिष्ट छिड़काव (आई आर एस) के रूप में डी.डी.टी. पर प्रतिबंध लगाने हेतु परामर्श नहीं दिया है। चयनात्मक रूप से घर के अंदर (इण्डोर) अपशिष्ट छिड़काव केवल उच्च जोखिम वाले पाकेटों में किया जाता है। मैलाथियान और सिंथेटिक पाइरेथाराइड्स नामक अन्य कीटनाशियों का डी.डी.टी. प्रतिरोधी क्षेत्रों में प्रयोग होता है।

[हिन्दी]

टेलीफोन किराये हेतु मानदण्डों की समीक्षा

1063. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों हेतु टेलीफोन किराया निर्धारित करने के लिए वर्गीकरण हेतु मानदण्डों की समीक्षा का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इस समय टेलीफोन का किराया निर्धारित करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वर्गीकरण संबंधी मानदण्डों की कोई समीक्षा विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्गीकरण ठोस मानदण्डों पर आधारित है।

[अनुवाद]

जालंधर से अमृतसर तक जी.टी. मार्ग बनाना

1064. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जालंधर से अमृतसर तक जी.टी. रोड बनाने का कार्य लंबित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मार्ग को बनाने का कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 के जालंधर-अमृतसर खंड को चार लेन का बनाए जाने का उल्लेख कर रहे हैं। 387.10-407.10 कि.मी. खंड तक चार लेन का बनाए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं लेकिन प्रशासनिक कारणों से कार्य को अभी तक सौंपा नहीं जा सका है। शेष लंबाई के लिए निविदाएं हाल ही में बी ओ टी आधार पर आमंत्रित की गई हैं।

(ग) जालंधर-अमृतसर तक (387.10-456.10 कि.मी.) जी.टी. रोड को चार लेन का बनाने का कार्य दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आंध्र प्रदेश में राजमार्ग विकास

1065. श्री मधुसूदन रेड्डी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजमार्ग विकास के संबंध में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ तेलंगाना क्षेत्र में किसी राजमार्ग की पहचान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सड़क गुणवत्ता में सुधार, ज्यामिति में सुधार, पुलों का पुनर्निर्माण और बाइपासों का निर्माण कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और इसे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) तेलंगाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, 9, 16, 202, 221 और 222 हैं। रा.रा. 7 के 175/6-485/0 कि.मी. (नागपुर-हैदराबाद खंड) और 0/0-203/0 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर खंड) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की उत्तर-दक्षिण महामार्ग परियोजना के अंतर्गत चार लेन का बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 7757.39 लाख रु. के 22 कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनमें 2/4 लेन का बनाने का कार्य, साध्यता अध्ययन, भूमि अधिग्रहण, पुलों और पेव्ड शोल्डरों का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(तेलंगाना क्षेत्र में) प्रगतिशील राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र. सं.	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	कार्य सं. और स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	202	गोदावरी नदी पर मुख्य पुलों के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और एतुरूनगरम के आंध्र प्रदेश राज्य सीमा तक रा.रा. 202 का पुनर्संरेखण	202 ए पी 2002 178 दि. 27.2.2003	48.74
2.	9	रा.रा. 9 के पी एच खंड के 493/0-534/0 कि.मी. तक भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन	009 एपी 2002 233 दि. 10.1.2003	312.34

1	2	3	4	5
3.	9	रा.रा. 9 के एच वी खंड के 10/0-22/0 कि.मी. तक चार लेन बनाना	009 ए पी 2003 235 दि. 28.12.2003	1194.9
4.	9	रा.रा. 9 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड के 182/5-222/450 कि.मी. में चार लेन का बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण	009 एपी 2003 238 दिन. 5.3.2003	359.14
5.	16	एन-जे सड़क के 112/4-6, 113/6-8, 118/8-10, 127/2-4, 128/0-2, 134/4-6 कि.मी. में 6 छोटे पुलों को चौड़ा करना	016 एपी 2002 240 दि. 11.3.2003	71.75
6.	9	रा.रा. 9 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड के 22/0-31/0 कि.मी. खंड को चार लेन का बनाना	009 एपी 2003 243 दि. 24.3.2003	1128.85
7.	16	रा.रा. 16 के निजामाबाद-जगदलपुर सड़क के 190/0-199/0 कि.मी. तक खंड को दो लेन का बनाना	016 एपी 2003 245 दि. 31.3.2003	264.51
8.	9	रा.रा. 9 के पुणे-हैदराबाद खंड के 470/0-480/0 (478/0-479/0 कि.मी. को छोड़कर) कि.मी. खंड के लिए पेव्ड शोल्डरों को बनना	099 एपी 2003 249 दि. 14.7.2003	166.47
9.	202	रा.रा. 202 की एच वी सड़क के 205/0-215/0 कि.मी. खंड को चौड़ा करना	202 एपी 2003 254 दि. 18.8.2003	258.62
10.	16	रा.रा. 16 के 41/0-97/360 और 98/132-100/4 कि.मी. तक खंड के लिए पेव्ड शोल्डरों को बनाना	016 एपी 2003 260 दि. 24.9.2003	60.61
11.	9	रा.रा. 9 के पी एच खंड के 441/0-450/0 कि.मी. खंड (44/680-442/800 कि.मी. को छोड़कर) के लिए पेव्ड शोल्डरों को बनाना	009 एपी 2003 261 दि. 24.9.2003	209.45
12.	16	रा.रा. 16 की 7/0 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	016 एपी 2003 263 दि. 25.9.2003	64.00
13.	9/एचवी	रा.रा. 9 के एच वी खंड के 31/0-41/0 कि.मी. तक खंड को चार लेन का बनाना	009 एपी 2003 280 दि. 11.12.2003	1413.12
14.	9/एचवी	र.रा. 9 के एच वी खंड के 174/8-183/5 कि.मी. खंड तक कोडैक बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण	009 एपी 2003 281 दि. 24.12.2003	334.87

1	2	3	4	5
15.	202	रा.रा. 202 के 55/6-8, 57/8-10 और 119/8-10 कि.मी. में उच्च स्तरीय पुलों का पुनर्निर्माण	202 एपी 2003 284 दि. 6.1.2004	298.00
16.	202	रा.रा. 202 के 88/2 कि.मी. में उच्चस्तरीय पुल का पुनर्निर्माण	202 एपी 2003 286 दि. 6.1.2004	201.00
17.	9	रा.रा. 9 के पी एच खंड के 460-470/0 कि.मी. तक खंड (462/2-463/8 और 466/3-467/0 कि.मी. को छोड़कर) के लिए पेव्ड शोल्डरों को बनना	009 एपी 2003 290 दि. 21.1.2004	171.00
18.	16	रा.रा. 16 के एन जे सड़क की 80/8, 90/10, 9/10, 94/10, 78/6 और 94/2 कि.मी. में 6 छोटे पुलों का पुनर्निर्माण	016 एपी 2003 291 दि. 21.1.2004	151.00
19.	16	रा.रा. 16 के 182/2-4 और 187/0-2 कि.मी. में पुलिया	018 एपी 2003 295 दि. 23.1.2004	28.00
20.	202	रा.रा. 202 के 144/8-10 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	202 एपी 2004 299 दि. 4.2.2004	38.48
21.	202	रा.रा. 202 के 111/0-113/0 कि.मी. तक खंड को चौड़ा करना	202 एपी 2004 300 दि. 4.2.2004	35.84
22.	202	रा.रा. 202 के 9/0-18/740 कि.मी. तक खंड को चार लेन का बनाना	202 एपी 204 303 दि. 23.2.2004	946.70
	जोड़			7757.39

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों का विकास

1066. श्री किरिप चालिहा: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण औद्योगिकीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र में स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्य में विकास के लिए 10 ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान की गई है। इन क्लस्टरों में से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति, स्थान-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	क्लस्टर का नाम और स्थान	संस्वीकृत निधियों (लाख रु. में)	आरंभ किए गए क्रियाकलाप
1	2	3	4
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) द्वारा असम के धेमजी जिले में मूगा सिल्क क्लस्टर	4.33	* कोकून बिल्डिंग का निर्माण * स्पिनिंग और रीलिंग मशीन की खरीद * रियरिंग और प्लांटेशन में 240 व्यक्ति प्रशिक्षित * सोम प्लांटेशन के लिए 12 बीघा भूमि अर्जित की गई, और सोम प्लांटिशन के लिए खंड विकास कार्यालय को 22 बीघे भी आबंटित किए गए हैं।
2.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जोरहाट, असम में ब्रास मेल क्राफ्ट क्लस्टर	0.80	* निदानात्मक अध्ययन संचालित किया गया * क्लस्टर विकास समिति गठित की गई। * कारीगरों का कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण संचालित किया गया। * 32 इकाइयां विकसित की गई। * सहकारिता सोसाइटियां और स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किए गए।
3.	नाबार्ड द्वारा बेंत और बांस क्राफट क्लस्टर, नागांव, असम	–	* कारीगरों द्वारा जागरूकता मिलन एवं अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित किए गए।
4.	नाबार्ड द्वारा दी एजेफे गांव, दीमापुर नागालैंड में, वुड क्राफ्ट क्लस्टर	0.70	* 25 कारीगरों और नागालैंड हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कारपोरेशन लि. के 2 अधिकारियों के जागरूकता दौरे के लिए निधियां संस्वीकृत की गई।
5.	उद्योग निदेशालय, असम सरकार द्वारा धुबरी जिला, असम का टेरा कोटा क्लस्टर	0.25	* निदानात्मक अध्ययन संचालित किया जा रहा है।
6.	उद्योग निदेशालय, असम सरकार द्वारा करीमगंज, जिला, असम का सितलपट्टी क्लस्टर	0.25	* निदानात्मक अध्ययन संचालित किया जा रहा है।
7.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवी आईसी) द्वारा तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश का हस्तनिर्मित कागज	9.20	* हस्तनिर्मित कागज निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए, प्रदर्शन और हस्त-निर्मित कागज में प्रशिक्षण
8.	केवीआईसी द्वारा जोरहाट, असम का हस्तनिर्मित कागज क्लस्टर	20.00	* स्थानीय पराधों का प्रयोग करते हुए हस्तनिर्मित कागज और प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण इकाई स्थापित करना।

1	2	3	4
9.	सिल्चर, असम में वन-आधारित उद्योग क्लस्टर	2.54	* विभिन्न बेंत एवं बांस क्रियाकलापों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
10.	केवीआईसी द्वारा, जोरहाट असम का पॉटरी क्लस्टर	11.68	* मजौली द्वीप में कुम्हारों को बॉल बियरिंग व्हील्स, क्लिन्स प्रदान करना।

सबसे कम दूरसंचार घनत्व वाले राज्य

1067. श्री विकास चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सबसे कम दूरसंचार घनत्व वाले राज्य कौन से हैं; और

(ख) स्थिति में सुधार हेतु और देश में विभिन्न दूरभाष केन्द्रों की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में सबसे कम टेली-घनत्व वाले तीन राज्य (और 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार उनका टेली-घनत्व) निम्नानुसार है:

(1)	छत्तीसगढ़	-	1.48
(2)	झारखंड	-	1.65
(3)	बिहार	-	1.83

(ख) स्थिति में सुधार हेतु सरकार ने सार्वभौमिक अभिगम सेवा लाइसेंसिंग (यूएएसएल) अपना है जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बुनियादी और/अथवा सेल्युलर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में, सेवा प्रदाता डब्ल्यूएलएल का इस्तेमाल करके पूर्ण मोबिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं जिसे पहले बुनियादी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

बीएसएनएल ने वर्ष 2004-05 में अकेले ही 01 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इसमें 7.5 लाख लैंडलाइन, 22.5 लाख डब्ल्यूएलएल कनेक्शन और 70 लाख सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन शामिल हैं। बीएसएनएल द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए नियोजित टेलीफोन कनेक्शनों के सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। आशा है कि निजी क्षेत्र की सहभागिता और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के उपयोग से ऐसे राज्यों के टेली-घनत्व में भी सुधार होगा।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य
1	2	3
1.	बिहार	438300
2.	छत्तीसगढ़	102900
3.	उत्तर प्रदेश-पूर्व	586600
4.	असम	213600
5.	पश्चिम बंगाल	532000
6.	झारखंड	151000
7.	मध्य प्रदेश	332200
8.	उड़ीसा	319200
9.	उत्तर पूर्व-2	23000
10.	उत्तर प्रदेश-पश्चिम	362500
11.	जम्मू-कश्मीर	102100
12.	उत्तर पूर्व-1	116800
13.	राजस्थान	641700
14.	आंध्र प्रदेश	639700
15.	उत्तरांचल	139900
16.	महाराष्ट्र	965500
17.	तमिलनाडु	548600
18.	कर्नाटक	434400
19.	हरियाणा	375000

1	2	3
20.	गुजरात	663000
21.	हिमाचल प्रदेश	147700
22.	पंजाब	548000
23.	कोलकाता	351700
24.	केरल	1018000
25.	अंडमान व निकोबार	9900
26.	चेन्नई	236700
	कुल	10000000

टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

1068. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए और उसी अवधि के दौरान राज्य-वार कितने नये कनेक्शन जारी किए गए;

(ग) प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में लैंडलाइन, मोबाइल तथा वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) के विस्तार हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) निजी आपरेटरों (बुनियादी/यूएसएएल और सेल्यूलर) और एमटीएनएल के पास कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है अर्थात् वे उपभोक्ताओं को मांग पर टेलीफोन प्रदान करने में सक्षम हैं। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची का सर्किल-वार ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या और जारी किए गए नये कनेक्शनों की संख्या का सर्किल-वार ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(ग) और (घ) टेलीफोन कनेक्शनों की मांग का सृजन एक स्वस्थ और सतत प्रक्रिया है जिससे प्रतीक्षा सूची बढ़ती रहती है। प्रतीक्षा सूची (एक गतिशील प्रक्रिया) को निपटाने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि टेलीफोनों के लिए मांग उन स्थानों से आ सकती है जहां उस विशेष अवधि में दूरसंचार अवसंरचना नहीं हो। तथापि, प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए, बीएसएनएल ने 2004-05 के दौरान एक करोड़ टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनायी है।

विवरण I

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सर्किल-वार प्रतीक्षा सूची (बीएसएनएल के संबंध में)

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	151
2.	आंध्र प्रदेश	51934
3.	असम	15797
4.	बिहार	112465
5.	छत्तीसगढ़	2118
6.	गुजरात	58847
7.	हरियाणा	81657
8.	हिमाचल प्रदेश	44935
9.	जम्मू-कश्मीर	39704
10.	झारखंड	8143
11.	कर्नाटक	89730
12.	केरल	419762
13.	मध्य प्रदेश	17300
14.	महाराष्ट्र	159004
15.	उत्तर पूर्व I	5975
16.	उत्तर पूर्व II	5387
17.	उड़ीसा	27713

1	2	3
18.	पंजाब	92284
19.	राजस्थान	138019
20.	तमिलनाडु	58995
21.	उत्तरांचल	5729
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	101771
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	43670
24.	पश्चिम बंगाल	144226
25.	कोलकाता	22720
26.	चेन्नई	6929
	बीएसएनएल	1754965

विवरण II

प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या और जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या
(बीएसएनएल के संबंध में)

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या			के दौरान जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार	2639	4862	6394	4339	6279	7694
2.	आंध्र प्रदेश	232562	327969	304794	591684	825361	778051
3.	असम	73314	67125	53092	92535	73541	80856
4.	बिहार	221944	189233	154910	252337	181983	198401
5.	छत्तीसगढ़	27516	49871	42281	49496	68184	61071
6.	गुजरात	274858	404634	8946	587866	584669	398840
7.	हरियाणा	159749	191162	159728	209595	209503	231177
8.	हिमाचल प्रदेश	72738	74533	59376	96691	61345	91831
9.	जम्मू-कश्मीर	49836	44786	60408	52224	49118	75190
10.	झारखंड	69742	94863	101183	84215	106456	120385
11.	कर्नाटक	268219	361591	113776	551751	545437	436482
12.	केरल	341187	435400	339337	576585	583716	499319
13.	मध्य प्रदेश	114844	173720	159084	174772	226266	234439
14.	महाराष्ट्र	522468	584135	342786	807039	799152	815913
15.	उत्तर पूर्व I	23013	23600	24771	29689	26261	31683

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	उत्तर पूर्व II	19614	18049	23580	32463	25641	29943
17.	उड़ीसा	83990	133062	156625	142556	131634	204345
18.	पंजाब	227048	328254	95025	408014	338850	267806
19.	राजस्थान	255977	243782	222266	320096	269451	327593
20.	तमिलनाडु	193586	283252	222464	443474	509486	523654
21.	उत्तरांचल	39163	60947	81070	63546	63895	112724
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	257885	301735	167791	308512	301683	292691
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	144684	216897	200545	237112	245352	304704
24.	पश्चिम बंगाल	220875	225407	161717	258581	228570	205370
25.	कोलकाता	98387	46002	59635	131711	127641	165801
26.	चेन्नई	88645	43161	86185	144011	116590	223553
	बीएसएनएल	4084489	4928032	3407769	6650894	6566064	6719516

सिद्ध पद्धति

1069. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति के उपयोग को बढ़ाने के लिए रक्षा और रेलवे प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.एफ.डी.सी. का स्थान परिवर्तन करना

1070. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर भारत में फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर (एफ एफ डी सी) की परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित केन्द्र को धौलपुर (राजस्थान) में स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को हुई हानि की भरपाई किस प्रकार करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सामग्री लेबल का प्रदर्शन

1071. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश कारबोरेटेड पेय बोतलों/पैकों पर सामग्री के बारे में जानकारी देने वाले लेबल का प्रदर्शन नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन कार्बोनेटिड पेयों की बोतलों/पैक पर अंश (कंटेण्ट्स) स्तर न प्रदर्शित किए जाने का आरोप हो। कार्बोनेटिड जल की बोतल/पैक सहित खाद्य के प्रत्येक पैकेट के लेबल पर अंश (कंटेण्ट्स) प्रदर्शित करना अनिवार्य है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (पी एफ ए अधिनियम, 1954) और उसके अंतर्गत बने नियमों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जाता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बने नियमों का अनुपालन न करने पर उपर्युक्त अधिनियम में दण्डात्मक प्रावधान की व्यवस्था है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों के समय-समय पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का अनुरोध किया गया है।

एक संतान/दो संतान के मानदंड वाली नीति

1072. श्री सुनील खां:
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक परिवार के लिए एक संतान/दो संतान के मानदंड वाली नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हमारे देश में वर्तमान जन्म-दर और मृत्यु-दर क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में वर्तमान जन्म दर और मृत्यु दर नीचे दी गई है:

जन्म दर	मृत्यु दर
25.0	8.1

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग इकाईयों का संवर्द्धन

1073. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावों का व्यापक पैकेज तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सेक्टर के संवर्धन और विकास के संबंध में सरकार की सजग पहुंच रही है। तद्नुसार, सरकार लघु उद्योग की चिन्ताओं को दूर करने के लिए निरन्तर बल दे रही है, जैसा कि समय-समय पर घोषित विभिन्न उपायों से स्पष्ट है। लघु उद्योग सेक्टर के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा इसकी घरेलू तथा विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट की सुगम पहुंच, 25 लाख रु. तक के संयुक्त ऋण की सम्पार्श्विकता मुक्त उपलब्धता मार्किटिंग सहायता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा सुधरी हुई बुनियादी संरचना के लिए पूंजीगत सब्सिडी की व्यवस्था है। इसके अलावा, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न अन्य उपायों/प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिनमें प्राईम लेंडिंग रेट (पी.एल.आर.) पर 2% के जमा घटा बैंड के अन्दर ब्याज पर लघु उद्योग को क्रेडिट प्रदान करने के लिए बैंकों को अनुदेश दिया जाना, लघु उद्यमी कार्ड स्कीम को शुरू करना, हाई टेक-निर्यात उन्मुख मदों के संबंध में निवेश सीमा को चुनींदा बढ़ावा देना ताकि लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकें, शामिल है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों के साथ परामर्श एक सतत प्रक्रिया है। परामर्श के लिए विभिन्न फोरम हैं जिसमें लघु उद्योग बोर्ड, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का लघु उद्योग मंत्री सदस्य है। ऐसी ही एक समीक्षा 25 जून, 2004 को की गई जिसमें राज्य/केन्द्रीय स्तर की इस सेक्टर से संबंधित सभी नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी।

[हिन्दी]

बिहार के लिए वित्तीय पैकेज

1074. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास हेतु कोई विशेष पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। बिहार सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की थी।

(ख) बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा बिहार के जन प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से एक विशेष योजना प्रतिपादित की गई है। इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं की पहचान की गई है:

	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)
1.	मिलियन शैलो ट्यूब वेल कार्यक्रम (सब्सिडी घटक)	578.28
2.	उप-पारेषण पद्धति को मजबूत बनाना	365.00
3.	पूर्वी गंडक नहर को फिर से चालू करना	294.00
4.	राज्य राजमार्गों का विकास	846.29
5.	बागवानी का विकास (सब्सिडी घटक)	36.78
6.	एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम	60.00
7.	एकीकृत समुदाय आधारित वन प्रबंधन	351.00
	कुल	2531.35

राज्य सरकार के परामर्श के अनुसार, प्रथम चार मदों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा रहा है।

(ग) यह सहायता दसवीं योजना अवधि के दौरान दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 की जीर्णशीर्ण दशा

1075. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 की जीर्णशीर्ण दशा की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को चौड़ा करने और उसके समुचित निर्माण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 यातायात योग्य स्थिति में है।

(ख) से (घ) यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से हापुड़ (60 कि.मी.) तक पहले से ही चार लेन का है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के हापुड़-मुरादाबाद खंड को चार लेन का बनाने का कार्य दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लखनऊ-सीतापुर खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जिसे बी ओ टी के अंतर्गत निविदाओं की प्रतिक्रिया के अध्यधीन दिसंबर, 2008 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

साफ्टवेयर पार्क

1076. श्री दुष्यंत सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्यवार और स्थानवार कितने साफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव दसवीं योजना अवधि के दौरान कुछ और साफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) अब तक भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के तत्वावधान में देश में 40 एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दसवीं योजना (2002-07) के दौरान विभिन स्थानों में 25 और एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई थी। पहले दो वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 के दौरान एसटीपीआई ने पांडिचेरी, नासिक, इलाहाबाद, कोल्हापुर तथा रांची में 5 नए केन्द्र स्थापित किए हैं। निम्नलिखित 15 और स्थान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
2.	अगरतला	त्रिपुरा
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
5.	गंगटोक	सिक्किम
6.	गोवा	गोवा
7.	गुड़गांव	हरियाणा
8.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
9.	इम्फाल	मणिपुर
10.	जम्मू	जम्मू-कश्मीर
11.	जोधपुर	राजस्थान
12.	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
13.	शिलांग	मेघालय
14.	पटियाला	पंजाब
15.	पटना	बिहार

विवरण

राज्यवार तथा स्थानवार एसटीपीआई केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरूपति
3.		विजयवाड़ा
4.		वाइजाग
5.		वारंगल
6.	असम	गुवाहाटी
7.	छत्तीसगढ़	भिलाई
8.	गुजरात	गांधीनगर
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर

1	2	3
11.	झारखण्ड	रांची
12.	कर्नाटक	बंगलौर
13.		हुबली
14.		मंगलौर
15.		मणिपाल
16.		मैसूर
17.	केरल	तिरूवनन्तपुरम
18.	मध्य प्रदेश	इंदौर
19.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
20.		नागपुर
21.		नासिक
22.		नवी मुम्बई
23.		कोल्हापुर
24.		पुणे
25.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
26.		राउरकेला
27.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
28.	पंजाब	मोहाली
29.	राजस्थान	जयपुर
30.	तमिलनाडु	चेन्नई
31.		कोयम्बतूर
32.		मदुरई
33.		तिरूनावल्ली
34.		त्रिचि
35.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
36.		लखनऊ
37.		नोएडा
38.		इलाहाबाद
39.	उत्तरांचल	देहरादून
40.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

[हिन्दी]

केन्द्रीय भण्डार में वस्तुओं की कीमतें

1077. श्री विजय कृष्ण: क्या **प्रधान मंत्री** 19 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में खुले बाजार से अधिक कीमतें पाई जाने के लिए क्रय समिति/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) खुले बाजार की तुलना में केन्द्रीय भण्डार में वस्तुओं के अधिक मूल्य से संबंधित शिकायतों की आवश्यकतानुसार जांच-पड़ताल की जाती है। केन्द्रीय भण्डार से मिली सूचना के अनुसार ऐसे किसी भी मामले में क्रय समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

पासपोर्ट जारी करने में विलंब

1078. श्री काशीराम राणा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूरत पासपोर्ट कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर पासपोर्ट जारी करने में होने वाली विलंब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी के कई कारण थे जैसे-पासपोर्ट आवेदनों की संख्या में वृद्धि, पासपोर्ट आवेदकों

द्वारा अधूरी सूचना देना, पुलिस सत्यापन की प्राप्ति में देरी और स्टाफ की कमी।

(ग) पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई उपाय किए गए हैं। इसमें, अन्य पासपोर्ट कार्यालयों से अतिरिक्त स्टाफ की प्रतिनियुक्ति द्वारा लम्बित मामलों में विलम्ब को दूर करना, कम्प्यूटराइजेशन, जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदनों को जमा कराने का विकेन्द्रीकरण, पासपोर्टों की मशीनी लिखाई और पुलिस सत्यापन, शामिल है।

[अनुवाद]

'एम्स' में महंगे उपकरण

1079. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एम्स' करोड़ों रुपए की लागत वाले उपकरणों को व्यापक लाभप्रद उपयोग में लाए बिना ही उन्हें खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपकरणों की महंगी खरीद की जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्राप्त किए गए उपकरणों का लाभदायक तरीके से रोगी परिचर्या सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी और प्रशिक्षण

1080. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक संगोष्ठी और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क अधिक है;

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने लोग ऐसे पाठ्यक्रमों से लाभ उठा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों को सुसंगत बनाने और व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योग सेवा संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ इसमें एमएस आफिस, डाटा बेस (आरोक्ल 8i), प्रोग्रामिंग भाषाएं, यूनिक्स प्रचालन तंत्र एवं नेटवर्किंग, वैब डिजाइनिंग, मल्टी मीडिया इत्यादि शामिल हैं। लघु उद्यमियों तथा उनके वर्कफोर्स को ट्रेन (प्रशिक्षण)/शिक्षित करने का उद्देश्य लागतों में कमी करके उन्हें विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के अलावा सूचना और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलूओं के प्रयोग के माध्यम से उत्पादकता, मार्किटएबिलिटी इत्यादि को बढ़ावा देना और उपलब्ध अत्यधिक हितलाफों को समृद्ध बनाना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा आयोजित ऐसी सभी पाठ्यक्रमों में देय शुल्क निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों की तुलना में काफी कम होते हैं।

(ङ) पिछले 3 वर्षों में उद्यमियों तथा उनके वर्कफोर्स को प्रशिक्षित किए जाने सहित ऐसे प्रशिक्षणों की वार्षिक औसत लगभग 7000 व्यक्ति रही है।

(च) लघु उद्योग मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कि वेब टेक्नालाजी, माइक्रोसाफ्ट नेटवर्किंग, लाइनक्स, कैड/कैम, ई. कामर्स इत्यादि के फील्ड में देश में सभी ओर फैले फील्ड संस्थानों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित करके बढ़ावा दे रहा है।

भर्ती के लिए दिशानिर्देश

1081. श्री संतोष गंगवार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लि. और दूरसंचार विभाग समूह 'ग' और 'घ' में भर्ती हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) वर्ग 'ग' और 'घ' के पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न पदों से संबंधित आरक्षण का प्रतिशत, उम्र और योग्यता आदि के बारे में मानदंड तथा भर्ती के तरीकों से संबंधित बातें शामिल हैं। नवीनतम अनुदेशों के अनुसार भर्ती/नियुक्ति किए जाने से पूर्व रिक्तियों को इस प्रयोजनार्थ गठित जांच समिति से अनुमोदित कराना भी आवश्यक है। 'ग' वर्ग के पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। यह विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को रिक्तियों के बारे में सूचनाएं देता है तथा उक्त प्रतियोगी परीक्षा में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भेजे गए नामांकन पत्र के आधार पर नियुक्ति की जाती है। अनुदेशों के अनुसार समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति खुले विज्ञापन/रोजगार केंद्र के जरिए की जाती है।

बीएसएनएल में संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यकता आधारित भर्ती की जाती है। आरक्षण नीति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में तटीय पोत परिवहन प्रचालन का विस्तार

1082. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात में तटीय पोत परिवहन प्रचालन के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-2005 में गुजरात तटीय पोत परिवहन के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु पहचाने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सरकार, भारत में तटीय नौवहन के संवर्द्धन के बारे में एक सामान्य नीति निर्धारित करने का विचार कर रही है। फिर भी, विशेष रूप से, गुजरात में तटीय नौवहन का विस्तार करने की दृष्टि से, अलग से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

ग्राम पंचायत में टेलीफोन उपलब्ध कराना

1083. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में प्रत्येक पंचायत में टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) बीएसएनएल ने आंध्र प्रदेश के सभी पंचायत गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के अपने हिस्से को पूरा कर लिया है। मौजूदा नीति के अनुसार, सभी राजस्व गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराया जाना है। सुविधा रहित शेष बचे 1451 उपयुक्त गांवों को 31.3.2006 तक कवर कर लिए जाने की संभावना है।

ब्राडबैंड संबंधी नीति

1084. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्राडबैंड संबंधी नीति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण ने सिफारिशों को अंतिम रूप देकर सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इंटरनेट के विकास और ब्रांडबैंड की पहुंच की गति को तेज करने के लिए सरकार को सिफारिशें दी हैं।

(ग) ट्राई की सिफारिशों के संबंध में ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार सिफारिशों की जांच कर रही है और उन्हें ट्राई के परामर्श से क्रियान्वित किया जायेगा।

विवरण

इंटरनेट के विकास और ब्राडबैंड की पहुंच की गति को तेज करने के संबंध में ट्राई की सिफारिशों से संबंधित ब्यौरा

1. परिभाषा और लक्ष्य

* ब्राडबैंड ''सर्वदा चालू रहने वाला डाटा कनेक्शन है जो विभिन्न अंर्तसंबंधी सेवाओं में सहायता प्रदान करता है और इसमें न्यूनतम 256 केबीपीएस की डाउनलोड गति की क्षमता होती है।'' भविष्य में इसमें आगे संशोधन किया जाएगा।

* भारत 2010 तक ब्राडबैंड के 20 मिलियन और इंटरनेट के 40 मिलियन उपभोक्ता बना सकता है जिससे इनकी पहुंच का स्तर क्रमश: 1.7% और 3.4% हो जाएगा। यह तो मात्र न्यूनतम लक्ष्य है और इसकी प्रगति के साथ-साथ इसका स्तर और भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

2. अंतिम छोर पर रहने वाले उपभोक्ता तक पहुंच

* डिजिटल उपभोक्ता लूप (डीएसपी) के जरिए उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए प्रदाता की लाइन पर विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करने में सहयोग प्रदान करना।

* इन प्रौद्योगिकियों के जरिए प्रदान की जाने वाली ब्रांडबैंड सेवाएं प्रदान करते समय डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी सेट) प्लेटफार्मों के प्रचालन में कृत्रिम लागतों में कमी करना।

* आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ भावी प्रौद्योगिकियों के साथ उपभोक्ताओं तक पहुंचने के माध्यम के रूप में अधिक प्रभावी ढंग से विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय वायरलैस समाधान प्रदान करना।

* मौजूदा तथा भविष्य के लिए किए गए प्रयासों के लिए मार्गाधिकार क्लीयरेंस प्रणालियों को और अधिक सुचारू बनाने में सहायता करना।

3. बैकहाल नेटवर्कों की लागतें

* ग्राहकों को ''शहर के भीतर'' लिंक में किसी प्रतिस्पर्धा की वर्तमान में कमी की प्रतिपूर्ति करते हुए घरेलू लीज्ड लाइनों में प्रतिस्पर्धा के लाभों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना।

* सभी प्रकार के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को स्वेच्छा से भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (निक्सी) को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करना।

4. वित्तीय नीतियां

* अवमूल्यन, दान और प्रयुक्त पर्सनल कंप्यूटरों (पीसी) की रिसाइक्लिंग द्वारा कम लागत के अभिगम उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

* मोबाइल फोनों के शुल्क स्तर को घटाकर ब्राडबैंड नेटवर्कों में प्रयुक्त आयातित वस्तुओं के वर्तमान समग्र शुल्क स्तर पर लाना है और शुल्कों को समीकृत करना। इनपुट और घरेलू विनिर्मित वस्तुओं पर इंटरनेट और ब्राडबैंड में आयातित वस्तुओं के स्तर तक वृद्धि करना।

* सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में राजस्व को गंवाए बिना तीव्र विकास के लिए समुचित कर ढांचा तैयार करना।

5. विषय वस्तु सृजन एवं अनुप्रयोग:

* सरकार नागरिकों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए आन लाइन पर विषय वस्तु सृजन करने और उनके अनुप्रयोग से संबंधित अधिक प्रभावी उपाय करने के लिए किस प्रकार कार्रवाई करे और इस प्रकार एक अग्रणी उदाहरण प्रस्तुत करें, इस संबंध में एक रूपरेखा तैयार करना।

[हिन्दी]

अस्पतालों को घटी हुई दर पर भूमि

1085. श्री महेश कनोडीया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली और देश के अन्य भागों में घटी हुई दर पर सरकारी भूमि दी गई है;

(ख) क्या इन अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए कम से कम 20 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करने की व्यवस्था करने का वादा किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या ये अस्पताल अपने वादे निभा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

काली सूची में रखी गई दूरसंचार फर्में

1086. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का काली सूची में रखी गई दूरसंचार फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त फर्मों के विरुद्ध फर्मवार क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा निजी अस्पतालों का चयन

1087. श्री एम. जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) के अंतर्गत निजी अस्पतालों के चयन संबंधी नियमों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए चयन किए गए अस्पतालों का भिन्न क्षेत्रों में होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को मान्यता देने के लिए कोई अधिसूचित नियम नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देना की निबंधन एवं शर्तें निविदा दस्तावेज में दी गई हैं जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एम ओ एच एफ डब्ल्यू, एन आई सी, आई एन पर दिया गया है। उक्त निविदा दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि 100 अथवा उसके अधिक बिस्तरों वाले निजी अस्पताल आवेदन करने के पात्र हैं तथा 100 से कम बिस्तरों वाले अस्पताल पात्र नहीं हैं। विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता देने के लिए निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों से निविदाओं की प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27/28/29 अप्रैल, 2004 थी क्योंकि प्रमुख समाचार-पत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में बताया गया था कि निविदाएं संबंधित शहरों में विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों तक प्राप्त की जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, निविदा दस्तावेज में दिए गए मानदण्डों को पूरा किए जाने, निरीक्षण समिति की सिफारिशों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन प्राप्त निविदाओं में से ही मान्यता देने हेतु अस्पतालों का चयन करती है।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा

1088. श्री मोहन सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सऊदी अरब में एक होटल पर हाल ही में हुए उस आतंकवादी हमले की जानकारी है जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गए थे तथा कुछ को बंधक बना लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त हमले में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ग) खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 29 मई को आतंकवादियों ने अल-खोकर में अरब पेट्रोलियम निवेश कारपोरेशन के कार्यालय पर हमला किया जिसके बाद

कारपोरेशन के निकट स्थित ओएसिस हाउसिंग काम्प्लेक्स में कुछ व्यक्तियों को बंधक बनाया गया। इस घटना में 8 भारतीयों की मौत हुई।

(ग) सरकार खाड़ी देशों में सुरक्षा की स्थिति की निकट से निगरानी कर रही है जिसमें उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनका सुरक्षा और वहां कार्य कर रहे भारतीयों की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है। खाड़ी देशों में स्थित हमारे मिशन संबंधित प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और हिफाजत के लिए उनके साथ निरंतर संपर्क में है। हमारे मिशन अपने संबंधित देशों में इस प्रकार की सहायता के लिए भारतीय समुदाय के नियमित संपर्क में हैं जो इस संबंध में उन्हें देना संभव हो सकता है।

गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबन्ध

1089. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री रामदास बंडु आठवले:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुटखे और अन्य तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल के कारण देश में मुंह के कैन्सर के बढ़ते हुए मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गुटखा के इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थानों तथा शैक्षिक संस्थानों के पास तम्बाकू और तम्बाकू के अन्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस वर्ष "वर्ल्ड नो टोबेको डे" मनाया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) तम्बाकू के प्रयोग के गंभीर दुष्प्रभावों से अवगत होने के कारण, सरकार ने सिगरेट और गुटखा इत्यादि जैसे अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए वर्ष 2003 में "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्यिक, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" नामक शीर्षक का एक व्यापक तम्बाकू नियंत्रण कानून बनाया। पूरे देश पर लागू इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(1) सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान का निषेध।

(2) सभी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन का निषेध।

(3) अट्ठारह वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति को सभी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री का निषेध।

(4) शैक्षिक संस्थानों की 100 गज की परिधि के भीतर सभी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री का निषेध।

(5) तम्बाकू की डिब्बियों पर सांविधिक चेतावनियों (चित्रात्मक चेतावनियों सहित) का अनिवार्य चित्रण।

(6) तम्बाकू की डिब्बियों पर अधिकतम स्वीकार्य सीमा के साथ टार और निकोटिन की मात्रा का अनिवार्य चित्रण।

उपर्युक्त मद (1), (2) एवं (3) पर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों को दिनांक 1.5.2004 से लागू किया गया है।

(च) और (छ) 31 मई, 2004 को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" मनाया गया। तम्बाकू के दुष्प्रभावों का प्रचार करने और इसके प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए पूरे देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा अनेक कार्यशालाएं/संगोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित किए गए।

पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन

1090. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के होशियारपुर जिले के कमई देवी नगर स्थित दूरभाष केन्द्र की कुल क्षमता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) उक्त दूरभाष केन्द्र की प्रतीक्षा सूची में वर्तमान में कितने व्यक्तियों के पंजीकरण हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पंजाब के होशियारपुर जिले के कमई देवी में संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल क्षमता निम्नानुसार है:-

लैंडलाइन क्षमता	352
वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) क्षमता	400

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 409 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस अवधि के दौरान 222 कनेक्शन दिए गए थे।

(ग) इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 316 है।

(घ) प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए बीएसएनएल द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं-

1. भूमिगत केबल बिछाकर गत माह के दौरान लैंडलाइन की क्षमता को 304 से बढ़ाकर 352 कर दिया गया है और 40 नए कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं।
2. फोन प्रदान करने की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों का समुचित ध्यान रखने के लिए 400 लाइनों वाला कोरडेक्ट डब्ल्यूएलएल उपस्कर संस्थापित कर चालू किया गया है और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। इस एक्सचेंज के क्षेत्र में अब तक 100 डब्ल्यूएलएल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

1091. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(घ) राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विभिन्न उपायों के माध्यम से बढ़ावा देती है, जैसे: राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सहायता प्रदान करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता, सृजन और लोकप्रियकरण के लिए राज्य स्तरों पर देश के विभिन्न भागों में चलाये गये कार्यकलाप, उद्यमिता विकास क्रियाकलाप जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों, प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर्स की स्थापना शामिल हैं जिनका उद्देश्य कमजोर वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों आदि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप करना है।

वर्ष 2004-2005 के दौरान दिल्ली में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी खोलना

1092. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2004-2005 के दौरान देश में विशेषकर दिल्ली में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को द्वारका में सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वर्ष 2004-2005 के दौरान उन स्थानों जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

औषधालय खोला जाना प्रस्तावित है, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। तथापि, संसाधनों और कार्मिक शक्ति की कमी के कारण, इस समय नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं है।

एस आई यू मानकों के अनुसार, वर्तमान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहर में एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए मानदण्ड 2000 कार्डधारक (सेवारत/पेंशनर) है जिसका अर्थ लगभग 10,000 लाभार्थी होते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का किसी नए शहर में विस्तार करने के लिए, कम से कम 6,000 कार्डधारकों (सेवारत/पेंशनर) की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ लगभग 30,000 लाभार्थी होते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय, द्वारका में एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है।

विवरण

वर्ष 2004-2005 के दौरान उन स्थानों जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोला जाना प्रस्तावित है, को दर्शाने वाला ब्यौरा

क. एलोपैथिक औषधालय

1. वाराणसी
2. विजयवाड़ा
3. जमशेदपुर
4. औरंगाबाद
5. दिल्ली (विकासपुरी)
6. कोलकाता (इचापुर)
7. पूणे (वनोरी रेंज)
8. लखनऊ (गोमती नगर)

ख. आयुर्वेदिक यूनिट

1. दिल्ली (नोएडा)
2. कोलकाता
3. मुंबई

ग. होमियो यूनिट

1. दिल्ली (नोएडा)
2. कोलकाता
3. इलाहाबाद

घ. सिद्ध यूनिट

1. चेन्नई

ङ. पालिक्लीनिक

1. अहमदाबाद

[हिन्दी]

भारतीयों का संप्रत्यार्वन

1093. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब और कुछ अन्य देश ने अपने यहां पर कार्यरत भारतीयों का संप्रत्यार्वन करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और अब तक देशवार कितने भारतीयों का संप्रत्यार्वन किया गया है;

(ग) उक्त संप्रत्यार्वन के क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को बढ़ावा

1094. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (भाचिप एवं हो.) को बढ़ावा देने के लिए कई केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित स्कीमें प्रारंभ की हैं। स्कीमों में भाचिप एवं हो. के शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औषधालयों को आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, औषधीय किटों की आपूर्ति, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण, अच्छी विनिर्माण पद्धति प्रमाणन प्राप्त करने वाले औषधि विनिर्माण एकांशों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़ी सुविधां आदि के सृजन हेतु भाचिप एवं हो. उद्योग को सहायता सम्मिलित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र

1095. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के सभी जिलों, विशेषकर अमृतसर, पटियाला, जालंधर और चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलावार कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या पंजाब के उक्त जिलों में और दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिले का नाम	दूरभाष केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	अमृतसर	128
2.	भटिंडा	62
3.	मानसा	47
4.	चंडीगढ़	03
5.	फिरोजपुर	125
6.	मोगा	38
7.	मुक्तसर	51
8.	फरीदकोट	30
9.	होशियारपुर	77
10.	जालंधर	88
11.	कपूरथला	40
12.	नवाशहर	41
13.	पटियाला	95
14.	फतेहगढ़ साहिब	29
15.	गुरदासपुर	104
16.	रोपड़	58
17.	संगरूर	119
18.	लुधियाना	94
	कुल	1229

(ख) गुरदासपुर जिले (पठानकोट एसएसए) में शामपुरा ग्रामीण क्षेत्र में दूरभाष केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) संस्थापित किए जाने वाला उपस्कर प्राप्त किया जा रहा है और दूरभाष केन्द्र को मार्च, 2005 तक चालू किए जाने की आशा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सफलता

1096. श्री किरिप चालिहा: क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन की सफलता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन राज्यों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को और प्रभावी बनाने तथा इसके परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। अनुपयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), दिल्ली ने प्रधानमंत्री और रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के मूल्यांकन के दो दौर 1993-94 से 1997-98 के कार्यक्रम वर्षों के लिए पहले ही आयोजित किए हैं। असम एवं मणिपुर सहित 5 राज्यों के 13 जिलों को कवर करते हुए दूसरे दौर की मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष विवरण के रूप में संलग्न हैं। 1998-99 से 2000-01 के कार्यक्रम वर्षों के लिए अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम को कवर करते हुए मूल्यांकन का तीसरा दौर भी वर्ष 2004-05 के दौरान आई.ए.एम.आर. को सौंपा गया है।

(ग) सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पी.एम.आर.वाई. के निष्पादन में सुधार के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है-ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर 35 वर्ष से 40 वर्ष करना, सब्सिडी सीमा को 7,500 रु. से बढ़ाकर 15,000 रु. करना, मेघालय में विवाहित पुरुषों के लिए रिहाइशी संबंधी मानदंड में छूट देना, स्वीकृतियों एवं संवितरणों के बीच अन्तर को कम करने के लिए कार्यान्वयन बैंकों को अनुदेश जारी करना, आदि।

विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के मूल्यांकन अध्ययन (दूसरा दौर) के मुख्य निष्कर्ष

(1) 61.3% लाभार्थी सामान्य श्रेणी, 25.6% अन्य पिछड़ा वर्ग 11% अनुसूचित जाति एवं 2.1% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति से संबंधित हैं। महिलाओं का अनुपाल 14% है।

(2) स्वीकृतियां लक्ष्य का 81.6% थीं तथा स्वीकृत मामलों के 74.7% मामलों में संवितरण किए गए।

(3) संवितरित ऋण की औसत राशि प्रति लाभार्थी 57,403 रु. है।

(4) प्रति क्रियाशील इकाई सृजित रोजगार 1.94 व्यक्ति है।

(5) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को संवितरण क्रमश: 49.9% तथा 50.1% है।

(6) संवितरित मामलों के 89.7% में परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया।

(7) लाभार्थियों में से 36.4% व्यक्ति समय पर ऋण किस्तों की पुनर्अदायगी कर रहे थे।

(8) चूक मामलों में से 16% जानबूझकर चूक के मामले हैं।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1097. श्री विकास चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) डाकघरों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) अब तक देश में 2142 डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। ऐसे डाकघरों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या दर्शाते हुए सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) कम्प्यूटरों की ऐसे डाकघरों में व्यवस्था की जाती है जहां परियात और काउंटर प्रचालन दूसरे डाकघरों के मुकाबले अधिक होते हैं।

विवरण

कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की संख्या
1	2	3
I.	**राज्य**	
1.	आंध्र प्रदेश	161
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	54
4.	बिहार	35
5.	छत्तीसगढ़	36
6.	दिल्ली (एनसीटी)	97
7.	गोवा	7
8.	गुजरात	110
9.	हरियाणा	62
10.	हिमाचल प्रदेश	60

1	2	3
11.	जम्मू-कश्मीर	6
12.	झारखण्ड	9
13.	कर्नाटक	224
14.	केरल	236
15.	मध्य प्रदेश	103
16.	महाराष्ट्र	325
17.	मणिपुर	3
18.	मेघालय	4
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	6
21.	उड़ीसा	61
22.	पंजाब	88
23.	राजस्थान	63
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	199
26.	त्रिपुरा	8
27.	उत्तर प्रदेश	25
28.	उत्तरांचल	41
29.	पश्चिम बंगाल	80
	कुल	2119
II. संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान निकोबार	1
2.	चण्डीगढ़	12
3.	दादरा और नागर हवेली	0
4.	दमन एवं दीव	2
5.	लक्षद्वीप	1
6.	पाण्डिचेरी	7
	कुल	23

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

1098. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) प्रत्येक योजना अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के क्या मानदंड हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 772937 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ उपलब्ध कराए गए। राज्य वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी आवेदकों को उनके पंजीकरण के अनुसार पीसीओ बूथों का उदारतापूर्वक आवंटन किया जाता है बशर्ते ऐसा करना तकनीकी रूप से संभव हो। अत: दसवीं पंचवर्षीय योजना में पीसीओ बूथों को संस्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उक्त अवधि के दौरान संस्थापित किए जाने वाले पीसीओ बूथों की संख्या मांग पर निर्भर करती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में संस्थापित किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	संस्थापित किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	459
2.	आंध्र प्रदेश	79930
3.	अरुणाचल प्रदेश	530
4.	असम	8820

1	2	3
5.	बिहार	24111
6.	छत्तीसगढ़	5005
7.	दमन	220
8.	दीव	66
9.	दादरा एवं नागर हवेली	207
10.	गुजरात	20036
11.	गोवा	1820
12.	हरियाणा	14285
13.	हिमाचल प्रदेश	4443
14.	जम्मू-कश्मीर	6941
15.	झारखंड	6560
16.	कर्नाटक	45774
17.	केरल	30188
18.	लक्षद्वीप	20
19.	मध्य प्रदेश	43258
20.	महाराष्ट्र (मुम्बई सहित)	177799
21.	मेघालय	1105
22.	मिजोरम	576
23.	मणिपुर	630
24.	नागालैंड	848
25.	उड़ीसा	15167
26.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	22457
27.	पांडिचेरी	1387
28.	राजस्थान	28076
29.	सिक्किम	250
30.	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	90171
31.	त्रिपुरा	1266
32.	उत्तरांचल	4453
33.	उत्तर प्रदेश	69409
34.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता सहित)	44120
35.	दिल्ली	22550
	कुल जोड़	772937

कनवर्टरों की खरीद

1099. श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 और 2001 के दौरान दो गैस-टाइट उच्च तापमान रोटरी ट्यूबूलर कनवर्टर और एक बहुउद्देश्यीय रोटरी कनवर्टर की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कनवर्टरों को अब स्थापित/चालू कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन्हें स्थापित/चालू करने में हुए विलंब के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वर्ष 2004 में।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्दे नजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। पुराने संयंत्र में मौजूदा कनवर्टरों का नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करने से अनुसंधान रिएक्टरों के लिए ईंधन की निरंतर आपूर्ति करना संभव हो सका। यद्यपि, समीप में स्थान बाद में उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप उपस्कर के विन्यास में परिवर्तन करने की वजह से उपस्कर को स्थापित करने में विलम्ब हुआ, तथापि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्कर उपलब्ध होने की वजह से पुराने उपस्कर के खराब होने

की स्थिति में अनुसंधान रिएक्टरों के लिए ईंधन की आपूर्ति निरंतर रूप से सुनिश्चित हो पाई।

(ङ) किसी भी अधिकारी की तरफ से देरी किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कनवर्टरों के प्रापण-कार्रवाई के कार्यक्रम के बारे में सोच-विचार के बाद ही निर्णय लिया गया था ताकि अतिरिक्त कवर्नटरों की उपलब्ध सुनिश्चित हो सके।

निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा

1100. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सरकारी कंपनियों-बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए संरक्षक कंपनी बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी कंपनियों की निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस योजनाएं बनाई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शिशु मृत्यु दर

1101. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शिशु मृत्यु दर में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) बाल मृत्यु दर की सूचना का स्रोत नमूना पंजीयन प्रणाली महापंजीयक, भारत सरकार है। बाल मृत्युदर 1991 के 26.5 से घटकर 1999 में 20.4 हो गई है।

(ख) विस्तृत ब्यौरा विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

(ग) बाल मृत्युदर में वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) इस संबंध में किए जा रहे उपचारी उपाय निम्न प्रकार हैं:-

1. तीव्र श्वसनी संक्रमणों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।
2. अतिसारी रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
3. व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम।
4. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।

विवरण I

भारत तथा बड़े राज्यों में बाल मृत्यु दर 1991-99

भारत तथा बड़े राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	26.5	26.5	23.7	23.9	24.2	23.9	23.1	22.5	20.4
आंध्र प्रदेश	21.3	20.0	17.1	17.0	19.1	17.8	16.8	18.1	16.6
असम	32.4	30.5	29.7	24.7	24.7	24.0	26.9	27.5	24.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	22.8	26.8	25.3	24.9	28.3	27.9	25.9	22.9	20.6
गुजरात	23.3	23.7	20.7	22.2	19.9	20.4	20.8	19.6	19.7
हरियाणा	23.0	22.8	20.3	22.3	22.7	23.4	22.2	22.4	19.6
हिमाचल प्रदेश	19.3	17.6	16.1	16.0	17.2	17.6	15.8	16.7	13.0
कर्नाटक	23.6	21.7	20.0	18.6	18.2	16.6	16.4	16.7	15.4
केरल	4.3	3.9	3.4	3.4	4.3	3.8	3.2	3.6	3.5
मध्य प्रदेश	44.5	38.5	36.9	34.8	33.0	33.5	32.3	32.6	30.4
महाराष्ट्र	16.3	15.9	14.1	14.4	14.9	13.1	12.2	12.7	11.5
उड़ीसा	39.0	33.4	33.7	31.6	32.2	30.6	28.1	29.0	27.4
पंजाब	17.0	17.4	16.1	15.7	14.9	15.2	14.9	16.8	14.5
राजस्थान	30.9	33.6	26.2	27.4	29.3	31.4	29.5	27.7	24.9
तमिलनाडु	16.1	15.3	13.6	13.4	14.5	12.6	13.4	13.0	13.2
उत्तर प्रदेश	35.6	37.8	32.9	33.0	30.8	31.4	31.1	29.6	28.1
पश्चिम बंगाल	20.6	18.4	17.0	19.8	18.6	18.1	16.8	15.0	13.9

विवरण II

(2004) वर्ष की आयु वालों में बाल मृत्युदर

क्र.सं.	राज्य	1990	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20.7	19.1	17.8	16.8	18.1	16.6
2.	असम	28.5	24.7	24.0	26.9	27.5	24.2
3.	बिहार	26.2	28.3	27.9	25.9	22.9	20.6
4.	गुजरात	26.0	19.9	20.4	20.8	19.6	17.9
5.	हरियाणा	21.8	22.7	23.4	22.2	22.4	19.6
6.	हिमाचल प्रदेश	—	17.2	17.6	15.8	16.7	13.0
7.	कर्नाटक	21.1	18.2	16.6	16.4	16.7	15.4
8.	केरल	4.6	4.3	3.8	3.2	3.6	3.5

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मध्य प्रदेश	39.4	33.0	33.5	32.3	32.6	30.4
10.	महाराष्ट्र	16.5	14.9	13.1	12.2	12.7	11.5
11.	उड़ीसा	35.9	32.2	30.6	28.1	29.0	27.4
12.	पंजाब	18.3	14.9	15.2	14.9	16.8	14.5
13.	राजस्थान	29.5	29.3	31.4	29.5	27.7	24.9
14.	तमिलनाडु	17.0	14.5	12.6	13.4	13.0	13.2
15.	उत्तर प्रदेश	36.6	30.8	31.4	31.1	29.6	28.1
16.	पश्चिम बंगाल	19.7	18.6	18.1	16.8	15.0	13.9
	अखिल भारत	26.3	24.2	23.9	23.1	22.5	20.4

स्रोत: नमूना पंजीयन प्रणाली, महापंजीयक, भारत

बाल मृत्युदर (2004) वर्ष के आयु वर्ग में मरने वाले बच्चों की संख्या, जिसे उसी आयु वर्ग के बच्चों की संख्या द्वारा विभाजित तथा 1000 द्वारा गुणित किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में लेजर ट्रिमिंग प्रणाली स्थापित करना

1102. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र ने 1998 में 8 वाट तथा 1064 नेनोमीटर वेवलेंग्थ विनिर्दिष्टयों वाली लेजर ट्रिमिंग प्रणाली स्थापित करने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु चयनित एजेंसी का नाम क्या है और प्रणाली की लागत कितनी है तथा इसके लिए क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) प्राप्त प्रणाली का ब्यौरा क्या है तथा आपूर्ति के समय और प्रणाली की स्थापना संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सप्लायर ने निबंधन एवं शर्तों को पूरा नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो सप्लायर तथा इसके भारतीय एजेंट के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ है; और

(छ) उक्त सौदे के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 91.35 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा के समतुल्य पर इस प्रणाली की आपूर्ति के लिए मेसर्स केलिफोर्निया डिजिटल लेजर सिस्टम्स, यू.एस.ए. का चयन किया गया था। इसके निबंधन और शर्तों के अनुसार इस प्रणाली के संस्थापन और अभिचालन का उत्तरदायित्व सप्लायर पर था।

(ग) लेजर ट्रिमिंग प्रणाली और इसके सहायक उपकरण जून 1998 में प्राप्त हो गए थे, लेकिन मई, 1998 में इसरो पर अमरीका द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण प्रणाली के अभिचालन के लिए इस अमेरिकी कम्पनी के विशेषज्ञ भारत नहीं आ सके। तथापि, अन्तस्थ विद्यमान विशेषज्ञता से इस उपकरण को जुलाई, 2001 में इसके प्राइमरी कार्यों के लिए प्रचालनात्मक बनाया जा सका।

(घ) जी, हां।

(ङ) सप्लायर और भारतीय एजेंट के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी, क्योंकि अमरीका द्वारा लगाये प्रतिबन्धों के कारण इन शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका।

(च) कम्पनी को दी गई राशि कुल लागत का केवल 90 प्रतिशत थी। शेष 10 प्रतिशत प्रगति भुगतान था, जिसे प्रणाली के अभिचालन के लिए और इसके कार्य निष्पादन की जांच के बाद अदा किया जाना था। चूंकि सप्लायर ने उपकरण को अभिचालित नहीं किया, 10 प्रतिशत राशि रोक ली गई। अत: इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।

(छ) किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी क्योंकि इसमें विभाग के किसी भी अधिकारी की कोई गलती नहीं थी।

[हिन्दी]

गुजरात में डाकघर खोलना

1103. श्री काशीराम राणा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूरत, गुजरात में खोले गए डाकघरों तथा उप-डाकघरों के नाम और अवस्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को नए डाकघर अथवा उप-डाकघर खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 2001 के दौरान पूना कुंभारिया में एक डाकघर खोला गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों दौरान निम्नलिखित छह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

1. करांज
2. घोड्डोड रोड
3. जीआईपीसीएल टाउनशिप
4. सचिन जीआईडीसी
5. ओलपाड जीआईडीसी
6. आनंद महल रोड

(ग) से (ङ) डाकघर निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और जगह की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। जीआईपीसीएल टाउनशिप और सचिन जीआईडीसी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलना औचित्यपूर्ण पाया गया है। इन डाकघरों को संबंधित प्राधिकरणों से समुचित स्थान मिलते ही तुरंत खोल दिया जाएगा और स्थान नहीं मिलने की स्थिति में किराए पर स्थान लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कारंज और घोड्डोड रोड में डाकघर खोलने के प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन हैं, परन्तु ओलपाड जीआईडीसी और आनंद महल रोड में डाकघर खोलने के प्रस्ताव आय तथा दूरी संबंधी मानदंड के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को चार लेनों का बनाना

1104. श्री संतोष गंगवार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 सेक्टर (दिल्ली-कोच्चि-लखनऊ) को चार लेनों वाले राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त राजमार्ग के कितने प्रतिशत को चार लेनों में परिवर्तित करना शेष है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 दिल्ली से लखनऊ तक है किंतु यह कोच्चि से नहीं गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के केवल दिल्ली-हापुड़ खंड को ही चार लेन का बनाया गया है।

(ख) इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 86% चार लेन का नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों के हापुड़-मुरादाबाद खंड को चार लेन का बनाने का कार्य दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लखनऊ-सीतापुर खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जिसे बी ओ टी के अंतर्गत निविदाओं की प्रतिक्रिया के अध्यधीन दिसम्बर, 2008 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के मुरादाबाद-सीतापुर खंड को चार लेन का बनाने के लिए समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूमि का इस्तेमाल

1105. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक सेवाओं, इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया में वृद्धि के कारण देश के कुछ डाकघर अव्यवहार्य हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक विभाग की भूमि के एक बड़े हिस्से का प्रयोग नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रयोग में नहीं आ रही भूमि के व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कोई योजना बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) डाकघर डाक की विभिन्न श्रेणियों के साथ-साथ वित्तीय और बीमा संबंधी मामलों पर विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। पारंपरिक मेल के घटते रूख के साथ मेल संबंधी कुछ कार्यकलापों के परियात में कमी आई है जबकि बैंकिंग और बीमा संबंधी कार्यकलापों में कार्यभार बढ़ा है।

(ग) से (छ) विभाग ने डाकघरों, प्रशासनिक कार्यालयों और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए विभिन्न जगहों पर भूखण्ड खरीदे हैं। विभाग के पास 1750 ऐसे भूखण्ड हैं जिन पर निर्माण कार्य शुरू होना है। भवनों का निर्माण आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है बशर्ते कि वार्षिक योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध रहे।

अप्रवासी भारतीयों के लिए नया मंत्रालय

1106. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों के लिए नया मंत्रालय बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंत्रालय द्वारा जिन विषयों को देखा जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नया मंत्रालय अप्रवासी भारतीयों की आकांक्षाओं को कितना पूरा कर पाएगा?

अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम 1961 के तहत पूर्व प्रविष्टि संख्या 40, जिसमें निम्नानुसार निहित है:

"अनिवासी भारतीयों के साथ संबंध जिसमें अन्य विभागों को विशेष तौर पर आवंटित प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।"

को अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

(ग) इस मंत्रालय का गठन विदेश स्थित भारतीय समुदाय की पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने में सक्रिय भागीदारी बनाने की सरकार की नीति का हिस्सा है।

महिला कन्डोम

1107. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में महिला कन्डोम के विपणन हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका महिलाओं की सेहत पर पड़ने वाले असर का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) क्या इन महिला कन्डोमों की मुफ्त आपूर्ति की जाएगी;

(घ) क्या देश में इसके उत्पादन हेतु अवसंरचना उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) देश भर में महिला कन्डोमों के विपणन पर विचार, इसकी प्रभावकारिता और स्वीकार्यता संबंधी अध्ययनों को पूरा करने के पश्चात् ही किया जा सकता है। भारत में विनिर्माण के लिए दो प्रकार के महिला कन्डोमों पर विचार किया जा रहा है।

(1) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के सहयोग से फिमेल हैल्थ कम्पनी, यू एस ए द्वारा विनिर्मित पौलियोरथेन फिमेल कन्डोम (रियलिटी)।

(2) मेडिटेक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विनिर्मित लेटेक्स फिमेल कन्डोम (डा. रेड्डी)।

ये अध्ययन राष्ट्रीय एजेन्सियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फील्ड जांच, प्रयोगकर्त्ताओं की अनुक्रिया और उत्पाद की स्वीकार्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा फिमेल कन्डोम का प्रयोग और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद जैसे कतिपय केन्द्रों पर जांच की अवस्था में है।

(ग) ऐसी कोई योजना प्रारंभ नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) रियलिटी फिमेल कन्डोमों के विनिर्माण के लिए आधारभूत ढांचा फैमली हैल्थ कम्पनी, जो लंदन के फैक्ट्री में कन्डोमों का विनिर्माण करती है, के सहयोग से हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम में विकसित किया जा रहा है। लेटेक्स फिमेल कन्डोमों का विनिर्माण मेडिटेक प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा चेन्नई में किया जाता है और इनकी आपूर्ति यूरोपीय देशों में की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और दूरसंचार प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान

1108. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और दूरसंचार प्रतिस्पर्धा की सूक्ष्म अनुक्रमणिका में भारत को क्रमश: 65वां तथा 41वां स्थान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में दी गई तालिका के अनुसार अवसंरचना परिवेश उप सूची में भारत 67वें स्थान पर है। जहां तक दूरसंचार का संबंध है, विश्व आर्थिक मंच की इंटरनेट साइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत विश्व आर्थिक मंच की विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2003-04 की विकास प्रतिस्पर्धा सूची में दी गई 102 अर्थव्यवस्थाओं में 56वें स्थान पर है।

(ख) और (ग) सरकार सतत् रूप से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की सहायता से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बाजार का परिवेश तैयार करने का प्रयास करती है। नियामक और नीतिगत ढांचा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना में निवेश करने के अनुकूल है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली ने सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए अपेक्षित कुशल समूहों की आवश्यकता पूरी की है। नवीकरण के जरिए और हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर मंचों में उच्च क्वालिटी की प्रक्रियाओं और विशेषज्ञता का अनुसरण करके साफ्टवेयर सेवा उद्योग ने स्वयं को विश्वव्यापी बाजार में स्थापित कर लिया है।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास पर कंटेनर टर्मिनल

1109. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कतिपय पक्षों से जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास पर तीसरे कंटेनर टर्मिनल के ठेके को रोकने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर बल्क वस्तुओं के घट रहे यातायात और बढ़े हुए कंटेनर-यातायात की दृष्टि से अपेक्षित क्षमता पर विचार करके, उपर्युक्त पत्तन में मौजूद बल्क टर्मिनल को निर्माण, काम-काज के संचालन और हस्तान्तरण (बी.ओ.टी.) के आधार पर पुनर्विकसित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, इस दृष्टि से, वैश्विक आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गईं और बोली लगाने की प्रक्रिया का निर्वाह करने के बाद, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी-बोर्ड ने बी ओ टी के आधार पर उपर्युक्त परियोजना का तीस वर्ष की अवधि का ठेका, भारत-सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने की शर्त पर, मेएर्सक ए/एस-कानकोर-संघ को दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया, जिन्होंने उपर्युक्त पत्तन-न्यास को 35.503% राजस्व-अंश उद्धृत करते हुए सबसे अधिक कीमत की बोली लगाई।

2. सरकार और उपर्युक्त पत्तन-न्यास को व्यक्तियों, श्रमिकों के हितों और व्यापार एवं उद्योग-जगत के कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व

कर रही यूनियनों/संघों से अभिवेदन मिलते आ रहे हैं, जिनमें, मुख्यत: श्रमिकों के हितों के संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरोकार जताते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन-न्यास के संबंध में अपर्याप्त राजस्व अंश एवं व्यापार के उन अनुचित चलनों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है, जिनमें चुनिंदा निजी प्रचालक संलिप्त हो सकता है। सभी संगत घटकों और पहलुओं पर विचार करके, सरकार ने उपर्युक्त परियोजना का ठेका, मेएर्स्क ए/एस-कानकोर-संघ को दिए जाने का प्रस्ताव के प्रति, महापत्तन-न्यास-अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अनुसार यथा अपेक्षित अनुमोदन प्रदान कर दिया है और जवाहरलाल नेहरू-पत्तन-न्यास ने दिनांक 24.06.2004 को उपर्युक्त संघ को उपर्युक्त आशय का पत्र जारी कर दिया है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) के अंतर्गत निधि का उपयोग

1110. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एम पी लैड्स के अंतर्गत आबंटित निधि का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी और कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के कारणों की पहचान की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए कौन से सुझाव दिए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1.	2001-02	-	1800 करोड़ रुपए
2.	2002-03	-	1600 करोड़ रुपए
3.	2003-04	-	1682 करोड़ रुपए

उपर्युक्त आबंटनों के संबंध में व्यय का वर्षवार ब्यौरा संबंधित जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है। तथापि, 1993 में योजना की शुरूआत से 31.03.2002, 31.3.2003 और 31.03.2004 तक व्यय के संचयी आंकड़े इस प्रकार हैं-

(करोड़ रु. में)

दिनांक तक	भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियां	जिला प्रशासन द्वारा किया गया व्यय	आबंटन की तुलना में प्रतिशत उपयोग
31.03.2002	8897.80	6610.18	74.29
31.03.2003	10497.80	8272.70	78.80
31.03.2004	12179.80	10009.38	82.18

(ग) और (घ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब के कई कारण हैं। मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

(1) संसद सदस्यों से प्राप्त सिफारिशों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने में विलंब;

(2) संबंधित कार्यकारी अभिकरणों द्वारा प्राक्कलन तैयार करने में विलंब;

(3) जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलंब;

(4) कार्यकारी अभिकरणों द्वारा समय-सीमा का अनुपालन ना किया जाना;

(5) केन्द्रक जिलों से कार्यकारी जिलों को निधियां स्थानांतरित करने में विलंब;

(6) भारत सरकार को व्यय विवरण का प्रस्तुत ना किया जाना; और

(7) भूमि की अनुपलब्धता और अधिग्रहण में विलंब।

सरकार ने कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकारों को, संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों में शीघ्रता से प्रबोधन और कार्यों के कार्यान्वयन संबंधी प्रावधानों सहित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करने का परामर्श दिया गया है। जिला प्रशासनों को निधियों के वास्तविक आबंटन की प्रतीक्षा किए बिना, उनकी पात्रता की सीमा तक कार्यों को स्वीकृत करने और व्यय रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है। उन्हें कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का भी परामर्श दिया जा चुका है। अनुशंसित कार्यों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विशेष समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

1111. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पंजाब में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण की जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार विशेषत: अमृतसर में पासपोर्ट जारी करने के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) उपर्युक्त जिला में लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) पंजाब में पासपोर्ट कार्यालयों के पांच निरीक्षण हुए हैं-चार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ के और दो पासपोर्ट कार्यालय जालंधर के-पिछले तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

पासपोर्ट कार्यालय	निरीक्षण प्राधिकारी	वर्ष
चंडीगढ़ और जालंधर	विदेश मामलों से सम्बद्ध संसद की स्थायी समिति	2001
चंडीगढ़	सचिव (पी सी डी)	2003
जालंधर	निदेशक (पी वी)	2003
चंडीगढ़	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विनोद कुमार खन्ना	2004

(ग) 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ और पासपोर्ट कार्यालय जालंधर में पासपोर्ट जारी करने के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या क्रमश: 12,140 और 8,371 है, और बाद वाले में 1,922 अमृतसर के हैं।

(घ) सरकार द्वारा पासपोर्टों को लम्बित रखने से रोकने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य पासपोर्ट कार्यालयों से अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती, कम्प्यूटरीकरण, जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदन पत्रों के जमा करने का विकेन्द्रीकरण, पासपोर्टों का मशीन लेखन तथा पुलिस जांच में शीघ्रता शामिल है।

प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे कुटीर उद्योग

1112. श्री किरिप चालिहा: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कुटीर उद्योग कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में पारम्परिक कुटीर उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वार क्या कार्रवाई की गयी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण से काटेज तथा ग्रामीण उद्योगों सहित देश के उद्योग, मार्किट में बड़ी ही प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। सरकार की रणनीति काटेज तथा ग्रामीण उद्योग सेक्टर के सुदृढ़ीकरण की है, ताकि यह मार्किट लेड इकानामी में प्रतिस्पर्धात्मक बना रह सके तथा अतिरिक्त व्यवसाय के अवसर सृजित कर सके। काटेज तथा ग्रामीण उद्योग कार्यान्वयन कर रही है और बैंक ऋणों पर ब्याज की सब्सिडीडाइज्ड रेट्स प्रदान कर रही है। सुधरी हुई डिजाइनों के लिए प्राडक्ट डिवलपमेंट डिजाइन इन्टरवेंशन एंड पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) स्कीम तथा मार्जिन मनी के रूप में सब्सिडी प्रदान करके ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

उदाहरणत: कयर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरीकल्चर, लैदर, पैटरी जैसे परम्परागत उद्योगों के पुन: सृजन के लिए तथा अन्य काटेज उद्योगों के संबंध में सरकार ने 100 करोड़ रु. के आरंभिक आबंटन से एक फण्ड की स्थापना की है।

[हिन्दी]

माल्टा घटना

1113. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल्टा घटना के नाम से प्रसिद्ध 25 दिसम्बर, 1996 को नौका डूबने की घटना में कितने भारतीय मारे गए थे;

(ख) क्या केन्द्र या संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उक्त घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को कोई वित्तीय या अन्य सहायता दी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच आयोग नियुक्त किया था; और

(छ) यदि हां, तो उक्त आयोग के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) इस हादसे से बचे हुए लोगों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर इस दुर्घटना में लगभग 166-175 भारतीयों के मारे जाने का अनुमान है।

(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा पीड़ितों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि माल्टा नाव दुर्घटना के शिकार लोग उचित यात्रा दस्तावेजों के बिना ही विदेश में अवैध उत्प्रवासन में लिप्त थे। सरकार द्वारा इस हादसे के शिकार लोगों को मुआवजा देना न केवल उनकी आपराधिक गतिविधियों को क्षमा करना होगा अपितु उनका खुल्लमखुल्ला समर्थन करना होगा। तथापि पंजाब सरकार ने इस हादसे के शिकार 79 लोगों जिनका ब्यौरा जीवित बचे लोगों द्वारा दिया गया था, के परिवारों को प्रत्येक को 50,000 रु. का राहत अनुदान दिया।

(ग) सरकार माल्टा नाव त्रासदी जांच मिशन के अध्यक्ष श्री बलबंत सिंह खेड़ा के माध्यम से हादसे के शिकार लोगों और उनके परिवारों के हितों के लिए हर संभव सहायता कर रही है। उन्हें संबंधित इतालवी विधिक परामर्शदाता जो दावे को बांटने के आधार पर मुआवजे के मामले में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, के साथ संपर्क में रहने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) यद्यपि सी बी आई द्वारा कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। इस मुद्दे पर नवीनतम सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) इस संबंध में कोई जांच समिति नियुक्त नहीं की गई है। केवल सी बी आई जांच के आदेश दिए गए थे।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बुनियादी फोन पर एसटीडी सुविधा

1114. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादी फोन पर एसटीडी सुविधा एक निश्चित राशि के सुरक्षा जमा के भुगतान पर ही मिल सकती है;

(ख) क्या इस प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के स्थानीय फिक्स्ड लाइन फोन के उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा जमा के सर्किल के भीतर अर्थात् '95' लेवल पर एसटीडी काल कर सकते हैं या ''वर्चुअल कालिंग कार्डों'' का उपयोग कर गैर-एसटीडी फोन से एसटीडी काल कर सकते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एसटीडी की सुविधा रखने वाले उपभोक्ता का टेलीफोन बिल सामान्यत: अधिक होता है। उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में इन बकाया राशियों की वसूली के लिए सुरक्षा जमा आवश्यक है।

अवैध फोन रैकेट

1115. श्री अधीर चौधरी:
डा. पी.पी. कोया:
श्री उदय सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मुम्बई में करोड़ों रुपये के अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन घोटाले का पता चला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय फोन काल कराने में अवैध फोन रैकेट की कार्यशैली क्या थी;

(ग) इसके परिणामत: सरकार को अनुमानत: कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। हाल ही में मुम्बई में ऐसे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन घोटाले का पता नहीं चला है जिससे सरकार के करोड़ों रुपए का घाटा हुआ हो। तथापि, वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान एमटीएनएल, मुम्बई में वैध गेटवे को बाईपास करके आवक अंतर्राष्ट्रीय कालों को अवैध रूप से अग्रेषित करने के 13 मामलों का पता चला है।

(ख) इन सभी मामलों में वे प्राइवेट पार्टियां अंतर्राष्ट्रीय कालों को अवैध रूप से प्रेषित करती हुई पाई गई जिन्होंने विभिन्न सेवा प्रदाताओं से टेलीफोन लाइनें/मोबाइल कनेक्शन और लीज्ड लाइनें ली थीं। अपनाई गई कार्यशैली के तहत लीज्ड लाइन के माध्यम से आवक अंतर्राष्ट्रीय काल ट्रैफिक को लाकर और हाई-टेक उपस्करों का इस्तेमाल करके उसे दूसरे मार्ग पर ले जाते थे तथा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) क जरिए कालों को आगे अंतिम प्रयोक्ता तक पहुंचाते थे।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान सरकार और सेवा प्रदाताओं को हुए अनुमानित घाटे की राशि 1,17,04,793/- रुपए है। इसमें से, जिस एक मामले में अधिकतम घाटा हुआ है उसकी राशि 22,69,999/- रुपए है। इस घाटे का अनुमान इस धारणा के आधार पर लगाया गया है कि ये कालें वैध गेटवे के जरिए अग्रेषित होती तथा इनसे होने वाली राजस्व की कमाई सरकार और सेवा प्रदाताओं को प्राप्त होती।

(घ) इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(1) पुलिस प्राधिकारियों के पास इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया है।

(2) टेलीफोनों की बड़ी संख्या में की गई बुकिंग का निरीक्षण करके तथा कालों के परियात की अधिक निगरानी करके धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य को सुदृढ़ किया गया है।

(3) सेवा प्रदाताओं और जांच एजेंसियों में घनिष्ठ ताल-मेल रखा जाता है ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

(4) विशेष रूप से दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए चार महानगरों में समर्पित सीबीआई प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है।

(5) दूरसंचार विभाग ने ऐसी अवैध इकाइयों को शीघ्रातिशीघ्र रोकने/खत्म करने हेतु अपेक्षित कदम उठाने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

1116. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय विदेशी जेलों में बंद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शीघ्र ही उन्हें छुड़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसे मामलों में भारतीय मिशन/केन्द्र हर संभव सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस सहायता में, यदि संभव है, भारतीय राष्ट्रिकों की रिहाई, उनसे मुलाकात कर उन्हें विश्वास दिलाना कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, शीघ्र मुकदमा चलाए जाने को सुविधाजनक बनाना और जेलों में उपयुक्त रहन-सहन व्यवस्थाएं करवाना और उपचार शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	देश	विदेशों में जेलों में बंद भारतीयों की संख्या
1	2	3
1.	अल्जीरिया	9
2.	अर्जनटीना	3
3.	अर्मेनिया	1
4.	असरिया	0
5.	आस्ट्रेलिया	1

1	2	3
6.	अजरबैजान	0
7.	बहरीन	163
8.	बंगलादेश	738
9.	बेल्जीयम	14
10.	बेलीज	0
11.	भूटान	30
12.	बोलिविया	0
13.	बोत्सवाना	5
14.	ब्राजील	0
15.	ब्रूनेई	0
16.	बुल्गारिया	0
17.	बुर्किना फासो	0
18.	कनाडा	1
19.	केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य	0
20.	चिली	0
21.	चीन	34
22.	कोलंबिया	0
23.	कंबोडिया	1
24.	कोमोरोस	0
25.	कोट डी आइवर	0
26.	क्रोएशिया	0
27.	क्यूबा	4
28.	साइप्रस	49
29.	चेक गणराज्य	1
30.	डेनमार्क	9
31.	जूबोटी	0
32.	एल स्लवाडोर	0
33.	इतियोपिया	0
34.	फिजी	0
35.	फिनलैंड	1
36.	फ्रांस	190
37.	जर्मनी	0
38.	घाना	0
39.	ग्रीस	198
40.	गुआटामाला	0
41.	गिनी	0
42.	गुयाना	0
43.	होंडूरस	0
44.	हांगकांग	39
45.	हंगरी	3
46.	इंडोनेशिया	3
47.	इरान	4
48.	आयरलैंड	0
49.	इस्राइल	170
50.	इटली	39
51.	जमैका	2
52.	जापान	2
53.	जार्डन	4
54.	कुवैत	134
55.	लात्विया	0
56.	लैबनान	160
57.	लाइबेरिया	0
58.	लीबिया	11
59.	मेसीडोनिया	0

1	2	3
60.	मेडागास्कर	2
61.	मलेशिया	568
62.	मालदीव	12
63.	मैक्सिको	0
64.	मंगोलिया	0
65.	मोजांबिक	0
66.	म्यांमा	50
67.	नामिबिया	0
68.	नीदरलैंड	152
69.	निकारागुआ	0
70.	निजार	0
71.	ओमान	22
72.	पाकिस्तान	1182
73.	पनामा	3
74.	पपुआन्यूगिनी	0
75.	पेरू	0
76.	पोलैंड	1
77.	पुर्तगाल	5
78.	कतर	21
79.	रूसी परिसंघ	120
80.	सऊदी अरब	1160
81.	सर्बिया व मौतेगरो	5
82.	सिसैल्स	0
83.	सियारा लियोन	0
84.	सिंगापुर	345
85.	सलोवक गणराज्य	12
86.	सोलोमन द्वीप	0
87.	दक्षिण अफ्रीका	3
88.	श्रीलंका	3
89.	सूडान	0
90.	स्वाजीलैंड	0
91.	स्वीडन	0
92.	स्विटजरलैंड	4
93.	सिरिया	10
94.	ताजिकिस्तान	1
95.	तंजानिया	2
96.	थाइलैंड	31
97.	टोगो	0
98.	तुनिसिया	0
99.	तुर्की	45
100.	सं. अरब अमीरात	597
101.	यू के	233
102.	अमरीका	101
103.	यूगांडा	0
104.	यूक्रेन	231
105.	उजबेकिस्तान	0
106.	बानुआतु	0
107.	वियतनाम	0
108.	यमन	0
109.	जिम्बावे	0
	कुल	6944

ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय समझौते

1117. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ यूनाइटेड किंगडम द्वारा भेजे गए कुछ प्रस्तावों पर चर्चा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अधिक संवाद का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कौन से सकारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ङ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उपायों पर लगातार चर्चा की जा रही है। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रकार के कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मांगा गया लाइसेंस

1118. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दिल्ली और मुंबई के टेलीकाम सर्किल में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीएसएनएल को कब तक लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामत: एमटीएनएल पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, हां। बीएसएनएल ने दिल्ली और मुम्बई के दूरसंचार सर्किल में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस मांगा था तथा उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

(घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कीटनाशी अवशिष्टों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

1119. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोका कोला और पेप्सी सहित विभिन्न ब्रांडों में शीतल पेयों में कीटनाशी अवशिष्टों की उपस्थिति की जांच हेतु एक नए विशेषज्ञ पैनल के गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर पिछली सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने साफ्ट ड्रिंक्स, फलों के रस और अन्य पेयों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों तथा उनके लिए सुरक्षा मानकों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. द्वारा जांच किए गए रिश्वत संबंधी मामले

1120. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एक सिटी कोर्ट में सी.बी.आई. पर भ्रष्टाचार के आरोपी दिल्ली जोन के सेंट्रल एक्साइज चीफ कमिश्नर और फ्लेक्स इंडस्ट्रीज चीफ के विरुद्ध एक विशेष मामले में ठीक से जांच न करने का आरोप लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.बी.आई. इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं कर सकी कि सेंट्रल एक्साइज चीफ कमिश्नर के कार्यालय/आवास से बरामद धन रिश्वत से हासिल किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिश्वत के मामले को बिना किसी ठोस सबूत के न बनाया जाए, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) विशेष न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय ने अपने दिनांक 26.05.2004 के आदेश में टिप्पणी की कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र दायर करके तथा इसी प्रकार के एक अन्य मामले में, मामले को समाप्त किए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करके सी.बी.आई. ने भेदभावपूर्ण मापदण्ड अपनाए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है जिसे दिनांक 6.7.2004 को स्वीकार कर लिया गया है। चूंकि विशेष न्यायालय ने अभियुक्तों को आरोप लगाए जाने के स्तर पर दोषमुक्त कर दिया था, इसलिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को गवाह प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिल पाया।

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण

1121. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अब भी नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में भर्ती, चूंकि धर्म के आधार पर नहीं की जाती है अत: सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टरों/नर्सों/पारामेडिक्स की कमी

1122. श्री के.एस. राव:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सरकारी अस्पतालों तथा सीजीएचएस डिस्पेंसरियों में डाक्टरों, नर्सों तथा पारामेडिक्स की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अस्पताल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, हां। सरकार के आकार को कम करने के दृष्टिकोण से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 16.5.2001 के का.ज्ञा. संख्या 2/8/2001-पी आई सी के तहत सभी विभागों को अनुदेश दिए कि वे सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के एक तिहाई तक सीमित करें जो आगे इस अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी कि यह विभाग की कुल स्वीकृत क्षमता के 1 प्रतिशत से अधिक न हो।

डाक्टरों आदि सहित समूह ''क'' पदों के लिए, इस संबंध में वार्षिक भर्ती योजना की स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति द्वारा दी जानी होती है। समूह ''ख'', ''ग'' और ''घ'' पदों की भर्ती की स्वीकृति सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा दी जानी होती है।

चूंकि उपर्युक्त दिशानिर्देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्तियों हेतु लागू करने में कठिनाई होगी, अत: स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया है, इसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 के अनुदेशों की सीमा से तकनीकी/वैज्ञानिक पदों के लिए छूट की अपेक्षा है ताकि कार्मिक शक्ति की कमी को पूरा किया जा सके।

सी.बी.आई. के छापे

1123. श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री गुरुदास कामत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने संदेह के घेरे में आए अधिकारियों तथा सरकारी विभागों व संगठनों में भ्रष्टाचार के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों

को लक्षित करने/उनकी पहचान करने के लिए देश भर में विभिन्न ठिकानों पर 25.06.2004 को छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उन ठिकानों का ब्यौरा क्या है जहां छापे मारे गए थे;

(ग) छापे में हुई बरामदगी और गिरफ्तार लोगों तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 25.06.2004 को देशभर में 50 शहरों तथा कस्बों में संचालित विशेष अभियान में 64 लोक सेवकों तथा 49 निजी व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध 39 मामले दर्ज किए गए हैं। इस अभियान में, अपराध में संलिप्तता दर्शाने वाले दस्तावेज लगभग 9.1 करोड़ रुपए की नकदी, 249 अमेरीकी डालर की विदेशी मुद्रा आदि की बरामदगी हुई।

(घ) सरकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने की दृष्टि से, निवारक-सतर्कता, निगरानी तथा सुरागरसानी की त्रिसूली रणनीति से युक्त भ्रष्टाचार-निरोधी नीति तैयार करने, उसकी मानीटरिंग और उसके कारगर कार्यान्वयन तथा निवारक-दण्डात्मक कार्रवाई जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। 25.06.2004 को संचालित विशेष अभियान इसी रणनीति का हिस्सा था।

फ्रीडम आफ इनफार्मेशन एक्ट, 2002

1124. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "फ्रीडम आफ इनफार्मेशन एक्ट, 2002" को अब तक लागू नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह अधिनियम कब तक लागू हो पाएगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) फ्रीडम आफ इनफार्मेशन एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों की अधिसूचना जारी किए जाने और इस संबंध में मूलभूत ढांचा तैयार किए जाने के लिए अन्तरमंत्रालयी/विभागीय परामर्श के साथ-साथ राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना अपेक्षित होता है। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा वैसे ही उपर्युक्त अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि अधिसूचित किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में रोजगार

1125. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई सरकार ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष में 100 दिन रोजगार देने का वायदा किया है;

(घ) यदि हां, तो अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) शेष 265 दिनों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(छ) उक्त कार्यक्रम से कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी हां।

(ख) न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) का ब्यौरा वैबसाइट www.pmindia.nic.in पर उपलब्ध है तथा संसद के पुस्तकालय में मुद्रित प्रतियां भी उपलब्ध हैं।

(ग) से (छ) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार सरकार एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाएगी। यह कम से कम 100 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देगा तथा शुरू में प्रतिवर्ष ऐसे परिसम्पत्ति-सृजक सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों का प्रावधान किया जाएगा जिसमें प्रत्येक ग्रामीण, शहरी गरीब तथा निम्न-मध्यम वर्ग के परिवार के कम से कम एक समर्थ व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी मिल सके।

गलत जानकारी देना

1126. श्री विजय कृष्ण: क्या **प्रधान मंत्री** फर्मों के पंजीकरण की समीक्षा के बारे में दिनांक 4 दिसम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मामले पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार के उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिन्होंने दिनांक 6 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 879 के उत्तर में मिलटन जगों पर लगे अधिकतम मूल्य के स्टीकर की गलत जानकारी दी थी जबकि उनका अधिकतम मूल्य वास्तव में कम था; और

(घ) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को बचाने के क्या कारण हैं तथा अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) आश्वासन की पूर्ति करने वाला "कार्यान्वयन विवरण" अब संसदीय कार्य मंत्रालय को भिजवा दिया गया है।

(ग) और (घ) इस बारे में जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.01

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी मद पर विचार करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, व्यवधान न डालें। क्या आप यह नहीं देख रहे हैं कि पत्रों को सभा पटल पर रखा जा रहा है?

...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 182/2004]

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 183/2004]

(2) (एक) सीमेंस भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के 37वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सीमेंस भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सीमेंस भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 184/2004]

(4) (एक) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 185/2004]

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 186/2004]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 187/2004]

(2) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 188/2004]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 189/2004]

(6) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एण्ड यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 190/2004]

(8) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 191/2004]

(10) (एक) सेन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 192/2004]

(12) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 193/2004]

(14) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (रिटर्न का प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2004 जो 10 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 2004 जो 10 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 194/2004]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 195/2004]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2002 जो 6 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र जो 4 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय वन सेवा (कैडर स्ट्रेंथ का नियतन) संशोधन विनियम, 2002 जो 21 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 372 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2002 जो 21 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (कैडर स्ट्रेंथ नियतन) संशोधन विनियम, 2002 जो 6 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 108 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र जो 4 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) भारतीय वन सेवा (कैडर स्ट्रेंथ का नियतन) संशोधन विनियम, 2003 जो 26 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 173 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2003, जो 26 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (कैडर स्ट्रेंथ का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 2002, जो 21 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 2002, जो 21 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधित नियम, 2002, जो 21 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (कैडर स्ट्रेंथ का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 2002, जो 21 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन, नियम, 2003, जो 7 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 196/2004]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): मैं डा. शकील अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 197/2004]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 198/2004]

(4) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स (सी-डाट) के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स (सी-डाट) के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 199/2004]

(6) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 19 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-4/2000-ए एंड एल (खंड 1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 200/2004]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 201/2004]

अपराह्न 12.03 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैंने भूख से होने वाली मौतों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव हेतु सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में एक गंभीर सवाल हम उठाने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी सदन से उठकर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपसे कहा गया है कि हम तथ्य चाहते हैं। वे अभी लम्बित हैं। इस पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। हमें इस बारे में तथ्य मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि यही प्रक्रिया है...

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: क्या आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका देंगे? उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): आपने कहा था कि हमारी बात सुनेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं सबकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने आपसे 'जीरो आवर' में परमीशन मांगी थी इस बात के लिए कि पंजाब के एक पेपर में आया है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैंने आपको सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय: सूचना कहां है? पहले सूचना आने दीजिए और हम इस पर चर्चा करेंगे। अब कुमारी ममता बैनर्जी एक मिनट बोलेंगी।

कुमारी ममता बैनर्जी: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है क्योंकि आप भी इस बात को मानेंगे कि अमलासोल, बिनपुर, बेलपहारी, बाजपहाड़ी, काकराझोर और सम्पूर्ण झाड़ ग्राम मण्डल में भूख से मौतें हो रही हैं और सरकार भी इन बातों से अवगत है। महोदय, आपके मुख्य मंत्री ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। ममता जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, बहुत सारे लोग भूख से मर गए हैं। स्थिति बहुत खराब है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूं कि इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक दल भेंजे। जनजातीय लोग मर रहे हैं। उनके पास पिछले छह महीनों से भोजन नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात पूरी कर ली है।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, ये मेरी बातों में व्यवधान डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप उन पर ध्यान मत दीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, क्या आप मुझे मेरी बात पूरी करने का अवसर देंगे? मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अधिक समय नहीं लूंगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दे दी है। मैंने उनसे शान्ति बनाये रखने को कहा है। कृपया आप अपनी बात आधी मिनट में पूरी कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं अपनी बात 30 सेकेण्ड में पूरी करूंगी।

महोदय, लोगों को पिछले छह महीनों से खाना नहीं मिल रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार उन्हें तत्काल राहत प्रदान करे ताकि उनका जीवन बच सके। महोदय, उत्तरी बंगाल-दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में जनजातीय लोग और श्रमिक मर रहे हैं ...*(व्यवधान)*। वे राहत चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दे दी है। मैं कह चुका हूं कि हम तथ्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया सहयोग करें। मैंने आपको मौका दे दिया है। कृपया सहयोग करें। धन्यवाद।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, कृपया इस बारे में बाद में निर्णय लें। यह बहुत गम्भीर स्थिति है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही असामान्य बात है। मैंने आपको अनुमति दी क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मसला है। कृपया बैठ जाएं।

अब, श्री रामजी लाल सुमन।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, कृपया मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। कृपया सहयोग करें। सभी अपना मामला पहले चाहते हैं। इस पर कैसे निर्णय लिया जा सकता है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आपका मुद्दा 56वें नम्बर पर है। किन्तु श्री रामजीलाल सुमन के बाद मैं आपको मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह क्यों कर रहे हैं। आप बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें। श्री रामजीलाल सुमन अब तक अपनी बात समाप्त भी कर चुके होते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लगभग 64 माननीय सदस्यों ने अपने मुद्दों के लिए सूचना दी है जिन्हें वे अतिमहत्वपूर्ण समझते हैं। माननीय सदस्यों आपको अध्यक्षपीठ के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना के बारे में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, आप एक मंत्री थे। आप को मालूम होना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना चाहिए।

यदि हर कोई अपना मुद्दा पहले उठाना चाहता है तो मुझे सभी माननीय 64 सदस्यों को एक साथ आमन्त्रित करना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: आपको सूचना भेज दी है कि हमने उसे एडमिट नहीं किया है।

[अनुवाद]

इसे अनुमति नहीं दी गई है। मैं सभी को अवसर देने का प्रयास करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ जी, आप इस मामले पर सामान्य बजट पर वाद-विवाद के दौरान चर्चा कर सकते हैं।

अब श्री रामजीलाल सुमन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के वक्तव्य के अलावा और किसी का वक्तव्य कार्यवाहीवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह परम्परा बन गई है कि हरेक माननीय सदस्य दूसरे बोलने वाले माननीय सदस्य को बाधा पहुंचा रहे हैं। हरेक अपना मामला पहले उठाना चाहते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं सभी मामलों में आप सबको पूरा अवसर दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। हरेक अपना मामला पहले उठाना चाहता हैं। यह कैसे संभव है? श्री रामजीलाल सुमन एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, जब तक मैं आपको नहीं पुकारता तब तक आपकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। अब श्री रामजीलाल सुमन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसे व्यवहार करेंगे तो मैं अगले विषय पर चला जाऊंगा।

श्री रामजीलाल सुमन के अलावा सभी माननीय सदस्य बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ जी, मैंने पहले ही कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया गया है। आप इस पर सामान्य बजट पर वाद-विवाद के दौरान चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको हर रोज अवसर दे रहा हूं। आपको इसका पता है। आप मेरी कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं। आप इतने जिम्मेदार सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, संक्षेप में बोलिए ताकि बहुत से माननीय सदस्य भाग ले सकें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती है और हम यह विनम्र आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर यह सदन नहीं बंटेगा। बिहार के हमारे तमाम लायक दोस्त, जो 13वीं लोक सभा के सदस्य थे, जब वे बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करते थे तो पूरा सदन उनके साथ होता था। *...(व्यवधान)* विगत सरकार ने क्या दिया, आप सरकार में थे। यह सरकार क्या दे रही है, यह अलग सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर सब लोगों की भावना यह रहती थी कि बिहार के साथ *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बिहार का उल्लेख न करें क्योंकि श्री प्रभुनाथ सिंह नाराज हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश ने विशेष आर्थिक पैकेज की जो मांग की है, उसका पूरा दस्तावेज मेरे पास है। महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वह देश के अंतिम राज्यों में से दूसरा है और इस राज्य की आबादी लगभग 17 करोड़ है, जो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर उत्तर प्रदेश अलग देश रहा होता तो यह दुनिया का सातवां राष्ट्र होता। वहां बेबसी, लाचारी एवं गरीबी है। 13 जून को प्रधानमंत्री जी से स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने मिल कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था और यह विनम्र आग्रह किया था कि वित्त मंत्री जब बजट प्रस्तुत करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है, उसका जरूर ख्याल रखें। यह जो विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की गई है, इसमें ब्यौरेवार किन मदों के लिए कितने धन की आवश्यकता है, विकास के किन कार्यों में यह दौलत खर्च की जाएगी, इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि वर्ष 1991 में मानव विकास सूचकांक का औसत 0.381 है जब कि उत्तर प्रदेश का सूचकांक 0.314 प्रतिशत है। गरीबी रेखा से नीच जीवनयपान करने वाले मानव की संख्या का राष्ट्रीय औसत लगभग 26 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश का 31 प्रतिशत है। वर्ष 2000-2001 में उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 9,223 रुपए की है, जब कि राष्ट्रीय औसत आय 16,487 रुपए है। उत्तर प्रदेश में बेबसी, लाचारी एवं गरीबी है। राज्य सरकार के पास अपने सीमित आर्थिक संसाधन हैं। वहां की प्रदेश की जनता के सात इंसाफ हो, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से विनम्र आग्रह किया था कि भारत सरकार विशेष इमदाद, विशेष मदद उत्तर प्रदेश को करे, जिससे वहां के 17 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ किया जा सके। महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमरा संरक्षण तो जरूरी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप जल्दी-जल्दी बोलिए, बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की कि उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई संदेश इस तरह का नहीं मिला है, जब कि प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने विनम्र आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। जैसे कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद थे, हम चाहते थे कि वे हमारी बात सुन कर इसका उत्तर देते। हमारे आग्रह करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी यहां नहीं हैं, हम चाहते हैं कि यह जो विशेष आर्थिक पैकेज की मांग उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से की गई है, *...(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): कितना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: 18,230 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके मार्फत कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आएं और उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट प्रतीक्षा करें। कृपया मुझे कार्यवाही चलाने दें। श्री मोहन सिंह, मैं जानता हूं कि आप हमेशा सहयोग करते हैं। कृपया आधा मिनट शांत रहिए।

मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 13 या 14 माननीय सदस्य हैं जिन्होंने ऐसी ही सूचनाएं दी है। मैं आपसे इसके साथ सहबद्ध होने का अनुरोध करता हूं। यदि आपके पास कुछ नया कहने को है तो आप कह सकते हैं। मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इसे बजट पर बहस में भी उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनकी तरक्की के लिए हम विचार करेंगे। उनके सामने हम जाएंगे। पहले से गाडगिल मुकर्जी फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योजना आयोग से जितनी राशि की हमें अपेक्षा रहती थी, हमें किसी वर्ष में नहीं मिली है और इस वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो इस देश के पिछड़े हुए राज्य हैं, उनके हिस्से को काटने की कोशिश की है। हमने जो 18 हजार करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन उसमें 3-4 मांगें अरजेंट नेसेसिटी की हैं, जिनमें शुद्ध पेयजल, कृषि के लिए जल संसाधन और सड़कों के लिए कम से कम पांच हजार करोड़ रुपया यदि एक महीने के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने रिलीज नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की गति हम देना चाहते हैं, उस काम को हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने वृहत्तर विकास की योजनाओं के लिए 18 हजार करोड़ से अधिक की मांग की है, लेकिन हमारी तत्काल आवश्यकता के अनुसार जो अरजेंट नेसेसिटी की चीजें है, ग्रामीण पेयजल, शहरी पेयजल, कृषि के लिए जल और उसके साथ-साथ विद्युतीकरण के लिए 4500 करोड़ रुपये की जो मांग हैं, ये अरजेंट नेसेसिटी की डिमांड्स हैं। इनके ऊपर भारत सरकार तत्काल विचार करे और जब तक पिछड़े राज्यों के लिए कमीशन की रिपोर्ट आये, उसके पहले ही एक टोकन ग्रांट के तौर पर भारत सरकार को उत्तर प्रदेश को रिलीज करना चाहिए, यह हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रेवती रमण सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री मुनव्वर हसन, श्री राजनरायन बुधौलिया, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्रीमती ऊषा वर्मा, श्री चन्द्रभूषण सिंह, कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री तूफानी सरोज, श्री अखिलेश यादव, श्री पारसनाथ यादव, डा. शफीकुर्रहमान बर्क और श्री रवि प्रकाश वर्मा ने भी ऐसी ही सूचनाएं दी हैं। वे यह समझने की कोशिश करें कि मैं एक ही विषय पर चौदह और सदस्यों को बोलने के लिए नहीं बुला सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सब को दो-दो मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, दो-दो मिनट नहीं देंगे।

[अनुवाद]

श्री रामजीलाल सुमन और श्री मोहन सिंह ने मामले को बहुत अच्छी तरह रखा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां थे और हमने आपके मार्फत आग्रह किया था कि प्रधान मंत्री जी यहां रहते *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि मैं उन्हें तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वरिष्ठ मंत्री यहां हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी है। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसदीय कार्य मंत्री क्या आप उत्तर देना चाहते हैं? मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, हम अब उत्तर नहीं दे सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह अब उत्तर नहीं देना चाहते। वह इसे बाद में देखेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सरकार का कोई सिद्धान्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता भी तो बोलना चाहते हैं, हमारे नेता की बात सुन ली जाये। यहां सरकार बैठी है, सरकार की ओर से कोई रेस्पोंस नहीं है। 17 करोड़ 20 लाख जनता की ओर से यह एक सवाल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बजट पर बहस के दौरान इसे पुन: उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप वक्तव्य के लिए तो कह सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: क्या सरकार इस पर रेस्पोंड भी नहीं करेगी?

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): सरकार की इस उपेक्षा के खिलाफ हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.20 बजे

(इस समय प्रो. राम गोपाल यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर सतलुज, व्यास नहर का मामला उठा था। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था। *...(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने

अपने वक्तव्य में चारों मुख्य मंत्रियों को बुलाकर बातचीत करने के लिए अपनी बात यहां रखी थी। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के अलग-अलग हित हो सकते हैं। पंजाब अपनी बात रखे, राजस्थान अपनी बात रखे, हरियाणा अपनी बात रखे। ये सारे मिलकर सुप्रीमकोर्ट में अपनी बात रखें, प्रधान मंत्री के पास अपनी बात रखें और अपने-अपने हितों की बात करें। परन्तु ऐसा कानून बनाना जिसमें पहले के सारे सौदे, सारे समझौते रद्द हो गये। उन सारे समझौतों को रद्द करके आगे चलना, इसमें महत्व की बात यह है कि आज अखबार में छपा है कि उन्होंने यह करने से पहले सोनिया जी से बातचीत की और सोनिया जी से बातचीत करने के बाद उन्होंने वहां पर इस कानून को बनाया। इसमें यह भी लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर किया गया। प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की गयी और सिर्फ सोनिया जी से बातचीत करके ऐसा कानून वहां पर बनाया।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी को इससे इंकार करने दें। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैंने एक सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक मौका दूंगा। उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल यह मामला बहुत जोर से उठाया गया था। माननीय प्रधान मंत्री आए और इस सभा में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने लोक सभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता और राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता द्वारा दिए गए सहयोग का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा था कि मामले पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कोई मतभेद नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सोनिया जी का चीफ मिनिस्टर से बात करना *...(व्यवधान)* क्या सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं? *...(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि कल की बातचीत में क्या हुआ? मुख्य मंत्रियों से बातचीत करने के बाद क्या फैसला हुआ? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप वही बात उठा रहे हैं। यह वही बात है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इससे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि में आग लग जायेगी। *...(व्यवधान)* प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल ही उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। कल आप सब संतुष्ट थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस तरह नहीं चल सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सोनिया जी इस बात को एक्सप्लेन करें कि उनसे पूछा गया या नहीं पूछा गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): हम श्रीमती सोनिया गांधी से एक स्पष्टीकरण चाहते हैं *...(व्यवधान)* उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: प्राइम मिनिस्टर को नहीं पूछना और सिर्फ सोनिया जी से पूछा जाना, ऐसा कांग्रेस की हुकूमत कर रही थी। क्या उनकी मर्जी के सारे समझौते रद्द कर दिये गये? सारे समझौते एक साथ कैसे रद्द कर दिये गये? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी सभा में उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)* वह सभा में बता सकती हैं ...*(व्यवधान)* उन्हें आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री अनंत कुमार: यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे नहीं चल सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कौन सुपर प्राइम मिनिस्टर हो, उनके घर का मामला है। यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह हो गया है। आप बैठिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): यह सरकार कैसे चल रही है? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्हें ऐसे कहने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हम उनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्हें स्पष्टीकरण देने दें। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): श्रीमती सोनिया गांधी को सभा में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अब हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या उनसे परामर्श किया गया था या नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और कोई भी नहीं बोल पाएगा। मैंने आपको बोलने का अवसर दिया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उस वक्त वहां प्राइम मिनिस्टर ने रोका क्यों नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार: उन्हें स्पष्टीकरण देने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री आए और जवाब दिया।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका प्रश्न नहीं उठता। नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा नहीं है। आप विषय के प्रति गंभीर नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सारे अधिकारी एवं मंत्री लूट में लगे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* हजारों टन कोयले की तस्करी अपराधियों एवं पुलिस द्वारा हजारीबाग, धनबाद और बोकारो में हो रही है। पुलिस का जुल्म अंग्रेजी सरकार को भी मात कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सबको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: 12 मई को हजारीबाग जिले के पतराजू थाने में श्री दिनेश करमाली को सौ से ज्यादा लाठी मारी गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार: महोदय, वह सभा में मौजूद हैं। आपके माध्यम से हम श्रीमती सोनिया गांधी से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह तो एक नई प्रक्रिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि मुझे आपका जवाब देने के लिए इस सभा के एक माननीय सदस्य को बाध्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं यह ठीक नहीं है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: रामगढ़ में दिन के साढ़े ग्यारह बजे सरोगी परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं पा रही है। ...*(व्यवधान)* अब उल्टे रामगढ़ का डीएसपी परिवार के सभी बचे हुए सदस्यों के मुंह में रिवाल्वर रखकर बोलता है कि तुम लोगों ने ही हत्या की है। तुम यह स्वीकार करो नहीं तो गोली मार दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अनुचित है। आप मेरी अनुमति का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने आपको बुलाया। मैं जानता था कि आप नदी विवाद के मामले का संदर्भ देंगे। परन्तु आप अप्रासंगिक मामलों की बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: 8 जुलाई को श्री कर्म ठाकुर को साढ़े आठ बजे करकम साण्डी थाने में ले जाकर इतना पीटा गया कि एक बजे उसकी मौत हो गई। हमने तमाम अपराधों के संबंध में डीजीपी झारखंड, मुख्य मंत्री और चीफ सैक्रेटरी से बात की लेकिन न ही कोई नतीजा निकला और न ही कोई कार्यवाही की गई। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सरकार कैसे निर्णय लेती है। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार को बरखास्त कर वहां राज्यपाल शासन लगाया जाए और चुनाव कराए जाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगारप्पा: श्रीमती सोनिया गांधी को वक्तव्य देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी यहां बैठी हुई हैं। इनसे जवाब दिलवाया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कौन जवाब देगा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप बताएंगे कि आपको कौन जवाब देगा? मुझे अफसोस है। यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जो अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। आपके सम्मानित सहयोगी सुखदेव सिंह ढींडसा एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। मैं उनको नहीं बुला सकता क्योंकि आप कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा। मैं स्वीकार्यता के बारे में निर्णय करूंगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, इनका क्या हुआ। बीजेपी, शिवसेना एक तरफ, ममता, समता एक तरफ। एनडीए टूट गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार बोलेंगे। कृपया संक्षिप्त रूप से बोलिएगा।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): जी हां, महोदय। मैं संक्षिप्त रूप से बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, केरल राज्य में, समूचा पौधरोपण उद्योग अनिश्चय की स्थिति में है। मैं इस सभा का ध्यान केरल के एक सबसे छोटे जिले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसे वायानाड जिले के रूप में जाना जाता है और जहां विशाल चाय के बागान बंद पड़े हैं। वायानाड जिले में असम ब्रूक बागान, पड्डोर बागान, जो कि विशाल चाय बागान है। आठ-नौ महीनों से बंद पड़े हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त रूप से बोलिए।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: हजारों मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। इस छोटे से जिले में ब्यान्वे लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इस जिले में केवल 7,00,000 लोग रहते हैं। फसलों का मूल्य नीचे गिर रहा है। एक लाख किसान काली मिर्च और काफी की खेती करते हैं। वे वास्तव में मुसीबत में हैं। मूल्य चिंताजनक रूप से नीचे गिर रहे हैं। बड़े बागान बंद पड़े हैं। लोगों के पास कोई काम नहीं है। यह एक जनजाति बहुल जिला है। सरकार को इस मामले पर अवश्य गौर करना चाहिए क्योंकि इस जिले में आत्महत्या करने वालों की संख्या सर्वाधिक है क्योंकि इस *...(व्यवधान)* इस पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, गत चार दिनों में, तीन लोगों, नामत: श्री जान, श्री वासु एवं श्री रामचन्द्र, जो कि छोटे किसान थे, ने आत्महत्याएं की। वे अपने ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं कर सके थे। बागान बंद हैं। लगभग 1,00,000 कृषक परेशानी में हैं और मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। केरल के 7,00,000 लोगों वाले सबसे छोटे पिछड़े जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। यह सरकार के लिए गहरी चिंता का विषय है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं पश्चिम बंगाल की एक अत्यंत गंभीर समस्या को उठाना चाहता हूं। आप जानते हैं महोदय, कि किनारे के अपरदन तथा धंसाव के कारण गंगा-पद्या और भागीरथी-हुगली नदी प्रणालियां गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही हैं।

महोदय, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, हुगली, हावड़ा, 24 परगना और ऐसे कई जिले धंसाव के कारण गंभीर संकट में हैं, और हजारों एकड़ भूमि पानी में डूब गई है। यही बात रूपनारायण नदी के साथ हो रहा है और हावड़ा जिले के कई हिस्से भी डूब रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है।

मैं आपसे हमें समस्त चर्चा का अवसर प्रदान करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि 'शून्यकाल' में, हम सभी समस्याओं पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं इस समस्या पर एक पूर्ण बहस की मांग करता हूं ताकि सरकार इस पर अपना मत दे सके और हम समस्या का लघु-अवधि और दीर्घावधि समाधान कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, मैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री चौहान जी, क्या किसी भी समय कुछ भी मुद्दा उठ सकता है? आप इन सभी कार्यवाहियों से अवगत हैं। मुझे नियमों के अनुसार कार्यवाही-

संचालित कर दें। मैं नियमानुसार चल रहा हूं। आप यही चाहते हैं कि केवल आपके मुद्दे को उठाया जाए और यह कि आपके मामले में तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य वक्तव्य दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम नहीं बोला है। कृपया बैठ जाइए। कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। कुछ भी सम्मिलित नहीं कीजिए। केवल श्री ढींडसा के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दूर्भाग्यपूर्ण हैं। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अपने व्यवहार का मैं यहां कैसे वर्णन करूं? कहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यथासंभव सबको अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि 65 नोटिस हों तो आप इससे कैसे निपटेंगे? कहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): पार्टी-वाइज लीजिए, सर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके अनुदेश के लिए आपको धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं।

अपराह्न 12.34 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

स्कूलों और अन्य स्थलों पर सिखों द्वारा पगड़ियां पहनने पर फ्रांस सरकार द्वारा लगाये गए कथित प्रतिबंध के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, आज जो मैं मुद्दा उठाने वाला हूं, वह आल पार्टी मीटिंग में उठा था कि फ्रांस गवर्नमेंट ने सिखों के लिए क्योंकि यह जो पगड़ी है, वह लाजमी है, उसमें कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके लिए वहां पर बैन लग गया कि कोई स्कूल में पगड़ी बांधकर नहीं जा सकता और कहीं नहीं जा सकता। इसलिए हमने पहले भी कोशिश की थी। वहां पर 12 फरवरी को हम मिले थे। जब फ्रांस के फारेन मिनिस्टर यहां आये थे, तब उनके साथ हमारी पौने घंटे करीब मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं था और माइनारिटी कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हम होम मिनिस्टर से बात करेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके उसका हल करेंगे लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने स्तर से फ्रांस सरकार को कहें कि यह बैन जो लगा है, वह बंद होना चाहिए क्योंकि यह पगड़ी लाजमी है, इसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह इस इश्यू को उनके साथ उठाए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ अपने को एसोशिएट करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उनका समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार से इस मामले को उठाने का अनुरोध करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम इसका समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसी लोक सभा में सबसे पहले मैंने यह इश्यू उठाया था और सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया था। उनको करना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: फिर भी, उन्होंने इसे उठाया है। आपको खुश होना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: गुलाम नबी जी यहां हैं, वह इस पर कुछ कह सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, हम इस मुद्दे को संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह आप दोनों के बीच का प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है। अब श्री प्रबोध पाण्डा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा, कृपया अत्यन्त संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस विषय पर पहले ही यह कह दिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में एक विषय उठा रहा हूं। केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं विशेषत: कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में शीघ्र घोषणा करें। जहां तक कच्चे पटसन की कीमतों का सवाल है, मैं संबद्ध मंत्रालय को इस वर्ष कम से कम 1500 रु. प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के मुद्दे पर विचार करने की अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको रोज बोलने का अवसर देने की कोशिश कर रहा हूं। अत: कृपया मेरे साथ सहयोग करें और अत्यंत संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ का सवाल इस सदन में उठाया जा चुका है। उस समय सभी पक्षों ने अपनी बात यहां रखी थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अत्यंत संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो समय आपको दिया गया है उसे कृपया व्यर्थ न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: जिस दिन सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वह इस पर कार्यवाही करने जा रही है और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने जा रही है, उसके बाद से अब तक करीब 100 लोग वहां बाढ़ से मर चुके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: यहां मुख्य मंत्री के साथ वार्ता हुई है, हमने अखबार में पढ़ा है कि असम राज्य को बाढ़ से निपटने के लिए हेलीकाप्टर दिया गया है और रुपया भी भेज दिया गया है। लेकिन बिहार को सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिला है, यह भी अखबार में छपा है। मैं मानता हूं कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराई जाए। पहां अभी तक 100 से ज्यादा संख्या में लोग मर चुके हैं। राहत सामग्री और दवाएं प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलीकाप्टर जो सामग्री वहां गिरा रहा है, वह पानी में बह रही है। इसलिए बिहार के हित में केन्द्र सरकार से जल्द से जल्द कदम उठाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब, श्री लक्ष्मण सेठ। कृपया विषय पर ही बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है और वह हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस बारे में आश्वासन दिया है।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002 और 2003 में दो बार वाशिंगटन के डलास विमानपत्तन पर भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीस को नग्न करके तलाशी ली गयी थी। इस घटना ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को पूर्णत: तहस-नहस कर दिया है। यह सभी के लिए रहस्य है कि उन्होंने देश को इस घटना के बारे में क्यों नहीं बताया। यह हमारे देश की जनता का अपमान है और राष्ट्रीय संप्रुभता पर एक तमाचा है *...(व्यवधान)* अत: मैं सोचता हूं कि भारत सरकार को इस घटना की निंदा करनी चाहिए और हमारे देश के साथ उचित सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए अमरीकी सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, सभी इस विषय पर बोलना चाहते हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा है कि मैं उन लोगों को नहीं बुलाऊंगा जो सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ: अमरीकी सरकार का यह अशिष्ट आचरण अत्यंत पीड़ादायक है और हमारे देश के लोगों को हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की घटना की निंदा की जानी चाहिए और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए अमरीकी सरकार को चेतावनी दी जाए। भारत सरकार अमरीका को हमारे देश से एफ बी आई का दफ्तर हटाने के लिए भी कहे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण सेठ द्वारा उठाए गए विषय से कृपया अपने को संबद्ध कर लें।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं संबद्ध करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, श्री रिचर्ड आर्मिटेज को भी विमानपत्तन पर नग्न करके तलाशी ली जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण सेठ, कृपया बैठ जाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया बोलिए, और संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या एक ही विषय पर सभी पांच मिनट तक बोलेंगे? नहीं, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ये सभी नोटिस एक जैसे हैं अत: आप सब जो विषय उठाया गया है उससे अपने को संबद्ध कर लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, जार्ज साहब की वर्ष 2002 और 2003 में निर्वस्त्र करके अमरीका के एक अधिकारी ने डालस एयरपोर्ट पर तलाशी ली। अमरीका के अधिकारी ने कहां-कहां हाथ लगाया, किस तरह से उनको निर्वस्त्र गया। *...(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे। *...(व्यवधान)* एनडीए के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को माननीय जार्ज साहब ने इस आशय की सूचना दी और माननीय प्रधान मंत्री जी चुप लगा गये। *...(व्यवधान)* देश को इस बारे में जानने का पूरा अधिकार है, यह देश के स्वाभिमान का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण सेठ, क्या आप बैठेंगे?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: तत्कालीन सरकार कहती रही कि हम देश के स्वाभिमान को ऊपर उठा रहे हैं, विदेश में भारत का बोलबाला है। इस घटना से देश के स्वाभिमान का क्या हुआ? इस घटना से देश की 100 करोड़ जनता का अपमान हुआ है। सरकार एक वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करे। *...(व्यवधान)* सरकार देश को बताए कि इस मामले से देश की जनता को अनभिज्ञ क्यों रखा गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। मैंने श्री राम कृपाल यादव को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। पार्टी का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव बोलेंगे कोई और नहीं। प्रभुनाथ सिंह जी कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से आज तक देश के रक्षा मंत्री के साथ इस तरह की बात कभी नहीं हुई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। कृपया इस विषय को सुनिए। सदस्यों को बोलने दीजिए। यदि सभी चिल्ला रहे हैं तो कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। हम जिम्मेदारी पूर्ण आचरण नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। अत: मुझे दबाने की कोशिश न करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इस घटना से देश की 100 करोड़ जनता का अपमान हुआ है। तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को कहा गया और वे चुपचाप बैठे रहे। *...(व्यवधान)* अमरीकी विदेश मंत्री स्ट्रोब तालबोट ने इसका खुलासा किया है, उनके माध्यम से यह प्रकाशित हुआ है। तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस जी के साथ जो दूसरे भारतीय अधिकारी थे उनके साथ ऐसा नहीं किया गया। एनडीए सरकार में प्रधान मंत्री के साथ जो दूसरे भारतीय अधिकारी थे उनके साथ ऐसा नहीं किया गया। एनडीए सरकार में प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी ने इस बात पर चुप्पी साध कर देश को अपमानित करने का काम किया है। सरकार इस पर वक्तव्य दे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री गुरुदास दासगुप्त। उन्होंने भी नोटिस दिया है। गुरुदास दासगुप्त के अलावा किसी की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, कृपया संक्षेप में बोलें। मैं आपसे संबद्ध होने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। लम्बे भाषण की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त को मैंने बुलाया है उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। कुछ भी अन्य सम्मिलित नहीं हो रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? आप यहां केवल व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। श्री आठवले, कृपया निश्चिंत रहिए, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे महान देश के रक्षा मंत्री दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): बड़े दु:ख की बात है कि यहां पर ऐसी बातें हो रही हैं। क्या इस पर इस तरह से बहस होंगी। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष जी, क्या इस पर आप यहां बहस करा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इनसे मात्र संबद्ध होने को कहा है। कृपया मात्र संबद्ध कीजिए। आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते हैं। तब मुझे पूरी कार्यवाही बदलनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे दो विशेषाधिकार नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। एक नोटिस श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। मुझे आपसे विदेश मंत्री के विरुद्ध इराक में भारतीय सेना भेजने के मुद्दे पर सभा को कथित रूप से गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस प्राप्त हुआ है। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. थामस ने भी विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। आपके विशेषाधिकार के प्रश्न पर कृषि मंत्री से टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

अब हम रेल बजट पर चर्चा करेंगी। श्री लालू प्रसाद।

अपराह्न 12.46 बजे

रेल बजट, 2004-05–सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2004-2005

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46$^{1}/_{4}$ बजे

(तत्पश्चात् श्री शिवराज सिंह चौहान तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चर्चा समाप्त हो चुकी है। कृपया सहयोग कीजिए। मैंने माननीय सदस्य को रेल बजट पर बोलने के लिए पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

***श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर): माननीय रेल मंत्री जी का कथन रेलवे के डिब्बे में सफर, रेलवे में सेफ्टी फण्ड बनाये जाने का व कुल्हड़ चालू कराने का मैं अभिवादन करता हूं।

रेलवे लाईन, जो कालोनियों के मध्य है, वहां सुरक्षा की व्यवस्था अधिक की जाये। प्रत्येक रेलवे गेट पर फाटक खोलने और बंद करने के लिए आदमी रखा जाये, प्रत्येक स्टेशन पर पीने के लिए जल और निवृत्त होने वाले स्थान की पर्याप्त सफाई हो। जयपुर रेलवे स्टेशन पर न्यूज सुनने के लिए, जो टी.वी. सेट लगाये हैं, उन्हें पुन: चालू किया जाये।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के एक नये जोन कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसमें कोटा डिवीजन को भी शामिल किया जाये, इससे लोगों को बड़ी सुविधा होगी।

गाड़ी सं. 4860/4859 इंटरसिटी एक्सप्रेस जोधपुर-जयपुर-दिल्ली गाड़ी सराय रोहिल्ला स्टेशन तक जाती है, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस गाड़ी को पुरानी दिल्ली स्टेशन तक ले जाया जाये। इसके साथ ही जयपुर व राजस्थान की जनता की मांग के अनुरूप एक ऐसी गाड़ी चलाने की जरूरत है, जो अजमेर-जयपुर से रात को चलकर सुबह हरिद्वार पहुंचे तथा हरिद्वार से शाम को चलकर रात्रिकालीन सेवा के रूप में सुबह जयपुर-अजमेर पहुंचे। इससे पुष्कर-हरिद्वार का सीधा संबंध हो सकेगा। राजस्थान की जनता जिस कार्य से हरिद्वार जाती है, उसकी भावनाओं की भी पूर्ति होगी।

जयपुर-अजमेर के मध्य ई एम यू (दैनिक यात्री ट्रेन) चलाने की आवश्यकता है। पहले जयपुर वान्द्रा एक्सप्रेस जयपुर से सुबह 7.00 बजे चलकर 9.40 बजे अजमेर पहुंचती थी, अब यह गाड़ी 24 कोच की हो गयी है एवं इसका प्रस्थान समय जयपुर से 4.50 कर दिया है। अब यह गाड़ी अजमेर 11.15 पर पहुंचती है। इस कारण दैनिक यात्रियों को अजमेर में अपने कार्यालय में समय से पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। आपसे निवेदन है कि जयपुर-अजमेर के मध्य एक नयी ई एम यू गाड़ी चलायें, जो जयपुर से सुबह 0.700 बजे चलकर अजमेर 09.40 तक पहुंचे। इससे दैनिक यात्रियों को बहुत सुविधा होगी एवं रेलवे की आय भी बढ़ेगी।

इस क्षेत्र के रेल यात्रियों की भारी मांग के अनुसार कुछ गाड़ियों को निम्नलिखित स्टेशनों पर रोकने की जरूरत है:

गाड़ी का नाम	स्टेशन जहां ठहराव की जरूरत है।
2916/2915	दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट आश्रम एक्सप्रेस
9265/9266	औखा देहरादून एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4860/4859	जोधपुर-दिल्ली, इंटरसिटी एक्सप्रेस
4853/4854, 4863/4864	जोधपुर-बनारस, मरूधर एक्सप्रेस
4262/2461	जोधपुर-दिल्ली, सुपरफास्ट गण्डोर एक्सप्रेस
9769/2461	जयपुर-पटना मीनाक्षी एक्सप्रेस
4312/4311	न्यू भुज-बरेली एक्सप्रेस (वांच विकली)
9266/9265	औखा-देहरादून
9266/9265	जोधपुर-सवाई माधोपुर इंटरसिटी, इस गाड़ी को जयपुर-सवाई माधोपुर के मध्य सवारी गाड़ी के रूप में चलाया जाये।
2916/2915	दिल्ली-अहमदाबाद, आश्रम एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)

आश्रम एक्सप्रेस दिल्ली से जयपुर को यात्रा करने के लिए सिटिंग आरक्षण की व्यवस्था की जाये, जिससे दिल्ली से जयपुर के मध्य यात्री अपनी यात्रा सुगमता से कर सकें। इस तरह की व्यवस्था गाड़ी संख्या 2494, जो जयपुर-दिल्ली के मध्य चलती है, में उपलब्ध है। जयपुर से दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को स्लीपर कोच में सिटिंग आरक्षण उपलब्ध कराया जाये। इससे रेलवे को आय भी होगी और यात्रियों को सुविधा भी होगी।

जयपुर-चण्डीगढ़ के मध्य जयपुर, जबलपुर व जयपुर से पुरी के मध्य नयी गाड़ी चलायी जाये। पुरी-निजामुद्दीन गाड़ी नं. 8476/8477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस है। इस रूट पर 8407/8408 एक गाड़ी और है। अत: गाड़ी नं. 8476/8477 को वाया मथुरा अलवर जयपुर करवाने से यह चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हो सकेगी।

गाड़ी नं. 2801/2802 नयी दिल्ली-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से चलकर नयी दिल्ली 4.40 प्रात: पहुंचती है। अगर उसको शताब्दी एक्सप्रेस रूट से जयपुर लाकर जयपुर से दिल्ली होते हुए रवाना कर सकते हैं, क्योंकि यह गाड़ी रात में 22.35 मिनट पर नयी दिल्ली से रवाना होती है। अत: इस गाड़ी को जयपुर तक बढ़ाने से जयपुर तक आकर वापिस जा सकती है।

***श्री संतोष गंगवार** (बरेली): माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान रेल बजट का विरोध करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री ने केवल एक राज्य का ही बजट प्रस्तुत किया है, वह भी आगामी चुनाव (विधानसभा) को ध्यान में रखते हुए। मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि विगत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी रेल बजट की उन्होंने आलोचना नहीं की और तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा सुझाए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आमान परिवर्तन, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता बनायी जानी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि रेल मंत्री ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए सस्ती प्रक्रिया अपनायी है। रेल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी इस संख्या में कमी होगी। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री इस ओर ध्यान दें तथा कर्मचारियों की संख्या में कटौती न करें बल्कि इनकी संख्या बढ़ायें। रेल मंत्री को इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि वर्तमान रेल बजट में कई प्रमुख राज्यों की अनदेखी की गयी है। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया गया जबकि सारी रेलगाड़ियां, जो बिहार जाती है, वह उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती हैं। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री इस ओर विशेष ध्यान दें तथा उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार न करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि रेलगाड़ियों में सुविधायें व्यवस्थित हों तथा सवारी गाड़ी व जनता एक्सप्रेस की गाड़ियों में प्रारंभिक सुविधायें ठीक प्रकार से मिलें। इस संबंध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि दैनिक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

यात्रियों एवं कम दूरी के यात्रियों के लिए चेयर कार कोच की व्यवस्था की जाये। मैं एक और समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उत्तर रेलवे की बिहार से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में बहुत से लोग छत पर बैठकर यात्रा करते हैं, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। इस कारण दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। मैं रेल मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें तथा डिब्बों की छत पर यात्रा को अपराध की श्रेणी में लाया जाये और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

मैं इस संबंध में अधिक न बोलते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तथा उम्मीद करता हूं कि इस ओर आप विशेष ध्यान देकर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

रेल मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रेल कारखाने की घोषणा की गयी है, मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु बरेली, जो रेल कारखाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 20 साल पहले रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु यह स्थान (बरेली) सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना गया था, परन्तु राजनीतिक कारणों से कोच फैक्ट्री दूसरे स्थान पर लगायी गयी। बरेली में वर्तमान में पूर्वोत्तर रेल का डिब्बा सुधार व क्रेन निर्माण का कारखाना है जो काम न होने की स्थिति में बंद होने की कगार पर है। मेरा आग्रह है कि इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान दें तथा बरेली के जनहित को ध्यान में रखते हुए रेल कारखाने की संभावनाओं पर विचार कर प्रभावी कार्यवाही करें।

अपने क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार से हैं, जिन पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है:

1. नयी दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर दोहरीकरण का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस दोहरीकरण कार्य में तेजी लायी जाये तथा इसे एक समय सीमा में पूरा किया जाये।

2. कछला घाट पुल (पूर्वोत्तर रेलवे) काफी पुराना हो चुका है तथा काफी जर्जर हालत में है, इससे हमेशा गंभीर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। रेल व सड़क दोनों का यातायात में इस्तेमाल होने वाले इस पुल का शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाये।

3. बरेली-नवाबगंज-पीलीभीत तथा बरेली-बदायूं-आगरा फोर्ट के आमान परिवर्तन की मांग काफी समय से लंबित है, इस काम को वरीयता क्रम पर लिया जाये।

4. बरेली के कुछ क्षेत्रों पर उपरिगामी की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित हैं:

   * राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर मीरगंज-मिलक (रामपुर) के मध्य नगरिया सादात रेल स्टेशन के निकट
   * राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर फतेहगंज पश्चिमी (बरेली) भिटौरा रेल स्टेशन के निकट
   * कटघर (शमशान भूमि के रास्ते पर) पूर्वोत्तर रेल, बरेली महानगर
   * हार्टमैन कालेज रेल क्रासिंग पर (पूर्वोत्तर रेल, बरेली महानगर)
   * इज्जतनगर स्टेशन के निकट केन्द्रीय कारागार के सामने (पूर्वोत्तर रेल, बरेली महानगर)

5. बरेली को दक्षिण के राज्यों से जोड़ने हेतु सुविधाजनक ट्रेन चलायी जाये।

6. नयी दिल्ली-बरेली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को दो दिन के स्थान पर चार दिन चलाया जाये।

7. बरेली-कानपुर के मध्य सीधी ट्रेन नहीं है। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

8. बरेली महानगर के मध्य राजेन्द्र नगर व कुतुबखाने पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिटी बुकिंग एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए।

9. बरेली स्थित रेल हायर सेकेन्ड्री स्कूल को आश्यकता के अनुरूप इंटर कालेज में परिवर्तित किया जाये।

बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कुछ समस्याओं के समाधान व सुविधाओं हेतु पूर्व में कई बार कहा जा चुका है। मेरा माननीय रेल मंत्री से आग्रह है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर विशेष विचार कर उपयुक्त तथा प्रभावी कार्रवाई की जाये।

***श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का विरोध करता हूं। रेल मंत्री जी द्वारा यात्री सुरक्षा के उपायों की कोई व्यवस्था न होने से अत्यंत निराशा हुई है।

रेल यात्रियों को कुल्हड़ में चाय देने का निर्णय तुगलकी मानसिकता का प्रतीक है, यह ठीक है कि इससे कुछ कुम्हारों को अतिरिक्त काम मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर इसके द्वारा चिकनी उपजाऊ मिट्टी का उपयोग होने से उपजाऊ भूमि नष्ट होगी और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कुल्हड़ पुनः मिट्टी में परिवर्तित नहीं होगा। अतः यह भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा।

कुल्हड़ों में चाय के साथ अवशेष मिट्टी भी यात्रियों के शरीर में जाने से स्वास्थ्य हानि की भी संभावना है। इस बजट में उत्तरांचल प्रदेश के लिये कोई भी रेलगाड़ी या कार्य को स्वीकृति नहीं दी गयी है। जिस सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली-काठगोदाम, की बात कही गयी है वह पूर्ववर्ती राजग सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

मैं रेल बजट पर चर्चा के दौरान उत्तरांचल हेतु निम्न गाड़ियों व रेलवे लाइन आदि की मांग रेल मंत्री जी से करता हूं।

सर्वप्रथम, काठगोदाम से वाया अम्बाला जम्मू तवी के लिये एक नयी एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जाये। इसकी मांग व्यापारियों व कुमाऊं क्षेत्र के सिख तीर्थयात्रियों व सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा लम्बे अरसे से की जा रही है। आशा है, इसे स्वीकृति दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त काठगोदाम से मुम्बई व अहमदाबाद के लिए भी दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जाये। टनकपुर-काठगोदाम-रामनगर-कोटद्वार-हरिद्वार-देहरादून के लिये रेल लाइन को जोड़कर एक नयी रेलगाड़ी प्रतिदिन चलायी जाये क्योंकि यह इसे कुमाऊं व गढ़वाल मंडल के साथ-साथ प्रदेश की राजधानी से भी जोड़ेगी।

पूर्व से मांग रही है कि टनकपुर से चम्पावत व बागेश्वर तक रेलगाड़ी चलाये जाये व साथ ही रामनगर से चौखुटिया तक नयी रेल लाइन बनाकर रेल सेवा प्रारंभ की जाये। इस हेतु लंबे समय से मांग की जाती रही है। ब्रिटिश काल में इन दोनों रेलमार्गों का सर्वे भी किया गया था।

अतः मैं मांग करता हूं कि इन रेल मार्गों - टनकपुर, चम्पावत-बागेश्वर व रामनगर चौखुटिया रेल लाइन का इसी साल में सर्वे कराया जाये व स्वीकृति प्रदान की जाये।

उपरोक्त के साथ ही मैं पूर्व में रानीखेत लिखने के लिये स्वीकृत पी.आर.एस. (कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सेवा) को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग करता हूं।

मैं इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों, जिसमें गंगोलीहाट, बेरीनाग, डीडीहाट, चौखुटिया, भिकियासैन, सल्ट, धारचुला, मुन्स्यारी के साथ-साथ टनकपुर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान करने की मांग करता हूं। आशा है इन्हें रेल मंत्री जी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

इसी के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः लालू जी, कृपया एक मिनट रुकिए। श्री सर्वानन्द सोनोवाल। मैं आपके तरीके से खुश नहीं हूं। व्यवधान उत्पन्न करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चूंकि आप एक नए सदस्य हैं, इसलिए आपको अनुमति दे रहा हूं। आप दूसरो से ऐसी चाल न सीखें।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): जी हां। रेल बजट तैयार करते समय श्री लालू प्रसाद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भूल गए हैं और यही बात हम सभी के लिए सबसे अधिक परेशान कर रही है। यही कारण है कि मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं ताकि मंत्री जी उन्हें रेल बजट में शामिल कर सकें।

सर्वप्रथम, सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पूर्वोत्तर रेल जोन होना चाहिए जिसमें सिक्किम भी सम्मिलित हो। दूसरा, यहां कोई भी दोहरी लाइन वाली बड़ी रेल लाइन नहीं है। तीसरा, हम रंगीया से मुरेकांगसा लुक के बीच दोहरी लाइन वाली बड़ी रेल लाइन चाहते हैं। चौथा, बोगीवील में रेल एवं सड़क पुल के लिए और धन दिया जाना चाहिए। इस बजट में बहुत कम धन निर्धारित किया गया है। पांचवां, डिब्रूगढ़ के लिए राजधानी सेवा दैनिक आधार पर शुरू की जानी चाहिए। छठा डिब्रूगढ़ में रेल सेवा 1846 में थाणे (महाराष्ट्र) के तुरंत बाद शुरू की गई थी। इसलिए डिब्रूगढ़ को अविलम्ब एक रेलवे हैरिटेज सेक्टर के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। सातवां, सदिया में रेल एवं सड़क पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। आठवां, रंगीया रेल प्रभाग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। नौवां शांतिपाड़ा (डिब्रूगढ़) में चांगचारी (कामरूप) और थेकरागुडी (नौगांव) में रेल समपारों पर रेल उपरिपुल का निर्माण किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः आपके और कितने मुद्दे हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवालः महोदय, केवल दो या तीन मुद्दे हैं क्षेत्र के लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में इन्टर-सिटी रेल सेवा शुरू करने की अत्यंत आवश्यकता है। इलाज के लिए देश के अन्य भागों से चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले रोगियों को रेल किराया में विशेष रियायत दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः आप अन्य मुद्दे मंत्री जी को पत्र के माध्यम से भेजें।

श्री सर्वानन्द सोनोवालः रेल सेवा में श्रेणी 'ग' और 'घ' की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

***श्री के.सी. सिंह बाबा** (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने की इजाजत दी। सर्वप्रथम, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के इस रेल बजट का स्वागत करते हुए रेल बजट का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने न रेल यात्री भाड़े में वृद्धि और न माल भाड़े में वृद्धि की है। रेल बजट में भारत की गरीब जनता का पूरा ख्याल रखा है। खादी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो कि अभी भुखमरी के कगार पर थे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हथकरघा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अन्य सरकारी नीति भी बननी चाहिए जिससे कि हमारे हथकरघा से जुड़े लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे तथा उन्हें आर्थिक तंगी से न गुजरना पड़े। शहीदों की विधवाओं को रियायत, मूक बधिर व्यक्ति के सहयात्री को 50 प्रतिशत रियायत की व्यवस्था की गयी है। इसमें मानवता और मानवीय आधार को देखा गया है। इसलिए इस बजट का हमें सहर्ष समर्थन करना चाहिए। इस देश के गरीब लोगों के अनुसार, गरीब लोगों की भावनाओं के अनुसार यह रेलवे बजट है। इसके लिए मंत्री महोदय जी की प्रशंसा हम सब को करनी चाहिए। जब कभी गरीब के बारे में चर्चा की जाती है, तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, इसमें किसी बात का किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए।

मंत्री महोदय, ने बजट में नये कारखानों की बात कही है। कारखाने लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। रेल के कल-पुर्जे देश में ही बनेंगे इससे नयी तकनीक का विकास होगा। रेलवे के द्वारा हमेशा नयी-नयी रेलगाड़ियां चलायी जाती हैं। इस बार भी 18 नयी रेलगाड़ियां चलाने की बात मंत्री जी ने अपने रेल बजट भाषण में कही है। कुलियों को पत्नी सहित एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक यात्रा करने की छूट दी गयी है, जो कि एक सराहनीय कदम है।

आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान का भी उल्लेख किया है। मंत्री महोदय का यह कदम अत्यधिक सराहनीय है।

रेल गाड़ी को दुर्घटना से कैसे रोका जाये, इसका भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, मैं देश के उत्तरांचल प्रदेश के नैनीताल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल संबंधी कई महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी माननीय रेल मंत्री महोदय को उत्तरांचल के रेलवे संबंधी समस्याओं से अवगत कराया था तथा मैंने भी अपने पत्रों के माध्यम से उत्तरांचल के रेलवे की समस्याओं से अवगत कराया था। निवेदन है कि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उत्तरांचल प्रदेश के सभी रेलवे संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आदेश दें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं और रेल बजट का समर्थन के साथ मंत्री महोदय को गरीब लोगों के हित में रेल बजट के लिये आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री टी.के. हमजा** (मंजेरी): महोदय, मैं नीलाम्बूर-नांगनगुड़ी-मैसूर के बीच नई रेल शुरू करने के संबंध में माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी के ध्यान में निम्नलिखित बातें लाना चाहता हूं:

1. यह तीन राज्यों को जोड़ती है।
2. यदि ऐसा किया जाता है तो वेवाड़ जिले की नकदी फसल को कोचीन आसानी से लाया जा सकता है।
3. पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
4. दक्षिण और उत्तर के बीच की दूरी 386 कि.मी. कम हो जाएगी। केरल से नई दिल्ली के बीच की वर्तमान दूरी 2753 कि.मी. है। मैसूर होकर प्रस्तावित मार्ग से दूरी 2367 कि.मी.। इसलिए कुल 386 कि.मी. की दूरी कम हो जाएगी।
5. नया सर्वेक्षण कराया जाए।

***श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** (संगरूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि पंजाब में रेल की दशा भयावह है और रेल बजट बनाते समय सीमावर्ती क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई है। माननीय महोदय, पंजाब में नई लाइन के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं है। पंजाब में नई परियोजनाओं के लिए प्रावधान करते समय नई लाइनों हेतु पुस्तकों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।

माननीय महोदय, यहां तक की पूर्व की सरकारों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति बहुत धीमी है और यह संभव है कि अब वे समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। राज्य के सभी भागों से नई रेल गाड़ियों की बड़ी मांग के विपरीत और पंजाब जो कि जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश का भी प्रवेश द्वार है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से राजस्व अर्जन हेतु सभी संभाव्यता अध्ययनों की उपेक्षा करते हुए पंजाब को एक भी नई रेलगाड़ी नहीं दी गई है। माननीय महोदय, दिल्ली-अमृतसर खंड पर भी कोई नई रेलगाड़ी नहीं दी गई है।

माननीय महोदय, भारत के अन्य हिस्सों की तरह ही रेल पंजाब राज्य की भी जीवन रेखा है और इस रेल बजट में राज्य के लिए कोई नई परियोजना का प्रावधान नहीं है।

माननीय महोदय, पंजाब राज्य के लोग विस्मित और संत्रस्त हैं। लुधियाना-अमृतसर क्षेत्र से यात्रा करने वाले लोग अन्य यातायात के साधनों का सहारा लेने लगे हैं। अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनसे कई जानें चली गईं।

अपने सहयोगियों सहित अपनी पार्टी की ओर से मैं स्वयं रेल मंत्री से मिलूंगा और पंजाब से नई रेल गाड़ियां शुरू करने के लिए तथा कई उपरिपुलों के निर्माण का प्रावधान करने और राज्य के लिए बड़ी परियोजनाएं तथा नई लाइन की स्वीकृति के लिए उनको लिखूंगा।

[हिन्दी]

***श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** (परभनी): माननीय अध्यक्ष जी, हाथी के दांत दिखाने के ओर होते हैं और खाने के और होते हैं उसी तरह से यह रेल बजट दिखावे में कुछ और परन्तु परिणाम कुछ और आयेगा। लालू जी जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने सभी सांसदों को उनके क्षेत्रों में लंबित परियोजना का ब्यौरा भेजा था और एक पत्र मुझे भी प्राप्त हुआ था, जिसका हमने धन्यवाद देते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया था परन्तु बजट देखने के बाद ऐसा लगता है कि सांसदों के पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। यह तो उनका दिल बहलाने के लिए पत्र लिखे गये हैं।

मराठवाड़ा क्षेत्र में अकोला पूर्ण गेज कनवर्जन का कार्य चल रहा है, जिसको पूरा करने के लिए 20583 करोड़ की जरूरत है, परन्तु सरकार ने केवल 20 करोड़ आबंटित किये हैं, अगर इस काम के लिए यह धनराशि 20 करोड़ से बढ़ोत्तरी करके 100 करोड़ आबंटित कर दिया जाये तो मराठवाड़ा आपका आभारी रहेगा अन्यथा हम असंतुष्ट रहेंगे।

सिकन्दराबाद-मुदखेड पर रेल खंड पर जो रेल कन्वरजेसन का काम चल रहा है, उसके 46.25 करोड़ की जरूरत है, परन्तु 25 करोड़ ही दिया गया है, जिससे यह काम अपने निर्धारित समय में पूरा नहीं होगा। यह रेल कन्वेरेजेसन काम जल्द लोकहित में जल्द पूरा करना चाहिए इसके लिए 20.25 करोड़ रुपये और आबंटित कर दिया जाता तो यह कार्य को जल्द पूरा किया जाता। अगर यह कार्य किया जाये तो काचीगुडा मनमाड मुम्बई पर आने वाले आंध्र प्रदेश के लोगों को आने जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

सरकार को बगैर पैसे का काम भी बताना चाहता हूं, जिसमें रेलवे को फायदा होगा ही और जनता को फायदा होगा। अहमदाबाद बीड पर ली नयी रेलवे लाइन बनाये जाने की अत्यंत जरूरत है, जिसमें 353.08 करोड़ की जरूरत है परन्तु आबंटन हुआ है केवल 20 करोड़ का। यह रेलवे लाइन को वाया सोनपेठ होकर बनाया जाता तो इस रेलवे लाइन की लागत कम पड़ती है परन्तु प्रस्तावित रेलवे लाइन पर बहुत ही पुल बांधना पड़ता है एवं उन पर रेलवे लाइन बनाने में काफी लागत होने की आशंका है एवं इसकी दूरी भी कम हो सकती है। सोनपेठ मेरे संसदीय क्षेत्र का तहसील मुख्यालय है और कृषि उत्पादन का मुख्य केन्द्र है और यहां की कपास को निर्यात भी किया जाता है अगर सोनपेठ से यह रेलवे लाइन होकर जाती है तो यहां के किसानों को बहुत ही लाभ और इस पिछड़े क्षेत्र को विकास का अवसर मिल सकता है और रेलवे को ज्यादा राजस्व भी मिल सकता है।

नांदेड रेल मंडल वर्तमान समय में साउथ सैंट्रल रेलवे सिकन्दराबाद के अंतर्गत है, जिसके कारण यहां के लोगों को सिकन्दराबाद आने-जाने में बहुत ही दिक्कत होती है और रेलवे के अधिकारियों को भी अगर इसको मध्य रेलवे के अंतर्गत कर दिया जाये तो बहुत सी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है एवं इस रेल मंडल कार्य करने में आसानी होगी। इस कार्य के लिए केवल सरकार को आर्डर ही करना है।

इस बजट का मैं विरोध करता हूं।

***श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, रेल बजट 2004-2005 एक ऐतिहासिक बजट है, जिसका मैं समर्थन करता हूं।

आजादी के बाद पहली बार देश के पिछड़े क्षेत्रों को महत्व दिया गया है। माननीय रेल मंत्री ने रेल में कुल्हड़, खादी, लस्सी एवं मट्ठा का प्रयोग प्रारंभ कर देश के करोड़ों पिछड़े बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराने का अवसर प्रदान किया है।

खादी को बढ़ावा देकर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का एक कारगर प्रयास किया गया है। केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बेरोजगारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान कर ऐतिहासिक काम किया है। पैसे के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव]

अभाव में बहुत से बेरोजगार, गरीब शिक्षित युवक दूर-दराज परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित होते थे, जिन्हें अवसर प्रदान किया गया है।

यह तो सर्वविदित है कि रेल के इतिहास में पहली बार यात्री किराया में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी है। रेल से जुड़े सबसे कमजोर एवं आज तक उपेक्षित रहे कुलियों के लिए विश्रामालय निर्माण की घोषणा के साथ-साथ उन्हें पत्नी के साथ फ्री पास की सुविधा प्रदान कर सामाजिक न्याय किया गया है।

परियोजना से संबंधित कुछ सुझाव यहां प्रस्तुत कर रहा हूं:

1. कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा का अमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये।
2. राजापट्टी स्टेशन से लेकर जलालपुर स्टेशन तक सभी स्टेशन भवन का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।
3. हथुआ एवं दिधवा दुबौली रेलवे स्टेशन आरक्षण केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण।
4. थावे जंक्शन से सेलारकला-फुलवरिया-बथुआ-जमुनहा पंचदेवरी-भागपट्टी समऊर होते हुए देवरिया सदर तक नयी रेल परियोजना तथा भागीपट्टी से कटेया-विजयीपुर होते हुए देवरिया सदर मिलाया जाये।
5. मशरख स्टेशन के बदले दिधवादुबौली स्टेशन को जंक्शन घोषित किया जाये।
6. महाराजगंज को मशरख के जोड़ने के स्थान पर उसे दिघवादुबौली तक जोड़ा जाये।
7. गोपालगंज जिलान्तर्गत सिपाया में 1200 एकड़ बंजर पड़ी भूमि पर मेरा सुझाव है कि रेलवे का कोई भी कारखाना खोला जाये, जिससे हजारों हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके तथा गोपालगंज जिले की बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो सके।
8. रतन सराय-सासामुसा-सिपाया-दिघवादुबौली-नेचुआ जलालपुर-को छपरा मेन लाइन से जोड़ा जाये।
9. छपरा से थावे को बड़ी लाइन से जोड़ा जाये तथा थावे भवानी एक्सप्रेस के नाम से लम्बी गाड़ी उस रास्ते में खोला जाये।
10. बिहार राज्य के पटना से खुलने वाली राजधानी, सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में आम तथा मजदूर वर्ग के लोगों के लिए वातानुकूलित डिब्बा में सफर करना असंभव बात है, मेरा सुझाव है कि उक्त गाड़ियों में कम से कम दो थ्री क्लास/जनरल वातानुकूलित डिब्बा जोड़ा जाये ताकि साधारण तथा मजदूर वर्ग के लोग अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआईपी) के साथ सफर करते हुए एक ही समय में दिल्ली पहुंच कर अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें।
11. गोहाटी-दिल्ली राजधानी को सप्ताह में एक दिन हाजीपुर-सिवान-गोरखपुर के रास्ते चलाया जाये।
12. गोपालगंज रेलवे क्षेत्र की लाइन का विद्युतीकरण किया जाये।

इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती मनोरमा माधवराज** (उदुपी): निष्पक्ष विश्लेषण पर मैंने पिछले सप्ताह प्रस्तुत किए गए रेल बजट 2004 को केवल लोक-लुभावन घोषणाओं का पुलिंदा पाया, जिसमें रेल सेवाओं में सुधार करने के लिए दूरदर्शिता अथवा कार्यसूची का अभाव तथा एन डी ए शासनकाल के दौरान हासिल की गई प्रगति को बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

इस समय चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के वास्ते बजट में कोई संकल्प अथवा प्रतिबद्धता जाहिर नहीं होती। महाराष्ट्र में अक्तूबर में होने वाले विधान सभा चुनाव और इसके बाद कई राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों को ध्यान में रखते हुए कोई वृद्धि नहीं की गई है ताकि लोग गुस्सा न हों। अत: ये बजट लोक-लुभावन लगता है और ऐसा लगता है कि माननीय रेल मंत्री लोकप्रिय बनने की कला में पूरी तरह माहिर हैं।

अभी पिछले दिनों कई दुर्घटनाएं घटी हैं और हाल ही में कोंकण मार्ग पर मत्स्यगंधा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की दुर्घटना हुई। इन सबके बावजूद भी रेल की पटरियों की निगरानी बढ़ाने, गैंगमैन को अत्याधुनिक वाकी-टाकी से लैस करने तथा सिगनलिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए किसी विशिष्ट उपाय की घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा रेलगाड़ियों में यात्रियों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, हालांकि चलती रेलगाड़ियों में चोरी और लूट-मार की नई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई हैं। लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में महिलाओं के डिब्बों में और मुंबई तथा अन्य महानगरों में दैनिक यात्रियों के लिए चल रही स्थानीय रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्पूर्ण रेल मार्ग कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है। केरल जाने वाली राजधानी सहित लंबी दूरी की रेलगाड़ियां दक्षिण कन्नड़ तट से होकर गुजरती हैं और इन रेलगाड़ियों में केरल से उत्तर की ओर जाने वाले यात्रियों तथा उत्तर से केरल आने वाले यात्रियों को आरक्षण के अंतर्गत बर्थों के कोटे के संबंध में दी जा रही सुविधाओं के मुकाबले उदुपी और कुंडापुरा के यात्रियों को राजधानी सहित सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में और आरक्षण कोटा दिए जाने की आवश्यकता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार एक नई रेलगाड़ी वाले यात्री आसानी से और आरामदायक यात्रा कर सकें।

उदुपी, कुंडापुरा आदि स्थानों पर अधिक प्लेटफार्म प्रतीक्षा गृह, विश्राम गृह तथा बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि दक्षिण कन्नड़ में पूरे देश से बड़ी संख्या में पर्यटन और तीर्थयात्री आते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने कोंकण रेल लाइन के निर्माण के लिए रेल लाइन बिछाने हेतु भूमि को उपलब्ध कराकर और मजदूर उपलब्ध कराकर बहुत योगदान दिया है। भूमि अधिग्रहण की पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार उसे प्रत्येक परिवार जिस परिवार की भूमि का के आर सी द्वारा अधिग्रहण किया गया था के एक योग्य व्यक्ति को रोजगार और स्टेशनों पर रेलवे स्टालों के आबंटन के माध्यम से खोमचे-रेहड़ी लगाने के अधिकार देने का आश्वासन दिया गया था। ऐसे अनेक परिवार हैं, जिनकी भूमि को के आर सी ने अधिग्रहीत किया था वे अब भी अपने परिवार के नामिती सदस्य को रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को के आर सी में रोजगार प्रदान करने की समय-सीमा निर्धारित कर इन परिवारों से किए गए वायदे का सम्मान किया जाए।

मंगलौर-हासन मीटर गेज को लगभग एक दशक पहले बड़ी लाइन में बदलने के लिए विखंडित कर दिया गया था। इस क्षेत्र के लोगों को पहले काफी लंबे समय तक मंगलौर-हासन के बीच मीटर गेज की सुविधा प्राप्त थी, अब वे एक दशक से भी अधिक समय से किसी यातायात संपर्क की सुविधा से वंचित हैं। इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ये आवश्यक हो गया है कि सुब्रह्मण्या से हासन तक शेष संपर्क को जोड़ने का कार्य वर्तमान रेल बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करके शुरू किया जाए।

केन्द्रीय सड़क निधि के एक भाग को सड़कों/रेल अंत:खंडों पर अंडर कवर ब्रिज बनाने के लिए खर्च किया जाए। कोंकण मार्ग पर ऐसे कई अंत:खंड हैं, जहां ऐसी अंडर-ब्रिज/ओवर ब्रिज सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार पर जोर डालें ताकि इन सुझावों पर ध्यान दिया जा सके।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने रेल बजट 2004-05 पर हुई मैराथन चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे और सदन को अवगत कराया।

इस रेल बजट चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और कुछ माननीय सदस्यों ने अपने लिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखे। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर सदस्यों ने रेल बजट की सराहना की और एनडीए व बीजेपी के लोगों ने भी सराहना की मेरा नाम लेकर। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि पता नहीं क्यों मैं जब-जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं यह अपनी पीठ दिखाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): बिना टिकट से आए हैं।

श्री लालू प्रसाद: जो पीठ दिखाते हैं, उनके ऊपर हमारी संस्कृति ने और देवी-देवताओं ने हथियार चलाने की मनाही की थी। देवी-देवताओं और ग्रंथों के कथनानुसार जो सामने खड़े होते हैं, हमें उनके सीने को भेदने की आज्ञा है। पता नहीं वे आंख से आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? चूंकि मैं रेल मंत्री हो गया हूं इसलिए मैं अनुशासित भी हो गया हूं। वे मेरी बहुत सारी बातों को जरूर कहीं न कहीं लुक-छुप कर सुन रहे होंगे। चुप-चुप खड़े हैं जरूर कोई बात है। अंगद जी से रावण की पहली मुलाकात है।

मैं आदरणीय ममता जी को धन्यवाद देता हूं। आज वह यहां शरीक हैं और मेरी रेल बजट से संबंधित बातों को सुन रही हैं। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): मैं रेल बजट का जवाब सुन रही हूं।

श्री लालू प्रसाद: वह मेरी बहन भी हैं इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे जो पुरखे थे-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव जी, विनोबा भावे आदि ने हमें जो राह दिखायी, हम उनके रास्ते को भूलते गए। भारत की समस्त जनता चाहे वह भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी क्यों न हो, मिल कर रहती है। अपने देश की यह खूबसूरती है कि यहां अलग बोली, अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। यहां अलग-अलग रीजन्स हैं और यहां अलग-अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। माननीय सोनिया जी के मार्गदर्शन में यह सरकार चल रही है। पता नहीं क्यों जब हम

[श्री लालू प्रसाद]

सोनिया गांधी जी का नाम लेते हैं तो इनको जलपुत्ती हो जाती है? हमें इसका आगे जरूर इंतजाम करना पड़ेगा। हम एलर्जी की दवा जरूर रखेंगे। सत्ता से बेदखल होने पर इनमें बेचैनी क्यों है? इनकी बेचैनी यह है कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनको ऐसे दुर्दिन देखने पड़ेंगे। मैं मंत्री बनने या कोई पद मिलने पर ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। सोनिया जी ने सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद त्याग किया। दुनिया के इतिहास में शायद कोई सोनिया जी की तरह का मिले जिस को देश की जनता ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम किया लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने त्याग करने का काम किया। ऐसी मिसाल शायद कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनडीए के लोगों को, भाजपा के लोगों को और सत्ता के भूखे लोगों को सोनिया जी से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जब आप यहां प्रवेश करो तो चाहे खुले रूप से नहीं लेकिन मन ही मन उन्हें जरूर प्रणाम करो और जाते हुए भी नमन करो। यह चीज उनसे सीखनी और समझनी चाहिए। रेल डिरेल हो जाती हैं लेकिन सत्ता से हटने के बाद बहुत सारे नेता डीरेल हो गए हैं। रांची की बात होती है तो कराची की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रेल बजट देश की जनता के सामने संसद के माध्यम से पेश किया गया है। यह ऐसा आइना है जिसमें मैं साक्षात देखता हूं कि क्या लक्षण हैं। मैं पूरे हिन्दुस्तान में घूमता हूं और पाता हूं कि तमाम धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग, सभी जातियां, तबके और सभी तरह के लोग इस दर्पण में अपनी शक्ल देखते हैं। सब के चेहरे अंदर हैं। अगर वे चेहरे नहीं हैं तो मैं वायदा करता हूं कि ऐसे लोगों के चेहरों को हमारी सरकार और रेल अपनी शक्ति तथा कुव्वत के आधार पर इन सब चीजों को समाहित करेगी।

अध्यक्ष महोदय, विश्व में भारतीय रेल का तीसरा स्थान है। यह हमारा संकल्प और हमारी वचनबद्धता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी, प्री-पोल अलाइंस की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी तथा फाइनेंस मिनिस्टर के कामन मिनिमम प्रोग्राम का कार्यक्रम लिया है, उसे इंपलीमेंट कराने, उसे दखने तथा सभी मंत्रियों की राय लेना जरूरी है। हम पेपर में पढ़ते थे कि आर.एस.एस. के सम्मेलन में सेना के जनरल को ब्रीफ करने के लिये आर.एस.एस. कैम्प में बुलाया गया। ये लोग दोहरी बात करते हैं। इस देश में दोहरापन नहीं चलने दिया जायेगा और देश की जनता ने चलने नहीं दिया। माइनौरटीज को सताकर, उन्हें गाली देकर, अपमानित करके हिन्दुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं या ऐसी शक्ति नहीं जो कभी सत्ता में आयेगी। यदि आ भी गई तो दुबारा आने वाले नहीं हैं। सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने मेरी हिम्मद बंधायी है कि इस देश का अभिजात्य वर्ग, हमारा जो चेहरा बनाता है, मैं जानता हूं कि 13-14 साल से अपमानित किया जाता रहा है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं कि जिन वर्गों या तबकों से हम लोग आते हैं, हमारे बाप-दादाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें जोकर, नौटंकिया, ड्रामाबाज कहा जाता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लोगों ने आपके पक्ष में अपना फैसला दिया है। लोगों ने आपको चुना है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं उन सारी बातों पर आ रहा हूं। इस देश की जनता और खासतौर पर बिहार की जनता ने इनकी चतुराई और चालाकी को विफल किया है। यह चर्चा की जाती रही है कि लालू फर्स्ट ए.सी. का भाड़ा बढ़ा देगा, यह करेगा, वह करेगा लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जब बड़ी-बड़ी मिलें और टैक्नौलौजी आई तो गांव के कारखाने बैठ गये। मेरे पास बंगला अखबार 'आजतक' है जिसमें दिखाया गया है कि एक नौजवान निराशा से बैठा हुआ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अगर परमिजीबल नहीं है तो वापस कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं नियम और कायदे से बंधा हुआ हूं और जैसा मैंने कहा कि मंत्री होने के बाद मैं अनुशासित हो गया हूं इसलिये जहां वायलेशन हो, आप करेक्ट कर दें।

अध्यक्ष महोदय: आप बजट पर रिप्लाई दीजिये।

श्री लालू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. की सरकार ने गरीबों के लिये किया है कि वे कुल्हड़ बनायें। श्री प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि यादव लोग "आऊट आफ जाब" हैं, इसलिये गाय-भैंस रखना बंद कर रहे हैं जिससे वे मट्ठा, लस्सी और दूध से बनी हुई चीजें बनाते थे। हम लोग दही खाते हैं लेकिन जिन्होंने असली दही नहीं खाई, वे नकली को दही मान लेते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

यह जो सप्रेटा है, उसी सप्रेटा में हमारे बंगाल से आने वाले माननीय बंधुओं को उसे रेडिश करके मीठी दही बोलते हैं, उसमें चीनी डालकर वे सप्रेटा देते हैं। इसलिए हमारी रेल, हमारी सरकार हिन्दुस्तान की जनता को जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कैरियर हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारी लक्ष्मी हैं, इन्हें हम सप्रेटा दही नहीं देना चाहते। हम इन्हें बढ़िया दूध का बना मट्ठा, लस्सी, दही देना चाहते हैं। यह नहीं है कि मैं यह किसी खास जाति या बिरादरी के लिए कर रहा हूं। जो कोआपरेटिव हैं, जो लोग हमारे साथी नहीं हैं, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, आर.एस.एस. ने इस देश में चाहे पंजाब की महान जनता हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल या साउथ की महान जनता हो, एग्रीकल्चर में पशुपालन अब हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गाय और दुधारू गाय ले जाने वाले लोगों को, भैंस ले जाने वाले लोगों को कलकत्ता, हरियाणा आदि राज्यों में चारों तरफ विश्व हिन्दू परिषद ने ऐसा काला-कानून बनाया था और उसके तहत रेलवे को पशु ले जाने की मनाही कर दी थी। गाजियाबाद के एम.पी. गोयल जी यहां बैठे हुए हैं। गाजियाबाद में जब पंजाब के किसानों की गाय, भैंस जाती थीं या सोनपुर मेले में कलकत्ता में पशु जाते थे, तो बहुत परेशानी होती थी। हिन्दुस्तान के लोगों को सबको नौकरियां नहीं दी जा सकती। लेकिन लाखों-करोड़ों लोग दूध के व्यापार में तिजारत में लगे थे, जो रेलवे से पशु ढोते थे, इन लोगों ने कानून-नियम बनाकर कहा कि ये लोग पशु कटवाने के लिए ले जा रहे हैं। यो पशुपालक हैं वह बैल, गाय, भैंस कटवाने के लिए ले जा रहे हैं। जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, ये लोग गाय-भैंस नहीं काटते। लेकिन उनकी सारी गायें, भैंसे गाजियाबाद में इनके शासन में लूट ली गई।

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की बात हमने इसलिए की, ज्यों ही हम रेल मंत्री बने, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बात की कि आपके पहले यह कानून बना था और पर्यावरण विभाग से भी हमने बात की। मुझे खुशी है कि जो पशुओं की लदाई, गाय-बछिया की लदाई जिसमें लाखों लोग इस काम में लगे थे, पर्यावरण विभाग ने जो कड़ी शर्त लगा रखी थी, वह विदड्रा कर ली और हमने फैसला लिया है कि लोग अपने पशुओं को रेलवे से जहां ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। इससे हमारा परिवार इतना उठेगा। यह हमारी वचनबद्धता है, हम लोगों को काम देना चाहते हैं। सिर्फ कुल्हड़ ही नहीं, खादी ही नहीं, बल्कि जो हमारे बुनकर हैं, वीवर्स हैं, ओ तांत चलाने वालों, कपड़ा बनाना सीखो। इनके कारखाने बैठ गये थे। खादी और चरखा के बारे में बापू ने कहा था कि खादी आजादी की वर्दी है। यही करोड़ों यूनिफार्म आजादी की लड़ाई में हमारी वर्दी थी। अब अमरीका, इंग्लैंड में कपड़ा बनता था, वहां इनके कारखाने थे और वहां भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का बाजार था। दुनिया भर के मजदूरों ने वहां जो हुआ है, माननीय बसुदेव जी जानते होंगे, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता।

[अनुवद]

अध्यक्ष महोदयः सभी ने आपका समर्थन किया है।

श्री लालू प्रसादः धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

इससे करोड़ों लोगों को काम मिला और मिलने जा रहा है। साउथ और केरल के जो लोग सुपारी के पेड़ से जो ट्रे बना रहे हैं, इसे भी हम इनक्लूड करेंगे रेलवे में जहां भी जरूरत है, उसके अनुसार हम काम करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम रेलवे की पिछले वर्ष की पहली तिमाही की अवधि की तुलना में 8.22 मिलियन टन ज्यादा लदान किया। लोग बोलते हैं कि पैसा कहां से लाओगे। हम कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी। हमने प्रधान मंत्री जी तथा फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से जितनी हमारी कमाई है और जो हमारी बचत है, उसमें हम रेलवे को दुनिया की नम्बर एक रेल बनाना चाहते हैं। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी थी खाली नीयत की। पैसा हम लेते हैं, पैसा हम लगाते हैं। इसलिए हमने रेल का लोड जो ट्रक पर चला गया था, हम उसको रोड से उठाकर फिर रेल पर लाना चाहते हैं। कोंकण रेलवे के लिए हमारे यहां डिब्बे नहीं बन पा रहे थे। चक्का आएगा विदेश से, देश का पैसा जाएगा विदेश में, व्हील आएगा विदेश से, क्रेन आएगी विदेश से, फिर हमारी क्या अर्थव्यवस्था है? हम इंपोर्ट कर रहे हैं और विगत साल में हमने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया। हमारे देश में रेलवे में जितने भी कल-कारखाने हैं, हर राज्य में हैं, लेकिन मृतप्राय हैं। हमारे कारीगर, हमारे मैकेनिक, हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान के लोग ऐसे हुनर वाले लोग हैं कि गाड़ी भी अगर खराब हो जाए, अगर गाड़ी का साइलैन्सर टूट जाता है तो रस्सी से बांधकर काम चला लेते हैं। हमारे देश जुगाड़ी देश है, यहां जुगाड़ करने वाले लोग हैं। पर आज हम भी फैशन की ओर चले जा रहे हैं। हम माडर्न होते जा रहे हैं। बापू को सूट पहनने का शौक नहीं था, क्या पैन्ट-शर्ट पहनने का शौक नहीं था। क्या उनके पास पैसा नहीं था? लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धोती में रहते थे—आधी धोती दान में और आधी धोती अपने शरीर पर। वह धोती भी जब फट जाती थी तो हमारी बुढ़िया मैया सब फटे कपड़े को काटकर गूदड़ बनाती थी। जब गूदड़ बनता था और कोई गैस्ट आता था तो गैस्ट के लिए वह बिछाया जाता

[श्री लालू प्रसाद]

था और अनाज भी सुखाया जाता था। वह गूदड़ भी अगर फट जाए तो हमारी मैया काट-काट कर घर लीपने का पोतन बनाती थी। आज क्या हालत है? कोई फंक्शन में लोग जाते हैं, किसी महिला को देखते हैं, एक महिला से दूसरी महिला चिढ़ती है और सोचती है कि उसके पास इतने गहने हैं, हमारे पास नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आप महिला यात्री भी चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: कैसे पैसा बचेगा? कैसे हालत ठीक होगी देश की? रेल क्या मामूली चीज है?

मीडिया के सदस्यों ने भी चूंकि चंद मीडिया में भी ये लोग प्रवेश कर गए थे। धन्यवाद है, प्रवेश कर गए थे, लेकिन हमारी महान जनता मीडिया से भी परहेज करती है। 10-15 दिन के बाद जाता है, हमारी जनता के बीच। मीडिया बहुत अच्छा भी है, प्रगतिशील लोग भी हैं, हमारे पास पैसे की कमी भी नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे राज्य को लालू ने नैगलैक्ट किया। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, कर्नाटक और जो सैवन सिस्टर स्टेट्स हैं, बजट सत्र के बाद में सारे राज्यों में खुद जाऊंगा और सारे संसद सदस्यों के साथ बैठूंगा और अपने पदाधिकारियों के साथ रिव्यू करूंगा। जो आनगोईंग प्रोजैक्ट्स हैं, उनके लिए 46 हजार करोड़ रुपये चाहिए। यह हमारी वजह से देर नहीं हो रही है। कहीं दे दिया 5 लाख, कहीं दे दिया, 2 लाख, कहीं कुछ और दे दिया। यह तो ऊंट के मूंह में जीरे वाली बात है और लोग कहते हैं कि यहां दो, वहां दो।

एक आंकड़ा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी हमने व्यवस्था की है। जो पैसा रेल बजट पास करके आप देंगे, उसका क्या इंतजाम किया है, उसका विवरण मैं बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2003-04 में 274.92 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस वर्ष 2004-05 में 290.0 करोड़ का प्रावधान है। असम यानी पूर्वोत्तर राज्यों में 315 करोड़ रुपए गत वर्ष खर्च हुए और इस वर्ष भी 315 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वहां और भी इंतजाम है। बिहार में 264 करोड़ खर्च हुए और इस वर्ष कुल परिव्यय 289 करोड़ रुपए का है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ बिहार ले जा रहे हैं। हम केवल बिहार के नहीं हैं। हम यूनियन मिनिस्टर हैं। आप पैसा दीजिएगा, आप यहां से पास कर के हमें पैसा दीजिए, हम उसका रेलवे में अच्छा उपयोग करेंगे। यह जो विवरण मेरे हाथ में है, इसमें हर राज्य के बारे में पिछले वर्ष हुए खर्च एवं इस वर्ष किए जा रहे प्रावधान का लेखा-जोखा है। मैं इसे सदन की टेबल पर ले कर देता हूं। मैं आगे बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की ओर रेल मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। हरियाणा को कोई लाभ नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: भडाना जी, आप बैठिए। रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे हर राज्य में जाएंगे। वे हरियाणा भी जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे वहां का दौरा करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, पिछले दस वर्ष में हरियाणा में एक भी रेल लाइन नहीं बिछाई गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास समय का अभाव है। उन्हें दूसरे सदन भी जाना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया आप राज्यों का जिक्र न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आप लोग ही अपने मंत्री से टोका-टाकी करेंगे तो मैं नहीं जानता कि हम यहां काम कैसे करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कितना व्यय पिछले वर्ष हुआ और कितना इस वर्ष प्रस्तावित है मैं बता देता हूं। हरियाणा में वर्ष 2003-04 में परिव्यय 23.33 करोड़ रुपए

था और इस वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित परिव्यय 41.56 करोड़ रुपए है, यानी पिछले वर्ष से दुगना इस वर्ष व्यय होना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, एक-एक राज्य के बारे में मत बताइए।

श्री अवतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ऐसी अनेक जगह अभी तक हैं जहां रेल पहुंचना तो दूर की बात है, लोगों ने रेल देखी तक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा है। रेल मंत्री जी हमें रेल नहीं दे रहे हैं। ऐसा चलेगा, तो हमारे प्रदेश का विकास कैसे होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश (हिसार): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रेलों के मामले में बहुत पीछे जा रहा है। हरियाणा का विकास रेलों के विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि हरियाणा के लिए और धन दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप बैठिए। हम आपको पैसा देंगे। अभी तो जो रेल बजट सदन में पारित करने के लिए है। उसे पास करिए। हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, हर स्टेट के पैसे का विवरण मत पढ़िए। यदि ऐसा करेंगे, तो हर स्टेट का एम.पी. अपने स्टेट के बारे में पूछेगा। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं माननीय रेल मंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि रेल मंत्री जी यील्ड करें, तो मुझे कोई आब्जैक्शन नहीं है।

कुमारी ममता बैनर्जी: आपने हर स्टेट का हिसाब दिया, लेकिन मैं एक बात इनवैस्टीगेशन करने के लिए कहना चाहती हूं कि जो फिगर्स हर स्टेट के लिए हैं, उनकी आप जांच कराएं कि किस स्टेट पर उससे कितना ज्यादा या कम खर्च हुआ है।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इन फिगर्स के बारे में मैं जांच कराऊंगा। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने सभी सांसदों को इस बारे में चिट्ठी लिखी और सुझाव मांगे कि जहां रेलें नहीं हैं और जहां-जहां नई रेलें बनानी हैं, उनके बारे में सुझाव दें। माननीय सदस्यों की ओर से जो सूचियां मिली, उन सभी जगहों के लिए मैंने सर्वेक्षण करने के आदेश दे दिए, फिर चाहे वह किसी राज्य की कोई रेल लाइन हो।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं रोड ओवर ब्रिज यानी आर.ओ.बी. के बारे में बताना चाहता हूं। आर.ओ.बी. के बारे में एक नियम है कि 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट देती है और 50 परसेंट रेलवे देती है। मैं सभी मुख्य मंत्रियों को बुला रहा हूं। उन्हें चिट्ठियां भी लिख रहा हूं कि आपको कौन-कौन सी आर.ओ.बी. की जरूरत है उनके बारे में बताएं क्योंकि इस हैड में हमारा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। मेरा सभी प्रदेशों के माननीय सांसदों से निवेदन है कि वे इस संबंध में अपने-अपने प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से प्रस्ताव भिजवाएं कि उन्हें कौन-कौन से आर.ओ.बी. चाहिए। मैं समय सीमा के अंदर उन आर.ओ.बी. का निर्माण करा दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस पर एक आश्वासन दे चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: ये लोग भाषण करते हैं कि उड़ीसा में कुछ नहीं किया। उड़ीसा राज्य में 19 रेल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें नयी रेल लाईन की छः, आमान परिवर्तन की दो, दोहरीकरण की नौ और विद्युतीकरण की दो परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को 2,788 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके पूर्ण होने से 1,125 किलोमीटर ब्रोडगेज लाईन जुटेगी। पिछले वर्ष इन परियोजनाओं के लिए उड़ीसा को 279.17 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे और व्यय लगभग 275.67 करोड़ रुपए हुए हैं। वर्ष 2004-05 में उड़ीसा राज्य की परियोजना हेतु 317.33 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, हमने ज्यादा पैसा आबंटित किया है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): गलत प्रचार हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: हां, गलत प्रचार हुआ है, चूंकि ये लोग एनडीए के साथ हैं। ...*(व्यवधान)* वे जानते हैं। ...*(व्यवधान)* इन्हें हर बात में उल्टा नजर आता है। ...*(व्यवधान)* परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न है। यह उड़ीसा का है। ...*(व्यवधान)*

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): झारखंड का बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: उसे हमने ले कर दिया है, आप उसमें पढ़ लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[श्री लालू प्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, इस समय रेलवे की चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 46,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। आप लोग जो रिमोट एरिया के बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए हम पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, यह करके, प्रपोजल तैयार करके, प्लानिंग कमीशन और टीसी से, ये सारी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि कोई चिट्ठी दी और हमने आर्डर कर दिया। इसकी प्रक्रिया का पालन करके हम जल्दी ही रिमोट एरिया में, जहां लोगों ने रेल नहीं देखी, वहां इंतजाम करेंगे।

महोदय, आंध्र प्रदेश और केरल के माननीय सदस्यों का एक दल मुझे मिला। उन्होंने परियोजनाओं, नये प्रस्ताव, नयी गाड़ी चलाने के लिए, धन आबंटन की मांग पर विचार करने के लिए केरल के लोगों ने निवेदन किया है। परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने संबंधी माननीय सदस्यों की भावना से मैं सहमत हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष के दौरान संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और जरूरत पड़ी तो बढ़ाते हुए केरल के लिए परियोजनाओं को अधिक धन की मांग पर मैं उचित ध्यान दूंगा और सबसे पहले मैं वहीं आऊंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाडा): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं। जब तक मंत्री महोदय नहीं चाहेंगे, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आप बाद में पूछिए, तब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ...*(व्यवधान)* कोट्टयम, एलेप्पी के रास्ते एर्णाकुलम-कायनकुलम के शेष दोहरीकरण के अद्यतन सर्वेक्षण को केरल में टेक-अप किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कुडुप्पा-बंगलौर, नाड़ीकुड़ी-श्रीकलाहस्ती, मछलीपट्टनम-रेपल्ली, विष्णुपुरम-जग्गयापेट, रायदुर्ग-तुमकुर के लिए नई रेल लाईन का सर्वेक्षण का मेरे बजट भाषण में पहले ही उल्लेख कर दिया गया है। महबूबनगर, गड़वाल, कुरनूल के रास्ते सिकंदराबाद-द्रोणाचलम का दोहरीकरण और कृष्णा केनाल-कुंटूर-तेनाली के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का सर्वेक्षण का कार्य भी टेक-अप किया जा रहा है। जहां तक अजीमगंज-जियागंज लाइन के घाट तक रेस्टोरेशन का सवाल है, मेरी रक्षा मंत्री जी से बात हुई है। इस परियोजना पर सहमति लेने के उद्देश्य से योजना आयोग को एप्रोच की जा रही है, सहमति मिलने के तुरंत बाद कार्यवाही की जाएगी।

बिहटा से औरंगाबाद वाया पाली का हम सर्वेक्षण कराएंगे। माननीय श्री बसुदेव आचार्य, श्री सत्पथी, श्री लक्ष्मी नारायण पांडे, श्री रामजीलाल सुमन आदि ने कुछ नई गाड़ियां चलाने, फेरा बढ़ाने या गाड़ियों के कुछ अधिक स्टेशनों पर ठहराव आदि की मांग की है। जहां तक अधिक रेल गाड़ियां चलाने की बात है, साल-दर-साल नई-नई गाड़ियां प्रारंभ की जाती हैं। पापुलर डिमांड के कारण मैंने 15-20 गाड़ियां चलाने का प्रावधान अपने बजट में किया है। कई गाड़ियों का विस्तार, फेरा भी बढ़ाया है, परन्तु इसकी भी कुछ सीमा होती है। प्रत्येक नई गाड़ी को चलाने की क्षमता के विस्तार की भी आवश्यकता होती है। गाड़ियों के कुछ और प्रस्ताव के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। हावड़ा-मुंबई के बीच बांकुरा, आगरा, पुरूलिया होते हुए एक साप्ताहिक गाड़ी चलाने का भी प्रस्ताव है। केरल राज्य के लिए मैंगलोर और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली 6603-6604 मावेली एक्सप्रैस को, जो सप्ताह में एक बार के बजाय सप्ताह में दो बार चलाने का प्रस्ताव है। परीक्षण के दौरान एक नई गाड़ी कानपुर से छत्तीसगढ़ के लिए अगले चार महीनों के बाद चलाने का प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

श्री भाल चन्द्र यादव (खलीलाबाद): लखनऊ से देवरिया बरौनी के बीच में भी गाड़ी चलाइये।

श्री लालू प्रसाद: आपका सुझाव ठीक है। अब आप सुनिये। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर आजमगढ़ से दिल्ली के बीच 6 महीने के अन्दर वहां के लोगों के लिए नई गाड़ी चलाने का हमारा इरादा है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): हमने मथुरा से गाड़ी चलाने का प्रस्ताव दिया था, वहां कोई गाड़ी नहीं चल रही। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये हर प्रस्ताव का कैसे जवाब देंगे।

श्री लालू प्रसाद: आपके प्रस्ताव पर भी हमारी सहमति है, हम रेल चलाकर छोड़ेंगे। यहां जो छूट गया तो रेल भवन में नहीं छूटेगा। यहां बजट पास कराना है, इसलिए यह बोलना पड़ता है। बंगलौर भी और सब देख लेंगे। हमारा लदान अन्तरिम बजट की तुलना में ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): बिहार के लिए तो कुछ किया ही नहीं, हमने पटना के लिए रेल चलाने का निवेदन किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आपकी विक्रमशिला चला दी। आपने प्रत्येक दिन राजधानी चलाने को कहा था, उसका परीक्षण हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि अन्तरिम बजट की तुलना में 7 मिलियन टन लदान हमने बढ़ाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पल्लम राजू, आप इस तरह आंखों देखा हाल नहीं सुना सकते। कृपया बैठ जाइए। जब तक माननीय मंत्री नहीं चाहेंगे मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: सिस्टम को अभी बसुदेव आचार्य जी ने क्षमता को बढ़ाने की, यात्री व मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने की, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रीलेटरल के विकर्णों का शुद्धिकरण, उसकी क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया है। जैसा मैंने बजट भाषण में उल्लेख किया है, दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान लक्षित यातायात को ढोने और कोर सैक्टर की मांग पूरी करने के लिए रेल मंत्रालय ट्रैक बढ़ाने संबंधित चिन्हित 62 कार्यों को पूरा करने का निश्चय किया है।

माननीय प्रभुनाथ सिंह जी, रामजीलाल सुमन जी और लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी व अन्य सांसदों ने रेल संरक्षा और सुरक्षा की स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मैं बताना चाहूंगा कि रेल संरक्षा, सुरक्षा मैं समझता हूं कि इस सरकार की दृष्टि में प्रथम है। रेलवे में विगत में भी संरक्षा की दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिनके कारण गाड़ी दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन उपायों से न केवल कोई कमी आयेगी, बल्कि संरक्षा और सुदृढ़ करने के लिए उत्तरोत्तर और उपाय किए जाएंगे।

जहां तक सुरक्षा का सवाल है, हालांकि रेल पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मूलत: राज्य सरकार का विषय रहा है। हाल ही में आर.पी.एफ. को भी इस विषय में सरकार की ओर से कुछ अधिकार दिये गये हैं। आर.पी.एफ. को मजबूत करने के लिए चालू वित्त वर्ष में न केवल अतिरिक्त पदों को भरा जायेगा, बल्कि आवश्यकता के हिसाब से नये पदों का भी सृजन किया जा रहा है। रेल सुरक्षा बल के कर्मियों की कमी को त्वरित ढंग से पूरा करने के लिए मैंने उनकी भर्ती रेल बोर्ड के बजाय सुरक्षा विभाग द्वारा सीधी किये जाने का फैसला किया है। कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त आशंका कि सीधी भर्ती से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होगा। स्टेटवाइज जितनी भी अर्धबल की बहाली होती है, स्टेट पुलिस की बहाली होती है, वहीं से बहाली होती है, न कि कमीशन से बहाली होती है। सिपाही की बहाली कमीशन करेगा, यह बहाली सारे देश में हर जगह होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार को जन्म देने दिया जायेगा। आर.पी.एफ. का दस्ता डिब्बों में चलेगा।

जहां तक रेल ठेकों आदि से संबंधित इण्टर गेंग दुश्मनी का सवाल है, जिसके कारण भी कुछ घटनाएं हुई हैं। चलती ट्रेन में मर्डर कम हुए हैं, लेकिन कैम्पस में ज्यादा हुए हैं। इसमें भी हम डीप में गये हैं। जो रेलवे स्क्रैप है, ठेका है, पट्टा है, उसमें हमने अपनी नीतियां बदली हैं। इससे रेलवे के कैम्पस में जो अपराध होते थे, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ, माफिया गिरोहों के खिलाफ इस नयी सरकार में, श्री लालू प्रसाद यादव उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम इस देश में ऐसा नहीं होने देंगे। उन पर कड़ाई की जायेगी।

कुछ सदस्यों ने रेलवे स्क्रैप में भ्रष्टाचार, चोरी करने और माफिया गिरोहों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस बारे में हमने अभी बताया है। श्री रामजीलाल सुमन तथा कतिपय अन्य सदस्यों ने शंका व्यक्त की कि यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित 215 करोड़ रुपये अपर्याप्त है। मैं बताना चाहूंगा कि यात्री सुविधाओं के लिए धनराशि का आवंटन जोनल रेलवे द्वारा किया गया है। मांगों, कार्यों की प्रगति, धनराशि की उपलब्धता के आधार पर यह किया जाता है। तीन वर्ष में इन कार्यों के लिए 178 करोड़ रुपये, 175 करोड़ रुपये और 169 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अब 215 करोड़ रुपये की आवंटित धनराशि पर्याप्त है।

मेरा प्रयास होगा कि यात्रियों की सुविधा में विजिबल सुधार दिखाई दे। 215 करोड़ रुपये की राशि यात्री सुविधा योजना मद के अंतर्गत खर्च की जायेगी। इसके अलावा यात्री सुविधाओं से संबंधित कुछ कार्यों जैसे टीआरएस, यूटीएस, आदि पर भी रेल धन खर्च करती है जो अन्य योजना मदों में शामिल है। हालांकि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों को अपने उत्तर में शामिल करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कुछ नगण्य मुद्दे छूट गये हों। जहां तक सदस्यों द्वारा उठाये गये स्पेसीफिक मुद्दों का संबंध है, उन्हें पत्र द्वारा स्थिति से अवगत कराया जायेगा। अभी रेलवे की जो लेखानुदान पारित होनी है, तत्पश्चात् रेल बजट की स्थायी समिति द्वारा गहन समीक्षा होगी जिसके बाद अनुदान मांगों की स्थायी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में विस्तार से चर्चा होगी।

श्रीमती महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर की रेल योजना में राशि की कमी की गयी है। ऐसी बात नहीं है। मैं महबूबा जी को यह बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लिए जो पैसा दिया गया है, वह प्रयुक्त है। उसमें कहीं भी धन की कमी नहीं की गयी है और न ही धन की कमी होने दी जायेगी। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उधमपुर में ट्रेन कब चलेगी? ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः हम डेट फिक्स कर रहे हैं। पहले बजट तो पास होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

जम्मू-कश्मीर प्रौजेक्ट नयी लाइन, 290 कि.मी. लम्बाई, किश्त 550 करोड़ रुपये, 5500 करोड़ रुपये की राशि इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। इस वर्ष 1 हजार 200 करोड़ रुपये की मांग रखी गयी है जिसमें 300 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। यह आश्वासन दिया गया है कि जितना खर्च किया जा सकता है, उतने धन का प्रावधान किया जायेगा। जम्मू-कश्मीर में रेलवे द्वारा इस वर्ष 1 हजार 200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। अभी तक 31.3.2004 तक 1 हजार 279 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर का जो प्रौजेक्ट है, उसे मेनधारा में जोड़ना है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है।

[हिन्दी]

इसलिए इसमें टाप प्रायरिटी है। उस काम को हम समय सीमा के अंदर पूरा करेंगे। इसके साथ-साथ वहां सुरक्षा को भी देखना है।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात के गोधरा के कांड में मैं कहना चाहूंगा। इस देश में ही नहीं दुनिया में आज तक पता नहीं लगा कि हमारे देश के 59 नागरिक जो ट्रेन में मरे थे, उस बारे में पता नहीं लगा कि आखिर वहां क्या हुआ था? मुझे अचरज है, अफसोस है, इस बात का दुख है कि रेल प्रशासन, एनडीए सरकार के रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री, रेलवे का कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी इतने बड़े हादसे को देखने नहीं गए। यह बात करते हैं, यह बहस करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, सोनिया जी की तरफ उंगली उठाते हैं। दाल में काला लगता है। वहां कोई नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि रेलवे ने जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। कोई जांच नहीं हुई। ...*(व्यवधान)* मामूली-मामूली घटनाओं में जांच की जाती है। भारत का संविधान सर्वोपरि है। जांच कराना मैनडेटरी है लेकिन जांच नहीं हुई। वहां क्या किया गया। आठ महीने बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने चिट्ठी लिख दी कि अब मैं जांच नहीं कर सकता। इन्क्वाइरी कमीशन बैठ गया है। जांच करने की स्थिति भी नहीं है। केन्द्र सरकार का कोई मंत्री, खासकर रेल मंत्री, वहां नहीं गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं कि देश से इनको यह दर्द है। पता नहीं क्या बात थी, दाल में क्या काला था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं न कहीं यह बड़ा खेल था जो मेरे मन में था। गुजरात सरकार ने ला एंड आर्डर की बात करके एकतरफा कंडीशन तय कर ली। परिस्थितियां, घटनाक्रमों, गोधरा स्टेशन, रेलवे के निकट 27.02.2002 को साबरमती एक्सप्रैस के कुछ सवारी डिब्बों में, देखिए इनका टर्म्स आफ रैफरैंस क्या तय करता है, आग लगाई गई। क्या बात है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पता नहीं लेकिन यह तय कर लिया गया कि किसी ने आग लगाई थी। उन्होंने उस पर ज्यूडीशियल इन्क्वारी बिठा दी। स्टेट गवर्नमैंट ने जांच करवाई। हम बोलें, वे बोलें, परीक्षण कोई न कोई चीज होती है। 27.02.2002 को पश्चिम रेलवे के गोधरा स्टेशन के निकट 9166 मुजफ्फरपुर-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रैस गाड़ी में आग लगने की घटना के कारण 59 लोगों की जान गई, 24 लोग घायल हुए, रेल परिसम्पत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। घटना के ढाई साल बाद भी दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयोग द्वारा न ही वैधानिक जांच नहीं की गई और न ही धारा 115 के अंतर्गत विभागीय जांच हुई। कोई जांच नहीं हुई। मुझे सदन को सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि गोधरा में दिनांक 27.02.2002 को साबरमती एक्सप्रैस के एस-6 कोच में जो आग लगने की घटना हुई, एनडीए सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री ने उसे आग लगने की घटना करार दिया। उस मानवीय त्रासदी के बाद न तो तत्कालीन माननीय रेल मंत्री और न ही रेल राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। गुजरात में दंगा हुआ, हजारों लोगों का कत्ल हुआ, देश और दुनिया में हमारा सिर शर्म से झुक गया। आज तक पता नहीं लगा। उन्होंने जो जांच कराई, हमने रिपोर्ट मंगाई थी। एफ.एस.एल. की रिपोर्ट जो हमने मंगाई थी, मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ''लगाई गई आग'' एफ.एस.एल. की रिपोर्ट क्या बोलती है? यह अंग्रेजी में है, मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं:-

[अनुवाद]

> ''सी आर सं. 9/2002, गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन से संबंधित अपराध विज्ञान प्रयोगशाला, गुजरात राज्य, घटनास्थल जांच रिपोर्ट सं. 2।
>
> 3.5.2002 को अपराध विज्ञान विशेषज्ञों के एक दल ने घटनास्थल का दौरा किया था। जिसमें अधोहस्ताक्षरी श्री ए.एन. जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी, अहमदाबाद भी शामिल थे। ये देखने के लिए कि घटना के दिन अपराध किस प्रकार हुआ, रेलगाड़ी के एक डिब्बे को उसी स्थान पर खड़ा रखा गया है। विभिन्न प्रकार के कंटेनरों की सहायता से उक्त डिब्बे में द्रव्यों का प्रयोग करके परीक्षण प्रदर्शन भी किए गए थे। जिसके आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए थे।

1. यह पाया गया था कि उस स्थान पर जमीन से डिब्बे की खिड़की की ऊंचाई लगभग सात फीट थी। इस स्थिति में किसी बाल्टी अथवा कारब्वाय द्वारा बाहर से अन्दर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंकना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से अधिकांश द्रव्य बाहर गिर रहा था ..."

[हिन्दी]

माने जो संस्था थी, डिमांस्ट्रेशन में वह लौट जाती थी। यह जो एक्सपेरीमेंट किया। ...*(व्यवधान)* हम तो समझ गए, आप लोग सब समझ गए? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

घटनास्थल पर सवारी डिब्बे के दक्षिणी दिशा से लगभग 14 फीट की दूरी पर तीन फीट ऊंचा कंकरों का ढेर था। उक्त ढेर के ऊपर रखी बाल्टी से सवारी डिब्बे की खिड़कियों पर पानी फेंका गया। इस प्रकार से पानी फेंकने से केवल 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत पानी अंदर गया और शेष पानी बाहर ही गिर गया। अत: यदि बाहर से ज्वलनशील पदार्थ फेंका जाता तो सवारी डिब्बे का निचला हिस्सा ही जलता। परन्तु सवारी डिब्बे और पटरी के निरीक्षण के बाद सवारी डिब्बे की खिड़कियों के निचले हिस्से में आग का कोई प्रभाव नहीं पाया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और ..."

[हिन्दी]

हिन्दी में भी बता देंगे।

[अनुवाद]

"... रेल डिब्बा के बाहरी हिस्से के जलने के तरीके को भी देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई ज्वलनशील द्रव रेल डिब्बे के बाहर से उसके अंदर नहीं फेंका गया..."

2. ऐसी संभावना भी नहीं दिखती कि कोई ज्वलनशील द्रव रेल डिब्बे के दरवाजे से फेंका गया।

3. रेल डिब्बे के कम्पार्टमेंट तथा उसके पूर्वी छोर के उत्तरी दरवाजे के बीच में खड़े होकर बाल्टी जैसे किसी चौड़े मुंह वाले बर्तन से उसके पश्चिमी छोर की ओर पानी फेंका गया, इस स्थिति में रेल डिब्बे का अधिकांश हिस्सा 60 लीटर पानी से ढंक गया। इस तरीके से पानी गिराने से पानी सिर्फ पश्चिम की ओर गया तथा इसका कुछ भी भाग दरवाजे अथवा शौचालय की ओर नहीं गया।

4. उपरोक्त प्रयोगात्मक उपपत्ति के आधार पर यह निर्णय निकाला जा सकता है कि कोच संख्या 5-6 के पूर्वी छोर के उत्तरी दरवाजे तथा सीट संख्या 72 के कम्पार्टमेंट के बीच की जगह पर खड़ा होकर किसी चौड़े मुंह के बर्तन द्वारा पश्चिम की ओर 60 लीटर ज्वलनशील द्रव गिराया गया था तथा उसके तुरन्त बाद कोच में आग लगा दी गयी थी। रेलगाड़ी का गोधरा रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने से लेकर दुर्घटना तक की अवधि, आग की प्रचंडता, रेल डिब्बे के अंदर के सामानों के जलने की सीमा पर गौर करने पर यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त आग को लगाने में भारी मात्रा में (करीब 60 लीटर) उच्च ज्वलनशील द्रव का इस्तेमाल किया गया था। मि. एस. दहिया, असिस्टेंट डायरेक्टर के दस्तखत हैं। टिप्पणी: रेल डिब्बे और घटना स्थल की रूपरेखा रिपोर्ट में सम्मिलित की गयी हैं।"

गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन की सी.आर. संख्या 9.2.2002 से संबंधित मौके पर की गयी जांच रिपोर्ट संख्या 1:

"अपराध-शास्त्र विज्ञानियों अधोहस्ताक्षरी सहित विशेषज्ञों के दल ने दिनांक 1.5.2002 को अपराध स्थल का दौरा किया था, अन्य विशेषज्ञ, श्री ए.आर. वाघेला, साइन्टिफिक आफिसर, वड़ोदरा, श्री योगेश पटेल, साइन्टिफिक आफिसर (मोबाइल), पंचमहल तथा श्री एस.एल. देसाई, फोटोग्राफर, सूरत थे। विशेषज्ञों ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के जले हुए कोच सं. एस-6 की विस्तृत जांच की है। उक्त कोच को गोधरा रेलवे स्टेशन में रखा गया। कोच की व्यापक जांच के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की गयी टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

1. जले हुए कोच (सवारी डिब्बा) संख्या एस-6 के दक्षिणी हिस्से के बाहरी भाग पर काफी संख्या में निशान पाए गए जो पत्थरबाजी की वजह से बने थे। इसके अलावा, काफी संख्या में पत्थर के टुकड़े कोच के भीतर बिखरे पड़े मिले और इसी प्रकार शीशे के टुकड़े भी देखने को मिले। यह पाया गया कि उक्त शीशे के टुकड़े खिड़कियों के थे। इन अवलोकनों के आधार पर यह कहना संभव है कि कोच पर बाहर से भारी मात्रा में पत्थरबाजी की गयी तथा दक्षिणी हिस्से के शीशे प्राथमिक रूप से पत्थरबाजी की वजह से टूटे और उत्तरी हिस्से के शीशे आग की गर्मी की वजह से।

2. उक्त कोच के दरवाजे के रंग की स्थिति, जलने की पद्धति, हैंड लाक की स्थिति, खिड़की के फ्रेम की अल्युमिनियम पट्टी के गलने के चिह्नों से यह स्थापित

[श्री लालू प्रसाद]

किया जा सकता है कि कोच के उत्तरी हिस्से के पूर्वी-पश्चिमी दोनों दरवाजों तथा दक्षिणी हिस्से के पूर्वी दरवाजे अर्थात् कुल तीन दरवाजों को आग की घटना के समय खोला गया था और दक्षिणी हिस्से का पश्चिमी दरवाजा बंद था।

[हिन्दी]

जब आग लगी तो रिस्क्यू करने के लिए पुलिस गई। उस समय खोला गया। यह इसका मतलब है।

[अनुवाद]

3. दक्षिणी हिस्से की खिड़कियों में से एक खिड़की की छड़ ताप की वजह से टूटी पाई गई। चूंकि खिड़की के निचले हिस्से की ऊंचाई जमीन से 7 फीट से भी अधिक थी, इसलिए यह संभावना नहीं दिखती कि खिड़की की ओर से छड़ पर बल प्रयोग किया गया हो। इसके अलावा, यह नहीं पाया गया कि छड़ को मोड़ने के लिए किसी उपकरण का प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि छड़ को तोड़ने की कोशिश कोच के अंदर से की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य छड़ें ताप की वजह से जोड़ों के पिघलने के कारण ढीली हो गयी थी।..."

आग भीतर ही लगी।

"4. कोच के जलने की पद्धति, इसकी सीमा तथा फर्श पर गहराई और एलिगेटरिंग पैटर्न के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आग कोच के भीतर काफी तेजी से फैली थी। आगे फर्श पर एलिगेटरिंग पैटर्न की तीव्रता का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि आग कोच के पूर्वी हिस्से से शुरू हुई थी और तत्पश्चात् पश्चिमी हिस्से की ओर तेजी से फैली थी। आगे यह प्रतीत होता है कि कोच के अंदर की वस्तुओं के जलने की तीव्रता और अनुपात काफी अधिक पूर्व से पश्चिम करीब 80 प्रतिशत था जबकि 20 प्रतिशत भाग में जलने की तीव्रता 80 प्रतिशत भाग की तुलना में कम थी।

5. उक्त आग में तेजाब जैसे किसी क्षयकारी द्रव के प्रयोग होने का कोई निशान नहीं मिलता।

6. कोच की खिड़कियों के फ्रेमों की स्थिति का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आग लगने के दौरान कोच की सभी खिड़कियां बंद थी।"

[हिन्दी]

महोदय, यह दस्तखत हैं। यह जो टर्म्स एंड कंडीशन्स स्टेट गवर्नमेंट ने बनाये, जब यह रिपोर्ट आई उसके बाद बना है। टर्म्स एंड कंडीशन्स को नहीं बदला। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम हाई-पावर विभागीय जांच बैठाएंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यह आग शार्ट-सर्किट से लगी या प्लान्ड योजना के तहत लगाई गयी। डब्बा तो कारसेवकों से भरा हुआ था। इसकी भी जांच कराएंगे कि कितने टिकट लेकर गये, कितने बेटिकट लेकर गये। इसलिए विभागीय हाई-पावर जांच बिठाने का हमने फैसला किया है और तीन महीने के अंदर हमने रिपोर्ट मांगी है। जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनके लिए भी हमने तय किया है कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी हम निर्धारित करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहां क्या हुआ था, कैसे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति तबाह हो गयी और लाखों भाई-बहन मारे गये। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, इस खुलासे के आलोक में एक उच्च स्तरीय जांच करवायी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं केन्द्र सरकार से इस प्रकार के अपराध के लिए गुजरात सरकार के भी विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। ...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से एक मिनट के लिए बोलने की इजाजत चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: हां, मैं इजाजत देता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट 17 मई, 2002 की है। इसका अर्थ हुआ कि इस दुर्घटना के घटित होने के करीब तीन महीने बाद यह रिपोर्ट सरकार व रेल मंत्री को उपलब्ध हो गयी थी। हां, इसे 2004 तक गुप्त रखा गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, निर्णय निकाले जा सकते हैं। आपको इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तिथि का उल्लेख किया है।

श्री कपिल सिब्बल: मेरा मात्र यह कहना है कि ऐसा राज्य सरकार की मिली-भगत के बगैर, मुख्य मंत्री, केन्द्र सरकार, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री की मिली-भगत के बगैर नहीं किया जा सकता था। ...*(व्यवधान)* इन सभी मामलों की आवश्यक रूप से जांच की जानी चाहिए तथा इन सभी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सरकार को करना है। आप सरकार में हैं।

श्री कपिल सिब्बल: मैं सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): नरेन्द्र मोदी को हटाना चाहिए ...*(व्यवधान)* गुजरात सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी आदमी के दबाव में आकर मामले को दबने नहीं देंगे। हम देश और दुनिया को बताना चाहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन लोग थे, क्यों रेलवे डमी बनकर बैठा रहा। ये लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं हैं, इसलिए भागते हैं। इनको मालूम है, मैं जब से रेल मंत्री बना हूं, तब से ही गोधरा की बात कह रहा था। इसलिए अपनी लाज को बचाने के लिए लालू को डिमोरलाइज करने के लिए लालू को दागी मंत्री बोलते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, रेल बजट को देश भर में व्यापक समर्थन मिला है।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, उत्तर में किसी नई रेलगाड़ी को शुरू करने की बात नहीं कही गयी है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि वह वहां जाएंगे और आप उनसे मिलिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करता हूं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आपकी सभी कठिनाइयां व्यक्तिगत नहीं है, आपके क्षेत्र की जनता की हैं। मैं आपकी तकलीफ जानता हूं, सोनियाजी भी आपकी तकलीफ को जानती हैं और श्री मनमोहन सिंह जी भी जानते हैं। हम पैसों का इन्तजाम करेंगे। जैसे धड़ा-धड़ा रेल चलती है, वैसे ही धड़ा-धड़ पैसा देकर आपके काम को करेंगे। इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है।

[अनुवाद]

यही अंत नहीं है। आप हमारे इन प्रारंभिक प्रयासों से भावी कार्यों का अंदाजा लगा सकते हैं।

[हिन्दी]

महोदय, हमारे साथी, कुवंर मानवेन्द्र सिंह मथुरा से निर्वाचित हुए हैं। हम लोग तो वहीं से निकले हैं और हमारा पूरा खानदान वहीं से है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: मंत्री जी, मथुरा के बारे में विशेष रूप से ध्यान दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: मथुरा हमारा गुरुद्वारा है। मैं मानवेन्द्र जी को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं, जैसा आपने भी कहा है, कि ये अधर्मी लोग धर्म को नहीं मानते हैं। वह विभाग हमारा नहीं हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। मंत्रालय में विश्वकर्माजी का फोटो नहीं था। हमने कहा, आप अपना विभाग संभालिए, एक्सीडेंट मत होने दीजिए, नहीं तो बदनामी आपकी होगी। हमको बोलिए, हमको क्या-क्या करना है। वे हमको बतलाते रहते हैं।

महोदय, रामपुर के एक माइनोरिटी के बन्धु को मैं धन्यवाद देता हूं, रामपुर के अल्पसंख्यकों द्वारा गढ़ा गया राधा-कृष्ण का चित्र हमको गिफ्ट दिया गया है। वह भी हमने विश्वकर्माजी के चित्र के पास रख दिया है और कह दिया कि आप लोग जानें, आपका काम जानें। रोज एक पियन अगरबत्ती जला देता है और हम जाकर उनको प्रणाम करते हैं। बताइए, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन हमको एप्रीहैंशन है, ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आवश्यक नहीं है। यह शब्द हटा दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं और सदन से अनुरोध करते हैं कि लेखानुदानों की मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं लेखानुदान की मांगें (रेल) वर्ष 2004-2005 को मतदान के लिए रखता हूं:-

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या संबंध में, कार्य सूची स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.54 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान संख्यांक-2 विधेयक, 2004-2005*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 12 पर विचार करेगी। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लेंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 14.7.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री गिरिधर गमांग** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(एक) पश्चिम रेलवे मंडल में कपडवंज-मोडसा बड़ी रेल लाइन को शामलाजी रोड तक बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): कपडवंज-मोडसा बड़ी लाइन को शामलाजी रोड तक बढ़ाए जाने से उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सहित मुम्बई तक और मोडसा-कपडवंज-आनंद से दिल्ली बरास्ता उदयपुर-चित्तौड़गढ़ तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। 15 किलोमीटर के इस नए रेलमार्ग के निर्माण से दिल्ली से चित्तौड़गढ़-उदयपुर, मोडसा-कपडवंज-नादियाड और मुम्बई के लिए एक वैकल्पिक रेल मार्ग तैयार किया जा सकेगा।

वर्ष 2003 में तत्कालीन माननीय रेल मंत्री ने इस विचार को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने मोडसा-शामलाजी रेलवे लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण कराने की घोषणा की थी और तदनुसार पश्चिम रेलवे ने सर्वेक्षण कराया था जो अब पूरा हो गया है। यह परियोजना पश्चिम रेलवे डिविजन के अधीन है। परियोजना की लागत अधिक नहीं है और यह माननीय रेल मंत्री के अपने बजट के विवेकाधिकार के अधीन आती है।

मैं रेल मंत्रालय से इस धनराशि को मंजूर करने का आग्रह करता हूं ताकि 15 किलोमीटर की बड़ी रेल लाइन बिछायी जा सके। दिल्ली से अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़-उदयपुर-मोडसा होते हुए और नडियाड-वड़ोदरा से मुम्बई और वापसी के लिए तीसरा मार्ग खोला जा सके।

(दो) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद शहर को विविध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना जाता है। मुर्शिदाबाद शहर पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी हुआ करता था। यहां तक कि लार्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद शहर को लंदन जैसा समृद्ध और ख्यातिप्राप्त बतलाया है। अब मुर्शिदाबाद की गरिमा और सभ्यता बीते दिनों की यादें बनकर रह गयी हैं। कर्ण सुबर्ण नामक एक अन्य स्थान, जो इसी जिले में स्थित है, इसका वर्णन यहां आने वाले चीनी विद्वानों और फंग के यात्रा-वृत्तांतों में मिलता है। यह राजा शशांक की राजधानी था। शशांक के शासनकाल में कर्ण-सुबर्ण विश्वविद्यालय में दस हजार विद्यार्थी पढ़ा करते थे। इसे रक्त मृत्तिका के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस कर्ण-सुबर्ण नामक स्थान पर भगवान बुद्ध आए थे। लेकिन अब यह स्थान जीर्ण अवस्था में है।

अत: इन ऐतिहासिक स्थानों और मुर्शिदाबाद, कर्ण-सुबर्ण एवं कीतेस्वरी की कलात्मक धरोहर के रखरखाव की तुरंत आवश्यकता है।

(तीन) आंध्र प्रदेश के कृषक समुदाय के सामने आ रही समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, चक्रवात, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदाएं, कृषि उत्पादों के अलाभकारी मूल्य, ऋण राशि का पर्याप्त रूप से एवं समय पर उपलब्ध न कराए जाने, मिलावटी बीज तथा कीटनाशकों जैसे कारणों की वजह से आंध्र प्रदेश में हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। परंपरावादी, मूल्यवादी, परिश्रमी, स्वाभिमानी किसान लगातार फसल चौपट होने और अपने कृषि उत्पादों के अलाभकारी मूल्यों के कारण ब्याज सहित अपना ऋण नहीं चुका पाते और उन्हें ऋण चुकाने के आसार भी नजर नहीं आते और वे स्वयं को या अपने परिवार के सदस्यों को या

[श्री के.एस. राव]

समाज को अपना मुंह दिखाने में लज्जा का अनुभव कर रहे हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। यदि केन्द्र और राज्य सरकारें तत्काल इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ लेती हैं, तो किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ गांव से शहरों की ओर भारी पलायन की पूरी संभावना है।

वर्तमान सरकार नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराकर, ऋण भुगतान पर ऋण स्थगन और कम ब्याज दर पर नया ऋण, समय पर किसानों को गुणवत्ता बीजों और कीटनाशी की आपूर्ति और आत्महत्या करने वाले किसान के प्रत्येक परिवार को 1.50 लाख रुपये, तत्काल मंजूरी, छोटी और मझोली सिंचाई, योजनाएं विपणन सुविधाएं, सिंचाई और ग्रामीण विकास संबंधी बड़ी धनराशियों का आबंटन आदि जैसे अनेक कदम उठाकर किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए कटिबद्ध है।

अत: केन्द्र सरकार किसानों द्वारा की जाने वाली इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए आगे आए, कारणों का पता लगाए और कारगर नीति तैयार करे।

(चार) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, केन्द्र की पिछली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के छ: नये केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी। जिसमें से एक केन्द्र उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ होना था। पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तथा स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण प्रतिवर्ष इन्सेफलाइटिस तथा लिवर कैंसर से हजारों मौतें होती हैं। 6 करोड़ रुपये की आबादी में एक मात्र मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थित है, जिसकी तरफ सरकार का समुचित ध्यान नहीं गया है। तीन बार एम.सी.आई. इस कालेज की मान्यता समाप्त कर चुका है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख महानगर है। नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ-साथ बिहार का बहुत बड़ा भूभाग गोरखपुर से जुड़ा है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रस्तावित केन्द्र को गोरखपुर (उ.प्र.) में खोलने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

(पांच) विकास कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत निधि का पूरा हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर (दावणगेरे): महोदय, केन्द्र सरकार विकास कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों के लिए धनराशि जारी कर रही है। लेकिन यह राशि सभी ग्राम पंचायतों को किस्तों में जारी की जा रही है। टुकड़ों में किए जा रहे इस वितरण के कारण प्रत्येक ग्राम पंचायतों को बहुत ही कम राशि मिल पाती है। इसके परिणामस्वरूप बहुत कम या नहीं के बराबर विकास होता है। यदि बारी-बारी से ग्राम पंचायतों को पूरी राशि जारी की जाती है तो उस विशेष क्षेत्र में काफी विकास कार्य हो सकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाए और यथाशीघ्र किसी विशेष ग्राम पंचायत को पूरा हिस्सा आवंटित किया जाए ताकि उस विशेष क्षेत्र को तुरंत विकसित किया जा सके।

(छह) कालाहांडी जिले में ऊपरी इन्द्रावती बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, अपर इन्द्रावती मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इसकी तीन कैनाल प्रणाली जैसे लैफ्ट, राइट विस्तार और लिफ्ट कैनाल प्रणाली के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है और सिंचाई क्षमता 1.2 लाख हेक्टेयर है। लेफ्ट को राइट कैनाल का निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। लिफ्ट कैनाल का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इससे कालाहांडी के अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्रों जैसे कोकसारा और धरमगढ़ ब्लाकों की सिंचाई की जाएगी। इसलिए मैं परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए ए.आई.बी.पी. कार्यक्रम से राशि जारी की जाए क्योंकि उड़ीसा सरकार ने इस कैनाल प्रणाली को पूरा करने की पहल की है।

(सात) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषणकारी गंदे जल के प्रवाह को रोकने के लिए विनियमों को लागू करने की आवश्यकता

श्रीमती मनोरमा माधवराज (उदुपी): महोदय, नई मंगलोर पत्तन क्षेत्र से लगे उदुपी के तटीय क्षेत्रों में रह रहे मछुआरा समुदाय मुश्किल से अपना जीविकोपार्जन कर रहा है और बहुराष्ट्रीय रसायन विनिर्माण संयंत्र द्वारा प्रसंस्करण किए जा रहे खतरनाक और

जहरीले रासायनिक तत्वों के औद्योगिक कचरे के निस्सारण के कारण उन्हें समुद्री जल प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।

कचरे के निस्सारण से तटीय जल से दूर गहरे जल में समुद्री जीवों (मछली आदि) के चले जाने के कारण एन.एम.पी.टी. पानमबुर क्षेत्र से लगे तट के आस-पास के समुद्री जल के जैवीय विशेषताओं में भारी बदलाव आया है। रक्षित कचरा उपचार/निपटान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने हेतु खतरनाक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करने वाले ऐसे रासायनिक इकाईयों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।

मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे की कड़ी निगरानी रखे और दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के तट के आस-पास स्थित रासायनिक/औद्योगिक इकाईयों द्वारा रक्षित बहिस्राव शोधन। निपटान प्रणाली की स्थापना के संबंध में विनियमन लागू करे।

(आठ) पश्चिम बंगाल में रेलवे हॉकरों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम): महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में किसी तरह से अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे 80 हजार से भी अधिक रेलवे हॉकर्स की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनमें से अधिकांश लोग या तो वे हैं जो आजादी के समय बंटवारे के कारण उजड़े शरणार्थी हैं या बंद पड़े फैक्ट्रियों के बेरोजगार कामगार और बेरोजगार युवक हैं। वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण हजारों कामगार अपनी जिंदगी चलाने के लिए इस पेशे को अपनाने पर मजबूर हुए हैं। इस कार्यबल और कुलियों का अधिकांश हिस्सा बिहार और उड़ीसा के लोगों का है। पिछले कई वर्षों से ये निर्धन लोग हॉकर्स और कुलियों के लिए लाइसेंस एवं रेलवे ठेका श्रमिकों के लिए रेलवे अस्पतालों में इलाज किए जाने की मांग कर रहे हैं। 16 जून, 2004 को रेल मंत्री, और पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को पहले ही एक संयुक्त ज्ञापन सौंप दिया गया है। मंत्री जी द्वारा इस वर्ष को सामाजिक सुरक्षा तंत्र में शामिल किए जाने के उनके प्रस्ताव पर मैं उन्हें बधाई देता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि इन लोगों की अन्य वैध मांगों पर भी विचार किया जाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय क्षेत्र में राजघाट बांध परियोजना के विस्थापित भू-स्वामियों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र ललितपुर-झांसी (उ.प्र.) के अंतर्गत राजघाट बांध परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की भूमि पर हुआ है। यह भूमि जिन किसानों से अधिग्रहीत की गई थी, उसका अभी तक मुआवजा किसानों को नहीं मिला है, जिसके कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों के दिन गुजार रहे हैं और न इस क्षेत्र के लिए बांध से सिंचाई हेतु पानी का कोई निर्धारण किया गया है। अत: आपके माध्यम से मैं जल संसाधन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि राजघाट परियोजना के निर्माण में जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनको अविलंब अवशेष मुआवजा दिया जाये और इस क्षेत्र के किसानों को बांध से सिंचाई हेतु पानी का निर्धारण किया जाए।

(दस) सुन्दरवन के क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, इस वर्ष मानसुन की शुरूआत में ही सुन्दरवन में 3500 कि.मी. लंबी नदी के तटबंध का काफी कटाव हुआ है और 66 स्थानों पर क्षति पहुंची है जिसके परिणामस्वरूप फसलों को क्षति हुई है और मीठे पानी के स्रोत खारे पानी से प्रदूषित हो गए है जिससे दक्षिण 24 परगना और उत्तरी 24 परगना जिले के कुछ भाग प्रभावित हुए हैं। यदि तटबंधों का समय पर बचाव करने के पर्याप्त उपाय न किए गए तो रायल बंगाल टाइगर्स का अस्तित्व पर संकट छा जाएगा।

मानव आबादी के जान-माल, प्राकृतिक वन और सुन्दरवन के जीव-जन्तुओं की रक्षा करने के क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार अपने सीमित स्रोतों से तटबंधों का कुछ मरम्मत कार्य कर रही है, लेकिन क्षेत्र में व्याप्त भयावह स्थिति से निपटने में यह अपर्याप्त है। इसलिए, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सुन्दरवन में तटबंधों के निर्माण कार्य के लिए 90 करोड़ 14 लाख रुपए स्वीकृत करने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक यह राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

इसलिए, केन्द्र सरकार से यह निवेदन किया गया है कि सुन्दरवन के जीव-जन्तुओं और वन की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि को स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(ग्यारह) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एस.सी.पी.

[श्री रामदास बंडु आठवले]

और टी.एस.पी. बनानी चाहिए तथा जनसंख्या प्रतिशतता के अनुपात में आवंटन को सुनिश्चित करना चाहिए। इन निधियों को अन्यत्र इस्तेमाल से रोकने हेतु आवश्यक तंत्र बनाया जाए। इस राशि का इस्तेमाल इन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु ही किया जाए। इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को इसी वर्ग द्वारा भरा जाए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में अन्य जातियों के नाम शामिल करने। हटाने के सभी मामलों के संबंध में अविलंब एक पूर्ण विधेयक पुर:स्थापित किया जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आवास विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। जिसका लक्ष्य पांच वर्ष की अवधि के भीतर उसमें सभी बेघर व्यक्तियों को शामिल करना हो। पी.सी.आर. अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पी.ओ.ए.) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन और अधिक कठिन बनाया जाना चाहिए तथा इनके कुछ अधिनियमों के कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधियों का शामिल होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को तिमाही आधार पर दिया जाए और यह राशि मूल्य सूचकांक के अनुरूप दी जाए।

इस संबंध में मैं सरकार से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: मैं सूची के उन नामों को दोहराऊंगा जिनके नाम नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाने के लिए सूचीबद्ध किए गए थे लेकिन कुछ पहले वह उपस्थित नहीं थे। डा. करण सिंह यादव-अनुपस्थित, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-अनुपस्थित, श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर-अनुपस्थित।

(बारह) शिप-ब्रेकिंग उद्योग पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): महोदय, शिप ब्रेकिंग उद्योग इस्पात जो कि मुख्यत: भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है के उत्पादन हेतु री-रोलिंग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान में शिप ब्रेकिंग उद्योग कड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा ब्रेकिंग हेतु जहाजों की ख़रीद की उच्च दरों एवं स्टीक स्क्रैप की कम कीमतों के कारण कठिन वित्तीय दौर से गुजर रहा है। इस उद्योग के पुनर्जीवन हेतु सरकार से सभी प्रकार की सहायता की अपेक्षा की जाती है। उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए, मैं केंद्र सरकार से पुराने जहाजों पर सीमा शुल्क को कम करने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव-अनुपस्थित।

अपराह्न 3.19 बजे

सामान्य बजट, 2004-05–सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम आज की संशोधित कार्यसूची नामत: वर्ष 2004-05 के बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा की मद संख्या 14 पर चर्चा आरंभ करेंगे। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

...(व्यवधान)

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सभापति महोदय, मुझे भी नियम 377 के अंतर्गत एक मामला उठाना है।

सभापति महोदय: लेकिन क्षमा कीजिए मैं पहले ही सभा की कार्यवाही की अगली मद को आरंभ करा चुका हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, जब यह बजट श्री चिदम्बरम जी ने यहां प्रस्तुत किया, तो कांग्रेस का घोषणापत्र, कामन मिनीमम प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर ऐड्रैस टू दि नेशन और चिदम्बरम जी ने अपने बजट भाषण को शुरू करते समय जिन-जिन प्राथमिकताओं का जिक्र किया कि ये-ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी, यह बजट उन सबके विपरीत है, उलट है, डायमैट्रीकली ओपोजिट है। यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मध्यमवर्ग विरोधी है, मजदूर और कर्मचारी विरोधी है। छोटे उद्योगों के लिए *...(व्यवधान)* छोटे-छोटे उद्योगों के लिए निहायत घातक है। यह विकास रोकने वाला और महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। चिदम्बरम जी ने यहां शब्दों के वाक-जाल, बाजीगरी और आडम्बर से बहुत मीठे शब्दों में जहरीली गोली को प्रस्तुत किया है। उन्होंने ऐसा आभास दिया कि यह बजट आम आदमी का है, उन्होंने बोलते-बोलते शब्दों के फेर में डाल कर ऐसा आभास दिया, ऐसा लगा कि शायद यह आम आदमी, किसानों और ग्रामीणों का बजट है।

महोदय, जिस समय बजट पेश किया गया तो शाम तक सारे चेनल्स, अखबारों और कार्पोरेट जगत ने यह बात जोर से दोहरा दी गई कि शायद यह बजट ग्रामीण और किसानों का है। हम सबसे पहले ग्रामीण बजट और किसान बजट को इनके सामने रखना चाहते हैं। वर्ष 2003-04 में जो ग्रामीण विकास के लिए

बजट था, वह 13,238 करोड़ रुपए था और अगले साल का बजट 9,239 करोड़ रुपए है। 4000 करोड़ रुपए ग्रामीण बजट में कम किए गए है। गांवों के बजट में आप 4000 करोड़ रुपए कम कर दें और उसके बाद कहें कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट बना रहे हैं, ग्रामीण लोगों और किसानों के लिए बजट बना रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग छोड़ दें तो पूरा मंत्रालय, जो श्री रघुवंश प्रसाद जी के महकमे में आता है, उस बजट में पिछली बार 19,200 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस बार 15,998 करोड़ रुपए रखे गए हैं, उसमें से 3200 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। उसमें पीने के पानी की योजना भी है, सिंचाई योजना भी है। सारे ग्रामीण क्षेत्रों की सारी योजनाओं में से 4000 करोड़ रुपए कम करके या पूरे बजट में 3200 करोड़ रुपए कम करके ग्रामीण बजट और किसानों का बजट बनाया जा रहा है।

महोदय, यहां कई दिन से यह सवाल उठाया जा रहा है कि देश भर में आत्महत्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र व केरल में कर रहे हैं। इन चारों जगहों पर कांग्रेस का राज है। 15 मई के बाद आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। 15 मई के बाद इतनी आत्महत्याएं, इन सब स्थानों पर हुईं और उसका निराकरण क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी एक जगह पर गए। कई लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ना है, इसलिए वहां गए। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें 50,000 रुपए देता हूं। इन्होंने वहां पर आत्महत्या रोकने के लिए क्या किया। महोदय, किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो कर्जा लिया था उसे वे वापस नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो सूद बनता है, वह सूद-दर-सूद बढ़ते-बढ़ते इतना ज्यादा हो गया है कि उसे देने की उनकी औकात नहीं है, इसलिए वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। केवल आंध्रा में ही 15 मई के बाद 200 आत्महत्याएं हुईं और उन किसानों के लिए चिदम्बरम जी ने अपने बजट में क्या किया? क्या उनके लिए कोई कर्जा माफ किया?

महोदय, मुझे मालूम है जब रोड-शो हो रहे थे, आपकी अध्यक्षा ने सारे रोड-शो में जाकर कहा कि आंध्र प्रदेश में आत्महत्याएं हो रही हैं, हम आएंगे तो किसानों के कर्जे और उनका सूद माफ कर दिया जाएगा। वायदे किए गए, लेकिन इस बजट में एक पैसे का कर्जा, सूद माफ नहीं किया गया। यहां कोई बता दे कि इस सारे बजट में कहीं पर भी कर्जा माफ करने की, सूद माफ करने की बात की गई। कृषि उत्पादों की खरीद कीमत भी नहीं बढ़ाई गई। सूद कम नहीं किया गया। महोदय, एनडीए सरकार ने 14 प्रतिशत से सूद को कम करके नौ प्रतिशत किया था। जसवंत सिंह जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि हम नौ प्रतिसत से भी कम करके सात प्रतिशत करेंगे। उन्होंने सात प्रतिसत का वायदा किया था, आपने सूद में कोई कमी नहीं की। हम 14 प्रतिशत से नौ प्रतिशत पर लाए थे, आपने वही नौ प्रतिशत रखा। वायदा था कर्जा और सूद माफ नहीं किया और ब्याज की दर में कमी करने का जो वायदा था वह भी नहीं किया तथा कृषि उत्पादों की कोई ज्यादा कीमत नहीं की। अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी सरकार आने के बाद फौरी कदम उठाए जाते, कर्जा, सूद माफ कर दिया जाता और उन किसानों को, जो मार्जीनल किसान हैं, उन्हें इस प्रकार की राहत मिल जाती तो आत्महत्याएं रूक सकती थीं। परन्तु आत्महत्याएं तो बढ़ती जा रही हैं और ज्यादा आत्महत्याएं होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रकार के कदम उठाये तो किसानों की आत्महत्या के लिए यह यू.पी.ए. की सरकार जिम्मेदार होगी, इनके ऊपर इस प्रकार का लांछन आएगा।

रोजगार की बात बहुत की गई। यह कहा गया कि हम सभी को रोजगार प्रदान करेंगे। उस समय वायदा किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार के एक आदमी को सौ दिन का रोजगार दिया जायेगा, यह आपका वायदा है। यह आपने अपने मेनीफेस्टो में भी लिखा है, आपने यू.पी.ए. के मिनिमम प्रोग्राम में भी लिखा है कि इसको किया जायेगा। इसके लिए बजट में क्या प्रावधान है? बजट में कोई प्रावधान है? इसके लिए तो सात लाख करोड़ रुपया चाहिए। एक परिवार के एक आदमी को 100 दिन का रोजगार देने के लिए इतनी धनराशि चाहिए। इन्होंने बजट में रखा क्या है। इन्होंने रखा है कि हम एक एक्ट लाएंगे, एक बिल बनाएंगे और बिल के अन्दर इस बात को रख देंगे। एक कमीशन बिठाएंगे। कमीशन बिठाने से क्या रोजगार मिल जायेगा? बिल बनाने से रोजगार मिल जायेगा? सात लाख करोड़ रुपया जिसके लिए चाहिए, पांच साल में भी यदि आप सब को रोजगार दें तो एक साल में एक लाख करोड़ रुपया चाहिए था, इस बजट के अन्दर क्या एक पैसे की भी वृद्धि है, जो पिछले साल रोजगार देने के लिए पैसा था, उसमें से एक पैसा भी और है कि नहीं है, यह आप बतायें।

प्लान में कुल मिलाकर 10 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आप दे रहे हैं। आपका दावा है कि यू.पी.ए. सरकार कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सभी क्षेत्रों में उथल-पुथल कर देगी, देश में परिवर्तन कर देगी, नई सरकार आई है, गरीबों के साथ चलेगी। और इन सारी योजनाओं के लिए कितना अतिरिक्त पैसा दिया, मात्र 10 हजार करोड़ रुपया। इस 10 हजार करोड़ में से चार हजार करोड़ प्रदेशों में जायेगा और बाकी 6 हजार करोड़ रुपये में आप सारी की सारी अपनी योजनाएं ला रहे हैं। सात लाख करोड़ रुपया तो केवल रोजगार के लिए चाहिए था, उसमें आप एक पैसे की भी वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो यह रोजगार आप दे नहीं रहे, जिनका आपने वायदा किया था। केवल एक मौखिक आश्वासन यहीं पर दिया गया। एन.डी.ए. सरकार ने चार करोड़ किसानों को क्रेडिट

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

कार्ड दिया था। आपकी जो रिपोर्ट यहां पर आई थी, उसमें भी लिखा गया और उसमें कई लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट दिया गया था। जो घोषणाएं आपने की हैं, उनमें पहले की घोषणाओं से एक भी अंतर नहीं है। वही कि हम क्रेडिट को दुगना कर देंगे, हमने भी कहा था कि क्रेडिट को दुगना कर देंगे। उस क्रेडिट को भी आपको योजना राशि में दुगना नहीं करना है, वह आप बैंक पर डाल देंगे, नाबार्ड पर डाल देंगे, अपने पास से प्लान के अन्दर एक पैसा नहीं रखेंगे।

एन.डी.ए सरकार ने जयप्रकाश नारायण ग्रामीण ऋण योजना की जो एक स्कीम 50 हजार करोड़ रुपये की बनाई थी, उसको आपने खत्म कर दिया, उसकी भ्रूण हत्या कर दी और उस स्कीम को बिल्कुल हटा ही दिया। 50 हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण ऋण देने की योजनाएं थीं, उसे समाप्त कर दिया।

रूरल हाउसिंग के लिए प्रति यूनिट 50 हजार रुपये दिये जाने हैं, जिसमें 25 हजार रुपये ग्राण्ट होगी। 50 हजार रुपये कुल होगा, उसके लिए रुपया कितना रखा, कुल मिलाकर 500 करोड़। वह भी उसी 6 हजार करोड़ में से है, उसमें से एक व्यक्ति को अगर 50 हजार रुपया दिया जायेगा तो इस 500 करोड़ रुपये में एक लाख मकान बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ लोग बेघर हैं, उन 10 करोड़ के बदले में जितना पैसा चाहिए और जिसका आपने वायदा किया है, उन सारे वायदों को पूरा करने के बजाय एक लाख मकानों के लिए आपने प्रावधान किया है। हमने तो एक करोड़ मकानों के लिए आवास योजना बनाई हुई थी, वह चल रही थी और एक करोड़ मकान हर साल हर जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे थे। आपने कुल मिलाकर एक लाख मकानों के बारे में बात की है।

आपने कहा कि सारे देश में सब जगह वाटर बाडीज बनाई जाएंगी। इसमें प्रावधान क्या रखा है? सारे देश में कुल मिलाकर पांच जिलों में पांच पायलट प्रोजेक्ट्स रखे हैं। सारे देश के सिर्फ पांच जिलों में और उनमें भी पांच पायलट प्रोजैक्ट्स हैं। उन पांच पायलट प्रोजैक्ट्स के लिए रुपया कहां से आयेगा, सारी स्कीमें बदल-बदल कर जितना पैसा इसमें रखा हुआ है, उनको इसमें बाद में डाल देंगे, ये वाटर बाडीज बनेंगी। इस बजट में 20 हजार रुपये की एक सिंचाई योजना का प्रावधान है। 20 हजार रुपये में आज नहर खुदती है? 20 हजार रुपये में झील बनती है, कोई तालाब बनता है और वह भी केवल 100 जगह पर। ग्रामीण लोगों को धोखा दिया गया है। योजना राशि में 40 परसेंट की कटौती कर दी गयी तथा बाकी योजनाओं में भी इसी तरह की कटौती की गयी है। उनको न रोजगार प्राप्त होगा और न ही कोई और सुविधा उपलब्ध है। केवल ट्रैक्टर पर एक्साइज ड्यूटी हटाई गई। क्या ट्रैक्टर हर किसान इस्तेमाल करता है? आपने लोहा महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, ऐडीबल आयल्स महंगे कर दिये, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, सर्विसेज में सेस लगा दिया, इन सब का ग्रामीण क्षेत्रों में असर नहीं पड़ता? क्या उसमें बराबर नहीं हो जाता? यह कैसा बजट ग्रामीण बजट है? क्योंकि कारपोरेट सैक्टर को आपने टच नहीं किया। कारपोरेट सैक्टर को आपने फायदा पहुंचाया, इसीलिए वह आपका बड़ा भारी प्रचार कर रहे हैं कि ग्रामीण बजट है।

चिदम्बरम जी ने बड़े मीठे शब्दों में धीरे से राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर योजना का जिक्र किया और कहा कि इस योजना के अलावा और भी ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू हुई थीं, मैं उन सब योजनाओं को खत्म करके इस योजना में सम्मिलित कर रहा हूं। अब इसका नाम राजीव गांधी योजना रहेगा। श्री दीन दयाल उपाध्याय के नाम से एक योजना थी। डा. मुखर्जी के नाम से भी एक योजना थी। क्या इन सब योजनाओं को खत्म करके राजीव गांधी नाम की एक ही योजना रहेगी? क्या इस देश में एक ही परिवार का नाम रहेगा? इस देश में जितने दूसरे महापुरुष रहे हैं, क्या उनका नाम पूरी तरह से मिटा दिया जायेगा? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): आप एक ही परिवार का जिक्र क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, क्या कांग्रेस का कोई नेता सरदार भगत सिंह के नाम पर कोई योजना बनायेगा, श्री चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर कोई योजना बनायेगा, सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर कोई योजना बनायेगा? इसकी हमें कभी आशा नहीं है और हमें मालूम है कि इनके नाम पर कोई योजना नहीं बनायी जायेगी। परन्तु जो योजनाएं बनी हुई हैं, उनका बदला जाना ठीक नहीं। आपने राज्यपाल बदल दिये। आपने जगह-जगह से अफसर बदल दिये। कमिटेड ज्यूडिशियरी, कमिटेड अफसर, कमिटेड गवर्नर्स और केवल एक परिवार का नाम ही हिन्दुस्तान में रहेगा और कोई दूसरा नाम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): मल्होत्रा जी, आपको पानी चाहिए या नाम चाहिए? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमें नाम भी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): आप क्यों रवीन्द्र नाथ टैगोर का नाम याद करते हैं? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह नाम की बात नहीं है। अगर यह प्रिसीडैंट बन गया तो भविष्य में यदि कोई और सरकार आ जायेगी तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अन्य स्मारक आदि सबके नाम बदल दिये जायेंगे? ये अपने देश को किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं? जो सरकार आये, वह बाकी सब नाम बदल दे और केवल एक ही नाम रखे, मैं समझता हूं कि यह बहुत घातक मनोवृत्ति है, परवर्टेड है और इसको हमें बदलना चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बहुत जोर से सर्वशिक्षा की बात की। देश में हर आदमी को पढ़ाया जायेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, उनको मिड डे मील देना है, उनको बाकी दूसरी पूरी सुविधाएं देनी हैं। इसलिए आपने 2 प्रतिशत सेस लगाया है। आपने यह सेस सारे देश में सारे करो पर इसलिए लगाया कि हम हरेक को शिक्षा दें, खाना दें। चिदम्बरम जी ने कहा है कि इसमें से 5 हजार करोड़ रुपये के करीब आयेगा। मान लीजिए चार हजार करोड़ रुपये आया, पांच हजार करोड़ रुपये आया, वह रुपया कहां गया?

सभापति महोदय, चिदम्बरम जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो बजट बनाया है, उसमें आय के अंदर आपने नये सरचार्ज तो दिखा दिये। जो 2 परसेंट सेस लगाया है, वह तो आपने दिखा दिया परन्तु खर्च में आपने क्या दिखाया है? पिछले साल 5400 करोड़ रुपये खर्च हुए और 6 हजार करोड़ रुपये इस साल खर्च करेंगे। 600 करोड़ रुपये आप बढ़ायेंगे। अगर आपको चार हजार करोड़ रुपए इसमें से आयेंगे और वह पैसा पूरा का पूरा शिक्षा में जाना है तो वह रुपया कहा गया? वह रुपया आपने एक्सपैंडीचर में क्यों नहीं दिखाया। एचआरडी का पूरा बजट 9,625 करोड़ रुपये था। इस बार 10,625 करोड़ रुपये है। 1,000 करोड़ रुपये बढ़ गया। ऐलीमैंट्री ऐजूकेशन पर 600 करोड़ रुपये बढ़ाए, 5400 से 6,000। जो 6,000 करोड़ आएगा, क्या वहीं इसमें दिखा दिया गया और 5400 रुपये निकाल दिए? आप अगर इनकम में डालते तो एक्सपैंडीचर में भी डालते। यह भी अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये के अंदर ही शामिल है इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सब पर ऐजूकेशन सैस लगेगा। 4,000-5,000 करोड़ रुपये आएगा। वह कहां गया। क्या उसे सारे बजट में किसी जगह भी दिखाया गया है? वह रुपया इनकम में डाल रखा है, खर्चे में क्यों नहीं। अगर खर्चे में बाद में डालेंगे तो फिर आपका डैफीसिट बढ़ना चाहिए। डैफीसिट में भी नहीं डाला, खर्चे में भी नहीं डाला और इनकम में दिखा दिया। जब शिक्षा उपकर लगाते हैं तो वह उसी उद्देश्य के लिए होता है। उसे इसमें दिखाया क्यों नहीं गया, यह मैं जानना चाहता हूं।

कामन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है कि जीडीपी का 6 प्रतिशत ऐजूकेशन पर खर्च किया जाएगा। 6 प्रतिशत दो लाख करोड़ रुपये बनता है। कुल मिलाकर जीडीपी कितना है, उसी का झगड़ा चल रहा है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि जीडीपी कितना होगा परन्तु अंदाजा है कि 30-31 लाख करोड़ रुपये होगा। मैंने सारे में ढूंढ लिया। अगले साल का ऐस्टीमेटेड जीडीपी कितना है, उसका जान-बूझकर जिक्र नहीं किया गया। अगर उसका 6 प्रतिशत लेना है तो दो लाख करोड़ रुपये होगा। उसके बदले में खर्च कितना है। कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च है। ऐजूकेशन पर दो लाख करोड़ रुपये की जगह 10,000 करोड़ रुपये। छः साल में भी हो दो इस वर्ष दो लाख करोड़ रुपये होने चाहिए कभी तो पहुंचेंगे 6 प्रतिशत जाने पर। प्रत्येक वर्ष के लिए छह प्रतिशत है। ऐसा नहीं है कि पांच साल में 6 प्रतिशत है। आप ऐसा कामन मिनिमम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): आप फैक्ट्स वैरीफाई कर लें, शायद रैफरैंस में गलती हो रही है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब आप बोलेंगे तब कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: इस वक्त एजूकेशन पर 3.9 हो रहा है। आप आपने आप ही कह रहे हैं कि 4,000-5,000 है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं जी.डी.पी. की बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: कृपया आप इसका सत्यापन कर लीजिए। दूसरे, कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि इस वर्ष छह प्रतिशत खर्च किया जाएगा। इस लक्ष्य को अंततः प्राप्त किया जाना है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं कह रहा हूं कि 6 प्रतिशत नहीं, एक प्रतिशत ही करें। यह नहीं है कि उसका भी बीसवां हिस्सा कर दें। ...*(व्यवधान)* 6 प्रतिशत को बजाए 0.8 प्रतिशत कर दें।

[अनुवाद]

आपने यह सी.एम.पी. में क्यों लिखा?

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

[हिन्दी]

कामन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसी चीजें क्यों लिखते हैं, क्यों देश को धोखा देते हैं कि हम 6 प्रतिशत करेंगे। आप चाह कर भी करें, एक प्रतिशत तो करें। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: जब जोशी जी ने यहां कहा था, क्या वह भी धोखा दे रहे थे? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: दो प्रतिशत सैस की बात सारे टैक्स में है। टोटल टैक्स का जितना ऐस्टीमेटेड टैक्स रिवैन्यू है, वह 3,17,733 है। उसका दो प्रतिशत 6,000 करोड़ के करीब बनता है। टोटल रिवैन्यू रिसीट्स का दो प्रतिशत है, उसको जीडीपी में मत मिलाइए। आपने अपने कमान मिनिमम प्रोग्राम में जीडीपी वर्ड यूज किया है।

जिस दिन श्री चिदम्बरम बजट पेश कर रहे थे, उस दिन उन्होंने कहा कि मेरे पास दो तरह की खबरें हैं-एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। क्या मैं पहले अच्छी खबर दे दूं। अच्छी खबर में उन्होंने कहा कि अब एक लाख रुपये की आय वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने उस वक्त खड़े होकर कहा था क्या आप आयकर छूट सीमा के रूप में ले रहे हैं। इन्होंने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। ...*(व्यवधान)* शाम तक सारे हिन्दुस्तान में खबर फैल गई कि आयकर की ऐग्जैम्पशन लिमिट एक लाख रुपये हो गई। टीवी चैनल वाले जगह-जगह लोगों से पूछ रहे थे कि आपको कैसे लगा जिस व्यक्ति की आय तीन लाख रुपये है, उसने कहा कि मेरे 9,000 रुपये बच गए। जगह-जगह लोगों ने मिठाइयां बांट दी। दो लाख वाले, तीन लाख वाले, चार लाख वाले पांच लाख वाले लोग सबको यह लगा और उन्होंने मिठाइयां बांट दी। कुछ ने तो खर्चा भी कर दिया कि चलो नौ हजार बच गये। कोई साड़ी ले आया, कोई कुछ ले आया। बाद में शाम तक, रात होते-होते पता लगा कि यह शब्दों की बाजीगरी है। एक लाख एक रुपया भी इंकम हो तो नौ हजार के ऊपर 180 रुपया देने पड़ेंगे। 9180 रुपये देने पड़ेंगे। हरेक को दो प्रतिशत ज्यादा देना पड़ेगा। एक लाख से कम आय के दिल्ली में कितने कर्मचारी हैं? चिदम्बरम जी बताइए कि प्राइमरी टीचर की क्या वेतन है? प्राइमरी टीचर की दिल्ली में एक लाख 50 हजार से ऊपर की इंकम है। क्लास फोर के 90 प्रतिशत एम्पलाईज हैं जिनकी इंकम एक लाख पचास हजार से ऊपर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दें तो भी एक लाख से ऊपर हैं और उनके ऊपर दो प्रतिशत कर और बढ़ा दिया गया है। बड़ी खुशी की खबर देश भर में फैला दी कि एक लाख रुपए की छूट सीमा बढ़ा दी गई है मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 57 साल बीत गये। किसी वित्त मंत्री ने क्या इस तरह किया है? सबने छूट सीमा बढ़ाई है। कभी छूट सीमा दस हजार से 15-16 हजार पर होती थी, फिर बढ़ते-बढ़ते पचास हजार हुई। आपने छूट सीमा नहीं बढ़ाई। ...*(व्यवधान)* आप भी घोषणा करते कि मैंने छूट राशि नहीं बढ़ाई है। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाते या तो सीधी तरह से कहते। 50,000 रुपये की छूट सीमा 30,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 20,000 रुपये स्माल सेविंग्स पर हैं। एक लाख पर तो कोई पहले भी टैक्स नहीं दे रहा था। फिर कि उनको रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। रिटर्न फिर भी उनको भरनी पड़ेगी। रिटर्न पहले भी भर रहे थे और फिर रिटर्न भरनी पड़ेगी, लाभ किसको हुआ है? कोई व्यापारी जो पचास रुपया टैक्स देता था, सौ रुपया टैक्स देता था या 200 रुपये दिखाने के लिए देता था कि वह टैक्स भर रहा है। उनको छोड़कर किसको फायदा हुआ? सबसे अजीब बात यह हुई है कि जो मैं चिदम्बरम जी से पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि एक करोड़ चालीस लाख लोग मैंने आयकर के दायरे से निकाल दिया। कुल मिलाकर चार करोड़ या तीन करोड़ से अधिक आयकर दाता हैं। उनमें से एक करोड़ चालीस लाख लोग निकल गये तो आयकर कम होना चाहिए न? आपने इंकम टैक्स की दर नहीं बढ़ाई। इंकम टैक्स के रेट नहीं बढ़ाए। सेस की आय अलग से है, सर्विस टैक्स अलग है। बाकी सब अलग है परंतु इंकम टैक्स 24 प्रतिशत बढ़ कैसे गया? आपने यह कैसे दिखाया है? 40,629 करोड़ रुपये इस साल अप्रैल तक, अभी तक इकट्ठा हुआ और आपके अनुसार अगले साल 50,929 करोड़ रुपये आयकर हो जाएगा। 10,660 करोड़ रुपये बढ़ जाएंगे और 24.7 प्रतिशत की वृद्धि और एक करोड़ चालीस लाख लोग निकल गये इतना रुपया कहां से आएगा? सर्विस टैक्स अलग है। उसका पूरा हिसाब अलग है। सैस का भी कैलकुलेशन अलग है। बिना इंकम टैक्स रेट बढ़ाए एक करोड़ चालीस लाख लोगों को निकालकर 24 प्रतिशत की वृद्धि? यदि जीडीपी हमारी 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत बढ़े तब भी इतनी वृद्धि नहीं हो सकती। जीडीपी सात प्रतिशत बढ़ेगी। और इंकम टैक्स 24 प्रतिशत बढ़ जाएगा, कारपोरेट टैक्स 40 प्रतिशत बढ़ जाएगा। चिदम्बरम जी यह कहां का हिसाब है? कई बार सोचता हूं कि आपने यही क्यों लिखा है कि 24.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर आप 40 प्रतिशत लिख देते तो कोई आपका क्या कर लेता? आप लिख देते कि 40 प्रतिशत बढ़ जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये कैसे बढ़ेगा? दरें नहीं बढ़ रही हैं, एक करोड़ चालीस लाख लोग बीच में से निकल रहे हैं और आय 24.7 प्रतिशत और 40 प्रतिशत बढ़ रही है। यह कैसे हुआ? यह आंकड़े किस हिसाब से आपने लिखा है? कहते हैं कि एक अच्छा पोलिटिशिन और एक अच्छा स्टेट्समैन वह है जो आंकड़े लिखे तो लोगों को यकीन दिला दे कि यहीं होंगे और जब बाद में पूरे न हों तो उनको यकीन दिलाए कि यह कारण हो गया था, इसलिए नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले कहा था कि आंकड़ों की बाजीगरी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बीच में मत बोलिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, कामन आदमी का चिदम्बरम जी ने बहुत ध्यान रखा है, कह रहे हैं कि आम आदमी को बड़ी राहत पहुंचाई है। स्माल सेविंग्स में चार योजनाएं थीं, जिसमें गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना पैसा इंवैस्ट करता था। रिजर्व बैंक के बांड्स, जिसमें 6.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्त ब्याज मिलता था। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के इम्प्लाइज रिटायर होते थे, तो उसमें पैसा लगाते थे। दूसरी योजना थी 1999 की कि सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होते हैं, उसमें वह पैसा जमा करा सकते हैं और तीसरी थी वरिष्ठ पेंशन योजना। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने ये चारों योजनाएं खत्म कर दीं। इस समय कोई ऐसी योजना नहीं है, जिसमें कोई गरीब आदमी या आम आदमी बचत करने के लिए अपना पैसा जमा करा सके। क्या वह बैंक में पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर अपना पैसा जमा कराए, वहां कराएगा, तो उसको ब्याज पर टैक्स देना होगा, क्योंकि वह कर मुक्त नहीं है। आपने चारों योजनाएं खत्म कर दीं और कहते हैं कि हमारी सरकार कामन आदमी को फायदा पहुंचा रही है। कामन मिनीमम प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, इसका शायद मतलब है कामन मैन को मिनीमम दो। ये बात करते थे कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ, लकिन अब गरीब को लात मारी जा रही है। कांग्रेस का हाथ गरीब को लात वाली बात हो रही है। अब वह कौन सी योजना में अपना पैसा जमा कराए, क्योंकि आपने वरिष्ठ पेंशन योजना भी खत्म कर दी। यह नौ प्रतिशत की ब्याज दर वाली निश्चित आय की योजना थी। एक वरिष्ठ आदमी, जिसकी उम्र 55 वर्ष से ऊपर है, उसके पास थोड़ा-बहुत पैसा आता था, तो वह इसमें जमा करता था। लेकिन अब उसके पास बचत का कोई चारा नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि अगस्त में योजना लाएंगे। लेकिन अब उसके पास बचत का कोई चारा नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि अगस्त में योजना लाएंगे। क्या योजना होगी, कब आएगी, उसका कुछ पता नहीं है। यह कहा जा रहा है कि उसका पांच साल का पीरियड होगा।

श्री थावर चंद गेहलोत (शाजापुर): तब तक ये लोग हट जाएंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आम आदमी को क्या फायदा हुआ, मैं यह जानना चाहता था, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई फायदा नहीं हुआ, सेविंग्स की योजनाएं आपने खत्म कर दीं। इसके अलावा आपने एजुकेशन के लिए दो प्रतिशत का टैक्स अलग से लगा दिया। सर्विस टैक्स अलग बढ़ा दिया। सर्विसिज में और सेवाओं को भी शामिल कर दिया गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में से 85 आइटम्स को निकाल दिया गया है।

बड़ा शोर कामन मिनीमम प्रोग्राम का था। हमारे कम्यूनिस्ट मित्रों ने भी बड़ा शोर किया कि प्राविडेंट फंड की ब्याज दर आठ प्रतिशत से बढ़ कर 12 प्रतिशत हो जाएगी। हर सरकारी कर्मचारी का पी.एफ. 12 प्रतिशत होने वाला है। वे सब इकट्ठे होकर प्रधान मंत्री जी से भी मिले और उन्होंने भी कहा कि हां, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। सब जगह पर शोर हो रहा था कि 12 प्रतिशत ब्याज दर पी.एफ. की हो जाएगी। लोग सोच रहे थे कि 12 प्रतिशत नहीं होगी तो दस या 11 प्रतिशत तो हो ही जाएगी। वे बड़ी आश लगाए बैठे थे। लेकिन बजट में तय कर दिया गया कि प्रोविडेंट फंड पर आठ प्रतिशत ही ब्याज दर होगी। ई.पी.एफ. का फैसला भी एकाध दिन में आ जाएगा। हमने उसमें साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज दर रखी थी।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य जी ने कोलकाता में कहा था कि हमारी औकात आ गई है कि हम चाहेंगे कि सरकार खड़ी हो तो वह खड़ी हो जाएगी और हम चाहेंगे कि वह बैठ जाए तो वह बैठ जाएगी। यह सरकार हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन आपने पी.एफ. की ब्याज दर 12 प्रतिशत कराने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? यहां पर क्यों नूरा कुश्ती हो रही है, क्यों रोज आपस में लड़ाई दिखाई जा रही है कि हम लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम विदेशी निवेश नहीं होने देंगे। अगर होगी तो हम विरोध करेंगे। हम प्राविडेंट फंड में 12 प्रतिशत ब्याज से कम पर कभी नहीं मानेंगे। लकिन अब इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। 12 प्रतिशत का आठ प्रतिशत कर दिया और इ.पी.एफ. भी इसी तरह कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आम आदमी को क्या फायदा पहुंचाया?

मैंने पहले कहा था कि बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। महंगाई कैसे बढ़ रही है, यह मैं बताना चाहता हूं। दो मूल वस्तुएं हैं, लोहा और डीजल। इन दोनों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और गैस की पहले बढ़ा दी गई, वह अलग बात है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): क्या आपके समय में नहीं बढ़ी थीं? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: लोहे पर एक्साइज ड्यूटी आठ प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दी है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): आप पहले बजट को पढ़े, फिर बोलें।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: आप सच्चाई सुन नहीं सकते, तभी तो जनता ने उधर बिठा दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह नहीं मान रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): छः महीने के बाद आप इधर आ जाएंगे।

सभापति महोदय: कृपया बीच में मत बोलिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: डीजल और लोहे की कीमतें को बढ़ाई ही, सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया, 25 प्रतिशत तक सेवाकर बढ़ा दिया और उसमें कई नई वस्तुओं को शामिल कर दिया। आज से ही केबल वाले ने रेट बढ़ा दिए, दूसरे लोग भी बढ़ा रहे हैं। जो तम्बू, कनातें लगाने वाले थे, उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए। लांड्री वालों ने भी कीमतें बढ़ा दीं। यानी सारी चीजों की कीमतें आपने बढ़ा दीं। अगर 25 प्रतिशत सर्विस टैक्स बढ़ेगा तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी। लोहे की कीमत बढ़ेगी तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी। डीजल की कीमत बढ़ेगी तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी। इतनी भयंकर महंगाई हो रही है। महंगाई 6.1 प्रतिशत पर आ चुकी है और यह अभी 6.5 प्रतिशत के करीब पहुंचेगी। सन् 2002-2003 में यह 3 प्रतिशत थी और अप्रैल 2003-2004 में साढ़े चार प्रतिशत थी लेकिन आपके आने के बाद यह 6 प्रतिशत को पार कर गयी है और यह महंगाई 9-10 प्रतिशत तक जाएगी। तीन प्रतिशत की दर से देश की आबादी बढ़ रही है और 10 प्रतिशत महंगाई बढ़ेगी तो जो आपके प्लान हैं क्या वे टूंटेगें नहीं, बिखरेंगे नहीं। जिस प्लान में आपने 10 हजार करोड़ रुपया बढ़ाया है वह प्लान पहले से नीचे आ जाएगा। इतनी भयंकर महंगाई से आम जनता त्रस्त होगी। यह जो आपने महंगाई करने वाला बजट पेश किया है, सबसे ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया, सैस लगा दिया। सर्विस टैक्स 25 प्रतिशत बढ़ा दिया। सभापति जी, यह बहुत गंभीर मामला है और यह बजट जनता विरोधी और विकास विरोधी है।

सभापति जी, एनडीए की सरकार में वर्ष 2003-2004 में "डैट सर्विस" उधार की वापसी 3 लाख 91 हजार 614 करोड़ रुपये की थी। अगले साल आप 63,734 करोड़ रुपया डैट सर्विस का कम देंगे। अगर 63 हजार करोड़ रुपया डैट सर्विस का कम कर देंगे तो क्या हमारा कर्जा बढ़ेगा नहीं। जो फिस्कल डैफिसिट है यह सारा भी तो नए उधार से आयेगा। पिछला जो उधार देना है वह देंगे नहीं, उसे रोक लेंगे और 1 लाख 34 हजार 407 करोड़ रुपये का फिस्कल डैफिसिट भी उधार से पूरा करेंगे तो क्या आप "डैट-ट्रैप" उधार के भंवर जाल में नहीं जा रहे हैं, क्या कर्जे के चंगुल में देश को नहीं घसीट रहे हैं। हमने तो आपको 120 बिलियन डालर का फारेन-एक्सचेंज का रिजर्व दिया। आप समय से पहले उधार वापस क्यों नहीं करते। उसको अगर वापस कर दें तो कर्जा कम हो जाएगा और देश स्वावलम्बी हो जाए और यह जो उधार का 63734 करोड़ रुपया कम देंगे तो कर्जा बढ़ता ही जाएगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह जनता को कठिनाई में डालेगा।

सभापति जी, इस बजट भाषण में वे शब्द नहीं हैं जो माननीय चिदम्बरम जी ने अपने भाषण में बोले। उनके भाषण को मैंने बड़े ध्यान से देखा। पहले तो उन्होंने कहा कि नयी सरकार आई है और यह जनादेश नयी सरकार के लिए है। फिर कहा कि सोनिया गांधी जी के लिए जनादेश है। लेकिन लिखित बजट भाषण में कहीं भी ये शब्द नहीं हैं जो इन्होंने सदन में पढ़े। इतनी चाटुकारिता की क्या आवश्यकता थी। एक और मंत्री जी हैं जिनका मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनका हमने बायकाट कर रखा है। उन्होंने कहा कि जो भी सदन में आये, वह आकर पहले सोनिया जी को नमस्कार करे और जाए तो भी उन्हें नमस्कार करता जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, श्री मल्होत्रा अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं और मैं उन्हें ध्यान से सुन रहा हूं। वह अपने मुद्दों से भटक क्यों रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह अपनी बात पर अडिग हैं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या आप यील्ड कर रहे हैं?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि अमरीका में पूर्व रक्षा मंत्री को ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें अलग-अलग हैड्स हैं। उन्होंने एक बात और कही है कि मंत्रिमंडल में खर्च कम होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बजट में पीएमओ का अलग बजट है। पिछले 57 साल के इतिहास में यह पहली बार देखा गया है कि नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल का बजट पीएमओ बजट में डाला गया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष नहीं हैं, उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आफिस के बजट में नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल का बजट डाल दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह चाटुकारिता नहीं है, तो और क्या है। नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल में प्राइम मिनिस्टर कार्यालयों का क्या काम है। लेकिन इसका ढाई-तीन करोड़ का खर्चा प्राइम मिनिस्टर आफिस हैड में डाल दिया गया है। नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं जा सकता है और प्रधानमंत्री उसका सदस्य भी नहीं है और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता अत: प्रधानमंत्री आफिस के खर्च में नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल के खर्च को डालने का कोई औचित्य नहीं है। उसका अलग से एक हैड बना देते। उसका अलग से एक चैप्टर बना देते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आफिस में इस खर्चे को डालने का क्या मतलब है? क्या आप यह संदेश देना चाहते हैं कि सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं और आप प्रधानमंत्री को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के स्थान को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह दिखाना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक पपैट प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की कोई अहमियत नहीं है।

सभापति जी, अब मैं एक दूसरे विषय पर आना चाहता हूं। शिवराज पाटिल जी ने कहा है कि वे देश भर में लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं और एक नेशनल सिटिजन रजिस्टर बनाना चाहते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि बंगलादेश से ढाई-तीन करोड़ लोग हिन्दुस्तान में आ चुके हैं। उनको रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने उनके एक बयान को देखा है, जो बहुत ही निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि वे लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। इससे पूरे देश की टोपोग्राफी बदल रही है, जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि राज्य के बार्डर असुरक्षित हैं और राज्य में जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। यह एक बहुत ही भयंकर स्थिति है। लेकिन बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं है। जब प्रावधान नहीं है, तो पैसा कहां से दिया जाएगा और कहां से नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनेगा, इस बारे में भी नहीं बताया गया है। यह इसलिए भी जरूरी है कि कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बंगलादेश से हिन्दुस्तान में आ जाए और यहां आकर धर्मशाला बनाकर बस जाए और फिर करोड़ों की संख्या में बढ़ जाएं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए एक नेशनल सिटिजन रजिस्टर होना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

इससे बेनामी ट्रांजैक्शन खत्म हो जायेंगे। इसके लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)* एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): आपने उसे शुरू क्यों नहीं किया?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमने उसे शुरू किया था। आपने घोषणा की है तो उसके लिए धनराशि होनी चाहिए। आतंकवाद को दूर करने के लिए धनराशि का प्रावधान करना चाहिए। आप चाहे चतुर्भुज योजना खत्म कर दें, प्रधान मंत्री का नाम वहां से निकाल दें, परन्तु सड़क योजनाओं के लिए धनराशि रखनी चाहिए।

सभापति महोदय, हम यहां उपस्थित नहीं थे। यहां लालू जी ने रेल बजट पेश किया। ...*(व्यवधान)* मैंने यहां गलती से नाम लिया। ...*(व्यवधान)* रेलवे में जो घाटा होगा और जो योजनाएं चलाने पर खर्चा होगा, उन सब के लिए कितना रुपया जनरल बजट से आएगा? ...*(व्यवधान)* उन्होंने खर्चे बहुत दिखाए हैं लेकिन कोई आय नहीं दिखायी है। जो रुपया आम बजट से आना था, वह नहीं आया। रेलवे में एक्सीडैंट हो रहे हैं। डकैतियां हो रही हैं उसकी सुरक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह अपनी बात पर अडिग है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उनका ध्यान किधर है? हम यहां उपस्थित नहीं थे। गोधरा में 68 लोग मारे गए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: गोधरा में 68 लोग जिन्दा जला दिए गए। महिलाएं, पुरुष और बच्चे जिन्दा जला दिए गए। इसके जांच के लिए एक कमीशन बैठाया गया जो इस घटना की जांच कर रहा है। उसके बाद यहां पर *...(व्यवधान)* क्या इससे ज्यादा कोई गम्भीर बात हो सकती है? वहां मरने वाले हिन्दू थे *...(व्यवधान)* इसलिए उनके प्रति सहानुभूति नहीं।

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन बजट पर बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम भी किसी को बोलने नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आतंकवाद को रोकने के लिए बजट में एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। जिन आतंकवादियों ने डिब्बे में आग लगा कर लोगों को जिन्दा जला दिया, उनको बचाने के लिए यह एक नई डिपार्टमैंटल एनक्वायरी बिठाना चाहते हैं। जो लोग वहां पकड़े गए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप रिएक्ट मत करिए। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मल्होत्रा इससे निपटने में पूर्ण सक्षम हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि सारे बजट में आतंकवाद को खत्म करने के लिये कोई धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। जो लोग आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ पोटा खत्म किया जा रहा है। गोधरा में ट्रेन में लोगों को मारने वालों पर मुकदमा चल रहा है, उन्हें बचाने के लिए यहां डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की घोषणा की जा रही है क्योंकि मरने वाले हिन्दू थे *...(व्यवधान)* और मारने वाले कुछ पाकिस्तानी एजेंट थे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: श्री मल्होत्रा, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। आप अनावश्यक रूप से मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? कृपया बजट के बारे में बात कीजिए। आप मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री के नाम लिए हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं कह रहा था कि इस बजट में टैरेरिज्म रोकने के लिये पैसा होना चाहिये था, जम्मू कश्मीर में 5 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दुबारा बसाने के लिये किसी पैसे का जिक्र होना चाहिये था लेकिन वह नहीं है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिये धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार जो बजट पेश किया गया है, वह गरीब विरोधी, कामगार विरोधी, किसान विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी, विकास विरोधी और महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। यह देश के साथ और यू.पी.ए. के प्रोग्राम के साथ विश्वासघात है। इसलिये मैं इस बजट का विरोध करते हुये अपने विचार समाप्त करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): सभापति महोदय, मैं जन्मजात आलोचक हूं। मैं निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आलोचक नहीं हूं जो केवल विपक्ष का होने के आधार पर ही आलोचना करते हैं या मेरी पार्टी से संबंध रखने के आधार पर मैं किसी की प्रशंसा या चापलूसी भी नहीं करता।

बजट को प्रस्तुत किए जाने के दिन मैंने श्री पी. चिदम्बरम का भाषण सुना। मैंने पुन: माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण का अध्ययन किया। मैं उस दिन उनकी मंशाओं को जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, जो इन्होंने अपने बजट भाषण में कही थी। मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत अच्छा बजट है। विशेषतया इन लोगों के लिए जो गांवों में रहते हैं जो हमारी जनसंख्या का 75 प्रतिशत है, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए यह बजट बहुत अच्छा है? उन्होंने ऐसा देश के विकास को प्रभावित किए बिना अथवा उद्योग अथवा सेवाओं अथवा इसी प्रकार की अन्य चीजों में निवेशकों को और निवेश करने से हतोत्साहित किए बिना किया है।

यह स्वाभाविक है कि जब मुझे इस बजट पर बोलने के लिए कहा गया था तो मैंने पिछले वर्ष श्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट का अध्ययन किया। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में आने से पहले जब विपक्ष में बैठी थी, उस समय शासन करने वाली पार्टी जो कि कांग्रेस है जो स्वतंत्रता के बाद काफी समय तक सत्तारूढ़ रही थी, की नीति, मूल्यों, नैतिकताओं, भ्रष्टाचार और उनकी गलतियों के बारे में बोला करती थी। वे अपने चुनाव पूर्व गठबंधन के सहयोगियों के समर्थन से सत्ता में भी रही है। पिछले छ: वर्षों में हमने इनके शासन को देखा है। जब मेरे मित्र प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बजट पर बोल रहे थे तब मुझे शर्म महसूस हो रही थी। संभवत: प्रवृत्ति केवल सत्ता पर काविज सरकार की आलोचना करने की ही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था। वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था। उन्हें वर्तमान सरकार की आलोचना करने का क्या अधिकार है और क्या नैतिकता है। मैं इन्हें समझ सकता हूं। विपक्ष का होने के नाते विपक्ष का यह कर्त्तव्य है कि यदि सरकार गलत तरफ जा रही हो तो वे सरकार की त्रुटियों का पता लगाए। जैसा इन्होंने स्पष्ट किया है कि इस सरकार को सत्ता में आए हुए केवल दो महीने ही हुए है। उन्होंने यह भी कहा है कि वित्त विधेयक को अंतिम रूप देने और निर्णय लेने तक हम पिछली सरकार द्वारा जो कुछ दिया गया था उसी का अनुकरण कर रहे हैं। हर कोई इसी प्रकार सोच सकता है। क्या इन दो महीनों में उन्हें इस सरकार की आलोचना करने का कोई मौका या अवसर मिला है? यदि कुछ गलत हुआ है तो वह पिछले छ: वर्षों के शासन का परिणाम है। वे अगले बजट में, दूसरे बजट में या तीसरे बजट में इस सरकार की त्रुटियां निकाल सकते है। परन्तु अभी मैं इस आलोचना से आश्चर्यचकित हूं। इन्हें प्रबोध, शिक्षित और महान नागरिक होना चाहिए। लेकिन आलोचना का प्रश्न आता है तो वस्तुत: परिवर्तन नहीं है। ऐसा इस कारण है कि वे केवल आलोचना करना चाहते हैं इसलिए सरकार की आलोचना कर रहे है। मैं नहीं समझता कि ये स्वयं भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इनकी आलोचना उचित है।

अब मैं एक-एक करके अपनी बातों को उठाऊंगा, क्योंकि मैंने श्री जसवंत सिंह की पूर्व बजट भाषण का अध्ययन किया है और श्री पी. चिदम्बरम के अब के बजट भाषण का भी अध्ययन किया है। जब बजट भाषण का प्रश्न आता है तो प्रत्येक वित्त मंत्री और प्रत्येक सरकार देश की समस्त जनता पर अपनी छाप छोड़ना चाहती है। सरकार गरीबों से, मध्य वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग से अलगाव नहीं चाहती अपितु वह सम्पन्न उद्योगपतियों से भी अलगाव नहीं चाहती। क्योंकि कुल मिलाकर प्रत्येक पार्टी यह चाहती है कि उसे वोट मिले और वह सत्ता में आए। इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं चाहती। इस देश में किसी भी पार्टी की यह राय नहीं है कि सरकार को अपना कर्त्तव्य पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा से निभाना चाहिए उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अगली बार सत्ता में आएंगे या नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको अंतर दिखाता हूं कि किस प्रकार प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने आलोचना की है।

अपने बजट भाषण में श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि उनके पास सात स्पष्ट आर्थिक उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि वे विकास दर को प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत बनाए रखेंगे। उन्हें इस बात की आलोचना तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि वर्ष के अन्त तक इसकी प्राप्ति न कर ली जाए। इनके पास आलोचना करने का विषय ही नहीं है। ये केवल काल्पनिक चीजों के आधार पर आलोचना कर रहे है जबकि वास्तविक अर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा उद्देश्य है सभी को अच्छी बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। ऐसा उनका प्रस्ताव है।

अब मैं वर्ष 2003-2004 के दौरान श्री जसवन्त सिंह द्वारा दिए गए बजट भाषण को पढ़ता हूं। उन्होंने पांच प्राथमिकताओं की बात कही थी। उनमें से एक थी गरीबी उपशमन। वे चाहकर भी इस शब्द को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि इस देश में गरीबी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इसलिए वे गरीब लोगों को नाराज नहीं कर सकते है। इसलिए लोगों की इस बड़ी चिंता को ध्यान में रखते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया था।

[श्री के.एस. राव]

वे हमारे नागरिकों का बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन वे इसमें क्या समाहित कर रहे थे? उन्होंने स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार को समाहित किया था। इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी आवश्यकता से न तो हम इंकार कर सकते है न ही वे इंकार कर सकते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने क्या किया? उनकी मंशा क्या थी? मूलत: सरकार के वित्त मंत्री को और सरकार को गरीबों और वंचित लोगों के प्रति गंभीरता से सोचना चाहिए। यह इसका पहला हिस्सा है।

इसका दूसरा हिस्सा है निर्दिष्ट नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता। इसलिए दूसरा हिस्सा बाद में लिया जाएगा। मैं पहले उनकी मंशा और चिंतन-प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा।

अब, जब वे गरीबी उन्मूलन-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के बारे में बात करते हैं तो क्या आपको पता है कि इस देश में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार इस देश में शिक्षा की स्थिति को सुधारा? वे कहते हैं कि हमारी चार बड़ी चिंताओं में शिक्षा मुख्य है। हम भी इससे सहमत है हम इससे असहमत नहीं है। लेकिन देश में शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने क्या किया है? अपने बजट में उनका बजट हमारा बजट नहीं-उन्होंने दो बच्चों के लिए 12,000 प्रति बालक की छूट है जो कि 24000 रुपए बनती है। उन्होंने यह छूट किसके लिए दी है? इस छूट का लाभ कौन ले सकता है? एक करदाता ही यह छूट ले सकता है? करदाता कौन है? वह सम्पन्न व्यक्ति है। फिर गरीब आदमी का क्या होगा? क्या उन्होंने कभी इस देश में गरीब आदमी के बारे में सोचा है। यदि वे पीढ़ियों से उपेक्षित गरीब जनता के बच्चों की शिक्षा में मदद पहुंचाने की बात सोच रहे हैं तो वे करदाताओं को 12,000 रुपये की छूट का लाभ कैसे दे सकते हैं? क्या यह लाभ हमारे देश में गरीब व्यक्तियों को मिलेगा। उनकी सोच क्या है? इसका अभिप्राय यह है, वे सोचते हैं कि वे 12,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से परिवार के दो बच्चों के लिए आयकर में छूट देकर शिक्षा को सुधारने में इस देश की उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं। वे किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? यह 'सार्वभौम शिक्षा' (यूनिवर्सल एजूकेशन) एक व्यक्ति की शिक्षा अथवा एक समूह की शिक्षा नहीं। ये काफी अच्छे शब्द हैं, काफी मधुर, परन्तु वास्तविक नहीं। मेरे मित्र कहते हैं कि यह उत्कृष्ट है। मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता। देशवासियों को इसका निर्णय करने दें, वे इसे सुन रहे हैं। क्या वे समझते हैं कि एक बच्चे के लिए 12 हजार रुपये तक की आयकर में शिक्षा खर्च की छूट देकर वे सार्वभौम शिक्षा की दिशा में कोई सहायता कर रहे हैं।

महोदय, उन्होंने अन्य कौन सी चीजें की हैं। उन्होंने लेखकों को कर से छूट दी है। लेखक कौन हैं? क्या वे गांवों के गरीब लोग हैं? नहीं, वे भी धनी लोग हैं। उन्होंने लेखकों को छूट दी है जो कि रायल्टी के रूप में लाखों की आय अर्जित करते हैं तथा उन्होंने आठ लाख रुपये तक की रायल्टी पर कर से छूट दी है। इस प्रकार वे लेखकों को जिनकी रायल्टी कभी-कभी करोड़ों में होती है, छूट देकर इस देश में 'सार्वभौमिक शिक्षा' को बढ़ावा दे रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने पेटेंट से मिलने वाली रायल्टी को कर से छूट दी है। सभापति महोदय, क्या आदिवासी क्षेत्र में जहां से आप निर्वाचित हुए है आपके गांव का कोई गरीब व्यक्ति पेटेण्ट के बारे में सोच सकता है? क्या उसे इस कर छूट का लाभ मिलेगा। इन दिनों हो सकता है आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की किसी जनजाति को किसी नीम उत्पाद से किसी रोग का इलाज करने में महारथ हासिल हो, परन्तु उसे पता नहीं है कि पेटेण्ट क्या चीज है। इसी बीच अमरीका अथवा अन्य पश्चिमी देशों से बड़े व्यक्ति आपके आदिवासी गांव में आएंगे और देखेंगे कि आपकी जनजाति क्या कर रही है तथा वे कहेंगे कि उन्होंने एक पेटेण्ट किया है। अगले दिन, स्थानीय जनजाति अपनी खुद की दवा से भी वंचित हो जाएगी। इस प्रकार ये सभी उपाय करके वे कहेंगे कि वे सर्व शिक्षा में सुधार कर रहे हैं।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने इस दिशा में क्या किया वे कह रहे हैं कि वे कर दाताओं पर दो प्रतिशत का उपकर लगा रहे हैं, और उससे न केवल कर दाताओं पर बल्कि शुल्कों पर भी उपकर लगा रहे हैं। उनकी मंशा 5000 करोड़ रुपये एकत्रित करने की है। वह इस धनराशि का कहां उपयोग करना चाहते हैं? वह इस राशि का उपयोग उन गरीब परिवारों के बच्चों को समुचित शिक्षा दिलवाने के लिए करना चाहते हैं जिनके पास कई बार अपने स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने तथा दयनीय हालात में अपने परिवार की मदद करने के लिए काम में लग जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता।

महोदय, हम जानते हैं कि हमारे गांवों में कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अपने 10 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय 50 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर किसी काम पर भेजना बेहतर समझते हैं। इसलिए, हमारे वित्त मंत्री ने गांवों में विशेषकर समाज के सबसे गरीब तबके के लोगों को इस समस्या को देखकर यह घोषणा की थी कि गरीब लोगों के लिए 5,000 करोड़ रुपये प्रभारित किए जाएंगे जिसका उन्होंने अपने बजट भाषण में विशेष रूप से उल्लेख किया है।

गरीब व्यक्तियों हेतु यह राशि प्रभारित करने से वे कम से कम आठ वर्ष के लिए अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन की योजना शुरू करके प्रोत्साहित करने व खाई को

पाटने की कोशिश की है। कुछ राज्यों में तो मध्याह्न भोजन की योजना पहले से ही जारी है, परंतु अब भारत सरकार भी गरीब विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए आगे आई है।

स्वाभाविक रूप से, जब विद्यार्थी स्कूल में पौष्टिक आहार प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें स्कूल जाने में रुचि होगी। उन पर स्कूल जाने के लिए मात्र दबाव ही नहीं डाला जाता है बल्कि उन्हें स्कूल आकर पढ़ने हेतु आकर्षित भी किया गया है। आठ वर्षों तक अध्ययन करने तथा नि:शुल्क शिक्षा की अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी आठ वर्षों के समयान्तराल में इस संबंध में अभ्यस्त, आकर्षित और प्रभावित हो जाएंगे कि किसी भी गरीब व्यक्ति जीवन में शिक्षा की मदद से ही आगे बढ़ सकता है। वह पसीना बहाकर, सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करके 100 रुपये कमा सकता है। परन्तु पिछले हजारों वर्षों में कितने परिवार सिर्फ कठिन परिश्रम के बल पर उन्नति कर पाए हैं? क्या वे गांवों में पांच एकड़ अथवा कम से कम एक एकड़ जमीन खरीद सकते हैं? कठिन परिश्रम करने के बावजूद कितने आदिवासी जमीन खरीद पाए हैं। हमें देखना है कि वर्तमान वित्त मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री ने जो प्रावधान किए थे उनमें क्या अंतर है।

दूसरा पहलू यह है कि उन्होंने कहा था कि वे शिक्षा के क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एफ्रो-एशियाई खेल पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने सिर्फ विज्ञापन पर दो करोड़ रुपये खर्च किए थे। जब मैं एक सुदूर गांव में गया तो एफ्रो-एशियाई खेलों के विज्ञापन वाला एक बड़ा बोर्ड देखा। क्या गांव का एक गरीब व्यक्ति एफ्रो-एशियाई खेलों के बारे में जानता है? उनका कहना था कि वे लोग खेलकूद, लेखकों, पेटेंट को धनराशि प्रदान करके और आयकर में छूट देकर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इस प्रकार से सर्व शिक्षा का लक्ष्य पाना चाहते थे? और अब वे इस सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

दूसरा पहलू स्वास्थ्य है। हर कोई व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि स्वास्थ्य एक अति महत्वपूर्ण विषय है और आम आदमी की इस तक पहुंच नहीं है। इस संबंध में हमारी और उनकी सभी की राय एक है, कोई मत भिन्नता नहीं है। हम स्वास्थ्य देखभाल को आम आदमी की पहुंच के भीतर कैसे ला सकते हैं? उन्होंने उत्कृष्ट तरीके अपनाए थे। मैं वर्ष 2003-04 के बजट का कुछ अंश पढ़ूंगा कि आखिर वे जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराना चाहते थे। मैं उनके द्वारा पेश किए गए पिछले पांच बजटों का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं, वैसे उन्होंने छ: बजट प्रस्तुत किए थे, क्योंकि यदि मैं उनके पिछले बजटों का उल्लेख करने लगूं तो आप समय की कमी की वजह से आपत्ति करेंगे।

उनके पास देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारने हेतु तीन उद्देश्य थे। वे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य किस प्रकार से सुधार रहे थे? मैं पढ़ता हूं, 'ग्लोबल हेल्थ डेस्टिनेशन' के रूप में भारत को बढ़ावा देने के लिए'' तथा उनके उद्देश्य स्वास्थ्य को आम आदमी की पहुंच के भीतर लाना नहीं था। वे इस देश को स्वास्थ्य देखभाल का वैश्विक केन्द्र बनाकर इस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य सुधारने जा रहे थे ताकि अमरीकी जनता यहां आकर सस्ती चिकित्सा का लाभ उठा सकें न कि हमारी ग्रामीण जनता। दूसरा, वे सुदूर स्थानों पर आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पांच-सितारा अस्पतालों अथवा किसी अन्य अस्पताल को आम आदमी की पहुंच के भीतर कैसे लाने जा रहे थे? यह मात्र एक वाक्य है। उन्होंने आम आदमी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की थी? उन्होंने 100 और इससे अधिक बिस्तर वाले प्रावइेट अस्पतालों को प्रोत्साहन दिया था। जो भी व्यक्ति 200 बिस्तर का अस्पताल बनाता है क्या वह गरीब आदमी से कम पैसा लेगा?

क्या वह यह कहने जा रहे हैं कि गरीब व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत लोगों का नि:शुल्क इलाज किया जाएगा क्योंकि उन्होंने इन अस्पतालों को प्रोत्साहन दिया था। क्या उन्होंने इसे लागू किया? नहीं। इस प्रकार वे लोग अस्पताल के मालिकों को सुविधाएं दे रहे थे परन्तु ग्रामवासियों को कुछ भी लाभ नहीं दे रहे थे। उन्होंने जीवन रक्षक उपकरणों हेतु 40 प्रतिशत मूल्यह्रास की नयी बात कही थी। मूल्यह्रास का यह लाभ किसे मिलता है? यह लाभ गरीब आदमी के बजाय अस्पतालों के मालिकों अथवा उपकरण विनिर्माताओं को मिलता है।

तीसरा, उन्होंने जीवन रक्षक उपकरण और दवाइयों पर सीमा शुल्क की दरें घटाई थी। परन्तु क्या कोई गरीब व्यक्ति अमरीका से दवाइयां मंगाने की बात कभी सोच सकता है। क्या उसे पता होता है कि अमरीका, इंग्लैंड अथवा जर्मनी से आयात की जाने वाली दवाओं पर कौन-कौन से शुल्क लगाए जाते हैं। शहर के सर्वाधिक धनी व्यक्ति इन देशों से दवा अथवा उपकरण-डायलेसिस उपकरण अथवा कुछ अन्य उपकरण आयात करने तथा सीमा शुल्क की घटी हुई दरों का लाभ उठाने की बात सोच सकता है। क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को आम आदमी की पहुंच के अंदर लाने के यही तरीके हैं? उन्होंने काफी अच्छी बातें कहीं थीं। आप और हम भी इसकी प्रशंसा करेंगे। क्या उन्होंने इन बातों पर गौर किया है?

अब मैं स्वास्थ्य बीमा पर आता हूं। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा के बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं हैं। यह सच्चाई है। यदि स्वास्थ्य बीमा को सर्वसुलभ बनाया जाए अथवा आम आदमी की पहुंच के भीतर लाया जाए तो यह पर्याप्त होगा। एक अन्य व्यक्ति कम धनराशि का भुगतान करेगा और उसका इलाज एक अच्छे अस्पताल

[श्री के.एस. राव]

में संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा था कि वे सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रोत्साहन देना चाहते थे। महोदय, आपको ज्ञात है कि आज तक कितने लोगों का बीमा हुआ है। देश में लगभग 11,000 लोगों ने करोड़ों रुपये की राशि दी है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित हैं जिसे ये सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ले आए थे। स्वास्थ्य बीमा योजना में इन्होंने प्रति व्यक्ति प्रीमियम 365 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया था। मेरे वित्त मंत्री ने इस स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम को कम करके आधा कर दिया है।

महोदय, 365 रु. से घटाकर 160 रु. कर दिया गया है। अब एक व्यक्ति के लिए पुनरीक्षित प्रीमियम 165 रु. होगा, पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए 248 रु. होगा, जिसका अर्थ है कि एक दिन की मजदूरी 80 रु. होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से पूर्व गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 50 लाख लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। 50 लाख के बजाए यह मात्र 11000 है। यदि इनमें गरीबों की सेवा करने, स्वास्थ्य परिचर्या को उनकी पहुंच के भीतर लाने के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता और समर्पण होता तो उन्होंने गांवों में व्यापक प्रयास किया होता। हम अब राजसहायता दे रहे हैं। आप कृपया ऐसा करें। मान लीजिए कि प्रीमियम 165 रु. या 300 रु. है, इलाज के लिए 30,000 या 1 लाख रु. चाहिए तब क्या होगा? किसी गांव या लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। यदि वह प्रीमियम होता तो वे इसका वहन नहीं कर सकते। इस तरह से वे गरीबी हटाना चाहते थे।

उसके बाद उन्होंने आवास की बात कही थी। उन्होंने आवास की बात की। उन्होने पूछा था: ''रुपये कहां हैं? आपके पास पैसा कहां से आएगा? आप लोगों को आवास कहां से उपलब्ध कराएंगे?'' महोदय, आप जानते हैं कि उन्होंने आवास के लिए क्या दिया। आवास को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने क्या किया है कि मलिन बस्ती उन्नयन हेतु प्रोत्साहन दे रहे हैं। मलिन बस्ती उन्नयन, सीवर, हरे मैदान के लिए प्रोत्साहन देना और वेतन भोगियों के लिए 1,50,000 तक की राशि पर ब्याज में छूट देना, क्या देश में आवास सुधारने के यही तरीके हैं? वे कौन लोग हैं जो 5 लाख या 10 लाख रु. से घर बनाएंगे और जो अपने आयकर में 1,50,000 रु. का ब्याज लाभ में छूट ले सकते हैं? क्या इस देश में ये गरीब लोग है? क्या उन्होंने गरीब लोगों के बारे में कभी सोचा है? क्या एक गरीब व्यक्ति 1,50,000 पर ब्याज छूट का लाभ उठा सकता है? मलिन बस्ती उन्नयन करवाने वाले लोग कौन हैं? एक बार फिर, भूसंपदा का कारोबार करने वाला आदमी सामने आएगा, सस्ते दर पर जमीन लेगा, मलिन बस्ती के लोगों को बाहर निकालेगा, मकान बनाएगा और उसे बेचेगा या वह जो चाहेगा करेगा। क्या यही देश में आवास संवर्द्धन है? क्या वे इसमें विश्वास करते हैं? यदि वे इसमें विश्वास करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन के विषय में उनके विचार किस प्रकार के हैं।

वर्तमान वित्त मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा:

> ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने का प्रमुख माध्यम 'इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) रही है।' उन्होंने दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और अन्य स्थानों पर शहरी इलाकों में घर खरीदने वाले अमीर लोगों के बारे में कभी नहीं बोला। उन्होंने इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गांवों में बनने वाले घरों की बात की। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों के लिए है। उन्हें सुनने दीजिए व आलोचना करने दीजिए। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। वह भूसंपदा का कारोबार करने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि वे आवास योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि वर्तमान वित्त मंत्री गरीब लोगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में सोचते हैं और ऋण तथा राजसहायता भी दे रहे हैं। आप कृपया इसकी तुलना करें।

इसके बाद उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार के बारे में कहा था। वे सदन में इतना अधिक हो हल्ला करते हैं और कहते हैं, ''कांग्रेस सरकार ने क्या किया?'' उन्होंने कहा था कि रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अब वे रोजगार के बारे में क्या सोचते हैं? मैं पढ़कर बताऊंगा कि वे रोजगार के बारे में क्या सोचते हैं? वे वेतन में मानक कटौती को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करके रोजगार बढ़ा रहे हैं, ये रोजगार सृजित कर रहे हैं। किसके लिए? यह उनके लिए है जो रोजगार प्राप्त हैं। एक व्यक्ति जिसे पहले से ही रोजगार प्राप्त है उसे अपने वेतन का 40 प्रतिशत मानक कटौती के रूप में लाभ मिलता है। उन्होंने सीमा को बढ़ाकर 20,000 से 30,000 रु. कर दिया। क्या इस प्रकार वे इस देश में रोजगार बढ़ा रहे हैं? उन्होंने कहा था कि वे यात्रा छुट्टी रियायत दे रहे हैं और वे यह भी चाहते हैं कि सेवानिवृत्त लोग सम्मानपूर्वक रहें। ये सेवानिवृत्त लोग कौन हैं? यह सेवानिवृत्त लोग वह हैं जिन्होंने 40,000 रु. या 2,00,000 रु. या 10,00,000 रु. प्रतिवर्ष वेतन के रूप में प्राप्त किए हैं। लेकिन उन गरीब लोगों का क्या हुआ जो 10 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु में गांव में काम करते हैं? हरिजन कालोनियों में 70 साल की उम्र वाले सैकड़ों गरीब लोग हैं जिनकी दृष्टि चली गयी है और जिनके बच्चे इस स्थिति में नहीं हैं कि अपने मां बाप को खिला सकें।

वे अपने मां बाप का देखभाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेरोजगार गरीब लोगों के लिए यह एक समस्या है। वे अपने मां बाप को खिलाने और उनकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं

हैं। वे गांवों में अनाथ हो जाते हैं। कोई उनके विषय में नहीं सोचता है। ये उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। ये चाहते हैं कि जो लोग सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हैं वह सम्मान से जिएं। अत: ये एक बेहतर छूट सीमा 1.83 लाख तक देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सेवानिवृत्त लोगों को यह छूट दिए जाने के विरुद्ध हूं जिनके बारे में ये चाहते हैं कि वे सम्मान से जिए। मैं भी चाहता हूं कि सम्मान से जिएं। लेकिन प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता का चयन कहां है? इस प्रकार ये रोजगार के बारे में सोचते हैं। यह सब इन्होंने लिखा है। यह मेरा लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने जो लिखा है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): अब आपने क्या दे दिया है?

श्री के.एस. राव: हमने प्रत्येक परिवार के लिए 100 दिनों के रोजगार का प्रस्ताव किया है। मेरे मित्र प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने बोलते समय पूछा था कि प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री साढ़े सात लाख करोड़ रुपये कहां से लाएंगे। शायद वह गणित जानने वाले नहीं हैं। शायद वह कला पृष्ठभूमि वाले हैं। मुझे पता नहीं है। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि 27 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे, इस देश में परिवार में सदस्यों की संख्या औसतन 4.5 से 5 व्यक्ति प्रति परिवार बताया गया है। हमने पांच व्यक्तियों के एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने का प्रस्ताव किया है। यदि गरीबी रेखा से नीचे 28 करोड़ लोग हैं और हम उसे पांच से विभाजित करें तो यह छह करोड़ से कम होगा जिसे ये 100 दिनों का रोजगार देने जा रहे हैं। इसके लिए साढ़े सात लाख करोड़ रु. नहीं बनते हैं। उन्हें एक बार जोड़ने दीजिए। यदि सरकार कटिबद्ध है तो 100 दिनों का रोजगार देना कठिन नहीं है।

ग्रामीण लोगों, गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग को जो यह 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं इससे उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। इस देश में ग्रामीण लोग ईर्ष्यालु नहीं हैं। वे अमीर लोगों से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वे मात्र बुनियादी प्रावधान चाहते हैं। उन्हें भोजन चाहिए। उन्हें आश्रय चाहिए। उन्हें शिक्षा चाहिए। ये न्यूनतम चीजें हैं जो वह चाहते हैं।

श्री एस. बंगरप्पा: क्या आप एक मिनट की अनुमति देंगे?

श्री के.एस. राव: क्यों? नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। हम अमीर और गरीब के बीच दुश्मनी पैदा करना नहीं चाहते हैं। अमीर और गरीब के बीच की विसंगतियां देख कर हमें इस देश में गरीब लोगों के धैर्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस देश में प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह स्वेच्छा से आगे आए और गरीब लोगों को यथा संभव दान दे और मदद करे। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से और अपने कठिन परिश्रम से अमीर बना है। इस देश में कोई व्यक्ति मात्र अपने पसीने से, विद्वता से या प्रतिभा से अमीर नहीं बन सकता बल्कि वह इस कारण अमरी बना है कि गरीब लोग उसे अमीर बनने दे रहे हैं। देश और इसके अधिनियम या कानून उन्हें प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अमीर बनने दे रहे हैं।

अत: यदि कोई सोचता है, यदि कोई इस कारण अभिमानी या घमंडी है कि वह अमीर व्यक्ति है या महान व्यक्ति है तो वह वास्तव में भ्रम में जी रहा है। उसे यह अहसास होना चाहिए क वह गरीब की दया पर जी रहा है। महोदय, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने देश में रातो रात गरीबों के जीवन को बदलने के लिए व्यापक कार्य किया है किन्तु हम यथाशीघ्र-जितनी जल्दी हो सके, गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए उसकी सहायता करने के बारे में सोच रहे हैं और यह संभव है। वे ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं। आप स्वीकार कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि हमने किया है और उन्होंने नहीं किया है। वे उनके बारे में सोचते तक नहीं हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं। हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें बोलने दीजिए। व्यवधान न डाले।

श्री के.एस. राव: अब, दूसरा पहलू, पंच सूत्र में से, उन्होंने अवसंरचना विकास के बारे में कहा था। अवसंरचना विकास के बारे में उन्होंने क्या किया? दिन-रात भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय राजमार्ग पर और सब जगह ढोल पीट रहे थे और हर जगह यह कहा जा रहा था कि यह इस देश के प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की महत्वाकांक्षी परियोजना है।

वह ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? वह एक सड़क का निर्माण करना था। यह एक अच्छी बात है। मैं इसकी आलोचना नहीं करता किंतु यह कार्य किसके द्वारा किया जाना था? इस देश के इंजीनियर अंतर्राष्ट्रीय मानक वाली सड़कें बनाने में सक्षम है। हमें किसी दूसरे देश से किसी प्रौद्योगिकी का आयात करने की जरूरत नहीं है। हमारे इंजीनियरों ने अपनी क्षमता सिद्ध की है और वे अपनी क्षमता को सिद्ध कर रहे हैं। वस्तुत: उन्हें विदेश में अपनी क्षमता साबित करने का अवसर नहीं मिल रहा है। यदि हमारे इंजीनियर अमरीका जाएं तो वे कम लागत में सड़कें बनाने वाले बेहतर इंजीनियर होंगे।

उन्होंने पूर्व-अर्हता के बारे में बात कही है जहां एक कंपनी जिसने एक वर्ष में 500 करोड़ रुपये का एक काम किया है, केवल वही बोली में भाग लेने की पात्र होगी। गत 50 वर्षों में,

[श्री के.एस. राव]

सरकार ने 200 करोड़ रुपये के एक काम के लिए एक भी निविदा नहीं मंगाई है। अत: 500 करोड़ रुपये का एक काम करने वाला कोई भारतीय बोलीकर्त्ता किस प्रकार बोली लगा सकता है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? अथवा वह क्या उसकी रूचि इस पूर्व-अर्हता को निकालकर देश से बाहर के किसी व्यक्ति को यहां लाने की थी?

दुर्भाग्यवश आज इस देश में स्थिति यह है कि एल एंड टी जैसी देश को एक बड़ी निर्माण कंपनी को एक विदेशी बिल्डर का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें भी 500 करोड़ रुपये का एक काम करने का अनुभव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई पूर्वोदाहरण यहां नहीं है। उन्हें विदेश की किसी कंपनी के नाम का प्रयोग करने के लिए उस कंपनी से संपर्क करना पड़ा। अपना काम उधार देकर वे लोग संविदा की कुल लागत का पांच प्रतिशत हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि सरकार जानबूझकर विदेशी कंपनी को लागत के पांच प्रतिशत का भुगतान कर रही है।

अब उन्होंने एक और क्षेत्र सृजित कर लिया है। हमारे पास निरीक्षण के लिए विभाग और इंजीनियर हैं। उन्होंने एक अन्य मध्यस्थ बना लिया है जिसे परामर्शदाता कहते हैं। यह परामर्शदाता एक विदेशी है जिसे सड़क निर्माण की मूल जानकारी भी नहीं है। वह प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानता है। अमरीका या जर्मनी से केवल तीसरे दर्जे का इंजीनियर यहां काम करने आएगा। केवल एक तीसरे दर्जे का इंजीनियर जो वहां नहीं रह सकता, जो वहां अपनी क्षमता सिद्ध नहीं कर सकता और जिसे वहां काम से निकाल दिया गया हो वह अपनी सफेद चमड़ी के कारण यहां एक बड़ा आदमी बन जाता है। वह सरकार यह चाहती थी कि हमारे स्थानीय इंजीनियर और बिल्डर उसके अधीनस्थ काम करें। मैं इस सभा में भाजपा के सदस्यों को यह चुनौती देता हूं कि वे जाएं और यह देखें कि हम इंजीनियरों के पास किस प्रकार का ज्ञान है और उन सफेद चमड़ी वाले परामर्शदाताओं के पास किस प्रकार का ज्ञान है। वे इस प्रकार की अवसंरचनात्मक परियोजना पर गर्व करते हैं।

सड़क निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? इसके लिए टूटी हुई पत्थर, धातु और हमारी शोधनशालाओं में वे निर्मित तारकोल का प्रयोग होता है। अत: हमारे देश के लोग इसी प्रौद्योगिकी और यहां उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। संचार के मामले में तो विदेशियों को यहां लाने की बात समझ में आती है क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है और विदेश में व्यापक अनुसंधान हुआ है। इस क्षेत्र में हमें आयातित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके काम करना होगा और काम करने के लिए नए तरीकों को अपनाना होगा। सड़क निर्माण के मामले में, विदेशियों को यहां लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब तक उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं होगा वे ऐसा नहीं करेंगे। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इस मामले में नहीं घसीटना चाहता हूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य पर कभी भी विचार नहीं किया कि भारत में किसी भी अवसर पर 500 करोड़ रुपये का कोई काम नहीं हुआ है। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे देश को बचाने के लिए कहा था और यह बताया था कि विदेशियों या विदेशी कंपनियों को लाने की कोई जरूरत नहीं है।

देश को काफी नुकसान हो रहा है। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। वास्तव में मैं इस बारे में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। अत: वे इस प्रकार अवसंरचना का प्रबंधन कर रहे थे *...(व्यवधान)*

अब मैं कृषि और संबंधित पहलुओं की बात पर आता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया टोका-टाकी न करें। जब प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा बोल रहे थे तो इस ओर बैठे माननीय सदस्यों ने बीच में टोका-टाकी नहीं की थी।

...(व्यवधान)

श्री के.एस. राव: उन्होंने यह बताया था कि 'पांच' प्राथमिकताओं में से कृषि और सिंचाई सहित संबंधित पहलू उनकी पांच प्राथमिकताओं में से एक थी। उन्होंने कृषि के लिए क्या किया? मैं उनके भाषण से उद्धृत करता हूं:-

''कृषि का बागवानी में विविधीकरण।''

यह किस प्रकार की बागवानी है? क्या यह हाईटेक बागवानी है? फिर, ग्रीन हाउस और रेशम-उत्पादन के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपये दिए थे। उन्होंने किस प्रकार से कृषि में सुधार किया? उन्होंने यह कहा कि उन्होंने चीनी मिलों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाकर नौ वर्ष कर दी जिससे उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया। उन्होंने चीनी मिलों को अपने ऋण का पुनर्भुगतान करने की अनुमति दी क्योंकि उनके कारखानों में वह स्टाक रोक लिया गया था जिससे वे कृषि में सुधार कर रहे थे।

अब, मैं चाय, काफी, रबर आदि बागानों की बात पर आता हूं। उन्होंने यह काम किया कि मूल्य स्थिरीकरण कोष हेतु 500 करोड़ रुपये प्रदान किए। जहां तक पशुपालन का संबंध है उन्होंने स्वयं यह कहा है कि भारत विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश है जिससे देश के 20 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। यह केवल भाजपा सरकार ने लिखा है। उन्होंने पशुधन

को बचाने के लिए क्या किया? उन्होंने औषध और झींगा पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया ...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी अधलराव पाटील (खेड़): आप किस बजट की बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: मैं भाजपा बजट के बारे में बोल रहा हूं। मैं अपने बजट के बारे में भी बोल रहा हूं। मैं अपने बजट की तुलना आपके बजट से कर रहा हूं। शायद मेरे दोस्त यह भूल गए कि मैं कांग्रेस बजट की बात कर रहा हूं या भाजपा बजट की? यदि मैं कांग्रेस बजट की बात करता तो वे इसकी आलोचना करते। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि मैं भाजपा बजट की बात कर रहा हूं वे चुप हो गए।

अब मैं किसानों को क्रेडिट मिलने की बात करता हूं ...*(व्यवधान)* मैं यह पुन: कह रहा हूं कि यह आपका बजट है। यह भाजपा का पिछले साल का बजट है। बजट में यह उल्लेख है कि निजी बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाएं खोली जाएंगी। यह बहुत अच्छी बात है। किंतु, इसके साथ-साथ अगले वाक्य में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि उन्होंने यह कहा कि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा निजी बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए कहकर कृषि को प्रोत्साहित करेंगे, अगले वाक्य में यह कहा गया है कि वे बैंक अपनी शाखाएं खोलने के इच्छुक नहीं हैं। उसी भाषण में इसका उल्लेख है। उन्होंने सर्वोत्तम बैंक ग्राहक को दो प्रतिशत अधिक ब्याज देने के बारे में कहा है। मान लीजिए, एक निर्यातक 13 प्रतिशत की दर पर ऋण लेता है वे उसे दो प्रतिशत और देंगे। आप इसकी तुलना एक व्यापारी से कीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। कई अन्य माननीय सदस्यगण चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। आप केवल मुख्य बातों का उल्लेख करें।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: अब मैं स्वसहायता समूह की बात करता हूं। उन्होंने बैंक लिंकेज प्रोग्राम (बैंक संपर्क कार्यक्रम) के बारे में कहा है। उन्होंने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 लाख परिवारों का भी उल्लेख किया है। यह एक अच्छी बात है। मैं स्व-सहायता समूह का समर्थन करता हूं। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। यह एक काफी बड़ा तरीका हो सकता है।

कुछ दिन पहले मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। मैंने देखा कि वाणिज्यिक बैंक 8.5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। मान लीजिए, पहले एक किसान ने 20,000 रुपये लिए, जब तक वह एक बार में ब्याज सहित 20,000 रुपये का भुगतान नहीं करता था बैंकर्स कभी भी उसे वापस नहीं लेते थे, किंतु आज यदि वह 20,000 रुपये ऋण के रूप में लेता है और एक माह बाद यदि वह 20,000 रुपये वापस लौटाता है तो उसे कम ब्याज देना पड़ता है।

यह सुविधा दी गई है। आज बैंकर्स गांवों और उधार लेने वालों के पास जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम आपको ऋण देने को तैयार हैं। गत दो महीनों में गांवों में बदलाव आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है। बैंकर्स कर्जदारों, कृषि कर्जदारों के घर आ रहे हैं। कृषक कोई अपराधी नहीं है।

आप उर्वरक राजसहायता को लीजिए। उन्होंने राजसहायता घटा दी और पिछले बजट में उर्वरक की कीमत प्रति बैग दस से बारह रुपये तक बढ़ा दी। उन्होंने किसानों और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए यही सब किया। उन्होंने कीमत नहीं घटाई। इसी तरीके से कृपया यह देखिए। मैं उन दिनों के समाचार पत्रों को देख रहा था। उनका कहना है "उपहार दिए गए-कार, एयरकंडीशनर, मदिरा सस्ते हुए।" यह आपका बजट है। यह पिछले वर्ष का बजट है उर्वरक की कीमतें बढ़ी थीं। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा: हमें अपने बजट का पता है। आप अपने बजट के बारे में बोलिए ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): अगले वर्ष के बजट में हम आपके सभी सुझावों को लागू करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: महोदय, एक दिन कोई कह रहा था कि किसी प्रतिपक्षी सदस्य ने इस बजट पर टिप्पणी की है कि इस बजट में नदियों को जोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आपने नदियों को जोड़ने के बारे में क्या किया? माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रभु यहां हैं। वह अब खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक कृतक बल बनाया था। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैं उनके चरित्र, उनकी निष्ठा और उनकी प्रतिबद्धता के बारे में जानता हूं। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): उसके लिए ही उन्हें हटा दिया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: संभवत: उसके कारण ही हटाया गया, मैं इससे सहमत हूं।

[श्री के.एस. राव]

महोदय देश में सबसे बड़े संसाधन मानव संसाधन और जल हैं। इनका महत्व भी है। आज भी मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि शिक्षा मंत्रालय का नाम हमारे महान नेता राजीव गांधी द्वारा बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया था। पहले इसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था। बाद में इसे परिवर्तित करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। आज हम मानव संसाधन विकास की बात कर रहे हैं और यह उसी दिन से है। हमारे पास मानव संसाधन की सबसे बड़ी सम्पदा है। हमें अपने मानव संसाधन के मूल्य में सुधार करना है। महोदय, आप भी इसमें एक पार्टी हैं। जब भी कोई माननीय सदस्य किसी माननीय मंत्री से पूछता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 50,000 एकड़ की फसल होगी तो माननीय मंत्री कहेंगे कि जो माननीय सदस्य कहते हैं वह बहुत अच्छा है, यह एक अच्छा सुझाव है, परियोजना की जरूरत है, इसे चलाया जाना चाहिए, परन्तु मुझे खेद है कि संसाधनों की कमी के कारण-संसाधन कहां से आएंगे? क्या यह मुद्रा की छपाई के द्वारा ही आएंगे? यह धन के अर्जन से आयेगा। आप धन कैसे अर्जित करते हैं? जब तक आप अपने नागरिकों, अपने लोगों को सक्षम नहीं बनाते तब तक आप धनार्जन नहीं कर सकते।

मैं आज आपको बताऊंगा और मेरे पास यहां आंकड़े हैं। यदि 18 से 55 या 60 वर्ष तक कार्य करने की उम्र में लोगों में कौशल होगा तो हम अधिक धनार्जन कर सकते हैं। इस समूह में 500 मिलियन लोग हैं। यदि हरेक व्यक्ति का कौशल बढ़ाया जाता है तो इसे धन बढ़ेगा। यदि कोई अकुशल व्यक्ति आपके पास कार्य के लिए आता है तो आप उसे 50 रुपए प्रतिदिन दे सकते हैं। परंतु यदि आप एक अच्छा बढ़ई अथवा एक अच्छा आटो मैकेनिक चाहते हैं तो आप उसे 200 रुपए प्रतिदिन दे सकते हैं। ऐसा क्यों है? यह कौशल में अंतर के कारण है। यह आदमी केवल आठ घंटे कार्य करता है और वह व्यक्ति भी आठ घंटे ही कार्य करता है। यदि हम इस समूह में नागरिकों जो कि 50 करोड़ लोग हैं, का कौशल बढ़ाना चाहते हैं तो इससे कौशल बढ़ेगा और यदि आप बढ़े हुए कौशल की कीमत 50 रुपए प्रतिदिन लगाते हैं तो हम हर वर्ष 6,25,000 करोड़ रुपए का धनार्जन कर रहा हैं। आज का सकल घरेलू उत्पाद 27,00,000 करोड़ रुपए है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने सभी नागरिकों को कुशल और सक्षम बना सके, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, तो हम सकल घरेलू उत्पाद को एक वर्ष में 25 प्रतिशत बढ़ा सकते हैं?

सभापति महोदय: श्री राव अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री के.एस. राव: जी हां, महोदय। मेरे माननीय मंत्री से मानव संसाधन विकास की महत्ता को समझ लिया है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा हेतु धन दिया है। यदि उन्हें इन सभी योजनाओं को वास्तव में लागू करना है तो यह प्रश्न उठेगा कि माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम को इस परियोजना अथवा उस परियोजना का वित्तपोषण करने हेतु धन कहां से मिलेगा? धनार्जन करना बिल्कुल कठिन नहीं है। यदि वह धनार्जन कर सकते हैं तो जैसा मैंने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद का 12 प्रतिशत सरकार को राजस्व के रूप में दिया जाता है और यह अर्जित किया गया 6,25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन उन्हें हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए देगा जो मानव संसाधन विकास से हो सकता है। माननीय मंत्री ने इसे समझ लिया है। इसलिए, उन्होंने यह प्रावधान किया है।

सभापति महोदय: श्री राव, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री के.एस. राव: महोदय, अब मैं मेरे मित्र प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो कहा है, उसके संबंध में बोलूंगा।

सभापति महोदय: आप उनकी बात का जवाब न दें। अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. राव: हां, महोदय। मैं उनकी भाषा हिन्दी को समझ नहीं सकता हूं। लेकिन मैं उनकी कुछ बातों को समझ सकता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा, उसी से संबंधित कुछ बातों पर मैं टिप्पणी करूंगा।

वे श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में बोलने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता। वे श्रीमती सोनिया गांधी से इतना घबराये हुए हैं कि सोए हुए हों अथवा जागे, चाहे दिन हो या रात, वे केवल श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में बातें करते हैं। जब इस देश के समस्त देशवासियों ने श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहा, इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने कितना ज्यादा हल्ला-गुल्ला मचाया था। उन्होंने यह सोचा था कि वे प्रत्येक दिन सड़क पर बैठक प्रदर्शन कर सकते हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया और डा. मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना अधिक पसंद किया, तो उन्हें कोई विषय ही नहीं मिला। उनका यह विषय उनसे छिन गया। अब वे किस विषय पर आंदोलन कर सकते थे? अब कोई मुद्दा ही नहीं था। इसके पश्चात्, जब मंत्री बनाए गए, कोई अन्य मुद्दा न पाकर, उन्होंने दागी मंत्रियों का मुद्दा उठाना आरंभ कर दिया। महोदय, क्या दागी मंत्री केवल इसी मंत्रीमंडल में हैं और क्या वे उनके मंत्रीमंडल में नहीं थे? आज, माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वे गोधरा की घटनाओं से कैसे निपटे थे। अब सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी और लोग यह समझ जायेंगे कि कौन दागी है और कौन दूध का धुला हुआ है। सच्चाई प्रकट होकर रहेगी।

इसलिए, इस राग को अलापने के स्थान पर, और सब बातों की सच्चाई का पता लगाकर, उन्होंने यह कहा है कि वे सभी योजनाओं को केवल एक नाम 'राजीव गांधी' के नाम पर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं? मूलत:, उन्होंने इसे दीन दयाल या मुखर्जी के नाम पर बदल दिया। उन्होंने स्वयं यह बात कही है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह बात नहीं है कि हम इसके विरोध में है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अब वे दीन दयाल या मुखर्जी की बात नहीं करते, अब वे सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या उन्होंने भगत सिंह के नाम पर कभी कोई योजना बनायी है? क्या उन्होंने कभी कोई योजना सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर रखी है? अब, वे यह कह रहे हैं मानों वे निष्पक्ष हैं और वे राष्ट्रीय हित के पक्षधर हैं। वे सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह के बारे में बातें करते हैं। मेरा दूसरा मुद्दा यह है।

सभापति महोदय: आप अपने सारे मुद्दों पर बोल चुके हैं।

श्री के.एस. राव: वे कह रहे हैं कि उन्होंने 120 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा वापस की है और वे पूछ रहे हैं कि श्री चिदम्बरम जी सभी ऋण वापस क्यों नहीं दे रहे हैं और ब्याज का लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने छ: साल क्या किया है? उन्होंने पिछले तीन वर्षों में क्या किया? क्या यह बात तब उनके दिमाग में नहीं आयी थी? आज, ही यह बात उनके ध्यान में आयी है। आज ही उनकी बुद्धिमता पिटारे में से निकली है। यह बात केवल एक चीज के बारे में नहीं है अपितु सब बातों के बारे में ऐसा है।

वह यह बात कर रहे थे कि आज आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की जा रही हैं। इसका कारण वर्तमान सरकार द्वारा की गयी कोई कार्रवाई नहीं है जोकि दो महीने पहले सत्ता में आई है। यह गत नौ वर्षों तक तेलगु देशम पार्टी के शासन का परिणाम है और दयनीय स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को एक लाख रुपये दे रही है, इसलिए आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई है। किसान पारंपरिक रूप से मूल्यवादी होता है और यदि वह ऋण नहीं चुका पाता तो वह बहुत लज्जित होता है। आप यह देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि किसान इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार किसान की मौत के पश्चात् उसके परिवार को एक लाख रुपये दे रही है? क्या कोई उत्तरदायी मुख्यमंत्री इस तरह से बोलता है? क्या वह शर्म की बात नहीं है?

इसके अलावा, वह कह रहे हैं कि अब सभी मौतें कांग्रेस के कारण हो रही हैं। अब, हम सभी चीजों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक नहीं अथवा दो नहीं, कई कदम उठाये हैं। यह इतनी उदार है कि इसने नि:शुल्क विद्युत प्रदान की है और यह किसानों को दुगुना, तिगुना ऋण दे रही है जिस पर ब्याज दर भी कम है। वे मृत किसानों के परिवारों को 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं।

मेरा आशय यह है कि विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर सकता है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आलोचना कर सकता है, लेकिन आलोचना करते समय, वे उस पर विचार करें, जो कुछ उन्होंने पहले किया है।

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल।

श्री के.एस. राव: यदि उन्होंने सत्ता का स्वाद नहीं चखा होता और वे सदैव विपक्ष में ही रहते तो यह बात अलग होती है। लेकिन छ: वर्षों तक सत्ता में बने रहने के बावजूद, अब वे आलोचना कर रहे हैं। लोग भी यह देख रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा की तरह, श्री चंद्रबाबू नायडू भी आंकड़ों को उद्धृत कर रहे थे और दिन-रात उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे।

सभापति महोदय: इस विषय को यहां मत घसीटिए।

श्री के.एस. राव: श्री चन्द्रबाबू नायडू के प्रत्येक वाक्य में आंकड़े थे। वह सोचते थे कि वह लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं। अब आप देखें कि क्या हुआ है। अब उन्हें लगभग 50 सीटें मिली हैं।

सभापति महोदय: श्री राव, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने श्री रूपचन्द पाल जी को अनुमति दी है।

श्री के.एस. राव: अब, भा.ज.पा. सत्ता से बाहर होने के पश्चात् नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। देशवासी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें यह बात महसूस होने दें। वे आलोचना कर सकते हैं। हमें आपत्ति नहीं है।

मैं कांग्रेस का सदस्य होने के नाते इस बजट का समर्थन नहीं कर रहा हूं वरन मैं पूरे हृदय से यह विश्वास करता हूं कि इस बजट के पीछे इरादे बहुत नेक हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

हम गरीबों की सहायता करने और ग्रामीण क्षेत्रों की सहायता करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पूरे हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि वह उस माननीय सदस्य के प्रति आभार प्रकट करें जिन्होंने अभी-अभी बजट पर अपने विचार प्रस्तुत किए क्योंकि उनके भाषण में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं हुआ है।

श्री के.एस. राव: नहीं। क्या आप यह सोचते हैं कि श्री चिदम्बरम का बजट अनछुआ है? मैंने श्री चिदम्बरम के बजट की तुलना श्री जसवंत सिंह के बजट से की है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: उन्होंने आपके बजट के बारे में बात नहीं की है। लेकिन मैं आपके बजट पर बात करूंगा।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): सभापति महोदय, मैं 8 जुलाई, 2004 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। यह एक सुखद संयोग है कि जब कभी वे वित्त मंत्री रहे हैं हमने उन्हें समर्थन दिया है ...*(व्यवधान)* संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में भी ऐसा हुआ था जब वे वित्त मंत्री थे और इस समय भी वैसा ही हो रहा है। हम क्यों उनका समर्थन करते हैं? वे इसका कारण जानने के लिए उत्सुक हैं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक बड़ी घटना का उल्लेख है जो विगत मई में घटित हुई तथा इस देश की जनता ने बड़ा ही स्पष्ट निर्णय दिया और इसके दो घटक थे। पहला कारण था कि साम्प्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर किया जाए। यह बहुत ही साफ निर्णय था ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: केरल में कौन-सी साम्प्रदायिक पार्टी को सत्ता से हटाया गया ...*(व्यवधान)* आपको केरल की स्थिति के बारे में भी बताना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: श्री खारबेल स्वाईं, कृपया आप उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए। वे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं आपसे सहमत हूं कि वे इस सभा के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है लेकिन उन्होंने साम्प्रदायिकता के बारे में बोलना शुरू किया तथा वे बजट पर अपने भाषण से विचलित हो गए थे।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, यह धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद के पक्ष में तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध एक स्पष्ट निर्णय था जो अपने विभाजनकारी तरीकों तथा अपने गुप्त एजेंडे से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, यह राजग सरकार की जन-विरोधी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध भी एक निर्णय था जिसके कारण भारी संख्या में नौकरियों में कमी आई, उद्योग बंद हुए, किसानों की दशा दयनीय हो गई अर्थात् किसान आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में आत्म हत्या कर रहे हैं। हमने इन विषयों पर इस सभा में बहुत बार चर्चा की है।

अपराह्न 5.02 बजे

[श्री मानवेन्द्र शाह *पीठासीन* हुए]

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): महोदय, गुजरात से एक भी मामले की सूचना नहीं है। यह एकदम गलत है ...*(व्यवधान)* गुजरात से ऐसी एक भी घटना की सूचना नहीं है। यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: महोदय, व्यवधान में उनके द्वारा जितना समय बर्बाद किया जा रहा है उसे मेरे सामान्य बजट पर भाषण के लिए निर्धारित समय में से घटाया नहीं जाना चाहिए।

श्री खारेबल स्वाईं: क्या कर्नाटक में भी किसी आत्महत्या की सूचना नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: महोदय कृपया उनसे अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कहिए अन्यथा उन्होंने अभी जो कहा उन सभी बातों को उन्हें प्रमाणित करना होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: कृपया उन्हें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं स्थिति को सम्भाल सकता हूं। आप कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री वल्लभभाई कथीरिया: महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द को संसद की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। सभा में व्यवस्था बने रहने दीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचंद पाल: वे एक नई प्रकार के फासीवाद का अनुसरण कर रहे हैं। वे संसद की परवाह नहीं करते, संसदीय परंपराओं की परवाह नहीं करते लोकतांत्रिक परंपराओं पर ध्यान नहीं देते और वे ऐसी किसी बात की परवाह नहीं करते *...(व्यवधान)* इसलिए उनके लिए अलग से समय दिया जाएगा।

सभापति महोदय: श्री रूपचंद पाल कोई भी परंपरा का पालन नहीं कर रहा है और सभी लोग शोलगुल कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि हमें माननीय सदस्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस तरफ से प्रत्येक व्यक्ति हल्ला कर रहा है और दूसरी तरफ से भी सभी बोल रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस सभा की मर्यादा को बनाए रखें।

श्री रूपचंद पाल: साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध यह स्पष्ट निर्णय था और राजग सरकार द्वारा अपनाई गई नई उदारवादी नीतियों के विरुद्ध भी था। जो हुआ उसका अवलोकन करे। आर्थिक सुधार के प्रचारक चेहरे, जिनकी वे चर्चा कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू को देखें। विश्व के 'बिल्स' जैसे-बिलगेट्स तथा बिल क्लिंटन ने प्रमाणपत्र दिया था। वे लोग कहां हैं? आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल दो लोग यहां आए हैं। यह केवल आंध्र प्रदेश के लिए सत्य नहीं है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल के सभी प्रचारक चेहरे साफ हो गए हैं।

जन-विरोधी आर्थिक नीतियों के अन्य समर्थकों की नियति क्या है। तृणमूल कांग्रेस को क्या हुआ? दक्षिण कोलकाता के एक हिस्से में तृणमूल कांग्रेस का एक इश्तहार है जिस पर लिखा है, हमारी कोई शाखा नहीं है, केवल दक्षिण कोलकाता में हमारी एक शाखा है। अन्य कोई शाखा नहीं है। तथापि, वे अभी भी इसे राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस कहते हैं। एक राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस या अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसकी कोई शाखा नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा: पश्चिम बंगाल और केरल से बाहर आपका विस्तार क्यों नहीं हो पाया है। केरल और पश्चिम बंगाल तक ही आप क्यों केन्द्रित हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए। आपसी जिरह में न पड़े। माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। श्री पाल आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करे और आपस में बहस न करें।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल: मैं उस विषय पर आऊंगा। आपने दावा किया और जनता से कहा कि 'इंडिया शाइनिंग' 'भारत उदय' और राजग सरकार में जो हुआ वह पिछले पांच दशकों में कभी नहीं हुआ। तथ्य क्या थे? आपके शासन काल में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 1951-52 की तुलना में भी कम थी।

रोजगार की क्या स्थिति है? श्री साहिब सिंह वर्मा, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 8.5 लाख रोजगार अवसर बर्बाद कर दिए। मान्टेक सिंह अहलुवालिया कार्यबल तथा एस.पी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट इस संबंध में क्या कहती है? उसमें कहा गया है कि रोजगार की स्थिति भयावह है, इसमें कमी हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। वे ग्रामीण समस्याओं, ग्रामीण रोजगार ग्रामीण गरीबी और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है यह उतना पर्याप्त न हो पूछकर इस बात का फैसला कर सकते हैं कि "क्या कोई गंभीर प्रयास किया गया है।" हां, हम उन्हें कसौटी पर कसेंगे। एक दिन के निष्पादन से हम सब कुछ का पता नहीं लगा सकता। पूरे पांच वर्षों तक यह सरकार बनी रहेगी और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें अपना समर्थन जारी रखेंगे। साथ ही साथ यदि वे गलती करते हैं तो हम जनता को बताएंगे कि हमने किन-किन कारणों से उनको समर्थन दिया लेकिन उन्होंने ये गलतियां की और हम उन्हें दुरूस्त करने की कोशिश कर रहे है *...(व्यवधान)*

ऐसा कोई भी भ्रम मत रखिए। साम्प्रदायिक ताकतों को अब पुन: सत्ता में कभी नहीं आने दिया जाएगा। वाम मोर्चा इस आश्वासन के साथ स्वतंत्र भारत में प्रथम बार किसी राजनीतिक पार्टी से अधिक संख्या में सांसदों के साथ वापस आया है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: इसका कारण है कि आपने केरल में कांग्रेस को हराया है, और आपकी संख्या बढ़ी है *...(व्यवधान)*

क्या सही है अथवा नहीं? कृपया हमें बताइए *...(व्यवधान)*। क्या केरल में संख्या बढ़ने से ही यहां आपकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है? *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: मैंने अभी शुरू ही किया है और आप इतनी जल्दी विचलित हो गए। बाद में क्या होगा। इसका मुझे पता नहीं। मैंने अभी-अभी शुरू किया है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप विवेकपूर्ण बातें कीजिए। हम सुनेंगे।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): केरल में आपने कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा और यहां आप उनका समर्थन कर रहे है *...(व्यवधान)*।

[श्री प्रकाश परांजपे]

यही आपका अर्थशास्त्र है। आपने भाजपा के साथ केरल में कभी नहीं लड़ा ...*(व्यवधान)*। यदि आपमें साहस है तो आप केरल में कांग्रेस दल से गठबंधन करें तब हम देखेंगे कि वहां क्या होता है ...*(व्यवधान)* यह तो आप भी नहीं जानते कि आप अपना रंग कब बदलेंगे।

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल जो कुछ कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, उनकी हताशा का स्तर देखिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं सब को बोल रहा हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। जब बजट पर चर्चा चल रही है तो माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन बार-बार इंट्रेप्शन हो रहा है। आपके प्रोटैक्शन की जरूरत है।

सभापति महोदय: सब जगह से हल्ला हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: क्या हमें बोलने का कुछ हक है या नहीं?

[अनुवाद]

इस देश के लोगों को यह जानने दें कि मुझे यहां बोलने का अधिकार है या नहीं।

सभापति महोदय: माननीय श्री पाल, मैं सभा के सभी पक्षों से मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, कृपया मुझे अपना संरक्षण दीजिए।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): सभापति जी, जिस तरह चौराहे पर राजनैतिक भाषण दिया जाता है, अगर ये इसी प्रकार से राजनैतिक भाषण देंगे तो हम सुनने के लिये तैयार नहीं। हम तो जनरल बजट पर चर्चा सुनने के लिये बैठे हैं। इसलिये ये बजट पर बोलें।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, पूरे विश्व में उदारवादी देशों में नव-उदार नीतियों के संबंध में क्षोभ, पुनर्परिभाषित एवं पुनरीक्षा की गई है। कई लब्धप्रतिष्ठ लोगों ने इस बारे में लिखा है। नोबल पुरस्कार विजेता और अमरीका के राष्ट्रपति की आर्थिक परिषद के मुख्य आर्थिक सलाहकार जोसेफ स्टिलिट्स और अन्य कई लोगों ने इस बारे में खुल कर कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुधार प्रक्रिया के पिछले एक या डेढ़ दशक के दौरान असमानता बढ़ी है। धनी अमीर हुए हैं और निर्धन और गरीब हुए हैं। लाखों लोगों की मूक आवाज अनसूनी रह गई है। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोगों के द्वारा सुधारों से मिलने वाले लाभ का विनियोजन किया जा रहा है।

यह मत वर्ल्ड सोशल फोरम का है और यही त आई एल ओ का भी है। मैं आइ एल ओ के 92वें सम्मेलन के एक भाग को बहुत संक्षिप्त रूप से पढ़ रहा हूं। रिपोर्ट का शीर्षक है: "जो बात वैश्वीकरण पर लागू होती है वही बात देश में उदारीकरण की प्रक्रिया पर समान रूप से लागू होती है।" इसमें क्या है? इसके अनुसार, वैश्वीकरण का वर्तमान मार्ग-जिसे आप उदारीकरण के लिए भी अपना सकते हैं, को अवश्य बदल जाना चाहिए। मैं दोहराता हूं, 'अवश्य बदला जाना चाहिए'। यह भारतीय जनता, हमारे देशवासियों का भी फैसला है, जिसे हमने पिछले मई के चुनावों में व्यक्त किया है। बहुत थोड़े से लोगों को इसका लाभ मिलता है, अधिकतर लोग इसके अभिरूप में अपना मत नहीं दे सकते और इसके मार्ग को प्रभावित करने की कोई शक्ति उनके पास नहीं है। इस सरकार को हम इस मुद्दे पर संबोधित कर रहे हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार भारत के लोगों ने चौदवीं लोक सभा के चुनावों में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील ताकतों को निर्णायक रूप से मत दिया है, जो कि किसानों, कृषि मजदूरों, बुनकरों, कामगारों और समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण से जुड़े हुए हैं और जो समस्त देश की आम जनता के हित के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हम समर्थन करते हैं। यह इस सरकार की प्रतिबद्धता है। लोगों बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि यह बजट में कितना परिलक्षित होता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जिसे अब आप राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) कह सकते हैं, मैं नीति और कार्यक्रम भाग की घोषणा की गई है परन्तु बजट प्रस्तावों से ठोस कार्यान्वयन प्रस्ताव की अपेक्षा है।

यहां, मैं अवश्य करूंगा कि हम अप्रसन्न नहीं हैं। हम दु:खी नहीं हैं परन्तु इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास उत्सव मनाने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का यह एक कारण है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो मेरे विचार से, बेहतर तरीके से जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। मैं ज्यादा नहीं, बस दो या तीन उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण के लिए रोजगार सृजन। ग्रामीण रोजगार एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय जन के कल्याण के महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार मंत्रालय में, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। वहां आप क्या पाते हैं? अन्तरिम बजट से इसमें लगभग 52 प्रतिशत की कमी है।

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे विचार से हमें यह सोच बदलनी चाहिए। तुलना करने की सही प्रक्रिया, बजट अनुमान की बजट अनुमान से तुलना करना है। आप बजट अनुमान की तुलना संशोधित अनुमान से कभी नहीं करते। जब मैं संशोधित अनुमान तैयार करूंगा तब तब आप संशोधित अनुमान की तुलना करेंगे। यदि आप सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर नजर डालें, तो वर्ष 2003-04 हेतु बजट अनुमान 4,487 करोड़ रुपए था और वर्ष 2004-2005 हेतु बजट अनुमान में यह 4,598 करोड़ रुपए है। जब संशोधित अनुमान आता है तो कृपया इसकी तुलना संशोधित अनुमानों से ही करें। मेरे विचार से इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं स्वीकार करता हूं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं?

श्री रूपचन्द पाल: जी हां, अवश्य।

श्री हरिन पाठक: मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं- वैसे तो मैं बाद में बोलने वाला हूं- जैसा कि उन्होंने सही बताया है कि संशोधित अनुमान वास्तविक अनुमान नहीं है क्योंकि उन्हें सारे आंकड़े 13 जून को प्राप्त हो गए थे। आप यह कैसे कह सकते हैं कि संशोधित अनुमान वास्तविक अनुमान नहीं है? यदि यह फरवरी या मार्च में हुआ होता। तो हम कह सकते हैं कि संशोधित अनुमान संशोधित अनुमान है। आपके पास सभी आंकड़े उपलब्ध थे जब आपने हाल में बजट प्रस्तुत किया। मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि आपके पास कोई वास्तविक आंकड़ा नहीं है। मेरे विचार से, संशोधित अनुमान। बजट की वास्तविक प्राप्तियां हैं। यह संशोधित अनुमान कैसे हो सकता है क्योंकि इसे कुछ दिन पहले ही सभा के समक्ष पेश किया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम: पिछले वर्ष बजट में केवल 4,487 करोड़ रुपए का प्रावधान था। पूरक स्तर पर और धन उपलब्ध कराया गया था। यह सामान्य बात है। पूरक स्तर पर प्रावधान, जो कि संशोधित अनुमानों में परिलक्षित है, 9,640 करोड़ रुपए है। हम अब बजटीय अनुमानों को 4,590 करोड़ रुपए कर रहे हैं। यदि आप अंतिम संशोधित अनुमानों के साथ तुरना करना चाहते हैं तो आपको पूरक प्रावधानों का इंतजार करना चाहिए जिसे हम बाद में तैयार करेंगे। इसलिए, मेरे मित्र तुलना हमेशा बजट अनुमानों की बजट अनुमानों से ही करते हैं। संशोधित अनुमानों को तैयार करने के बाद इस प्रश्न को पूछिए।

श्री रूपचन्द पाल: इसीलिए मैंने यह उल्लेख करने का प्रयास किया कि गत पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान, क्या हुआ है, और अब इस बजट के दौरान क्या हुआ है। कुछ महीनों तक इंतजार कीजिए और अगले वर्ष फरवरी में आशा कीजिए कि बेहतर आबंटन हो सकता है।

श्री हरिन पाठक: यह आबंटन है।

श्री रूपचन्द पाल: यह कार्यान्वयन भी है। महोदय, मैं बजट में शिक्षा हेतु प्रावधान को बढ़ाकर छह प्रतिशत करने का स्वागत करता हूं। सब के लिए सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर इत्यादि पर दो प्रतिशत शिक्षा उपकर है। अब, इस वर्ष मेरे विचार से-यदि मैं गलत होऊं तो मेरी बात को सुधारा जा सकता है-अगले वर्ष फरवरी तक केवल 4,000 करोड़ रुपए में से 2,600 करोड़ रुपए एकत्रित किया जा सकता है। अब, इस वर्ष हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्य 1,600 करोड़ रुपए का क्या होना वाला है? मंत्री महोदय, जब आप वाद-विवाद का जवाब देते हैं, आप इसके बारे में वक्तव्य दे सकते हैं।

योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि, इसके लिए पहले से प्रावधान की गई धनराशि के साथ यह राशि 1,45,000 करोड़ रुपए है और यदि मैं गलत नहीं हूं तो इसमें शिक्षा उपकर की धनराशि भी सम्मिलित है। यह धनराशि उस बात पर निर्भर करेगी कि योजना आयोग इसको कैसे निर्धारित करती है। यह योजना आयोग पर छोड़ दिया जाता है। यह किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं है। इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए, यही मुद्दा है।

मंत्री महोदय, आपने अपने बजट भाषण में कहा है: "मैं यह आश्वस्त कर सकता हूं कि शिक्षा उपकर का उपयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।" परन्तु कैसे? ऐसा इसलिए कि पहले के उपकर के बारे में हमारा अनुभव यह है कि इसे केन्द्रीय कोष में रखा गया था और शायद ही इसे उस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके लिए इसे उगाया गया था। इस पर, मैं सावधान करना चाहता हूं कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। अन्य प्रावधानों के बारे में भी ऐसा ही है। जो भी कर लगाया जाए, उसका उसे विशिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, विशेषकर शिक्षा उपकर।

[श्री रूपचन्द पाल]

मंत्री महोदय, मैं पुन: आपको सावधान करता हूं। यह सभी प्रकार के करों के लिए है। मैं इसका समर्थन करता हूं। सेवा कर को ले और इससे, कुछ मुद्रास्फीति संबंधी दबाव पड़ सकता है। इस विशेष मुद्दे से कैसे निपटा जाए। इसे मंत्री महोदय, आप पर छोड़ जाता हूं। फिर भी, मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इस सरकार ने, चाहे असावधानीवश, नदरअंदाज कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, एन.सी.एम., आई.सी.डी.एस. के वैश्वीकरण की बात कहता है। परन्तु आई.सी.डी.एस. के लिए प्रावधान बहुत ही मामूली है। किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। एन.सी.एम.पी. इसकी सफलता के वृत्तांत को ध्यान में रखकर वैश्वीकरण की बात करता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित प्रावधान भी है। मेरे विचार से बेहतर प्रावधान किये जाने चाहिए। किन्तु मैं माननीय मंत्री जी के तर्क का भी विरोध नहीं करता हूं कि यह केवल 40 दिनों का कार्य था। उनके पास सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बहुत ही कम समय था और वे जब अपना अगला बजट प्रस्तुत करेंगे तब तक एन.सी.एम.पी. की इच्छानुसार वे अपनी स्थिति में सुधार कर लेंगे।

यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि लोगों की बहुत आशाएं है विशेषत: नई सरकार के आने से। वे देख रहे हैं कि यह सरकार किस प्रकार काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आदि के लिए धन उपलब्ध कर पायेगी।

किन्तु बजट तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही सीमित है। यदि आप ब्याज भुगतान की ओर देखते हो जो पूर्व-निर्धारित है, वेतन, राजसहायता, रक्षा तथा यदि आप योजना आबंटन को भी ध्यान में रखते हैं तो मेरे विचार से केवल 3 प्रतिशत ही शेष बचता है। मैंने इसकी गणना करने का प्रयास किया है। यह 63.7 प्रतिशत तक बनता है जो पूर्व-निर्धारित है जैसे ब्याज भुगतान, राजसहायता आदि। इसलिए आप कितने की व्यवस्था कर सकते हैं? भारत जैसे गरीब देश में, यह एक अन्य विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए।

यह एक गलत धारणा है कि वामपक्ष आर्थिक सुधारों का विरोधी है। यह अर्थ जगत के समाचार-पत्रों के आर्थिक लेखकों का एकाधिकार है। यह किस लिए है? किसके लिए है? यह किसके हितों की पूर्ति कर रहा हैं? आप दिशा निर्धारित कर सकते हैं। हमने वृहत स्तर पर भूमि सुधार आरम्भ कर दिए हैं। क्या वे सुधार नहीं है? क्या इसने ग्रामीण बंगाल को क्रय शक्ति प्रदान नहीं की है? प्रसार माध्यमों द्वारा गलत ढंग से प्रचार-प्रसार करने के बावजूद, विभिन्न तरीकों से अनुचित एवं अवांछित बाधा उत्पन्न करते है, जिनका उल्लेख हम यहां नहीं करना चाहते है, लोगों ने हमें विशाल जनमत दिया है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों इत्यादि की अत्यावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने वास्तव में सुधार किये हैं। हमने सफल पंचायती राज व्यवस्था द्वारा लोगों का सशक्तिकरण किया है ...*(व्यवधान)*

महोदय, कृपया मुझे समय दें।

सभापति महोदय: मैं तुम्हें पांच मिनट और दूंगा।

श्री रूपचन्द पाल: मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। मैंने इस प्रक्रिया की सीमितता का उल्लेख किया है। किन्तु फिर भी मंत्री जी उच्च राजस्व वृद्धि पर बहुत अधिक आश्रित हैं। यह 24% से अधिक है। यदि इसमें कहीं कोई कमी रह जाती है तो परियोजनाओं का क्या होगा? यही प्रश्न है। वे एक ही क्षेत्र पर अत्यधिक आश्रित है। वे कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में बहुत सारे वसूली योग्य क्षेत्र हैं। और तो और अविवादित क्षेत्र भी पर्याप्त हैं।

माननीय राज्य मंत्री द्वारा अन्य सभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार 1,03,300 करोड़ रु. की धनराशि विभिन्न करों जैसे आयकर, निगम कर आदि में बकाया राशि के रूप में है। उसमें से कुछ किसी के द्वारा आकलित-मैं नहीं जानता-18,000 करोड़ रु. की राशि अविवादित है। मैं नहीं जानता कि यह बहुत अधिक है अथवा नहीं। परन्तु इसमें कर वंचना का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें काले धन का उल्लेख नहीं है; न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी.एम.पी.) में काले धन का पता लगाने की प्रतिबद्धता है जो एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा है।

मैंने एक बार पूछा था कि इस देश में कितने लोग अपनी रिटर्न में 10 लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय दर्शाते हैं। कुछ लोगों ने कुछेक आंकड़े दिए; और अब, मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि देश में यह संख्या 75,000 है जबकि कर योग्य व्यक्तियों की संख्या 3.4 करोड़ है। जो लोग कर अदा कर रहे हैं उनकी संख्या लगभग 2.7 करोड़ है। अब 1.4 करोड़ लोगों को इस संख्या में से हटाना पड़ेगा क्योंकि आय सीमा को एक लाख रु. तक बढ़ा दिया है। उसमें से भी 75,000 लोग दक्षिण दिल्ली कुछ लोगों ने मुझे ऐसे आंकड़े दिए हैं-और ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी वार्षिक आय किसी वर्ष विशेष में 10 लाख से 15 लाख रुपये तक अधिक है। मैंने आकलन किया है कि 5 लाख भारतीय 15 लाख रुपये से अधिक की लक्जरी कार खरीदते हैं। मंत्री जी ने सही उल्लेख किया है। इस तथ्य को देखते हुए यह आश्चर्यजनक है कि 4.6 मिलियन भारतीय देश से बाहर सिंगापुर, मलेशिया, स्वीटजरलैण्ड आदि घूमने जा रहे हैं। यह

संख्या 4.6 मिलियन है। यह वह क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यद्यपि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एम.ए.टी., शून्य कर कम्पनियों के बारे में टिप्पणी की है कि वे कुछ न कुछ अदा करें। 6000 से अधिक कम्पनियों ने किसी न किसी तरह से कर वंचना की है। इसलिए, कर वंचना ऐसा क्षेत्र है जिस पर मंत्री जी द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह कहा गया कि यदि हम दर को कम कर देते हैं तो लोग इसका अनुपालन करेंगे। मैंने भारतीय मानसिकता के बारे में एक लेख पढ़ा था। नहीं, भारतीय मानसिकता अलग है। उत्कृष्ट कर दाता के लिए हम जो भी पुरस्कार की घोषणा करते हैं उसका अनुपालन नहीं होता है, बल्कि उत्कृष्ट आयकर दाता, श्री शंकर शर्मा को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने तहलका में निवेश किया था। हमने जे.पी.सी. में पूछा था कि उस व्यक्ति का क्या हुआ क्योंकि वह एक व्यवसायी था और उसने अपना धन तहलका में निवेश किया था जिसने कुत्सित रक्षा सौदों की पोल खोली थी जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री भी शामिल थे। परन्तु आज तक इस व्यक्ति को पूंजी बाजार में ठीक के कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है। जो कर अदा करते हैं उन्हें कभी भी पुरस्कार नहीं दिया जाता अपितु इसके हकदार कर वंचना करने वाले होते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दें।

विनिवेश के बारे में हमारा अपना दर्शन है और उनका अपना। हम यह नहीं सोचते कि हानि उठा रही कम्पनियों की सारी प्रतिपूर्ति सरकारी कोष से की जाती रहे। जी, नहीं किन्तु भारतीय इस्पात प्राधिकरण का उदाहरण देखिए। एक हानि उठा रही कम्पनी को भी यदि समुचित सहारा दिया जाता है तो इसमें भी बदलाव आ सकता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य ऐसी ही कम्पनियों के मामले में यही हुआ है। मैं उनमें से कइयों का उल्लेख कर सकता हूं। मंत्री जी ने उसके लिए एक बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। क्या यह बोर्ड पुनर्गठन के लिए होगा अथवा विनिवेश के लिए होगा, अतार्किक विनिवेश ने एक होटल मेरे मित्र को दे दिया जिसने इसे बाद में और अधिक लाभ पर बेच दिया? कुछ दिए जाने का अर्थ लाभदायक तेल कम्पनियों को सार्वजनिक एकाधिकार से मुक्त करके गैस क्षेत्र में निजी एकाधिकार को बेचना का प्रयास किया जाना है। वामदल प्रत्येक चीज का विरोधी नहीं है जो देश के लिए हितकारी है। हमारे अपने तर्क हैं। बीमे को सहमति किसने दी? क्या अमेरिका ने बीमा को अनुमति दी? मैंने पत्रों का अध्ययन किया है। जापानी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अमेरिका जा रही हैं। लगभग 50 विभिन्न प्रकार के कानून उन पर लागू हो रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पाल, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल: मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त करता हूं। हम इन बजट मदों, बीमा, दूरसंचार और नागर विमानन के मामलों में विदेशी पूंजी की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। वे मुझसे बेहतर जानते हैं। आप नहीं जानते हैं, बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रस्ताव कब किया गया, आपने स्थाई समिति में मेरी विसम्मति टिप्पणी पढ़ी होगी। क्या आपको याद है कि यहां क्या हुआ था? प्रधान मंत्री जी आए और कुछ हुआ। सदस्य सब कुछ जानते हैं। इस संबंध में हमारी स्थिति और दृष्टिकोण से संसार अवगत है... ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आपने इस देश के लोगों के बीमे की वचनबद्धता की है। जब आप सत्ता में वापस आएं तो आप विदेशी साम्य का मुद्दा उठा सकते हैं। इस बारे में बात न करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: जी, हां, मैं नहीं रूक रहा हूं। महोदय, उन्होंने मेरा बहुत समय लिया है। मैं अभी समाप्त करता हूं। एन.टी.पी.सी. में भी केवल 5% विनिवेश किया गया है। मैंने विवरण-पत्र को ध्यान से देखा है। यह एक स्वीकार्य तर्क नहीं है। एन.टी.पी.सी. विशाल उपक्रम है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत यह वचनबद्धता है कि लाभदायक उपक्रमों को किसी भी स्थिति में छेड़ा नहीं जायेगा। इनका न तो कोई निजीकरण होगा और न ही विनिवेश। एन.टी.पी.सी. के इस प्रस्ताव के बारे में भी हमारा यह अधिकार सुरक्षित है।

श्री एस. बंगरप्पा: उन्होंने केवल रेड वाइन बोतल खोली है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: श्री बंगरप्पा, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: अब मैं निजी दूरसंचार कंपनियों की ओर आता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने में सबसे अधिक योगदान सरकारी आपरेटर बी एस एन एल ने दिया है। इसे 4000 करोड़ रु. का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि विदेशी कंपनियां और निजी कंपनियां, ग्रामीण

[श्री रूपचन्द पाल]

क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने में ज्यादा रूचि नहीं ले रही हैं। ऐसा ही बीमा और मेरीन बीमा के मामले में हुआ। इसका लाभ मेटलाइफ, सनलाइफ और अन्य कंपनियां उठाएंगी। और तो और राष्ट्रीय निजी आपरेटर भी काफी चिंतित हैं। जब विधेयक आएगा तो हम अपने प्रश्न पूछेंगे। हम इसका विरोध करेंगे। इन मुद्दों पर हमारे विचार दुनिया को पता होने चाहिएं।

इस्पात पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने और आयात उदारीकरण से स्वदेशी इस्पात क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। हम भी इस बारे में चिंतित हैं। हमारे हिसाब से बड़ी संख्या में नए इस्पात संयंत्रों को स्फाति किया जा चुका है।

जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है, लघु उद्योग क्षेत्र को कुछ राहत, सहायता तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के साथ ही कुछ वस्तुओं के अनारक्षण का प्रस्ताव है। मैं गुजरात के बारे में केवल एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। गुजरात में नरसंहार और सामूहिक साम्प्रदायिक हत्याओं की शर्मनाक घटनाओं के अलावा क्या हुआ है? गुजरात की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ। मेरे पास कई दूसरे उदाहरण हैं लेकिन मैंने गुजरात को चुना है क्योंकि आपको गुजरात पर गर्व है। गुजरात को इतना कुछ दिया गया जबकि अन्यों को वो नहीं दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी के शासन में पिछले दो वर्ष के दौरान कम से कम 20,000 लघु इकाइयों को बंद कर दिया गया और तीस प्रतिशत असंगठित कामगार बेरोजगार हो गए हैं। अहमदाबाद को एक समय भारत का मानचेस्टर कहा जाता था लेकिन अब यहां हजारों कामगारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे या तो ठेले खींच रहे हैं अथवा जो भी कार्य कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। यह सच है *...(व्यवधान)*। आपको यह मानना चाहिए. आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया।

श्री हरिन पाठक: ये कपड़ा मिलें कांग्रेस शासन में 1985 में बंद की गई थीं। मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं कि क्योंकि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं लघु उद्योग इकाइयों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं सरकार से पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। यह सबसे अधिक श्रमिक आधारित क्षेत्र है। यह क्षेत्र रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर प्रदान करता है और इसमें निर्यात संभाव्यता भी है। बहुत बार चीन का हवाला दिया जाता है। चीन को क्या हुआ, मंत्री महोदय जानते हैं। उन्होंने कैसे लघु और कुटीर उद्योगों को एकीकृत करके ब्रान्ड वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रूप दे दिया। उत्पादन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे नजरअंदाज करके आप रोजगार सृजन के मुद्दे को नहीं सुलझा सकते। यहां इसका उल्लेख करना ठीक है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उन्हें बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं। कृपया ऐसा मत करिए।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मूल्यवर्द्धित कर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह एक स्वागत योग्य उपाय है लेकिन इसे कुछ जटिल अनुभवों से गुजरना पड़ेगा और माननीय मंत्री इसे सुलझायेंगे। यह इतना आसान नहीं है। विकासशील देशों में भी इस बारे में समस्याएं हैं।

महोदय, मैं दो और मुद्दों का हवाला दूंगा और अपना भाषण समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय: नहीं, ये आपका अन्तिम मुद्दा था।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, यह केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में है। यह हम सबों के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर कोई इस पर मुझे समर्थन देगा। यह केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के पुनर्गठन के बारे में है।

सभापति महोदय: आपने वादा किया था कि आप दो मुद्दों पर बोल कर अपना भाषण समाप्त करेंगे। यह आपका अन्तिम मुद्दा है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, हम इस सरकार द्वारा दिए गए उपायों की सराहना करते हैं। इन्होंने ब्याज दर को 10.5 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया है। यह एक अच्छा उपाय है। बिल्कुल, इसे पिछली सरकार ने कुछ किया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य सरकारें संकट में हैं, उन पर भारी ऋण है और स्थिति को संभाला जाना चाहिए। इस स्थिति को सुधारने के लिए जो उपाय करने चाहिए, माननीय मंत्री और सरकार कर सकते हैं। जब तक राज्य आत्म-निर्भर नहीं होंगे, राज्य मजबूत नहीं होंगे, राज्यों के पास संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं होगी तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए कार्यक्रमों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है?

महोदय, मैं इस सरकार और माननीय वित्त मंत्री के बारे में एक टिप्पणी कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन के मामले में ये काफी अंधविश्वासी हैं। देश में खाद्यान्न का अच्छा भंडार है। यहां अच्छा खाद्यान्न भंडार है और विदेशी मुद्रा का भी बड़ा भंडार है। हम इसका लाभ नहीं उठा सकते। शायद, ये हाट मनी है तथा इससे विदेशी निवेशक इस देश में और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया और केतन पारिख ने क्या किया। अब, ऐसी स्थिति में विस्तारपूर्वक आर्थिक उपाय किए जाने चाहिएं। सरकार आंखें मूंदकर यहां क्यों कहती है कि उन्होंने राजस्व घाटे को कमकर 2.5 प्रतिशत कर दिया था और उन्होंने

वित्तीय घाटे को कम स्तर पर ला दिया? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा अपना माडल होना चाहिए न कि वित्त पोषण करने वाले बैंकों का वाशिंगटन सर्वसम्मति को अस्वीकार कर दिया गया। ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनीजुएला के साथ-साथ आई एल ओ तथा विश्व सामाजिक मंच के प्रस्तावों को देखा जाना चाहिए। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमें दूरदर्शी होना चाहिए। लेकिन व्यय में इस कटौती का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? क्या नियुक्तियां नहीं होनी चाहिएं? क्या रिक्त पदों को नहीं भरा जाना चाहिए? क्या करों और ऐशो-आराम पर खर्च जारी रहना चाहिए? मैं नहीं जानता। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी आलोचना न की जा सके और इन सभी बातों पर ध्यान दिए बिना इसे किया जाए।

सभापति महोदय: आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। वामपंथी दलों ने इस बजट का इस आश्वासन से समर्थन किया है कि एन डी ए सरकार को अगले द्वार से या पिछले द्वार से दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमें इनको बातचीत द्वारा सुलझाना चाहिए और लोगों को ये जानने का मौंका देना चाहिए कि कौन सही है- वामपंथी या सुधारों के समर्थक, जोकि उदारीकरण की प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं। धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री मोहन सिंह। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज शाम 6 बजे सभा की कार्यवाही स्थगित हो रही है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने के साथ ही मैं चिदम्बरम साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कठिन परिस्थिति में और तमाम दबाव के बावजूद इससे बेहतर बजट वह प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। हमारी मजबूरी है कि हम प्रगतिशील गठबंधन के समर्थक हैं, लेकिन उसमें साझेदार और हिस्सेदार नहीं हैं इसलिए बजट के सभी प्रावधानों का डंका पीटकर समर्थन करना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोई दायित्व नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बजट का मोटे तौर पर समर्थन करता हूं लेकिन जिन मुद्दों पर हमारा मतभेद है, उनको कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है, परहेज नहीं है। उनकी मैं चर्चा चाहता हूं। दुनिया के सभी देशों में जब भूमंडलीकरण का बुखार चढ़ा हुआ था और सारी दुनिया को एक आर्थिक छत्रछाया में प्रस्तुत कर दुनिया के सभी गरीब मध्यम देशों की राष्ट्रीय तरक्की की रफ्तार बढ़ाकर हम दुनिया से गरीबी को खत्म कर देंगे, यह सपना कुछ लोगों ने पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में देखा था। लेकिन जब उन्होंने दस साल के बाद अपनी प्रतिपादित नीतियों की समीक्षा की तो वे स्वयं इस बात पर आ गए कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है। ये कुल सदस्यों का दस प्रतिशत होना चाहिए। आप चाहें तो जांच कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने गिनती की है। सभा में गणपूर्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): गणपूर्ति है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: छ: बजे तो हाउस उठ रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: वह अलग बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: कोरम तो है ही। ...*(व्यवधान)* रूलिंग पार्टी को कोरम मेनटेन करना चाहिए और आपोजीशन पार्टी को डैकोरम मेनटेन करना चाहिए। दोनों एक-दूसरे का पालन करें तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप चाहते हो कि गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाए और विलम्ब किया जाए?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, सभा में गणपूर्ति बनाए रखना, सत्तारूढ़ दल का कर्त्तव्य है। अब कोई गणपूर्ति नहीं हैं।

सभापति महोदय: श्री परांजपे, सभा में गणपूर्ति है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अब नीतियों के मानने वाले अपनी समीक्षा के बाद कहते हैं कि दुनिया की छ: अरब आबादी में से दो अरब

[श्री मोहन सिंह]

आबादी गरीबी की रेखा के नीचे चली गई। दुनिया में विषमता बढ़ गई, दौलत का एकत्रीकरण और एकाधिकार शुरू हो गया और आर्थिक विषमता बड़ी तेजी से बढ़ गई। जिस चीन का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है। जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने नई आर्थिक नीतियों को सबसे अधिक स्वीकार कर लिया और उसके राष्ट्र की जो वृद्धि हुई, वह विदेश की पूंजी के वहां निवेश के जरिए हुई। लेकिन आज स्वयं चीन इस बात पर विचार कर रहा है कि यह वास्तविक तरक्की नहीं है। हमारे देश में विषमता बढ़ रही है, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के कारण ही हमारे देश की गरीबी बढ़ रही है। इसलिए चीन में भी उस नीति पर पुनर्विचार हो रहा है।

चिदम्बरम साहब ने जब अपने भाषण की शुरूआत की तो कहा कि इस देश में जो जनादेश आया है, वह परिवर्तन के लिए आया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह परिवर्तन आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के लिए नहीं है? क्या उन्हीं नीतियों को, जिनका अनुपालन ये लोग उधर बैठकर करते थे, अनुपालन करना जनादेश का उल्लंघन नहीं है? स्वयं वित्त मंत्री जी के अपने बजट भाषण की शुरूआत के अनुसार कि हमको जो जनादेश मिला है, वह परिवर्तन के लिए मिला है। परिवर्तन किस क्षेत्र में है। आर्थिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई पड़े, इस शब्दावली के यही अर्थ मैं समझता हूं। जब मैं बजट के डिटेल को पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि परिवर्तन शब्द तो उन्होंने कह दिया लेकिन नीतियों में किसी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं लगती। मेरा मतभेद इस बात पर है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कह दिया कि दूरसंचार में विदेशी पूंजी निवेश 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत, नागर विमानन में 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत और बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया जाएगा। हमारा दल इस तरह से विदेशी पूंजी निवेश का घोर विरोधी है। इस तरह पूंजी निवेश में प्रतिशत दर में वृद्धि का हम पूर्णतया विरोध करते हैं। किसी भी कीमत पर यदि कानून की शक्ल में उसको लाने की कोशिश की जाएगी तो हम उसके विरोध में जाने की बात इस सरकार से अभी साफ तौर पर कह देना चाहते हैं।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में भारत सरकार को अपने अनुभवों से सबक लेना चाहिए। यहां बुनियादी क्षेत्र में बिजली की एक कंपनी अमरीका की एनरान आई। वह साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये इस देश के वित्तीय संस्थानों का लूटकर इस देश से बाहर चली गई। उसके ऊपर हमारे देश का कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि हम उस पूंजी को उससे वापस ले सकें। कोरिया की मोटर कार बनाने वाली देवू कंपनी इस देश में आई और हमारे के वित्तीय संस्थानों की 1300 करोड़ रुपये की पूंजी लूटकर यहां से चली गई और उसके ऊपर हमारा कोई अंकुश नहीं है। आसियान देशों की हालत तीन वर्षों में खराब हुई। उस खराबी के पीछे कारण यह था कि उन्होंने भी अपने देश में अंधाधुंध तरीके से विदेशी पूंजी को लगा दिया। एक छोटा सा देश मलेशिया दुनिया में अपनी पीठ ठोककर कहने लगा कि हमने विदेशी पूंजी से दुनिया का सबसे शानदार हवाई-अड्डा अपने देश में बना लिया और जब वसूली की हैसियत नहीं रही तो उस देश की आर्थिक तरक्की बाधित हुई। उसके सामने 7-8 वर्षों तक सारे आसियान देशों में एक रिसैशन की स्थिति पैदा हो गई। इसके बारे में हम भारत सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। इसलिए हमारे विरोध का पहला बिन्दु यही है कि किसी भी तरह से अंधाधुंध पूंजी निवेश, क्योंकि मुझे ठीक से याद है कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विदेशी सामानों का निर्बाध गति से हमारे देश में आयात शुरू किया, निर्बाध गति से डिसइंवेस्टमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि-मंडल श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिला और इन सब लोगों ने बीमा क्षेत्र में जनता के बुनियादी क्षेत्र में इस विदेशी पूंजी निवेश का विरोध किया था। तब प्रधानमंत्री ने इनको जवाब देते हुए कहा था कि आज जिन नीतियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये कांग्रेस द्वारा ही प्रतिपादित नीतियां हैं। हमारी नीतियां नहीं हैं। कम से कम चिदम्बरम साहब जिन्हें इस समय का प्रगतिशील बजट बनाने का अनुभव प्राप्त है, वह जल्दबाजी में इन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को अंधाधुंध तरीके से लगाएं, ऐसी अपेक्षा हमें नहीं है। इस पर पुनर्विचार की हम उनसे अपेक्षा करते हैं।

दूसरा सवाल है कि पिछड़े हुए राज्यों को अपने तरह से स्पेशल पैकेज देने का वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सही ढंग से अपने बजट भाषण में कहा है कि बिहार का जो घोषित पैकेज था, उसमें से 3238 करोड़ रुपया रिलीज नहीं हुआ था। उसी पैसे को हम देने की घोषणा करते हैं और जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में और भी इसमें वृद्धि कर सकते हैं। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनको पांच हजार कुछ करोड़ रुपये देने वाले हैं और 300 करोड़ रुपया अनुदान की शकल में जम्मू-कश्मीर को देने वाले हैं। बाकी राज्यों में कह दिया कि एक कमीशन बनेगा। वह कमीशन एक साल बाद अपना काम शुरू करेगा। यानि सन् 2006 में उस कमीशन का काम शुरू होगा और उसके पास 25,000 करोड़ रुपये

की पूंजी होगी और वह पूंजी पांच साल में गरीब राज्यों को देने का काम करेगा। यह वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि ऐसा करने से उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो गरीबी में नीचे से दूसरे और तीसरे नम्बर पर है। जिस राज्य की 31 फीसदी गरीब जनता आज गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। 17 करोड़ 20 लाख की आबादी में से 3 करोड़ अति दरिद्र लोग अकेले उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं जिन्हें पूअरेस्ट एमंग पूअर कहते हैं। उस राज्य के उन गरीबों के लिए आपका दावा तो है कि हम अपने बजट में जो समाज के सर्वाधिक गरीब लोग हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन इस देश के जो सर्वाधिक गरीब यानि पूअरेस्ट एमंग पूअर जिस राज्य में रहते हैं, उसको स्पेशल पैकेज देने के बारे में आप दो साल की तारीख हमें मुकर्रर कर रहे हैं। हम अपनी अपील किसके सामने करें? इसलिए वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक यह कमीशन गरीब राज्यों के बारे में 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान दो साल के बाद शुरू होगा, इस बीच उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो बुनियादी समस्याएं हैं, खासकर बिजली, पेयजल और सिंचाई जिसके लिए हमने साढ़े चार हजार करोड़ रुपये और ढाई हजार करोड़ रुपये और डेढ़ हजार करोड़ रुपये मांगे हैं, इसके बारे में दरमियानी अर्से में हमारी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं।

हमारे विरोध का तीसरा बिंदु है, वैट का कानून। वैट के बारे में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि यह कानून अप्रैल, 2005 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस देश का बहुसंख्यक व्यापारी समाज इस व्यवस्था का विरोधी है। यदि आप 1991 के बजट भाषण में हमारी तकरीरों को निकाल कर देखें तो मैंने स्वयं मूल्यवर्धित कर प्रणाली का समर्थन किया था। लेकिन आज की तारीख में केवल बड़े उद्योग परिसंघों, बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के दबाव में आकर एक नई कर प्रणाली लागू कर दी जाए, जिसका असर इस देश के बहुसंख्यक व्यापारी समाज पर बड़े, यह जल्दबाजी का कदम होगा। यह सही है कि हिन्दुस्तान में काफी राज्यों ने इसका समर्थन किया है और भारत सरकार ने इसको लागू करने के बारे में यह बात कही है कि राज्यों को इस कर प्रणाली से जो घाटा होगा, उसकी भरपाई केन्द्रीय बजट से की जाएगी। आप कहते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले केवल ढाई प्रतिशत हमारा घाटा रह जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर राज्यों के घाटे की भरपाई केन्द्रीय बजट से करने की परम्परा डालते रहेंगे तो मैं समझता हूं आपका दावा विफल होने वाला है। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि व्यापारी संघ से आपको बातचीत करनी चाहिए इसमें जो उनकी आशंकाएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए। अभी इसको 15 तारीख अंतिम तारीख न मानकर आगे के लिए टाला जाना चाहिए।

हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बार बहुत दिनों के बाद कृषि पर आधारित बजट पेश किया है। सम्भवत: चौधरी चरण सिंह जी ने इस सदन में जब अपना बजट पेश किया था, 1978-79 में, तो उसमें कृषि, ग्रामीण और किसानों की कुछ बात की थी। उस समय हमारे बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध किया था कि इतनी गलत बात हुई है, क्योंकि उस समय बजट में समाज के साधारण लोगों की, ग्रामीण समाज की बात की गई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने हम के मैजें थपथपाने के बाद घोषणा की कि ट्रैक्टर और कृषि आधारित उपकरणों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ स्टील के ऊपर उन्होंने चार फीसदी उत्पाद कर बढ़ा दिया। जो ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों को बनाने वाली कम्पनीज हैं, वे कहतीं है कि इन उत्पादों के ऊपर जो हमारी लागत आएगी, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किसानों तक जाते-जाते ये वस्तुएं इतनी महंगी रहेंगी, जितनी छूट देने के पहले थी। इसलिए इसमें छूट देने जैसी वास्तव में कोई बात नहीं है। किसानों को सब्सिडी या छूट मिलती है, वह कम्पनीज को न जाकर, जैसे खाद पर छूट किसानों को न मिलकर कारखानेदारों को मिलती है, उससे किसान लाभांवित नहीं होता। इसलिए उसको लाभांवित करने के लिए ट्रैक्टर, कृषि आधारित उपकरणों और खाद पर मिलने वाली छूट या सब्सिडी सीधे किसान को खरीदते समय मिलनी चाहिए। कम्पनीज को मिलने वाला जो लाभ है, वह किसान या उपभोक्ता तक कभी ट्रांसफर नहीं होता।

सभापति महोदय: मोहन सिंह जी, चूंकि छ: बज रहे हैं इसलिए आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री मोहन सिंह: ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा कल 15 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.59 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार, 15 जुलाई, 2004/24 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री कमला प्रसाद	122
2.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान श्री खीरेन रिजीजू	123
3.	श्री सुनील खां	124
4.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री अब्दुल रशीद शाहीन	126
5.	श्री बीर सिंह महतो	126
6.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	127
7.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	128
8.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री कैलाश मेघवाल	129
9.	श्री हरिकवेल प्रसाद श्री मनसुखभाई डी. वसावा	130
10.	श्री निहाल चन्द	131
11.	श्री दुष्यंत सिंह	132
12.	श्री विजय कृष्ण श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	133
13.	डा. पी.पी. कोया	134
14.	श्री रामजीलाल सुमन श्री नीतीश कुमार	135
15.	श्री अजय चक्रवर्ती	136
16.	श्री शिवराज सिंह चौहान	137
17.	श्री बी. विनोद कुमार श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	138
18.	श्रीमती निवेदिता माने श्री कीर्ति वर्धन सिंह	139
19.	श्रीमती सी.एस. सुजाता श्री वरकला राधाकृष्णन	140
20.	श्री पी.एस. गढ़वी	141

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आठवले, श्री रामदास बंडु	1001, 1061, 1089, 1093, 1110
आदित्यनाथ, योगी	1002
'बचदा', श्री बची सिंह रावत	965, 1054
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	952, 1017
बुधौलिया, श्री राजनरायण	974
चक्रवर्ती, श्री अजय	1031, 1045
चालिहा, श्री किरिप	996, 1066, 1096, 1112
चन्देल, श्री सुरेश	959, 1020, 1089
चौधरी, श्री निखिल कुमार	956, 1020, 1089
चौहान, श्री शिवराज सिंह	1047

1	2
चौधरी, श्री पंकज	1012
चौधरी, श्री अधीर	1029, 1073, 1100, 1115
चौधरी, श्री विकास	955, 1018, 1067, 1097
चौधरी, श्री अलीमाऊ	1011
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	954
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	977
गढ़वी, श्री पी.एस.	1082
गांधी, श्रीमती मेनका	1006, 1062
गंगवार, श्री संतोष	963, 1050, 1081, 1104
जगन्नाथ, डा. एम.	997, 1056, 1087, 1107
जटिया, डा. सत्यनारायण	988
झा, श्री रघुनाथ	958, 1032, 1079
कामत, श्री गुरुदास	1005, 1123
कनोडीया, श्री महेश	957, 1019, 1085, 1089
खैरे, श्री चंद्रकांत	1035, 1071, 1114
खां, श्री सुनील	1027, 1072
खन्ना, श्री अविनाश राय	973, 1059, 1090, 1113
कोया, डा. पी.पी.	1115
कृष्ण, श्री विजय	1033, 1077, 1099, 1123, 1126
कुरूप, श्री सुरेश	1003
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	995
'ललन, श्री राजीव रंजन सिंह	1036
मनोज कुमार, श्री	972
महाजन, श्री वाई.जी.	978, 1046
महतो, श्री बीर सिंह	1061
महताब, श्री भर्तृहरि	974, 984
माझी, श्री परसुराम	969, 1051
माकन, श्री अजय	989

1	2
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	1102, 1123
माने, श्रीमती निवेदिता	1048, 1099, 1116, 1123
मेघवाल, श्री कैलाश	1092, 1109, 1118
मोदी, श्री सुशील कुमार	950, 1026, 1086
मोहले, श्री पुन्नूलाल	990, 1063, 1094
मोल्लाह, श्री हन्नान	964
मूर्ति, श्री ए.के.	961, 1023, 1069
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	987
नायक, श्री अनंत	993, 1055
निहाल चन्द, श्री	1022
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	967
निखिल कुमार, श्री	1073
नीतीश कुमार, श्री	1036, 1124
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	992, 1053, 1083, 1105, 1121
पाण्डा, श्री प्रबोध	986, 1049, 1072
परस्ते, श्री दलपत सिंह	994
पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	971, 1028
पटेल, श्री दिनशा	1015
पाठक, श्री ब्रजेश	1014
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	1016
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	999, 1060, 1091, 1108, 1119
प्रसाद, श्री हरिकेवल	1039
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	970, 1059
राजेन्द्रन, श्री पी.	968, 983, 993
राणा, श्री काशीराम	979, 1044, 1078, 1103
राव, श्री के.एस.	987, 998, 1058, 1122
राव, श्री रायापति सांबासिवा	975, 1030, 1084, 1106, 1117
राव, श्री कमला प्रसाद	1042, 1075

1	2
रेड्डी, श्री मधुसूदन	1010, 1053, 1057, 1065
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	982, 1041
रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1122
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	1061
शर्मा, डा. अरुण कुमार	1013
सत्पथी, श्री तथागत	991, 1007, 1052
सेन, श्रीमती मिनाती	951, 955, 1021, 1068, 1098
सेठ, श्री लक्ष्मण	962
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	981
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1009, 1064, 1095, 1111
सिंह, श्री दुष्यंत	1008, 1024, 1076, 1101
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	976, 1048, 1099, 1102, 1123
सिंह, श्री मानवेन्द्र	1004
सिंह, श्री मोहन	960, 1057, 1088
सिंह, श्री प्रभुनाथ	958, 1074, 1120, 1125
सिंह, श्री उदय	1000, 11000, 1115
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	953, 1101
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	980, 1034, 1070
सुब्बारायण, श्री के.	985
सुमन श्री रामजीलाल	1124
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1037
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	966, 1046, 1089
थामस, श्री पी.सी.	983, 1043
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	975, 1038
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	978, 1000, 1046
वीरेन्द्र कुमार, श्री	1000, 1008, 1109
वर्मा, श्रीमती ऊषा	1007
विनोद कुमार, श्री बी.	1025, 1080
येरननायडू, श्री किन्जरपु	998, 1056

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	124
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	122, 136
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	122, 129
विदेश	:	123, 125, 137
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	127, 128, 130, 133, 134, 138, 139, 140, 141
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	
महासागर विकास	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	132, 135
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
पोत परिवहन	:	
लघु उद्योग	:	131
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1047, 1099,
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	959, 1022, 1025, 10566, 1096, 1112
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	950, 955, 962, 964, 970, 972, 1053, 1054, 1061, 1063, 1067, 1068, 1076, 1081, 1083, 1084, 1086, 1090, 1095, 1097, 1098, 1100, 1103, 1105, 1108, 1114, 1115, 1118,
विदेश	:	971, 978, 987, 992, 994, 998, 1007, 1023, 1028, 1046, 1057, 1059, 1078, 1088, 1093, 1111, 1113, 1116, 1117,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	953, 956, 957, 960, 966, 968, 982, 983, 991, 993, 995, 996, 1002, 1006, 1012, 1019, 1020, 1029, 1031, 1032, 1035, 1037, 1041, 1043, 1045, 1048, 1056, 1062, 1069, 1071, 1072, 1079, 1085, 1087, 1089, 1092, 1094, 1101, 1107, 1119, 1122;
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	1106,
महासागर विकास	:	985,
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	:	958, 963, 989, 997, 1077, 1120, 1121, 1123, 1124, 1126,
योजना	:	976, 1009, 1016, 1039, 1074,
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	952, 965, 967, 973, 975, 980, 984, 1010, 1011, 1013, 1014, 1024, 1027, 1033, 1034, 1040, 1042, 1049, 1051, 1052, 1060, 1064, 1065, 1075, 1104,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	954, 974, 1091,
पोत परिवहन	:	969, 986, 1038, 1055, 1082, 1109
लघु उद्योग	:	951, 961, 1005, 1036, 1058, 1070, 1073, 1080,
अंतरिक्ष		1000, 1003, 1102
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	977, 979, 988, 999, 1015, 1030, 1110, 1125.

पी.एल.एस.–48.2.8/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री एन्टरप्राइजेज, प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।